अध्याय– 6
पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य
ANIMAL HUSBANDARY, DAIRY AND FISHERIES

पशुपालन(ANIMAL HUSBANDARY)**:-** उत्तराखण्ड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का योगदान अद्धितीय है। राज्य की लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या अपनी आर्थिक अवश्यकताओं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पशुपालन पर निर्भर है। दूध, मांस, अंडो का उत्पादन ग्रामीण परिवारों को नियमित आय प्रदान करता है, जिससे पलायन जैसी गंभीर समस्या को रोकने में मदद मिलती है। इसके अलावा पशु न केवल जैविक खाद् का मुख्य स्रोत है बल्कि कृषि कार्यों हेतु जैविक ऊर्जा का भी स्रोत है। सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात की सुविधा के रूप में भी उपयोगी है। इस प्रकार पशुपालन विभाग ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। आधुनिक तकनीकों व लाभकारी योजनाओं के माध्यम से पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन, चारा प्रंबधन और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, नस्ल सुधार, रोग नियंत्रण और रोकथाम कर किसानों की आय में योगदान करते हुए जनसामान्य के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन में भागीदार बन रहा है।

6.1 वर्ष 2024–25 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों का विवरण–

स्वरोजगार परक योजनायें–

1.कुक्कुट पालन योजना– अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को कुक्कुट पालन योजना के माध्यम से इच्छुक लाभार्थियों का चयन कर 50–50 एक दिवसीय चूजों की यूनिट निःशुल्क स्थापित की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को 50 एक दिवसीय चूज़ें, 1 माह का राशन व जाली निःशुल्क दी जाती है। वर्ष 2025–26 में कुल 11163 इकाईयां के सापेक्ष माह दिसम्बर 2025 तक कुल 1146 इकाईयां स्थापित की जा चुकी है। जिला योजना वर्ष 2025–26 में स्वारोजगार कुकुट पालन की स्थापना हेतु अनुमोदित परिव्यय ₹ 663.54 लाख धनराशि के सापेक्ष ₹ 654.91 लाख धनराशि अवमुक्त तथा ₹ 401.91 लाख धनराशि उपयोग (31.12.2025) की गयी।

2. गौ सदनों की स्थापना : 'उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007' के प्राविधानों के अनुरुप वर्ष 2025–26 में 87 पंजीकृत गौ सदनों को भरण पोषण मद में ₹ 6000.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

3. कुक्कुट विकास–

- **उत्तराखण्ड पोल्ट्री विकास नीति** –कुक्कुट पालन क्षेत्र में निवेश और बड़े स्तर पर उद्यमिता को बढावा देने हेतु पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 40% और मैदानी क्षेत्रों के लिए 30% सब्सिडी पर ऋण हेतु पूंजीगत व्यय का लाभ दिया जा रहा है।

6.1.2 वर्ष 2025–26 में राज्य की अर्थव्यवस्था में रोजगार, आय तथा उत्पादन के संवर्द्धन हेतु नये निवेशों, तकनीकी तथा नवाचारों हेतु किये गये प्रयासों का विवरण–

1– राष्ट्रीय पशुरोग नियन्त्रण कार्यक्रम– वर्ष 2025–26 में माह दिसम्बर 2025 तक कुल 18.28 लाख गोवंशीय एवं महिशवंशीय पशुओं में खुरपका–मुंहपका रोग के नियन्त्रण हेतु एफ0एम0डी0 टीकाकरण किया गया है। जिला योजना वर्ष 2025–26 में पशु चिकित्सा हेतु दवा वैक्सीन आदि क्रय/शिवरों के आयोजन हेतु अनुमोदित परिव्यय ₹ 1820.98 लाख धनराशि के सापेक्ष ₹ 1799.73 लाख धनराशि अवमुक्त तथा ₹ 1283.84 लाख धनराशि उपयोग (31.12.2025) की गयी।

2– पशुधन बीमा योजना– नेशनल लाईवस्टॉक

पशुपालन क्षेत्र में भी असाधारण प्रगति हुई है। राज्य स्थापना के समय दुग्ध उत्पादन एक हजार छियासठ टन से बढ़कर एक हजार आठ सौ अट्ठानवे टन हुआ है तथा अंडा उत्पादन छह दशमलव छह गुना से बढ़कर उनसठ करोड़ हुआ है। इसी प्रकार मांस उत्पादन अठहत्तर लाख किलोग्राम से तीन गुना बढ़कर दो सौ छियालीस लाख किलोग्राम हुआ है।

मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रदेश में मत्स्य उत्पादन के संबंध में वर्ष 2001 में जहाँ हमारी मत्स्य उत्पादन क्षमता मात्र एक हजार मीट्रिक टन थी, वहीं आज, पच्चीस वर्ष के भीतर, यह बढ़कर दस हजार चार सौ सत्तासी मीट्रिक टन हो गई है जो राज्य की खपत दस हजार मीट्रिक टन से अधिक है। मत्स्य पालन क्षेत्र में उत्तर पूर्व एवं हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला, यह केवल सरकार की नहीं, हर मत्स्य पालन की मेहनत की पहचान है। मत्स्य जलक्षेत्रो और ट्राउट फिश उत्पादन क्षेत्रों का विस्तार किया है, जिससे न केवल हमारे मत्स्य पालकों की आय बढ़ी है, बल्कि पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों के गांवों को भी आज सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा मिली है।

मिशन रिस्क मेनेजमेन्ट एण्ड इंश्योरेंस योजनान्तर्गत राज्य के समस्त जनपदों में पशुधन बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के संचालन के लिए ओरियन्टल इंश्योंरेस कम्पनी, देहरादून एवं हिन्दुस्तान इंश्योंरेस ब्रोकर लि0 नई दिल्ली के साथ अनुबन्ध किया गया है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2025–26 के लिए निर्धारित 1.00 लाख एनिमल यूनिट बीमा के लक्ष्यों के सापेक्ष वर्तमान तक 11682 पशुओं का बीमा किया जा चुका है।

3– पशु प्रजनन फार्म कालसी– पशु प्रजनन फार्म, कालसी में 564 गौवंशीय पशुओं (477 गाय, बछिया एवं 87 सांड़/नर बछड़े) का प्रबन्धन किया जा रहा है। पशु प्रजनन फार्म कालसी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनान्तर्गत देशी नस्ल की गायों के सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है, जिसमें रेड सिन्धी, साहिवाल एवं गिर नस्ल के पशुओं का संरक्षण एवं संवर्धन भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है। **भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड को ब्राजील से रेड सिन्धी व गिर पशुओं के जर्मप्लाज्म के आयात हेतु राष्ट्रीय नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।**

4– पशु प्रजनन प्रक्षेत्र नरियालगांव– पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, नरियालगांव, चम्पावत मे 597 बद्री नस्ल के गौवंशीय पशुओं (486 गाय, बछिया एवं 111 सांड़/नर बछड़े) का प्रबन्धन किया जा रहा है। फार्म में बद्री नस्ल के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अतिहिमीकृत वीर्य एवं लिंग वर्गीकृत वीर्य का उपयोग किया जा रहा है।

5–भेड़–बकरी विकास कार्यक्रम – भारत सरकार द्वारा सहायतित नेशनल लाईवस्टाक मिशन योजना के अन्तर्गत स्थानीय भेड़ों की नस्ल सुधार हेतु विदेश (आस्ट्रेलिया) से मेरिनो नस्ल की 199 भेड़ें तथा 41 नर मेढ़े क्रय किये गये है। माह दिसम्बर 2025 तक आस्ट्रेलिया से आयातित मैरीनों भेड़ों से आतिथि तक 319 Pure line एवं 3023 Cross line उच्च गुणवत्ता की संतति प्राप्त हुई है। आयातित मैरीनों के जर्म प्लाज्म को शीघ्रता से व्यापक स्तर पर राज्य के भेड़ पालकों के भेड़ो में Heaty Synchronization and Artificial Insemination योजना प्रारम्भ की गयी।

• **सहकारिता के माध्यम से राज्य के भेड़/बकरी विकास**– राज्य के 10000 से अधिक भेड़/बकरी पालकों, जिनमे 5000 से अधिक महिला पशुपालक है, को प्राथमिक सहकारी समिति के रूप में संगठित करते हुये बकरी पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

6. राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम – राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनान्तर्गत शत–प्रतिशत वित्त

पोषित राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम फेज–4 का क्रियान्वयन 01.08.2022 से दिनांक 30.11. 2025 तक किया गया। योजनान्तर्गत पशुपालको के द्वार पर निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। योजनान्तर्गत अब तक 27.61 लाख कृत्रिम गर्भाधान का सम्पादन किया गया तथा 9.87 लाख वत्स उत्पन्न हो चुके हैं।

6.1.3 उत्तराखण्ड में पशुधन उत्पाद (Major Livestock Products):- 31.12.2025 में 1957.25 हजार टन दूध, 470.72 हजार किलोग्राम ऊन, 6310 लाख अंडे, 255.80 लाख किलोग्राम मांस का उत्पादन हुआ। राज्य का देश के पशु उत्पाद में अंश तालिका 6.2 में दर्शायी गई है।

तलिका 6.1
उत्तराखण्ड राज्य में पशुजन्य उत्पादों की उपलब्धि

वर्ष	दुग्ध उत्पादन (हजार मी0 टन)	अण्डा उत्पादन (लाख में)	मांस उत्पादन (लाख कि0ग्रा0)	ऊन उत्पादन (हजार कि0ग्रा0)
2018–19	1792	4532	292	552
2019–20	1845	4786	253	497
2020–21	1194	3221	117	215
2021–22	2254	5007	320	526
2022–23	1859	5413	212	452
2023–24	1898	5941	245	462
31.12.2025	1957.25	6310	255.8	470.72

स्रोतः पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड (भारत सरकार के वार्षिक आंकड़ों के अनुसार)

तालिका 6.2
राज्य का देश के उत्पादन में अंशदान व पडोसी राज्य हिमाचल प्रदेश का उत्पादन

कम सं0	उत्पादन	उत्पादन				राज्य का अंश (प्रतिशत में)
		2023–24	31.12.2025			
		उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड	हिमाचल प्रदेश	भारत	
1	दुग्ध उत्पादन (हजार मी0टन)	1898	1957.25	1824	24786998	0.79
2	अण्डा उत्पादन (लाख में)	5941	6310	938	1491114	0.42
3	ऊन उत्पादन (हजार कि0ग्रा0 में)	461.60	470.72	1485	34574	1.36
4	मांस उत्पादन(हजार टन)	24.56	25.58	5.40	1050454	0.24

स्रोतः पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

वर्ष 2011–12 में दुग्ध का उत्पादन 3.019 कि0ग्रा0 प्रति गाय से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 4.907 कि0ग्रा0 हो गया है। वर्ष 2011–12 में दुग्ध का उत्पादन 4.128 कि0ग्रा0 प्रति भैंस से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 5.025 कि0ग्रा0 हो गया है। सरकार द्वारा संचालित रोग नियंत्रण तथा नस्ल सुधार कार्यक्रम का पशु उत्पादकता की वृद्धि में सकारातमक प्रभाव पड़ा है । वर्ष 2011–12 में प्रति भेड़ वार्षिक ऊन का उत्पादन 1.446 कि0ग्रा0 से बढ़कर वर्ष 31.12.2025 में 1.937 कि0ग्रा0 हो गया।

1– अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन–राज्य के श्यामपुर (देहरादून) में स्थित अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण किया गया है। केन्द्र में सांड़ों का रख–रखाव, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन और देय सुविधाओं की गुणवत्ता भारत सरकार के मिनीमम स्टैण्डर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार प्रबन्धित की जा रही है। वर्ष 2025–26 तक के लिए निर्धारित 15.00 लाख वीर्य स्ट्रा उत्पादन लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर 2025 तक 6.23 लाख वीर्य स्ट्रा का उत्पादन करते हुए 9. 12 लाख वीर्य स्ट्रा का वितरण किया गया।

2– लिंग वर्गीकृत वीर्य (सेक्स सॉर्टेड सीमन) का उत्पादनः– राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनान्तर्गत लिंग वर्गीकृत वीर्य के उत्पादन हेतु अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, श्यामपुर–ऋषिकेश में देश के राजकीय क्षेत्र में प्रथम लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला (Sex Sorting Semen Production Laboratory) की स्थापना की गई है। प्रयोगशाला द्वारा मार्च 2019 से लिंग वर्गीकृत वीर्य का उत्पादन प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2025–26 तक के लिए निर्धारित 3.00 लाख लिंग वर्गीकृत वीर्य स्ट्रा उत्पादन लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर 2025 तक 2.06 लाख वीर्य स्ट्रा का उत्पादन करते हुए 0.77 लाख वीर्य स्ट्रा का वितरण किया गया।

3– कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम– वर्ष 2025–26 तक के लिए निर्धारित 100 बायफ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को खोले जाने के लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है।

- 1827 कार्यरत कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों द्वारा वर्ष 2025–26 तक के लिए निर्धारित 8.50 लाख कृत्रिम गर्भाधान लक्ष्यों के सापेक्ष माह दिसम्बर 2025 तक 3.89 लाख कृत्रिम गर्भाधान किये गये, जिससे 0.92 लाख संतति उत्पन्न हुई है।
- लिंग वर्गीकृत वीर्य से वर्ष 2025–26 तक के लिए निर्धारित 3.00 लाख कृत्रिम गर्भाधान लक्ष्यों के सापेक्ष माह दिसम्बर 2025 तक 0.88 लाख कृत्रिम गर्भाधान किये गये, जिससे 27788 संतति उत्पन्न हुई, जिसमे 24877 संतति मादा है। इस प्रकार कुल उत्पन्न संतति में मादा संतति का प्रतिशत 89.52 रहा है।
- जिला योजना वर्ष 2025–26 में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना सुदृढीकरण हेतु अनुमोदित परिव्यय ₹ 427.48 लाख धनराशि के सापेक्ष ₹ 416.30 लाख धनराशि अवमुक्त तथा ₹ 384.49 लाख धनराशि उपयोग (31.12.2025) की गयी।

6.1.4 उत्तराखण्ड भेड़ बकरी शावक पालक को–ऑपरेटिव से सम्बन्धित विकासपरक एवं जनकल्याणकारी योजनाऐं

ITBP को स्थानीय उत्पादों (जीवित बकरी/भेड़, कुक्कुट/ट्राउट मछली) की आपूर्ति

- **वाईब्रेंट विलेज योजना** के अन्तर्गत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP) की उत्तराखण्ड राज्य में तैनात वाहिनी/ फॉरमेशनों के लिये Vocal for Local परिकल्पना को साकार करने हेतु देश में प्रथम बार स्थानीय उत्पादों (जीवित बकरी/भेड़, कुक्कुट/ट्राउट मछली) की आपूर्ति हेतु पशुपालन व मत्स्य विभाग उत्तराखण्ड के साथ दिनांक 30 अक्टूबर 2024 को अनुबंध किया गया।
- वर्तमान तक किसानो द्वारा 1,46,000 कि0ग्रा0 जीवित भेड/बकरी, 90,200 कि0ग्रा0 जीवित कुक्कुट व 21,730 कि0ग्रा0 ट्राउट मछली आई0टी0बी0पी0 को उपलब्ध कराया गया है। जिसे 18 सहकारी समिति/किसान उत्पादक संगठनों के 355 से अधिक किसानों द्वारा उपलब्ध कराया गया है। नवम्बर 2024 से वर्तमान तक किसानो को उनके उत्पाद के सापेक्ष ₹ 6.58 करोड़ का भुगतान DBT के माध्यम से किया जा चुका है। राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत वर्ष 2025–26 में आई0टी0बी0पी0 को जीवित भेड़–बकरी एवं कुक्कुट की आपूर्ति हेतु अनुमोदित परिव्यय ₹ 1366.00 लाख धनराशि के सापेक्ष ₹ 746.00 लाख धनराशि अवमुक्त तथा ₹ 746.00 लाख धनराशि उपयोग (31.12.2025) की गयी।

राज्य सरकार द्वारा पोषित योजनाऐं–

❖ गोट वैली परियोजना (Goat Valley)-

दिनांक 16 नवम्बर, 2022 को उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गोट वैली योजना का शुभारंभ किया गया। जिसका उद्देश्य क्लस्टर–आधारित बकरी पालन को प्रोत्साहित करना है। राज्य में कलस्टर आधारित बकरी पालन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से गोट वैली परियोजना को अभिसरण के माध्यम से संचालित की जा रही है।

गोट वैली योजना के अन्तर्गत वर्तमान तक 5198 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है, जिनको 67073 बकरियां वितरित की जा चुका है।

इस वर्ष 2025–26 में 2250 भेड बकरी पालको को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। जिला योजना वर्ष 2025–26 में अभिनव योजनान्तर्गत स्वःरोजगार कॅलस्टर आधारित बकरी पालन योजना/गोट बैंक स्थापना हेतु अनुमोदित परिव्यय ₹ 584.99 लाख धनराशि के सापेक्ष ₹ 560.54 लाख धनराशि अवमुक्त तथा ₹ 407.20 लाख धनराशि उपयोग (31.12.2025) की गयी।

❖ **पोल्ट्री इकाइयों की स्थापना** से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अपार अवसर पैदा हुए हैं और स्थानीय आय में भी वृद्धि हुई है। अब तक 3455 पोल्ट्री इकाइयाँ स्थापित की जा चुकी हैं, और बायबैक व्यवस्था से किसानों की लाभप्रदता सुनिश्चित हुई है। इसी प्रकार, सभी 13 जिलों में 2877 ब्रॉयलर फार्म की इकाईयां विकसित की गई है, जिससे राज्य में कुक्कुट व्यवसाय सुदृढ हुआ है।

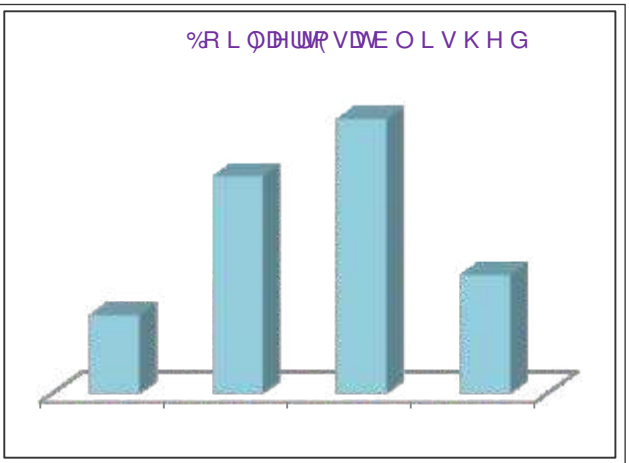

➢ **मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना** – पशुपालन उद्यमिता को और अधिक बढावा देने के लिए मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना के अन्तर्गत नई पशुधन इकाइयां स्थापित करने के लिए 90% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके अन्तर्गत कुल 4200 इकाइयों के लिए ब्याज सब्सिडी के रूप में ₹ 10 करोड़ की धनराशि प्राविधानित की गयी है। इस योजनान्तर्गत वर्तमान तक राज्य में कुल 3587 इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं।

➢ केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत वर्ष 2025–26 में पशु रोगों पर नियंत्रन हेतु राज्यों को सहायता के अन्तर्गत अनुमोदित परिव्यय ₹ 1020.47 लाख धनराशि के सापेक्ष ₹ 141.44 लाख धनराशि अवमुक्त तथा ₹ 106.79 लाख धनराशि उपयोग (31.12.2025) की गयी।

➢ **मोबाईल वेटरिनरी यूनिट (MVU)** - राज्य में मोबाईल वेटनरी यूनिट (MVU) का भी विस्तार हुआ है, जो 60 विकासखण्ड़ो में कार्यरत हैं और पशुपालक के द्वार पर पशु स्वास्थ्य सेवायें प्रदान

कर रही हैं। पशुपालकों की सुविधा हेतु विभागीय हेल्पलाइन नम्बर **1962** प्रारम्भ किया गया है। माह नवम्बर 2022 से दिनांक 31.12.2025 तक पशुपालकों की कुल 2.59 लाख कॉल्स प्राप्त हुई हैं जिसके सापेक्ष कुल 3.83 लाख पशुओं को चिकित्सा सुविधायें प्रदान की गयी है।

6.1.5 चारा विकास कार्यक्रम–

➢ **उप चारा बैंको द्वारा भूसा भेली का वितरण**– राज्य में चारे की कमी को दूर करने तथा ग्रामीण महिलाओं की पीठ से बोझ कम करने के उददेश्य से राज्य में स्थापित 130 चारा बैंकों के माध्यम से पशुपालकों को उच्च गुणवत्ता युक्त एवं संपीडित भूसा भेली एवं चाटन भेली उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 31. 12.2025 में कुल 49872 भूसा भेली एवं चाटन भेली का वितरण किया गया है।

➢ **चारा बीज वितरण**– वर्ष 2025–26 हेतु चारा विकास कार्यक्रम हेतु ₹ 1.25 करोड़ धनराशि का प्रावधान किया गया है जिससे लगभग 150000 कि0ग्रा0 चारा बीज के द्वारा 1200000 कुन्तल हरा चारा उत्पादन होने का अनुमान है।

➢ जिला योजना वर्ष 2025–26 में प्रदेश में चारा विकास कार्यक्रम का सघनीकरण एवं सघन विकास हेतु अनुमोदित परिव्यय ₹ 105.87 लाख धनराशि के सापेक्ष ₹ 103.37 लाख धनराशि अवमुक्त तथा ₹ 42.27 लाख धनराशि उपयोग (31. 12.2025) की गयी।

➢ राज्य योजना वर्ष 2025–26 में चारा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित परिव्यय ₹ 125.00 लाख धनराशि के सापेक्ष ₹ 125.00 लाख धनराशि अवमुक्त तथा ₹ 75.90 लाख धनराशि उपयोग (31.12.2025) की गयी।

❖ **केंन्द्र प्रायोजित योजना**– राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) के द्वारा विभिन्न प्रजातियों में ₹ 30.71 करोड़ की लागत की 70 परियोजनाओं को मंजूरी देकर उद्यमिता का विकास सुनिश्चित किया गया है और ₹ 13.22 करोड़ की सब्सिडी स्वीकृत की गई है।

➢ **पशुधन बीमा योजना**– पशुधन और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पशुधन बीमा योजना को व्यापक रूप से लागू किया गया है। वर्ष 2014 में इस योजना के प्रारम्भ से अब तक ₹ 100.56 करोड़ का दावा निपटान किया गया है।

➢ **आदर्श पशुचिकित्सालयों की स्थापना**– पशुपालकों को अत्याधुनिक सेवा प्रदान के उद्देश्य से 04 आदर्श पशुचिकित्सालयों को सार्वजनिक सेवा के लिए स्थापित किये गये है।

केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत वर्ष 2025–26 में वर्तमान पशुचिकित्सालय/पशु औशाधालय की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण (MVU का संचालन) हेतु अनुमोदित परिव्यय ₹ 1225.52 लाख धनराशि के सापेक्ष ₹ 811.19 लाख धनराशि अवमुक्त तथा ₹ 811.19 लाख धनराशि उपयोग (31.12.2025) की गयी।

x **पशु कल्याण– गौसदनों की स्थापना एवं ग्राम्य गौसेवक योजना का संचालन**

  पशु पालन विभाग गोवंश के कल्याण (गौ संरक्षण) के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में 87 गौसदन स्थापित किए गए है जो 17459 निराश्रित पशुओं को आश्रय प्रदान करते है। वर्तमान में ग्राम्य गौसेवक योजनान्तर्गत राज्य में कुल 165 पंजीकृत ग्राम्य गौसेवक हैं जिनमें से 82 कार्यरत ग्राम्य गौसेवकों द्वारा कुल 393 नर गौवंश को शरणागत किय गया है।

x **टेली मेडिसिन** – पशुपालन विभाग द्वारा टोल फ्री दूरभाष नम्बर 1962 के माध्यम से राज्य के समस्त पशुपालकों को टेली मेडिसिन सेवा से लाभान्वित किया जा रहा है। विभाग के अनुभवी एवं विशेषज्ञ पशुचिकित्सकों द्वारा दूरभाष पर पशुपालकों की समस्याओं का निस्तारण करते हुए पशु स्वास्थ्य, पशु प्रबन्धन एवं अन्य आवश्यक जानकारियां उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2025–26 में वर्तमान तक कुल 1234 पशुपालकों को इस सेवा से लाभान्वित किया गया है।

6.1.6 पशुपालन विभाग की 25 वर्षों की उपलब्धियां–

आज जब हम राज्य स्थापना की रजत जयंती को मना रहे हैं, हम न केवल अपनी उपलब्धियों का उत्सव मना रहे हैं, बल्कि उन लोगों का भी सम्मान

कर रहे हैं जिन्होंने इसे संभव बनाया– हमारे पशुपालक, चरवाहे, सहकारी समितियां, वैज्ञानिक और पशुचिकित्सक जिन्होंने पशुपालन को ग्रामीण समृद्धि का एक शक्तिशाली इंजन बना दिया है।

6.1.7 जीविका से शक्ति तक

जब वर्ष 2000 में उत्तराखण्ड राज्य बना, तो पशुपालन मुख्यतः एक जीविकोपार्जन गतिविधि थी। लेकिन आज 25 वर्षो के सामूहिक प्रयास के उपरान्त यह ग्रामीण विकास का रणनीति की प्रमुख एवं अभिन्न स्तम्भ बन गया है।

- इस क्षेत्र में निवेश ग्रामीण समृद्धि का महत्वपूर्ण मार्ग है। इसलिए, राज्य सरकार ने पशुपालन क्षेत्र में आवंटन को वर्ष 2000–01 में ₹ 23.67 करोड़ से बढाकर 18% वार्षिक दर की वृद्धि से पिछले 25 वर्षो में ₹ 446.04 करोड़ कर दिया है।

चार्ट– 6.1

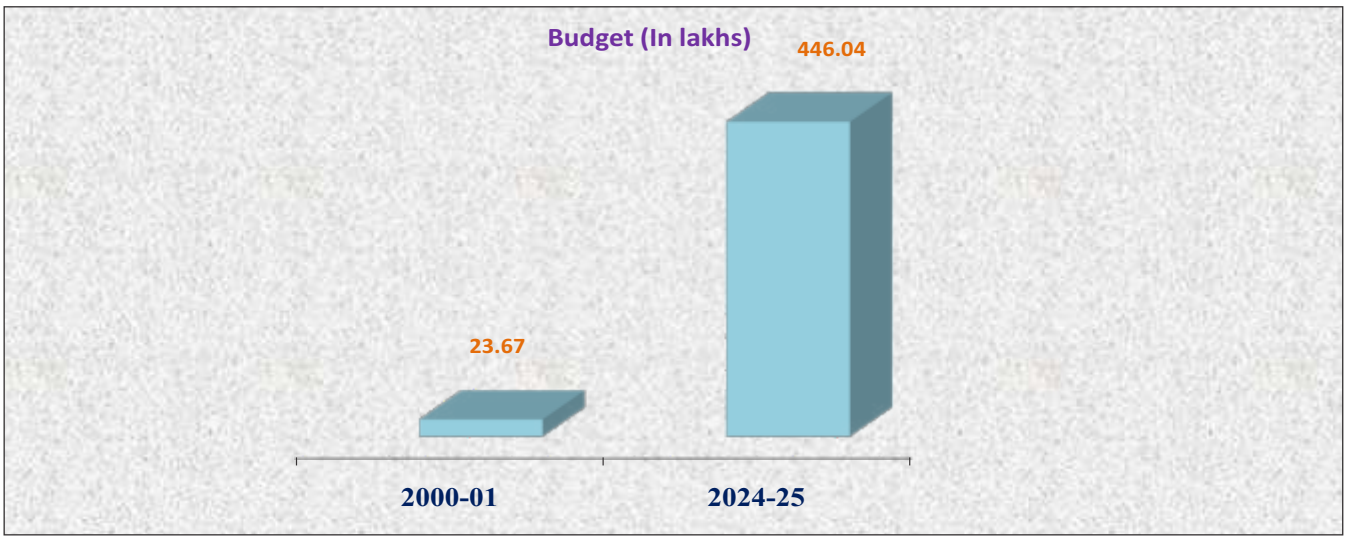

स्रोतः पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट– 6.2

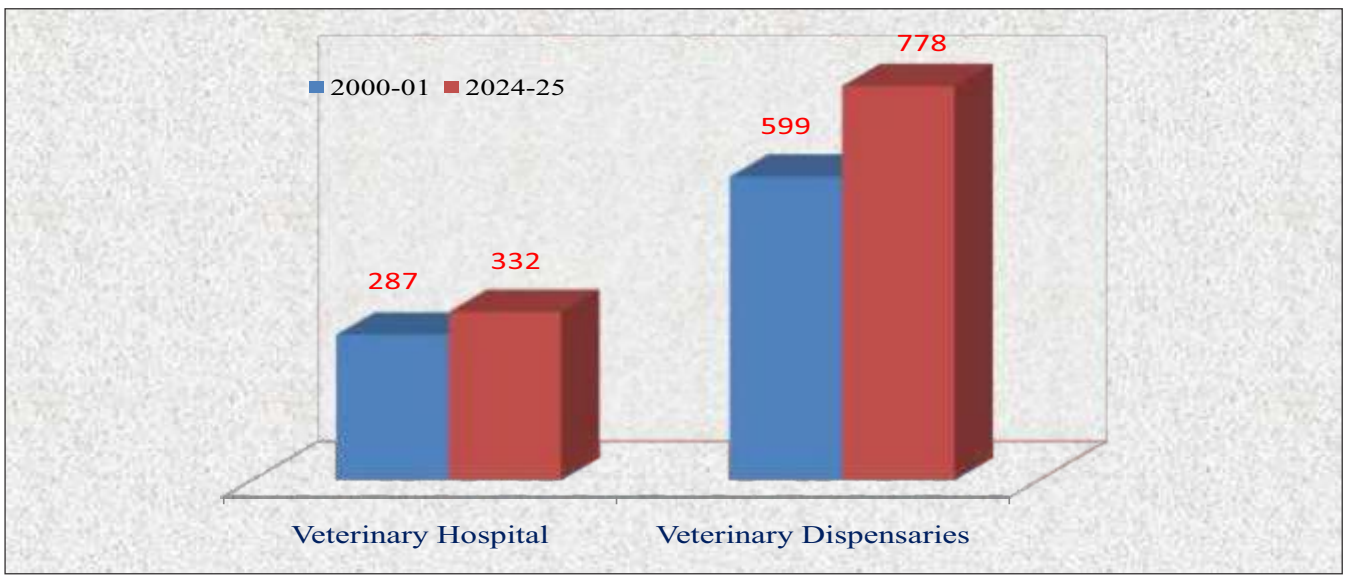

स्रोतः पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

- कृत्रिम गर्भाधान (AI) नेटवर्क को मजबूत करने और प्रजनन संरचना को पुनः व्यवस्थित करने से कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या 2000–01 में 357 से बढकर 2025 में 1825 हो गई है, जिससे 1061 मैत्री कार्यकर्ताओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है जो पशुपालक के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान एवं अन्य विभागीय सेवाएं प्रदान कर रहे है।

चार्ट– 6.3

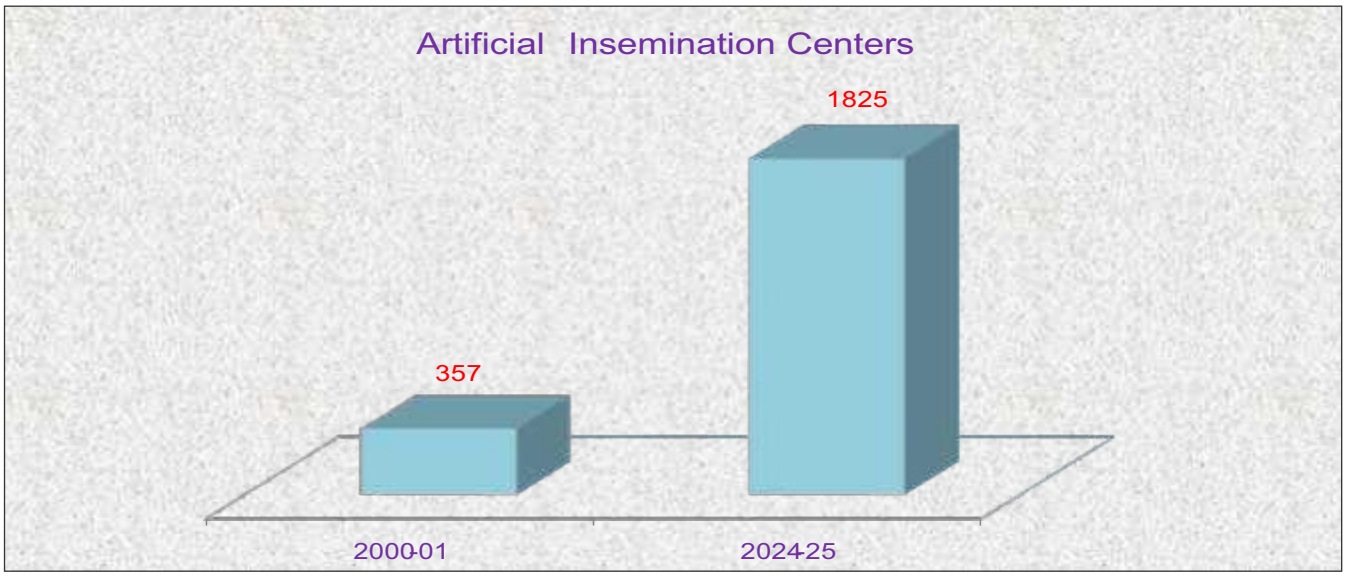

स्रोतः पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

➢ नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत धनराशि आवंटन करने वाला यह राज्य सम्भवतः देश का पहला राज्य है। सरकार ने विभाग के विभिन्न विकास कार्यक्रमों को सहायता प्रदान कर उनके बुनियादी ढाँचें के निर्माण हेतु लगभग ₹ 1394 करोड़ की धनराशि जारी की है।

चार्ट– 6.4

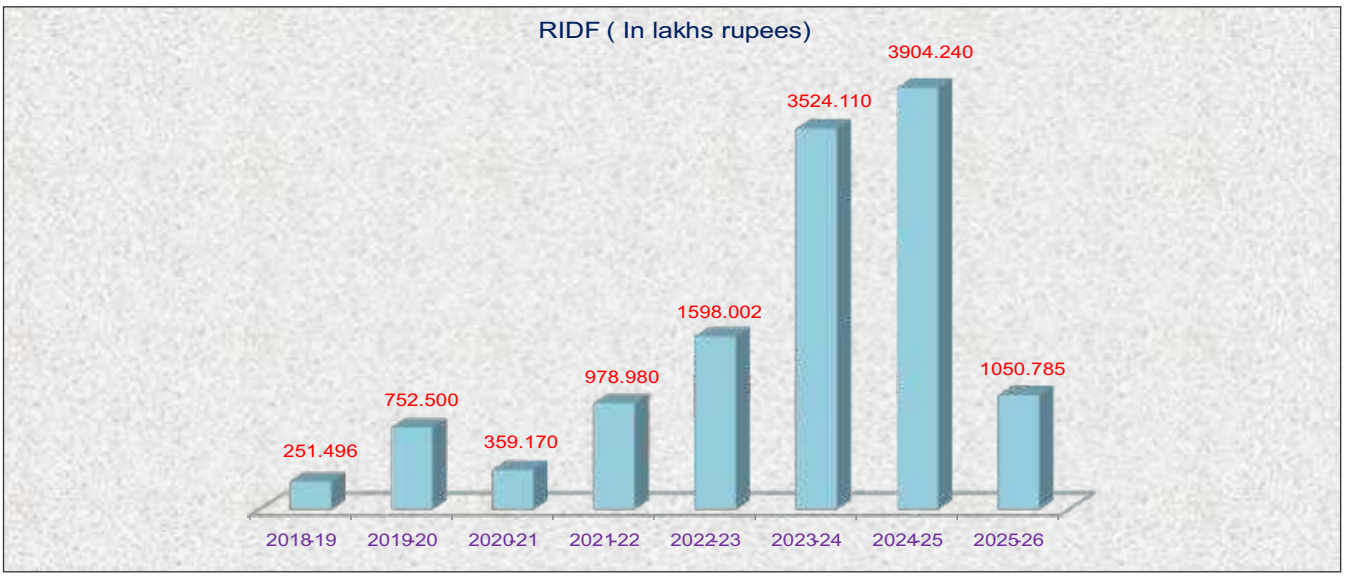

स्रोतः पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

अश्व प्रजाति (खच्चर, घोड़े, टट्टू) पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था की रीढ़ हैं और अश्ववंशीय प्रजाति के पशुपालकों को स्थायी रोजगार और आजीविका प्रदान करते हैं।

6.1.8 पशुधन सांख्यिकी

➢ राज्य में 20 वीं पशुधन संगणना के अनुसार कुल 46.63 लाख पशुधन है जिनमें 18.52 लाख गोवंशीय पशु, 8.66 लाख महिषवंशीय पशु, 16.56 लाख भेड–बकरी तथा 2.88 लाख अन्य पशु है। इसके साथ ही राज्य में 50.18 लाख कुक्कुट पक्षी है।

चार्ट– 6.5

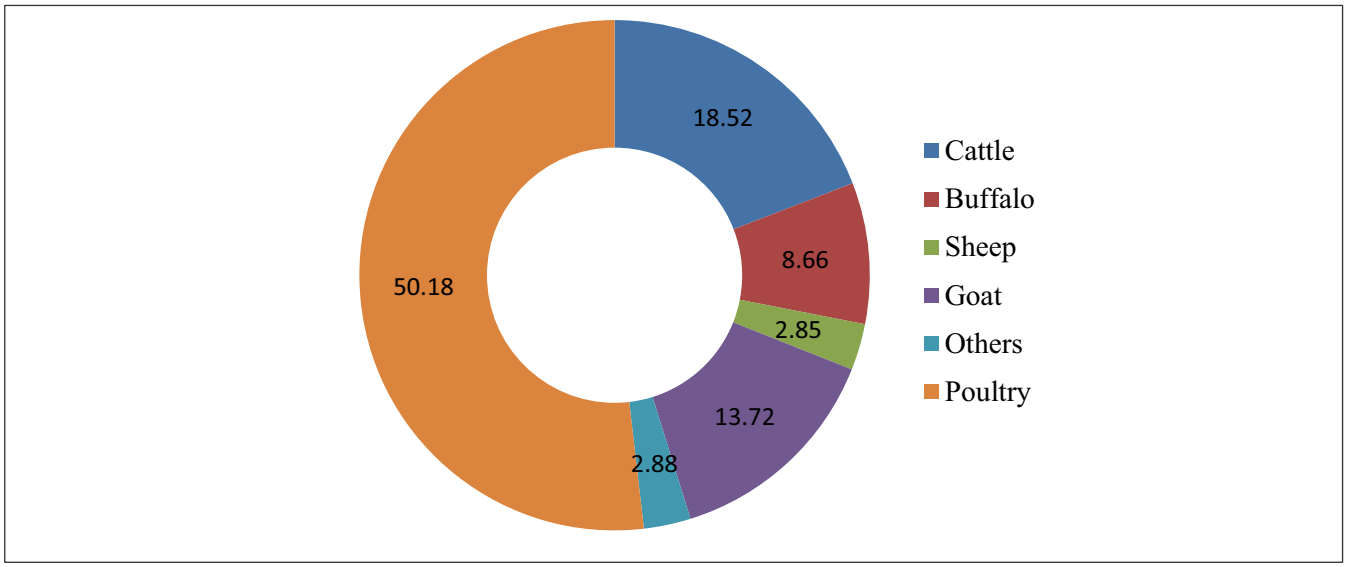

स्रोतः पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

6.1.9 पशुजन्य उत्पाद–

वर्ष 2011–12 से 2024–25 तक पशुधन क्षेत्र से **सकल मूल्य वर्धन (Gross Value Added-GVA) 8.27%** की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (Compounded Annual Growth Rate) के साथ 2878 करोड़ से बढ़कर 8082 करोड़ हो गया है। लगभग 11 लाख परिवारों को सीधे सहायता प्रदान की जा रही है। यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ अपितु वर्षो के नीतिगत नवाचार, सहकारी कार्यवाही तथा हमारे किसानों के अथक परिश्रम और सरकार की दूरदर्शिता का परिणाम है।

6.1.10 पशुजन्य उत्पादों में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- x दुग्ध उत्पादन वर्ष 2001–02 में 1066 हजार टन लगभग दोगुना होकर वर्ष 2024–25 में 1824 हजार टन हुआ है।
- x वर्ष 2024–25 में अंडा उत्पादन 63.10 करोड़ है जो कि वर्ष 2001–02 में उत्पादित 8.94 करोड़ की तुलना में 6.6 गुणा की वृद्धि है।
- x वर्ष 2001–02 में मांस उत्पादन 78 लाख किलोग्राम था जो कि वर्ष 2024–25 में तीन गुणा से अधिक की वद्धि से बढकर 2.56 लाख किलोग्राम हुआ है।

चार्ट– 6.6

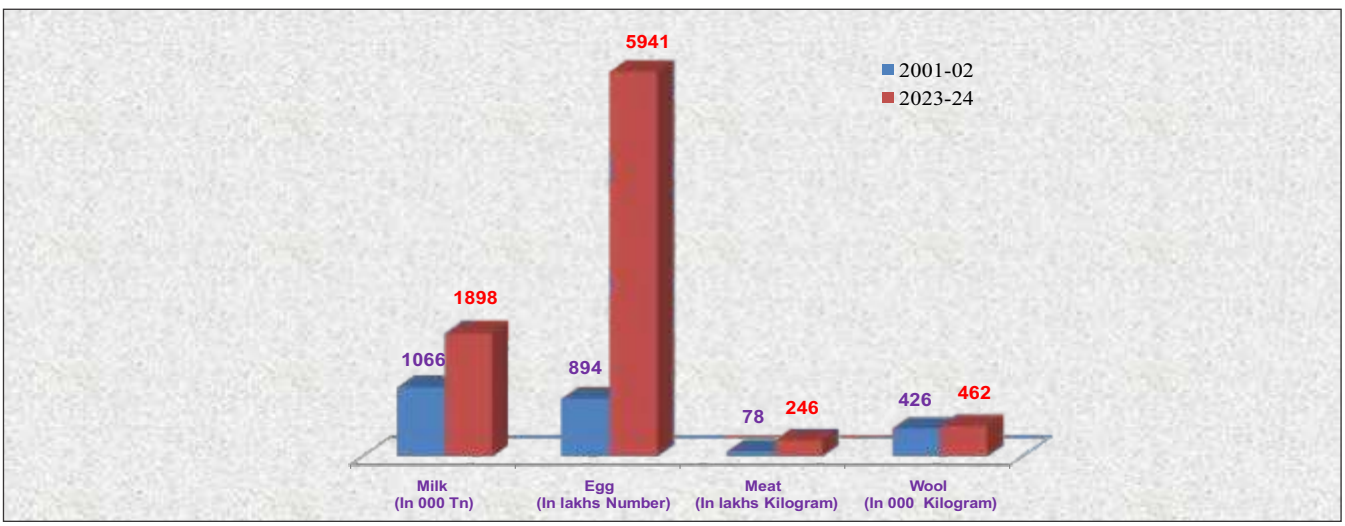

स्रोतः पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

6.1.11 महिलाएं एवं युवा—The New Leaders

उत्तराखण्ड के पशुधन क्षेत्र की कहानी हमारी महिलाओं और युवाओं की भी कहानी है। हमारे पहाड़ो में महिलाएँ लम्बे समय से पशुपालन की रीढ़ रही हैं। राज्य सरकार लाभार्थी योजनाओं के सभी बजटीय आवंटन में महिलाओं की 30% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। महिला सशक्तिकरण जैसी पहलों के माध्यम से, महिला बकरी पालन योजना और मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वे केवल पशुधन के मालिक न होकर उद्यमी भी बनें। इसके साथ ही युवा किसान भी ब्रॉयलर और डेयरी उद्यमों से होकर डिजिटल पशु चिकित्सा सेवाओं तक नए अवसरों को अपना रहे हैं।

इन 25 वर्षो में अनेक नवीन योजनाएं शुरू की गई और उन्हें प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया गया।

- **पोल्ट्री वैली योजना के अन्तर्गत** ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अपार अवसर पैदा हुए हैं और स्थानीय आय में भी वृद्धि हुई है। अब तक 3585 कुक्कुट इकाइयाँ स्थापित की जा चुकी हैं, और बायबैक व्यवस्था से किसानों की लाभप्रदता सुनिश्चित हुई है। इसी प्रकार, सभी 13 जिलों में 2504 ब्रॉयलर फार्म की इकाईयां विकसित की गई है, जिससे राज्य में कुक्कुट व्यवसाय सुदृढ हुआ है।
- **उत्तराखण्ड पोल्ट्री/कुक्कुट विकास नीति, 2025**— उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 09 जून, 2025 को उत्तराखण्ड कुक्कुट विकास नीति 2025 को मंजूरी देते हुये इसे 09 जून, 2025 से 31 दिसम्बर, 2030 या नई नीति लागू होने तक प्रभावी कर दी गयी है। इस योजनान्तर्गत पोल्ट्री फार्म स्थापित किये जाने हेतु मैदानी क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत का 30% तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 40% की सब्सिडी का प्रावधान है।
- राज्य में मोबाईल वेटनरी यूनिट (MVU) का भी विस्तार हुआ है, केन्द्र सरकार के सहयोग से 60 विकासखण्ड़ो में योजनान्तर्गत पशुपालक के द्वार पर पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रही हैं। वर्तमान तक 3.54 लाख पशुओं को चिकित्सा सेवा से आच्छादित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 35 मोबाईल वेटनरी यूनिट राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए है और जिसके फलस्वरूप राज्य के समस्त 95 विकासखण्डों में यह सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
- **केंन्द्र प्रायोजित योजना**— राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत **उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP)** के द्वारा विभिन्न प्रजातियों में ₹ 30.71 करोड़ की लागत की 70 परियोजनाओं को मंजूरी देकर उद्यमिता का विकास सुनिश्चित किया गया है और ₹ 13.22 करोड़ की सब्सिडी स्वीकृत की गई है।
- पशुपालकों को अत्याधुनिक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से 04 आदर्श पशुचिकित्सालयों को सार्वजनिक सेवा के लिए स्थापित किये गये है।

6.1.12 राष्ट्रीय गोकुल मिशन

- **राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम-** राज्य के 50% से अधिक हिस्से में संयोजित प्रजनन के कवरेज को बढाने के लिए ₹ 60.84 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ 24.88 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए।

चार्ट– 6.7

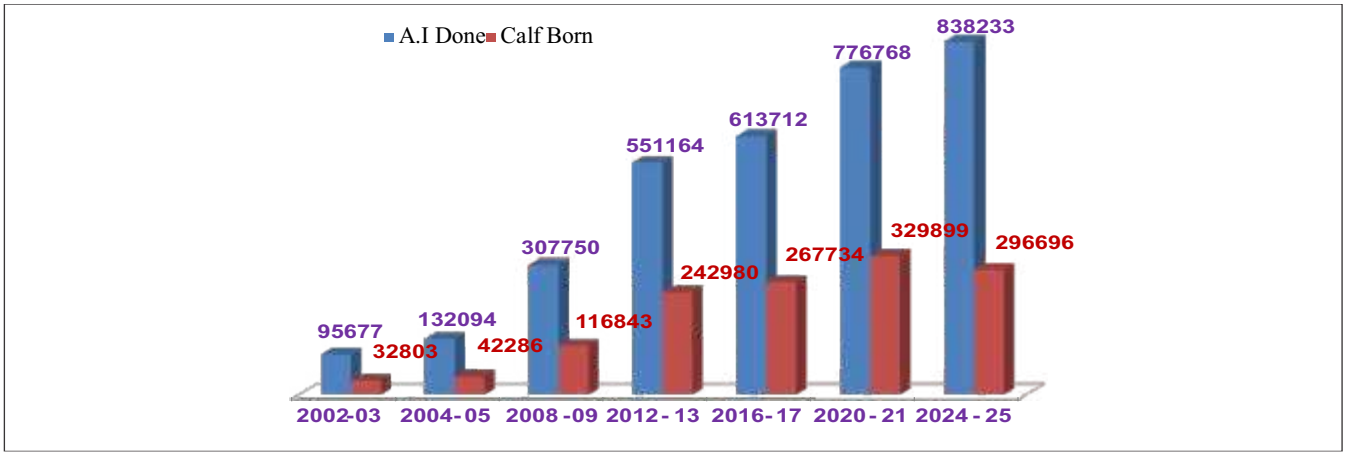

स्रोतः पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

X 1061 मैत्री केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है।

X **भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्यौगिकी (Embryo Transfer Technology)**– भ्रूण स्थानांतरण के माध्यम से 770 उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाली संतति उत्पन्न हुई है।

X **लिंग वर्गीकृत वीर्य का प्रयोग करते हुए (Accelerated Breed Improvement Program)** 6.87 लाख वीर्य स्ट्रा का उपयोग किया गया है।

X बद्री गायों का संरक्षण एवं सर्वधन–7077 बद्री गायों के दूध की रिकॉर्डिंग की जा रही है।

X अवर्गीकृत वीर्य उत्पादन– वर्तमान तक 354.12 लाख अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्रा का उत्पादन किया गया।

चार्ट– 6.8

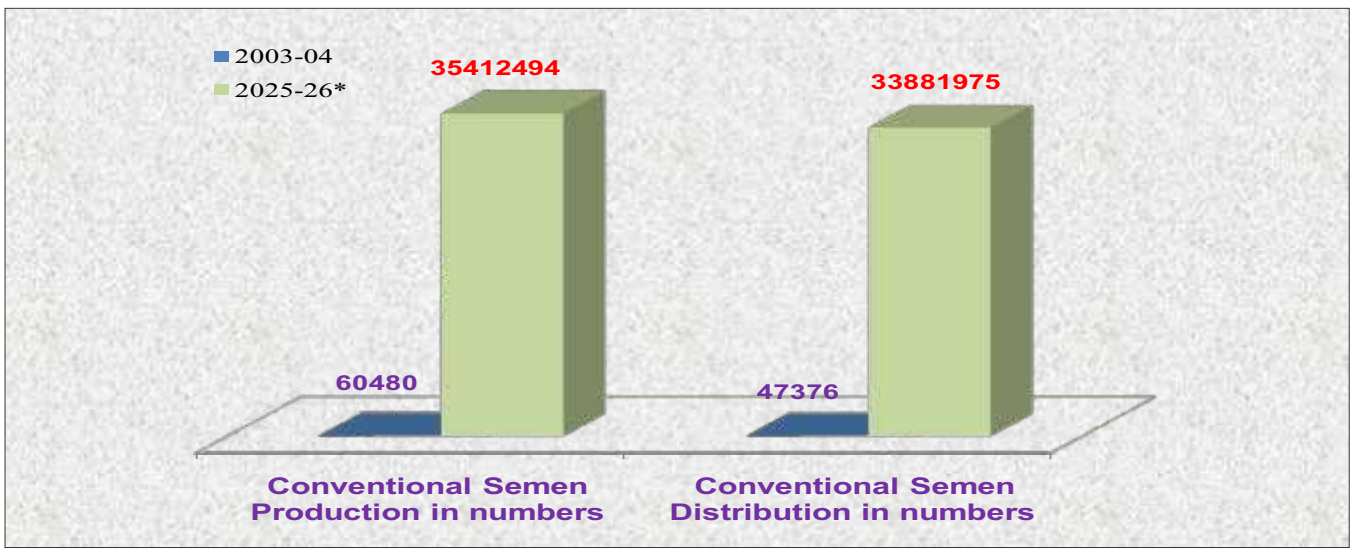

स्रोतः पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

X **सेक्स सॉर्टेड सीमेन (लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन)**– वर्तमान तक **20.70 लाख** सीमेन स्ट्रा उत्पादित किया गया है।

चार्ट– 6.9

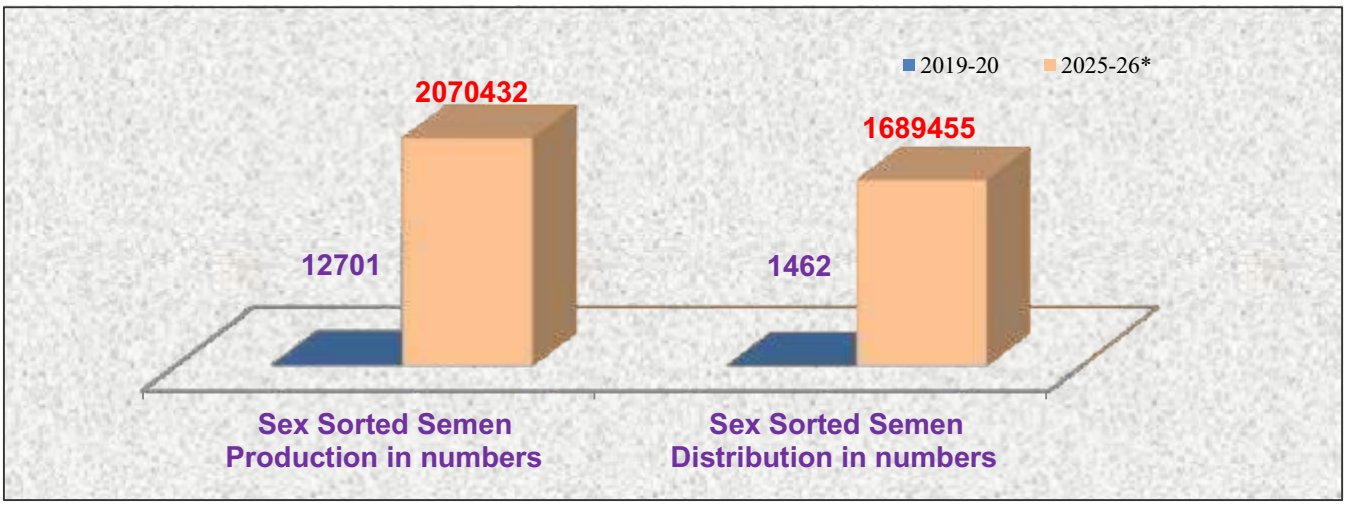

स्रोतः पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

- **राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (NDLM)** – 13 जिलों में 332 पशुचिकित्सालयों का कम्प्यूटरीकरण और भारत पशुधन ऐप (BPA) पर प्रविष्टि की जा रही है।
- राज्य सरकार और पशुपालकों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करने के लिए कुल 513 ए–हेल्प कार्यकर्ता और 844 पशुसखियों को प्रशिक्षित किया गया है।

6.1.13 गोवंश संरक्षण

पशु पालन विभाग गोवंश के कल्याण (गौ संरक्षण) के लिए प्रतिबद्ध है। 87 गौसदन स्थापित किए गए हैं। जो 17650 पशुओं को आश्रय प्रदान कर रहे है। जिसके लिए राज्य सरकार ₹ 80 प्रतिदिन प्रति पशु की दर से सहायता प्रदान करती है। इस क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 65 ग्राम्य गौ सेवकों का चयन किया गया है, जिन्हे 05 नर बछड़ो के पालन–पोषण हेतु ₹ 80 प्रतिदिन प्रति पशु की दर से भुगतान किया जाता है। ये सभी योजनाएं पलायन को रोकने में मदद कर रही है।

6.2 दुग्ध विकास (DAIRY DEVELOPMENT)

भूमिका– डेयरी विकास राज्य के दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण केन्द्र है। राज्य के उपभोक्ताओं के उत्तम गुणवत्ता के दुध व दुग्ध पदार्थ की उचित दरों पर उपलब्धता सुनिश्चित कराना प्राथमिकता है। राज्य में दुग्ध उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित करने हेतु क्षेत्र में सहकारी समितियों को प्रोत्साहित, सुदृढ एवं विनियमित करने पर बल दिया जा रहा है।

तालिका–6.3
दुग्ध समितियों की संख्या (माह–दिसम्बर, 2025 तक)

क0 सं0	जनपद का नाम	जनपदवार दुग्ध समितियों की संख्या माह दिसम्बर, 2025 तक	जनपदवार महिला दुग्ध समितियों की संख्या माह दिसम्बर, 2025 तक
1	नैनीताल	645	150
2	ऊधमसिहं नगर	436	118
3	अल्मोड़ा	262	107
4	बागेश्वर	71	108
5	पिथौरागढ़	232	121
6	चम्पावत	261	83
7	देहरादून	233	98
8	हरिद्वार	262	102

9	टिहरी	67	108
10	उत्तरकाशी	92	104
11	चमोली	67	114
12	रूद्रप्रयाग	52	67
13	पौड़ी गढ़वाल	127	95
	कुल योग–	**2807**	**1375**

स्रोतः दुग्ध विकास , उत्तराखण्ड

डेरी विकास विभाग उत्तरखण्ड के माध्यम से संचालित की जा रही योजनाओं का विवरणः–

राज्य योजना

1–डेरी विकास योजना– योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 720.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी, जिसके सापेक्ष माह 31 दिसम्बर, 2025 तक ₹ 641.17 लाख की धनराशि उपयोग की गयी हैं।

2–महिला डेरी विकास योजना– राज्य सेक्टर में महिला डेरी विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 496.94 लाख अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2025 तक ₹ 496.94 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है, जिसके अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2025 तक 28 महिला दुग्ध समितियों का गठन, 13 अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेमिनार, 840 महिला सदस्यों, 800 लीटर औसत दैनिक दुग्ध उपार्जन एवं 168 प्रबन्ध कमेटी सदस्य प्रशिक्षण कार्य किया गया।

3– दुग्धशाला का सुदृढ़ीकरण– राज्य सेक्टर की दुग्धशाला का सुदृढ़ीककरण योजनान्तर्गत विभिन्न दुग्ध संघों को अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है। चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु ₹ 100.00 लाख अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2025 तक ₹ 50.00 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। इसके अन्तर्गत विभिन्न जनपदों की दुग्धशालाओं का सुदृढ़ीक करण आधुनिकीकरण एवं क्षमता विस्तार कार्य किया जाता है।

4– दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना– राज्य सेक्टर की दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन बढ़ाये जाने के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादकों को योजनान्तर्गत 8.00 : एस.एन.एफ. अथवा इससे अधिक की गुणवत्ता का दूध देने वाले समिति सदस्यों को ₹ 4.00 प्रति लीटर तथा 7.50 से 7.99 : एस.एन.एफ की गुणवत्ता का दूध देने वाले समिति सदस्यों को ₹ 3.00 प्रति लीटर प्रेात्साहन राशि राज्य अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जा रही है। वर्ष 2025–26 में ₹ 2440.00 लाख अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2025 तक ₹ 1265.53 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है, जिसके अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2025 तक प्रदेश में कुल 53500 हजार दुग्ध उत्पादकों का प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया।

तलिका–6.4

दुग्ध बिक्री का वर्ष 2019–20 से 2025–26 तक औसत दैनिक प्रगति विवरण (ली0 में)

क0 सं0	जनपद का नाम	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25	2025–26 (माह दिसम्बर, 2025 तक
1	नैनीताल	86572	84410	84799	85409	82604	83946	83219
2	ऊधमसिहं नगर	28500	21649	20980	21805	18701	18798	26058
3	अल्मोड़ा एवं बागेश्वर	10206	10037	10461	9621	9318	9635	10138
4	पिथौरागढ़	5564	5564	5053	5419	5843	5778	6239
5	चम्पावत	3299	4246	5189	9246	7714	8286	8891
6	देहरादून	20349	17149	16504	16760	17130	18405	18989
7	हरिद्वार	8135	7910	7114	6282	6789	6878	9029
8	टिहरी	720	156	422	298	1305	669	1692

9	उत्तरकाशी	1249	1256	1291	1304	563	1437	627
10	चमोली	1694	1844	1781	1951	2293	2295	2565
11	पौड़ी गढ़वाल एवं रूद्रप्रयाग	2297	2332	2481	2093	1741	2019	2287
	कुल योग–	**168585**	**156553**	**156075**	**160188**	**154001**	**158146**	**169734**

स्रोतः दुग्ध विकास, उत्तराखण्ड

तालिका–6.5

गत वर्षो के सापेक्ष दुग्ध उत्पादन में प्रगति

क0सं0	वर्ष	उत्पादन (कि0ग्रा0)
1	2019–20	183489
2	2020–21	189026
3	2021–22	201092
4	2022–23	185161
5	2023–24	188780
6	2024–25	196868
7	2025–26 (माह दिसम्बर, 2025 तक)	234857

स्रोतः दुग्ध विकास, उत्तराखण्ड

चार्ट– 6.10

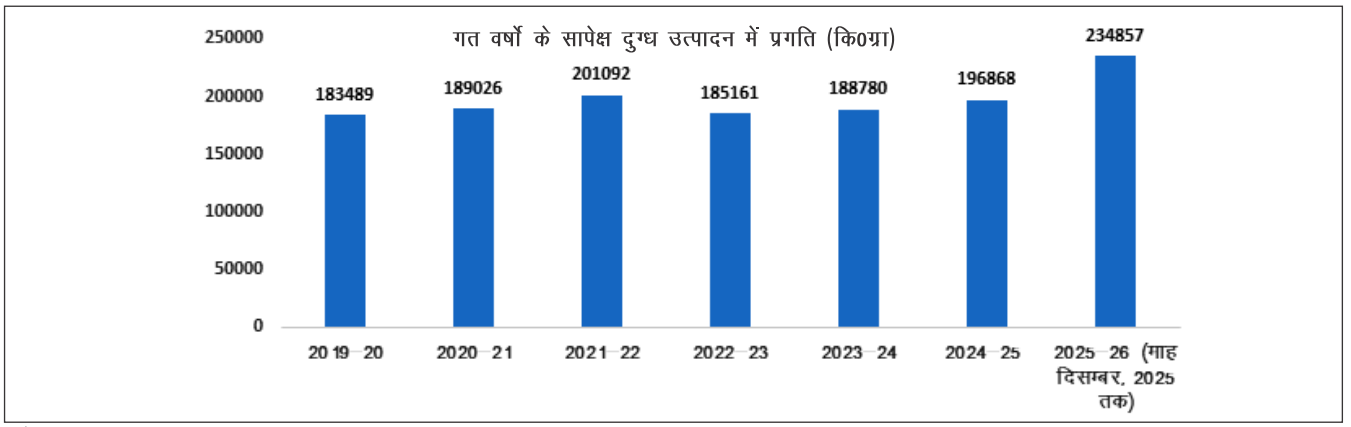

स्रोतः दुग्ध विकास, उत्तराखण्ड

5– दुग्ध संघ के कार्मिकों हेतु स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना– प्रदेश में घाटे में चल रहे दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के कर्मचारियों हेतु स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना संचालित की गयी है।

6– साईलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना– योजनान्तर्गत दुग्ध सहकारी समितियों से जुडे दुग्ध उत्पादक सदस्यों को उनके दुधारू पशुओं के उत्तम स्वास्थ्य एवं दुग्ध उत्पादन को बड़ाये जाने के उद्देश्य से साईलेज एंव पशु पोषण योजना तैयार की गई है। जिसके अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से जुडे दुग्ध उत्पादक सदस्यों को उनके दुधारू पशुओं के उपयोग हेतु साइलेज, पशुआहार, मिनरल मिक्स्चर एवं प्रोबाईटिक्स पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वरूप दी जाती है।

7– पशुचारा परिवहन अनुदान योजना– दुग्ध सहकारी समितियां से जुड़े दुग्ध उत्पादक सदस्यों के दुधारू पशुओं को आवश्कतानुसार पशुचारा यथा संतुलित पशुआहार, वैक्यूम पैक्ड साईलेज एवं काम्पेक्ट फीड ब्लाक उपलब्ध कराया जा रहा है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचते हुए साईलेज एवं संतुलित पशुआहार की दरें, परिवहन व्यय बढने के कारण अधिक हो जाती है। दूरस्थ क्षेत्र के दुग्ध उत्पादक सदस्यों को भी उक्त अवयव निर्माण स्थल की दरों पर उक्त योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु ₹ 300.0 लाख अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ₹ 240.49 लाख व्यय की जा चुका है।

8– पशु चारा बीज वितरण योजना– योजनान्तर्गत दुग्ध सहकारी समितियों से जुडे दुग्ध

उत्पादक सदस्यों को हरे चारे की समस्या के समाधान हेतु विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में पशुचारा बीज वितरण योजना प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत रबी सीजन एवं खरीफ सीजन हेतु चारा बीज यथा बरसीम, जैई, मक्खन घास, मक्का, बाजरा, लोबिया आदि चारा बीजों का वितरण दुग्ध उत्पादकों को निशुःल्क दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु ₹ 300 लाख का बजट प्राविधान के सापेक्ष ₹ 300 लाख स्वीकृत किया गया है। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ₹ 150 लाख व्यय किया जा चुका है।

6.3 मत्स्य विकास (FISHERIES):-

भूमिकाः– मात्स्यिकी क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से समावेशी है, जो खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ–साथ मत्स्य पालकों की आर्थिक समद्वि और भलाई में योगदान दे रहा है। विभागीय कार्यक्रमो एवं योजनाओं के संचालन से राज्य में मत्स्य पालन एवं इससे जुड़े अन्य व्यवसाय जनमानस के मध्य एक बेहतर व्यवसाय के रूप में स्थापित हुये हैं तथा इस क्षेत्र की सम्भावनाओं के दृष्टिगत एकाधिक व्यक्तियों का रूझान मात्स्यिकी क्षेत्र की ओर बढ़ा है। सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में ट्राउट फार्मिंग एक बेहतर व्यवसाय के रूप में सृजित हुआ है जबकि मैदानी क्षेत्रों में नवीन तकनीकी जैसे रिसकुलेट्री एक्वाकल्चर सिस्टम एवं बायोफ्लॉक से मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है।

राज्य में मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध जल क्षेत्रों के अन्तर्गत नदियों के रूप में 2686 कि0मी0, वृहद् जलाशयों के रूप में 20587 हैक्टेयर, प्राकृतिक झीलों के रूप में 297 हैक्टेयर तथा तालाब/टैंक एवं पोखरों के रूप में 1011. 525 हैक्टेयर, 1847 ट्राउट रेसवेज उपलब्ध है, जिनके मात्स्यिकी दृष्टिकोण से समुचित उपयोग हेतु विभाग द्वारा विभिन्न कार्य किये जा रहे है।

मत्स्य विकास – एक दृष्टि में

क्र0 स0	मद	इकाई	संख्या
1.	आच्छादित जनपद	संख्या	13
2.	मत्स्य प्रक्षेत्र/हैचरियां केन्द्र	संख्या	12
3.	राज्य स्तरीय ब्रूड बैंक	संख्या	02
4.	राज्य स्तरीय इण्टीग्रेटेड एक्वापार्क (निर्माणाधीन)	संख्या	01
5.	फिश मार्केट/मण्डी	संख्या	03 एवं 01 (निर्माणाधीन)
6.	प्रसंस्करण यूनिट	संख्या	04 (निर्माणाधीन)
7.	कोल्ड स्टोरेज यूनिट	संख्या	02 (निर्माणाधीन)
8.	मत्स्य पालक विकास अभिकरण	संख्या	01
9.	राज्य स्तरीय ट्राउट महासंघ	संख्या	01
10.	जनपद स्तरीय फेडरेशन	संख्या	01
11.	मत्स्य किसान उत्पादन संगठन (एफ०एफ०पी०ओ०)	संख्या	06
12.	मत्स्य सहकारी समितियाँ	संख्या	239
13.	नदियों की लम्बाई	कि0मी0	2686
14.	वृहद जलाशय	संख्या हैक्टेयर	7 20587
15.	झील	संख्या हैक्टयर	31 297
16.	तालाब/पोखर/निजी तालाब	हैक्टेयर	1011.525
17.	ट्राउट रेसवेज	संख्या	1847

वर्ष 2025–26 में विभाग द्वारा प्रमुख नवोन्मेषी (Innovative) **योजना का विवरण** –

- **ट्राउट प्रोत्साहन योजना** – राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकने हेतु और ट्राउट मत्स्य उत्पादन को बढावा देने हेतु वर्ष 2025–26 से ''ट्राउट प्रोत्साहन योजना'' कुल लागत ₹ 170 करोड़ प्रारम्भ की गयी है।
- **मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना**– राज्य में मात्स्यिकी क्षेत्र के समुचित विस्तार हेतु पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रो में सभी वर्गो, युवाओं, महिलाओं को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2024–25 से राज्य सेक्टर में मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत प्रारम्भ की गयी नवीन बीमा सुविधा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में आपदा से हुयी क्षति के सापेक्ष मत्स्य पालकों को कुल ₹ 22.11 लाख के क्लेम प्राप्त हुये।
- मत्स्य पालन क्षेत्र में नया व्यवसाय सृजित किये जाने के उद्देश्य से राज्य में संचालित मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत **सजावटी मछली पालन** गतिविधि सम्मिलित की गयी।
- जलाशयों में अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन प्राप्त करने हेतु **जनपद उधमसिंहनगर** के **बौर** एवं **हरिपुरा** जलाशय में **100 केज** स्थापित किये गये।
- भारत सरकार के कार्यक्रम प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अन्तर्गत 02 जलाशयो में **''मॉडर्न फिश लैण्डिंग सेन्टर''** की स्थापना की जा रही है।

- **प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना**– केन्द्र सरकार की इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में **वाईब्रेट विलेज प्रोगाम** के तहत ₹ 3.40 करोड़ तथा **धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान** के तहत ₹ 57.50 लाख के नवीन प्रोजेक्ट स्वीकृत कराये गये।

उत्तराखण्ड में जनपदवार मत्स्य उत्पादन
वर्ष 2024–25 एवं वर्ष 2025–26 (अनुमानित)

जनपद	वर्ष 2024–25		वर्ष 2025–26 अनुमानित
	मत्स्य उत्पादन (ह0 मेट्रिक टन)	मत्स्य उत्पादन का मूल्य (लाख ₹ में)	मत्स्य उत्पादन (ह0 मेट्रिक टन)
उत्तरकाशी	233.70	747.885	256.30
चमोली	305.13	896.428	335.64
टिहरी गढ़वाल	245.00	802.930	269.50
देहरादून	698.54	1018.587	768.40
पौड़ी गढ़वाल	135.30	165.663	148.30
रूद्रप्रयाग	107.98	321.351	118.79
हरिद्वार	3183.28	4361.135	3533.44
योग गढ़वाल मण्डल	**4908.93**	**8313.979**	**5430. 37**
पिथौरागढ़	250.80	672.021	275.88
अल्मोड़ा	112.50	140.917	123.75
नैनीताल	110.50	149.452	121.55
बागेश्वर	137.289	425.119	151.08
चम्पावत	80.51	115.292	88.56
उधमसिंह नगर	4886.16	5708.98	5619.08
योग कुमायूँ मण्डल	**5577.759**	**7211.781**	**6379.9 0**
योग उत्तराखण्ड	**10486.689**	**15525.761**	**11810.27**

2– वर्ष 2025–26 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सृजित रोजगार सृजन का विवरण– वर्ष 2025–26 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमो तथा अभियानो से माह दिसम्बर, 2025 तक लगभग 401 प्रत्यक्ष जबकि 1219 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुये।

3– वर्ष 2025–26 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमो तथा अभियानों के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों एवं समस्याओं का विवरण–

- वर्तमान समय में मत्स्य बीज उत्पादन एवं पूर्ति में गैप होने तथा ट्राउट मत्स्य बीज की निरन्तर बढ़ रही मांग को पूरा करने हेतु इस वर्ष डेनमार्क से 6 लाख ट्राउट आईड ओवा का आयात किया गया है एवं अगले वर्ष में 25 लाख ट्राउट आईड ओवा के आयात की कार्यवाही की जा रही है।
- ट्राउट मत्स्य बीज उत्पादन को बढाये जाने हेतु राजकीय क्षेत्र में 03 हैचरियो के निर्माण कराये जाने के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में 01 ट्राउट हैचरी एवं 21 ट्राउट रियरिंग यूनिटों की स्थापना की जा रही है।
- जलाशयो से निकाली गयी मछलियों के अस्वच्छकर भण्डारण एवं हैंण्डलिंग आदि के कारण ताजा मछलियों की उपलब्धता कम हो जाती है। स्वास्थ्यकर (Hygienic) वातावरण में मछलियों को संरक्षित कर बाजार/ग्राहकों तक प्रोटीनयुक्त फ्रेश मछलियों की उपलब्धता हेतु 02 जलाशयो में मॉडर्न फिश लैण्डिंग सेन्टर तैयार कराये जा रहे हैं।
- जलाशयों में मत्स्य उत्पादन को बढाये जाने हेतु केन्द्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर से जलाशयों का सर्वेक्षण कराया गया है जबकि विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्मित जलाशयों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

अध्याय–7
सहकारिता
(Co-operative)

उत्तराखंड में सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि को सुदृढ़ बनाने का एक स्तंभ है, जिसके तहत 2025 तक हर गॉव में बहुउद्देशीय सहकारी समितियां (MPACS) गठित करने का लक्ष्य है। राज्य द्वारा वर्ष 2025 को 'सहकारिता वर्ष' के रूप में मनाया गया जिसका उद्देश्य प्रत्येकम ग्राम सभा में बहुउद्देशीय सहकारी समितियां बनाकर ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसने सहकारिता में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया है और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को ₹ 5 लाख तक का ऋण शून्य ब्याज पर देने की पहल की है। इसके अतिरिक्त राज्य में किसानों को दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत 2 प्रतिशत ब्याज दर पर ₹ 1 लाख तक का ऋण दिया जा रहा है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करके पलायन को एक सीमा तक रोकना है।

वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में सहकारिता विभाग द्वारा 671 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स), 10 जिला सहकारी बैंकों तथा उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की कुल 327 बैंक शाखाओं के माध्यम से सहकारी सदस्यों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में विभिन्न प्रकार की कुल 6368 सहकारी समितियाँ निबन्धित हैं, जिनके माध्यम से राज्य की व्यापक जनसंख्या को बहुआयामी सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।

7.1 राज्य सेक्टर योजनायें:–

सहकारिता विभाग द्वारा राज्य स्तर पर संचालित योजनाओं का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना, उनके मानव संसाधनों का क्षमता विकास करना तथा ग्रामीण एवं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करना है। राज्य सेक्टर योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है।

7.1.1 सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु अनुदान :–

इस योजना के अंतर्गत विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों, सहकारी संस्थाओं के कार्मिकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को सहकारिता के सिद्धांतों, प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन, लेखा प्रणाली तथा आधुनिक कार्यप्रणालियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे सहकारी संस्थाओं की कार्यकुशलता एवं पारदर्शिता में वृद्धि हो सके। वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजना के संचालन हेतु ₹ 20.00 लाख की बजटीय धनराशि का प्राविधान किया गया, जिसके माध्यम से सहकारी संस्थाओं के मानव संसाधन विकास को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है।

7.1.2 उर्वरक परिवहन पर राज सहायता –

राज्य के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु उर्वरक परिवहन पर राज्य सहायता योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य उर्वरकों की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए कृषि उत्पादन लागत को कम करना है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 81623 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों का वितरण किया गया है। इस वर्ष ₹ 150.00 लाख की बजटीय व्यवस्था के सापेक्ष ₹ 140.00 लाख का व्यय किया जा चुका है।

7.1.3 पैक्स मिनी बैंक में जमा निक्षेपों के लिए निक्षेप गारन्टी योजना–

ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्स मिनी बैंकों के प्रति आम जनता का विश्वास बढ़ाने तथा जमा निधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जमा गारंटी योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 20.00 लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष पूर्ण ₹ 20.00 लाख का व्यय किया गया। इस योजना से ग्रामीण वित्तीय प्रणाली को मजबूती प्रदान हुई है।

7.2 जिला सेक्टर योजनायें:–

जिला सेक्टर योजनाओं का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर सहकारी संस्थाओं को वित्तीय एवं संरचनात्मक सहायता प्रदान करते हुए उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाना तथा सहकारी तंत्र के माध्यम से किसानों, उपभोक्ताओं एवं कमजोर वर्गों तक योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाना है। इन योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख योजनाएँ संचालित की जा रही हैं

7.2.1 ऋण एवं अधिकोषण योजना–

इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के सचिवों को वेतन भुगतान हेतु कश्मन कैडर अनुदान, पैक्स/मिनी बैंक की स्थापना, क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों को ब्याज में राहत एवं अंशपूर्ति हेतु ब्याज रहित ऋण अनुदान प्रदान किया जाता है। योजना का मुख्य उद्देश्य सहकारी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना तथा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को सहकारिता के माध्यम से मुख्यधारा में लाना है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 629.13 लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नवम्बर 2025 तक ₹ 570.13 लाख का व्यय किया जा चुका है, जिससे योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ है।

7.2.2 सहकारी क्रय–विक्रय योजना–

इस योजना के अंतर्गत पैक्स के क्षतिग्रस्त गोदामों के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत, क्रय–विक्रय सहकारी समितियों के कर्मचारियों के वेतन भुगतान तथा कृषि उत्पादों की खरीद एवं विपणन से सम्बंधित गतिविधियों हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना के माध्यम से किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने तथा सहकारी विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजना के संचालन हेतु ₹ 415.27 लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नवम्बर 2025 तक ₹ 262.27 लाख का व्यय किया जा चुका है।

7.2.3 सहकारी उपभोक्ता योजना–

इस योजना का उद्देश्य आर्थिक विषमताओं तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कृत्रिम कमी को समाप्त करना, वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति बनाए रखना तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता की आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराना है। सहकारी उपभोक्ता भंडारों के माध्यम से इस योजना का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 1.90 लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नवम्बर 2025 तक ₹ 1.90 लाख का व्यय किया गया है। इस योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की सुलभ एवं किफायती आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

7.3 अन्य योजनायें

7.3.1 दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना:–

किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 से दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लघु, सीमांत तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सहकारी सदस्य किसानों को कृषि एवं कृषि से इतर गतिविधियों के लिए ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें। योजना के अंतर्गत कृषि कार्यों हेतु अधिकतम ₹ 1.00 लाख तथा

कृषि से इतर गतिविधियों जैसे पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, पुष्प उत्पादन, औद्यानिकी, कृषि प्रसंस्करण, कृषि यंत्रीकरण, जैविक खेती, सब्जी उत्पादन, पॉलीहाउस आदि के लिए अधिकतम ₹ 3.00 लाख तक का ब्याज रहित ऋण प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूहों को ₹ 5.00 लाख तक का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्षवार् विवरण निम्नवत् हैः–

चार्ट–7.1

दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत ऋण वितरण

उक्त योजनान्तर्गत योजनारम्भ (अक्टूबर 2017) से आतिथि तक कुल 1127145 लाभार्थियों एवं 6328 स्वयं सहायता समूहों को कुल ₹ 6880.59 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है, जिससे कृषकों की कृषि उत्पादन लागत में कमी आयी है, फलस्वरुप उनकी आय में वृद्धि हुयी है।

सहकारिता आंदोलन – सहयोग से समृद्धि

सहकारिता से समृद्धि का सपना साकार करने की दिशा में उत्तराखंड सहकारिता विभाग निरंतर अग्रसर है। उत्तराखंड राज्य गठन के उपरांत सहकारिता विभाग का एक नया और सशक्त स्वरूपी अस्तित्व में आया है। विभाग द्वारा 6346 सहकारी समितियों एवं 330 जिला सहकारी बैंक की शाखाओं के माध्यम से आम जनमानस को सहकारिता विभाग की समस्त योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत चार क्षेत्रक सहकारिता, मत्स्य, भेड़ बकरी पालन एवं डेयरी विकास में विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिनसे लगभग पचास हजार किसान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय की पृथक से स्थापना के उपरांत वर्ष 2021 में विभिन्न पहल और योजनाएं प्रारम्भ की गयीं,जिनका लाभ उत्तराखण्ड राज्य को प्राप्त हो रहा है।

प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को डिजटल रूप से सशक्त करने हेतु राज्य द्वारा पैक्स कम्प्यूटरीकरण का कार्य अगस्त 2020 से प्रारम्भ किया गया। उत्तराखण्ड राज्य देश का अग्रणी राज्य बना जहां पैक्स कम्प्यूटरीकरण किये जाने का काय संचालित किया गया। पैक्स कम्प्यूटरीकरण के उत्तराखण्ड राज्य मॉडल के अनुरूप ही सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा अन्य राज्य में केन्द्रीय प्रायोजित पैक्स

कम्प्यूटरीकरण योजना संचालित की गयी है। राज्य के आम जन मानस को सस्ती कीमत वाली गुणवत्ता पूण दवाइयां उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से एमपैक्सों को जन औषधि केन्द्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। 650 सहकारी समितियां जन सुविधा केन्द्र के रूप में कार्यरत हैं, जिससे ग्रामीणों को सरकारी सेवाएँ उनके गाँव में ही मिल रही हैं। राज्य में कार्यशील पैक्स को उर्वरक खुदरा विक्रेता के रूप में विकसित किये जाने के उद्देश्य से 478 पैक्सों में प्रधानमंत्री समृद्धि केन्द्र खोले जा चुके हैं। सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंकों की प्रबन्ध कमेटी तथा अध्यक्ष पद हेतु महिलाओं को 33 (तैंतीस) प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्रावधान किया गया है। मानव संसाधन सशक्तीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। राज्य में प्रथम बार वर्ष 2018–19 में प्रतिष्ठत राष्ट्रीय संस्था आई बी पी एस के माध्यम से पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के जरिए जिला सहकारी बैंकों की भती प्रक्रिया सम्पादित की गयी। वर्तमान तक विभाग द्वारा जिला सहकारी बैंकों एवं शीर्ष सहकारी बैंकों में वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन के पदों पर आई बी पी एस के माध्यम से परीक्षा करवाते हुये 597 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है।

7.3.2 मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजनाः–

इस योजना अन्तर्गत महिलाओं को रियायती दरों पर सायलेज एवं टी0एम0आर0 फीड ब्लॉक उपलब्ध करा कर चारे के बोझ से मुक्त किया जा रहा है। राज्य के दूरस्थ ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों में "सायलेज उत्पादन एवं विपणन सहकारी संघ लि0" द्वारा उत्पादित साइलेज एवं टी0एम0आर0, रियायती दर पर उपलब्ध कराये जाने हेतु विक्रय मूल्य पर 60 प्रतिशत अनुदान प्रदान करते हुए पैक्ड सायलेज एवं सम्पूर्ण मिश्रित पशुआहार (टी0एम0आर0) पशुपालको को घर–घर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। जिससे एक ओर पशुपालन से अधिक आय अर्जित हो रही है, वहीं दूसरी ओर एक लाख महिलाओं के कन्धे से घास का बोझ हटाकर कुशल एवं दक्ष उत्पाद वितरण प्रणाली की व्यवस्था उपलब्ध हो रही है। **योजनान्तर्गत राज्य के 11 जनपदों में लगभग 182 सहकारी समितियों के माध्यम से योजनारम्भ से आतिथि कुल 555582.00 मी0 टन सायलेज/ पशुआहार वितरित करते हुये 54 हजार लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।**

7.3.3 माधो सिंह भण्डारी सहकारी सामूहिक खेती योजना–

उत्तराखण्ड एक सीमान्त राज्य होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से भी संवेदनशील है। उत्तराखण्ड के पहाड़ी जिलों से आजीविका की तलाश में मैदानों की ओर बढ़ रहे पलायन को रोके जाने तथा राज्य में पलायन के कारण हुई अनुपयुक्त भूमि को खेती योग्य भूमि में बदलने के उद्देश्य से सहकारिता विभाग के माध्यम से **माधो सिंह भण्डारी सहकारी सामूहिक खेती योजना** संचालित की जा रही है। राज्य के अन्तर्गत चयनित सहकारी समितियों के द्वारा उनके क्षेत्र में कृषि योग्य बंजर भूमि को नोडल एमपैक्स द्वारा किराये पर लेते हुये क्षेत्र/जलवायु विशेषता के आधार पर कलस्टर बनाते हुये आधुनिक कृषि तकनीकी अपनाते हुये व्यावसायिक खेती किये जाने का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के समस्त 13 जनपदों की 24 सहकारी समितियों से जुड़े लगभग 2400 किसानों के माध्यम से कुल 1235 एकड़ भूमि पर संयुक्त सहकारी खेती की जा रही है, जिसमें जनपद पौडी गढ़वाल अन्तर्गत विकासखण्ड कल्जीखाल के बनेखखाल क्षेत्र के ग्राम कुण्ड में 133.14 नाली बंजर तथा वर्षों से अनुपयोगी पड़ी भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाकर फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत ग्लेडियोलस, गुलदाउदी और डेजी के फूलों की सफल खेती की जा रही है।

7.3.4 मुख्यमंत्री ई–रिक्शा कल्याण योजनाः–

राज्य में युवाओं एवं युवतियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा शहरी एवं अर्ध–शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ''मुख्यमंत्री ई–रिक्शा कल्याण योजना'' का संचालन किया जा रहा है। यह योजना विशेष रूप से बेरोजगार युवाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा स्वरोजगार की इच्छा रखने वाले लाभार्थियों के लिए एक सुलभ एवं व्यावहारिक आजीविका विकल्प के रूप में विकसित की गई है। योजना के अंतर्गत सहकारी बैंकों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ई–रिक्शा क्रय हेतु 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस वित्तीय सहायता के माध्यम से लाभार्थी स्वयं का ई–रिक्शा क्रय कर स्वतंत्र रूप से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, जिससे उनकी आय में स्थायित्व आ रहा है तथा वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। योजना के प्रारंभ से अब तक कुल 3,344 महिला एवं पुरुष लाभार्थियों को ₹ 44. 52 करोड़ का ऋण ई–रिक्शा क्रय हेतु उपलब्ध कराया जा चुका है।

इस योजना के माध्यम से न केवल रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला है, बल्कि ई–रिक्शा जैसे प्रदूषण रहित परिवहन साधनों के उपयोग से शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। साथ ही, स्थानीय स्तर पर यात्रियों को सस्ती, सुरक्षित एवं सुलभ परिवहन सुविधा प्राप्त हो रही है। समग्र रूप से मुख्यमंत्री ई–रिक्शा कल्याण योजना राज्य में स्वरोजगार, हरित परिवहन तथा सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण का एक सफल उदाहरण बनकर उभरी है।

7.3.5 मोटर साईकिल टैक्सी योजनाः–

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत संचालित मोटर साइकिल टैक्सी योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा प्रमुख पर्यटन एवं दूरस्थ क्षेत्रों में यात्रियों को सुलभ परिवहन सुविधा प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है, जहाँ भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बड़े वाहनों का संचालन कठिन है। योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को सहकारी बैंकों के माध्यम से मोटर साइकिल क्रय हेतु ₹ 60,000 से ₹ 1. 25 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। इस वित्तीय सहायता से लाभार्थी स्वयं का वाहन क्रय कर स्थानीय स्तर पर परिवहन सेवा प्रारंभ कर रहे हैं, जिससे उनकी नियमित आय सुनिश्चित हो रही है।

योजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप अब तक कुल 291 लाभार्थियों को ₹ 349.31 लाख का ऋण वितरित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में 5 लाभार्थियों को ₹ 24.61 लाख का ऋण प्रदान किया गया, जिससे योजना की निरंतर प्रगति एवं प्रभावशीलता परिलक्षित होती है।

मोटर साइकिल टैक्सी योजना से पर्यटन स्थलों पर आने वाले यात्रियों को त्वरित, किफायती एवं सुरक्षित परिवहन सुविधा प्राप्त हो रही है। साथ ही, स्थानीय युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध होने से पलायन में कमी आई है। समग्र रूप से यह योजना स्वरोजगार सृजन, पर्यटन संवर्धन तथा ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक प्रभावी पहल के रूप में स्थापित हो रही है।

7.3.6 स्टेट मिलेट्स मिशन योजना :–

मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत **स्टेट मिलेट मिशन** में उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ, लि0 द्वारा स्थानीय कृषकों से झंगोंरा, मंडुवा, सोयाबीन एवं चौलाई खरीदकर उनको, उनकी उपज का उचित मूल्य दिया जा रहा है। स्टेट मिलेट मिशन में उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ, लि0 द्वारा **11 हजार से अधिक कृषकों से 5386.00 मी0टन मंडुआ की खरीद कर लगभग ₹ 26.00 करोड** से अधिक का भुगतान किया गया है।

7.4 राज्य में सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनायेंः–

7.4.1 सहकारी समितियों का गठनः–राज्य

द्वारा प्रत्येक ग्राम सभा में सहकारी समिति की स्थापना कर राज्य के प्रत्येक नागरिक को सहकारिता से लाभान्वित किया जा रहा है। नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का गठन करते हुये सभी पंचायतों/गांवो को आच्छादित किये जाने, सहकारी सदस्यों/स्थानीय आबादी को एक ही स्थान पर पैक्स के माध्यम से संचालित विभिन्न सुविधायें जैसे–ऋण वितरण, उर्वरक, कीटनाशक, बीज, मत्स्य पालन, डेयरी व्यवसाय हेतु सहायता, जन सुविधा केन्द्र, जन औषधि केन्द्र, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र, आदि सुविधाओं से आच्छादित किया जाने के उद्देश्य से नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। वर्तमान में **राज्य में 602 से अधिक नयी MPACS, 258 नयी डेयरी समितियाँ एवं 119 मत्स्य समितियाँ गठित की जा चुकी हैं।**

7.4.2 अभिलेखों का डिजिटलीकरणः– सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य की समस्त **670 एमपैक्सों का कम्प्यूटरीकरण किये जाने हेतु पैक्स कम्प्यूटरीकरण** योजना संचालित की जा रही है जिसके माध्यम से समिति कार्यों में पारदर्षिता होने के साथ ही समिति अभिलेखों का भी डिजिटलीकरण किया जा रहा है।

7.4.3 जन सुविधा केन्द्रः– राज्य में 300 से अधिक ई–सर्विसों को एमपैक्स के माध्यम से गाँवों तक पहुँचाने हेतु **एमपैक्सों को जन सुविधा केन्द्र के रूप में विकसित** किया जा रहा है। वर्तमान में **670 एमपैक्स "जन सुविधा केन्द्र" के रूप में** कार्य कर रहीं हैं।

7.4.4 जन औषधि केन्द्रः– एमपैक्स के व्यवसाय में विविधता लाये जाने तथा राज्य के आम जन मानस, पर्वतीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती कीमत वाली गुणवत्ता पूर्ण दवाईयां व अन्य मेडिकल सामग्री उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से एमपैक्सों को 'जन औषधि केन्द्रों' के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में **23 एमपैक्स जन औषधि केन्द्र के रूप में कार्य कर रही हैं।**

7.4.5 प्रधानमंत्री समृद्धि केन्द्रः– राज्य में कार्यशील पैक्स को उर्वरक खुदरा विक्रेता के रूप में विकसित किये जाने के उद्देश्य से **474 पैक्सों में "प्रधानमंत्री समृद्धि केन्द्र"** खोले जा चुके हैं।

7.4.6 कृषक उत्पादन संगठनः– सहकारी क्षेत्र में सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने एवं स्थानीय स्तर पर कृषि उत्पादों को आवश्यक मार्केट लिंकेज प्रदान कर उनकी उपज का उचित मूल्य दिये जाने के उद्देश्य से राज्य के 08 जनपदों में 10 कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0) का गठन किया गया है।

7.5 अभिनव पहलः–

7.5.1 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के समग्र विकास हेतु उनमें विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित किये जाने हेतु पैक्स की उपविधियों में संशोधन कर 2017–18 में **बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (एमपैक्स)** के रूप में परिवर्तित किया गया। इसी से प्रेरित होकर सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी सहकारी समिति को **'बहुउद्देशीय'** बनाये जाने की पहल शुरू की गयी।

7.5.2 सहकारी संगठनों के माध्यम से महिलाओं को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किये जाने के सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंकों की प्रबन्ध कमेटी तथा अध्यक्ष पद हेतु **महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण** दिये जाने का प्राविधान करते हुये महिलाओं को समान अवसर प्रदान किये जाने का अथक प्रयास किया गया है। **इससे राज्य की 668 सहकारी समितियों में 280 से अधिक सहकारी समितियों में महिलायें अध्यक्ष पद पर है।**

7.5.3 अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष–2025 (IYC-2025) के अवसर पर राज्य एवं जनपद स्तरीय विभिन्न गोष्ठियां, कार्यशाला/कार्यक्रम

यथा **स्वच्छता में सहकार, एक पेड़ माँ के नाम, सहकार मंथन,** सभी जिलों में सहकारी मेलों का आयोजन किया गया, जिसके द्वारा वोकल फॉर लोकल पहल के अन्तर्गत स्थानीय उत्पादों, स्वदेशी हस्तशिल्प, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जाना, महिलाओं एवं युवाओं को विशिष्ट कार्यों के लिये सम्मानित किये जाने हेतु सम्मान समारोहों का आयोजन तथा सहकारी मूल्यों के प्रचार–प्रसार हेतु जागरूकता कार्यक्रम आदि आयोजित किये गये।

7.5.4 प्रदेश में ''उत्तराखण्ड को– ऑपरेटिव रेशम फेडरेशन'' द्वारा रेशम उद्योग को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक पूर्ण मूल्य श्रृंखला (Complete Value Chain) की स्थापना करते हुए कोया उत्पादन, धागा निर्माण, वस्त्र निर्माण एवं विपणन से जुड़ी समस्त गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। इसका मुख्य उद्देश्य प्रारम्भिक एवं केन्द्रीय सहकारी रेशम समितियों को विकसित एवं सुदृढ़ बनाकर उनके सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। इस पहल के अंतर्गत विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय नागरिकों, विशेषतः महिलाओं को सहकारी समितियों के माध्यम से सामूहिक रूप से रेशम कीटपालन, बुनाई, रीलिंग तथा धागाकरण जैसे कार्यों से जोड़कर उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

7.5.5 वाईब्रेन्ट विलेज योजना के अन्तर्गत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP) एवं आर्मी की उत्तराखण्ड राज्य में तैनात वाहिनी/फॉरमेशनों के लिये Vocal for Local परिकल्पना को साकार करने हेतु देश में प्रथम बार स्थानीय उत्पादों (जीवित बकरी/भेड़, कुक्कुट/ट्राउट मछली) की आपूर्ति **उत्तराखण्ड भेड़–बकरी शशक पालक कॉपरेटिव फेडरेशन लि., ट्राउट महासंघ, हरिद्वार फेडरेशन तथा पौल्ट्री वेली सहकारी संघ लि.** द्वारा (ITBP) एवं आर्मी की विभिन्न दुर्गम चोकियों पर जीवित भेड़–बकरी, ट्राउट एंव पंगास फिश तथा मुर्गियों की सप्लाई की जा रही है। दिसम्बर 2025 तक आई.टी.बी.पी. को उपलब्ध कराये गये जीवित भेड़/बकरी, कुक्कुट व मछली की प्रगति निम्नवत् हैः–

- 199555.496 किलोग्राम जीवित बकरी/भेड़ (₹ 0 610.99 लाख)
- 129194.125 किलोग्राम जीवित मुर्गी (₹ 171. 19 लाख)
- 29076.270 किलोग्राम ट्राउट मछली (₹ 132. 12 लाख)

7.5.6 इसी प्रकार उपरोक्त संघ द्वारा चमोली में स्थित भारतीय सैन्य प्रतिश्ठान माना, मलारी तथा जनपद पिथौरागढ़ के गुंजी में **Army** को भी स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति की जा रही है, जिसकी प्रगति निम्नवत् हैः–

- 11687.885 किलोग्राम MOH (₹ 35.40 लाख)
- 65578.5 किलोग्राम जीवित मुर्गी (₹ 97.43 लाख)

उक्त कार्य से फेडरेशन तथा समितियों के सदस्य किसानों को मार्केट रेट से ज्यादा लाभ प्राप्त होने के साथ ही आई.टी.बी.पी. एवं आर्मी को राज्य से वाईब्रेन्ट विलेज से स्थानीय स्तर पर ही उत्पादों की आपूर्ति की जा रही है।

7.5.7 राज्य में विभाग द्वारा जिला सहकारी बैंकों एवं शीर्ष सहकारी बैंकों में वर्ग–01, वर्ग–02, वर्ग–03 के पदों पर आई0बी0पी0एस0 के माध्यम से परीक्षा करवाते हुये 597 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है। वर्तमान में सहकारी बैंकों में वर्ग–01, वर्ग–02, वर्ग–03 के 177 विभिन्न पदों पर आई0बी0पी0एस0 के माध्यम से वर्ष 2025–26 में भर्ती परीक्षा करायी जानी प्रस्तावित है।

सिद्धबाबा कृषक उत्पादक संगठन

- जनपद पौड़ी में एमपैक्स सुखरोदेवी द्वारा सिद्धबाबा कृषक उत्पादक संगठन सहकारी समिति लि0 सुखरोदेवी का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि और उपभोक्ताओं को प्राकृतिक स्वस्थ उत्पाद उपलब्ध कराना है।
- वर्तमान में समिति में 218 कृषक सदस्यों के माध्यम से मिलेट बेस प्रोडेक्ट बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है।
- जनपद पौड़ी में स्थित सिद्धबाबा कृषक उत्पादक संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 16.50 लाख का व्यवसाय किया गया, जिसमें उक्त FPO को लगभग ₹ 2.00 लाख की धनराशि का लाभ हुआ है। वर्तमान में समिति के दो आउटलेट हैं, जिनमें पहला सिद्धबली मन्दिर में स्थित है, जहां पर झंगोरे के लड्डू एवं पहाड़ी उत्पाद की बिक्री हो रही है और दूसरा लीसा भवन, नजीबाबाद रोड़ में स्थित हैं जहां पर उत्पादन एवं बिक्री का कार्य किया जा रहा है।

बहुउद्देशीय जसपुर फीकापार किसान सेवा सहकारी समिति लि0

- ऊधमसिंह नगर जनपद के विकासखण्ड जसपुर में स्थित बहुद्देश्यीय जसपुर फीकापार किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा जन सुविधा केन्द्र के रुप में कार्य कर विभिन्न डिजीटल सुविधायें यथा खतौनी की नकल, विभिन्न प्रकार के बीमा, माइक्रो एटीएम से नकद निकासी, बिजली बिल भुगतान, मोबाइल रिचार्ज, मनी ट्रांसफर, पैन कार्ड, पासपोर्ट आवेदन, आयुष्मान कार्ड, ई–डिस्ट्रिक्ट सेवाएँ, ई–केवाईसी, वाहन ई–चालान, रेल एवं हवाई टिकट, पोस्टल एवं बैंकिंग सेवाएँ जैसी 25 से अधिक डिजिटल एवं नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- समिति द्वारा 1500 से अधिक नागरिकों को सफलतापूर्वक सेवाएँ प्रदान कर चुकी है, जो इसकी कार्यकुशलता और जन–विश्वास का प्रमाण है।
- जनपद ऊधमसिंह नगर की बहुउद्देशीय जसपुर फीकापार किसान सेवा सहकारी समिति लि0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से 1500 से अधिक सदस्यों के द्वारा ₹ 19.64 लाख का लेन–देन किया गया, जिससे समिति को ₹ 29000 से अधिक का लाभ हुआ।
- समिति को वर्ष 2024–25 में जन सेवा केन्द्र में भारत वर्ष में सर्वाधिक लेन–देन करने वाली समितियों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जिसके लिए भारत सरकार के सी0एस0सी0 विभाग द्वारा समिति को सम्मानित किया गया।

• लोककल्याण योजना के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण

• "संकल्प से सिद्धि" एवं किसानों की आय को दोगुना करने' के उद्देश्य हेतु राज्य में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से **"राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना"** संचालित की गयी है। परियोजनान्तर्गत चार क्षेत्रक **सहकारिता, मत्स्य, भेड़ बकरी पालन एवं डेयरी विकास** के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है। परियोजना की विभिन्न रोजगारपरक गतिविधियों में सहकारी समितियों के माध्यम से 50000 किसान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे है।

• **सहकारिता के क्षेत्र में केन्द्र सरकार की विभिन्न पहल/योजनाएंः–**

• **पैक्स कम्प्यूटराइजेशन**–राज्य में प्रदेश की 670 बहुउददेशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (एमपैक्स) को डिजिटल रूप से सशक्त करने हेतु राज्य द्वारा पैक्स कम्प्यूटराईजेशन का कार्य माह अगस्त 2020 से प्रारम्भ किया गया। **उत्तराखण्ड राज्य देश का अग्रणी राज्य बना जहाँ पैक्स कम्प्यूटरीकरण किये जाने का कार्य संचालित किया गया।**

• **पैक्स कम्प्यूटरीकरण के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य के मॉडल से प्रेरित होकर सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा समस्त राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में केन्द्रीय प्रायोजित पैक्स कम्प्यूटराइजेशन योजना संचालित की गयी है।** सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य के समस्त 670 एमपैक्सों का कम्प्यूटरीकरण किये जाने हेतु पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजना संचालित की जा रही है।

• **विभागीय कार्यो में माडर्न एवं एमरजिंग टैक्नोलॉजी** का अधिक से अधिक प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में सहकारिता मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा **Strengthing of Cooperative through Interventions** परियोजना अन्तर्गत प्रदेश स्तरीय एवं जिला स्तरीय विभागीय कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण कराया जा रहा है।

• **670 सहकारी समितियाँ "जन सुविधा केन्द्र" (CSC)** के रूप में काम कर रही हैं, जिससे ग्रामीणों को सरकारी सेवाएँ उनके गाँव में ही मिल रही हैं।

• सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार, द्वारा तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियों का गठन किया गया है। जिसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य की प्रगति निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	बहुराज्यीय सहकारी समिति	सदस्यता	राज्य की संस्था के साथ MoU
1	राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लि0	343	उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद देहरादून
2	भारतीय बीज सहकारी समिति लि0	522	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0
3	राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लि0	317	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0

• सहकारी क्षेत्र में सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने एवं स्थानीय स्तर पर कृषि उत्पादों को आवश्यक मार्केट लिंकेज प्रदान कर उनकी उपज का उचित मूल्य दिये जाने के उद्देश्य से राज्य के 08 जनपदों में 10 कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0) का गठन किया गया है।

विगत् 25 वर्षो में सहकारिता विभाग द्वारा की गयी विकास यात्रा का विवरण

उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त सहकारिता विभाग का एक नया और सशक्त स्वरूप अस्तित्व में आया है। यह केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए अधिक संगठित, व्यापक और पारदर्शी बन गया है। सहकारिता विभाग द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों, महिलाओं एवं युवाओं को सशक्त बनाने और पलायन को रोकने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली कार्य किए गए हैं।

तालिका 7.1
सहकारिता विभाग की 25 वर्षो की विकास यात्रा का विवरण

विभागीय उपलब्धियां	यूनिट	वर्ष 2000	वर्ष 2025	प्रतिशत
विभागीय स्वीकृत पद	संख्या	528	607	15
कुल सहकारी समितियाँ	संख्या	1800	6346	253
जिला सहकारी बैंक शाखायें	संख्या	207	330	59

कुल जमाऐं	लाख रू0	1,29,749.93	15,65,145.46	1106
सकल NPA	लाख रू0	4838.16	690.30	-86
सकल NPA प्रतिशत	प्रतिशत	10%	7%	-3%
बैंकिग सकल लाभ	लाख रू0	1438.52	25128.30	1647
सदस्य संख्या	संख्या लाख में	7	16	129
कुल समितियाँ (PACS)	संख्या	759	672	-11
शीर्ष सहकारी संस्था	संख्या	03	14	367
ऋण वितरण	लाख रू0	11,135.8	1,76,176.86	1482
उर्वरक वितरण	मै0टन	90630.47	124502.534	37

- राज्य गठन के बाद विभाग में सीधी भर्ती, राज्य आन्दोलनकारी एवं मृतक आश्रित कोटे के माध्यम से विभिन्न पदों पर कुल 475 कार्मिकों को नियुक्ति दी गयी।

अध्याय–8
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले
Food Civil Supplies and Consumer Affairs

उत्तराखण्ड सरकार सावर्जनिक वितरण प्रणाली को राज्य की लक्षित आबादी को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक मानती है जिसमें उनकी पात्रता के अनुसार उन्हे खाद्यान्नों के मासिक कोटे की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है। सरकार पूर्ण पारदर्शिता और प्रचालनों की सक्षमता तथा इसे क्रियान्वित करने वाले प्राधिकारियों की जवाबदेही के साथ लाभार्थियों के सर्वोत्तम लाभ के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को क्रियान्वित करने हेतु प्रतिबद्ध है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का विवरण तथा पात्रता निम्न प्रकार हैः–

तालिका 8.1

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशनकार्डों का डिजिटलिकरण एवं उन पर बायोमैट्रिक अथॉन्टिकेशन के आधार पर खाद्यान्न का वितरण

क्र0 सं0	योजना का नाम		राशनकार्ड का रंग	राशनकार्डो की संख्या (लाख में)	मासिक नियमित देयता	वितरण स्केल (प्रति कि0ग्रा0)				वितरण की दर (₹ प्रति कि0ग्रा0)			
						गेहूँ	चावल	चीनी	नमक	गेहूँ	चावल	चीनी	नमक
1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना	अन्त्योदय अन्न योजना	गुलाबी	1.84	35 कि0ग्रा0 प्रति राशनकार्ड	13.00	21.700	01.00	01.00	निःशुल्क		13.50	08.00
		प्राथमिक परिवार	सफेद	12.14	05 कि0ग्रा0 प्रति यूनिट	02.00	03.00	–				–	
2	राज्य खाद्य योजना		पीला	9.69	7.50 कि0ग्रा0 प्रति राशनकार्ड	5.00	2.50	–	–	8.60	11.00	–	–

स्रोतः–खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उत्तराखण्ड

8.1– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशनकार्डों का डिजिटलिकरण एवं उन पर बायोमैट्रिक अथॉन्टिकेशन के आधार पर खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है –

उत्तराखण्ड राज्य में अक्टूबर 2015 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गई है। राज्य में वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्राथमिक परिवार (PHH) एवं अन्त्योदय अन्न योजना (AAY) एवं राज्य खाद्य योजना (SFY) प्रचलित है। उक्त योजनाओं में वर्तमान में लगभग 23.67 लाख राशनकार्ड प्रचलित हैं, जिनको मानकानुसार खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। जिनका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

x समय–समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थितियों में उपभोक्ताओं के हित में जारी आदेशों के अन्तर्गत अतिरिक्त खाद्यान्न/चीनी/दाल नियमानुसार वितरित किया जायेगा

8.2–चीनी

x सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को 01 किलोग्राम प्रति राशनकार्ड ₹ 13.50 प्रति किलो ग्राम की दर से उपलब्ध करायी जा रही है। वर्तमान में राज्य में चीनी का मासिक आवंटन 184.210 मी0टन है।

8.3–''मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना''

x वित्तीय वर्ष 2024–25 से राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के प्राथमिक परिवार एवं अन्त्योदय परिवार के राशनकार्ड धारकों को

प्रति कार्ड 08 रू0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से 01 कि0ग्रा0 प्रति माह नमक सब्सिडाईज्ड दरों पर वितरण किया जा रहा है।

x राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के प्राथमिक परिवार एवं अन्त्योदय परिवार के लगभग 14 लाख परिवारों को लाभ दिया जा रहा है।

8.4– मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना

x उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में प्रचलित अन्त्योदय, प्राथमिक परिवारों एवं राज्य खाद्य योजना के लगभग 23 लाख राशन कार्ड्धारकों को सब्सिडाईज दरों पर दाल उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना अक्टूबर 2019 से प्रारम्भ की गयी है।

x समस्त राशन कार्ड धारकों को प्रतिकार्ड 02.00 किग्रा0 दाल मासिक रूप से बाजार भाव से कम दरों पर सभी राशन की दुकानों के माध्यम से वितरित की जा रही है।

x सस्ती दरों पर दाल उपलब्ध होने से मंहगाई से राहत व प्रोटीन युक्त दाल से उपभोक्ताओं को पोषण का लाभ।

8.5 "मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना" –

x उत्तराखण्ड राज्य में अन्त्योदय अन्न योजना के राशनकार्ड धारकों को वित्तीय वर्ष 2022–23 से "मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना" के अन्तर्गत वर्ष में 03 गैस रिफिल निःशुल्क वितरित की जा रही है। उक्त योजना को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2027 तक विस्तारित कर दिया गया है।

x उत्तराखण्ड राज्य में अन्त्योदय अन्न योजना के राशनकार्ड धारकों को वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु उक्त योजना में ₹ 55 करोड़ का बजट प्राविधानित किया गया है।

x उक्त योजना में राज्य के लगभग 1.84 अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों को लाभ दिया जा रहा है।

8.6– एण्ड–टू–एण्ड कम्प्यूटराईजेशन–

x वर्तमान में राज्य में प्रचलित समस्त राशनकार्डों / यूनिटों को यू0आई0डी0ए0आई0 (UIDAI) के माध्यम से आधार से लिंक कर लिया गया है।

x राज्य में प्रचलित समस्त राशन की दुकानों एवं राशनकार्डों का डिजिटलीकरण करने के उपरान्त बायोमैट्रिक/ऑनलाईन राशन वितरण किया जा रहा है। बेस गोदाम से आन्तरिक गोदाम एवं आन्तरिक गोदाम से राशन की दुकान तक व राशन की दुकान से उपभोक्ता तक वितरित की जाने वाले खाद्यान्न की प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से की जा रही है।

8.7– नवीन एल 1 ई0पॉस मशीन को ईलैक्ट्रानिक तौल मशीन से जोड़ कर खाद्यान्न का वितरण–

x एफ0पी0एस0 ऑटोमेशन के अन्तर्गत राज्य की 9063 राशन की दुकानों को पारदर्शिता के साथ कार्य किये जाने हेतु नये सिस्टम इन्टिग्रेटर के माध्यम से नवीन ई–पॉज (एल1 डिवाइस) मय सिम मय डाटा व ईलैक्ट्रानिक तौल मशीन निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। दिनांक–01 जून 2025 से राज्य में पूर्ण रूप से लागू कर लिया गया है।

x नवीन ई–पॉज मशीन के माध्यम से राशनकार्ड धारकों को शतप्रतिशत बायोमेट्रिक ऑथेन्टिकेशन के उपरान्त राशन का वितरण किया जा रहा है।

x नवीन ई–पॉज (एल1 डिवाइस) मशीन को ईलैक्ट्रानिक तौल मशीन के साथ जोड़कर ऑनलाईन खाद्यान्न वितरित करने वाले राज्यों में उत्तराखण्ड देश में प्रथम राज्य है।

8.8– सप्लाई चेन रूट ऑप्टिमाईजेशन–

x संयुक्त राष्ट्र–विश्व खाद्य कार्यक्रम (UN-WFP) के सहयोग से सप्लाई चेन रूट

आप्टिमाईजेशन के अन्तर्गत परिवहन मद में राज्य द्वारा लगभग ₹ 2.00 करोड़ वार्षिक धनराशि की बचत प्राप्त की है।

x सप्लाई चेन रूट आप्टिमाईजेशन को सर्वप्रथम उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रारम्भ किया गया जिसको भारत सरकार द्वारा भी मान्यता दी गयी। फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा सप्लाई चेन रूट आप्टिमाईजेशन को समस्त राज्यों एवं भारतीय खाद्य निगम में अनिवार्य रूप से लागू किया गया।

8.9– "वन नेशन वन राशन कार्ड" योजना –

x राज्य में वर्ष 2020 से ''वन नेशन वन राशन कार्ड'' योजना लागू की गयी है।

x योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्डधारकों को एक राज्य से दूसरे राज्य एवं एक जनपद से दूसरे जनपद में किसी भी राशन की दुकान से आधार ऑथेन्टिकेशन के उपरान्त खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा दी गई है।

x इस योजना से प्रवासी मजदूरों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विशेष लाभ प्राप्त हो रहा है।

x ''वन नेशन वन राशन कार्ड'' योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण करने में उत्तराखण्ड राज्य देश में छठवें स्थान पर है।

8.10– ग्रेन ए0टी0एम0 –

x माह जून 2022 से संयुक्त राष्ट्र–विश्व खाद्य कार्यक्रम (UN-WFP) के शत प्रतिशत आर्थिक सहयोग से पायलट परियोजना के रूप में देहरादून शहर में पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया।

x उत्तराखण्ड राज्य में 21 नये ग्रेन एटीएम स्थापित किये गये हैं। देश में उत्तराखण्ड राज्य सर्वाधिक ग्रेन ए0टी0एम0 स्थापित करने वाला राज्य है।

x ग्रेन एटीएम को e-Pos से जोड़ा गया है और बायोमैट्रिक के माध्यम से वितरण किया जा रहा है।

x उपभोक्ताओं को बायोमैट्रिक अथॉन्टिकेशन के उपरान्त मानकानुसार खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है।

➢ जनपद नैनीताल के रामनगर में संयुक्त राष्ट्र–विश्व खाद्य कार्यक्रम (UN-WFP) के आर्थिक सहयोग से 500 मी0टन0 क्षमता का खाद्यान्न गोदाम (Flospans) की स्थापना की गयी है। उक्त फ्लोस्पेन गोदाम देश का पहला खाद्यान्न गोदाम है।

8.11- फोर्टिफाइड (विटामिन B-12, फोलिक एसिड तथा आयरन पोषणयुक्त) चावल का वितरण–

x प्रधानमंत्री पोषण योजना भारत सरकार तथा मा0 प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है।

x इस योजना के अन्तर्गत अप्रैल, 2022 से राज्य के दो जनपदों हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत समस्त लाभार्थियों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारम्भ किया गया।

x 01 अप्रैल, 2023 से पूरे राज्य में पी0डी0एस के अन्तर्गत समस्त योजनाओं (अन्त्योदय, प्राथमिक परिवार एवं राज्य खाद्य योजना) एवं एम0डी0एम0, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में फोर्टिफाईड चावल का वितरण किया जा रहा है।

8.12 "मंडुवा" वितरण की व्यवस्था –

x खरीफ खरीद सत्र 2022–23 से राज्य मे प्रथमवार मंडुवा की खरीद की गयी।

x मिलेट वर्ष के अन्तर्गत 01 मई, 2023 से अगस्त, 2023 तक राज्य के दो मैदानी जनपदों (ऊधमसिंह नगर व नैनीताल) में अन्त्योदय व

प्राथमिक परिवार के राशनकार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 01 कि0ग्रा0 मंडुवा निःशुल्क वितरित किया गया है।

x उक्त योजना से पर्वतीय क्षेत्र में कृषकों को जहॉ एक ओर आर्थिकी में सुधार होगा वहीं दूसरी ओर पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन को भी रोका जा सकेगा एवं उपभोक्ताओं को पोषण भी प्राप्त होगा।

x खरीफ खरीद सत्र 2024–25 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा मंडुवा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4290 प्रति कु0 निर्धारित किया गया है।

x खरीफ खरीद सत्र 2024–25 के अन्तर्गत 238 क्रय केन्द्रों के माध्यम से 3138.00 मी0टन0 मंडुवा क्रय किया गया है।

x खरीफ खरीद सत्र 2025–26 के अन्तर्गत राज्य में मंडुआ की खरीद दिनांक– 01 अक्टूबर 2025 से प्रारम्भ की जायेगी।

x खरीफ खरीद सत्र 2025–26 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा मंडुआ का समर्थन मूल्य ₹ 4886.00 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है।

8.13– ई–खरीद

x राज्य में मूल्य समर्थन योजना अन्तर्गत धान/गेहूँ का क्रय ई–खरीद सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन किया जा रहा है। जिसे भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खरीद पोर्टल (National Procurement Portal) पर प्रदर्शित किया जा रहा है।

8.14– सी0एम0 हैल्पलाईन पोर्टल–1905

X जन समस्याओं का त्वरित एवं सकारात्मक निवारण हेतु सी0एम0 हैल्पलाईन पोर्टल–1905 स्थापित। शिकायतों के समाधान हेतु एल01 (प्रथम स्तर अधिकारी), एल0 2 (द्वितीय स्तर अधिकारी), एल0 3 (तृतीय स्तर अधिकारी) एवं एल0 4 (चतुर्थ स्तर अधिकारी) चार स्तरों में वगीकृत किया गया है।

x पोर्टल में प्राप्त शिकायतों का त्वरित गति एवं शिकायतकर्ता की संतुष्टि के उपरान्त गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जाता है।

8.15– शिकायत निवारण तंत्र

विभागीय स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से सम्बन्धित शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु टॉल फ्री नम्बर 1800–180–2000 है तथा ऑनलाईन शिकायत निवारण हेतु समाधान पोर्टल को विभागीय पोर्टल से लिंक किया गया है, जो कि विभागीय पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर प्रदर्शित है।

8.16–उपभोक्ता हैल्पलाईन

x खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण किये जाने के उद्देश्य से मुख्यालय में स्थापित टोल फ्री नम्बर स्थापित किये गये हैं।

x कन्ज्यूमर हैल्पलाईन नं0 1800–180–4188 को नियमित रूप से क्रियाशील करते हुये शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत शिकायतों के समाधान हेतु एन0एफ0एस0ए0 हैल्पलाईन नम्बर– 1967 स्थापित।

तालिका–8.2

FILING, DISPOSAL & PENDENCY OF CASES IN THE STATE COMMISSION AS ON 30.11.2025

Name of the
State Commission: **UTTARAKHAND**

S.No.	State Commission	No. of cases filed since inception Q.P.+F.A.+Misc.+ Rev.+Exe.+Caveat+T.A+ R.A)	No. of cases disposed of since inception Q.P.+F.A.+Misc.+ Rev.+Exe.+Caveat+T.A+ R.A)	No. of cases pending Q.P.+F.A.+Misc.+ Rev.+Exe.+Caveat+T.A+ R.A)
1.	**Uttarakhand**	9280	8462	818

* On adding 8 restored cases pendency will =825

स्रोतः–खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उत्तराखण्ड

तालिका–8.3

FILING, DISPOSAL & PENDENCY OF CASES IN THE DISTRICT COMMISSIONS AS ON 30.11.2025

No. of District Commissions: **13**

S.No.	Name of District Commission	No. of cases filed since inception (O.P.+ Misc.)	No. of cases disposed of since inception (O.P.+ Misc.)	No. of cases pending (O.P.+ Misc.)
1.	Haridwar	12181	10841	1340
2.	Dehradun	15912	14839	1073
3.	Almora	3717	3222	495
4.	Udham Singh Nagar	4341	4037	304
5.	Nainital	7042	6847	195
6.	Chamoli	1736	1624	112
7.	Pauri Garhwal	2415	2308	107
8.	Bageshwar	632	585	47
9.	Pithoragarh	1850	1802	48
10.	Uttarkashi	2688	2627	61
11.	Rudraprayag	553	506	47
12.	Champawat	330	295	35
13.	Tehri Garhwal	2591	2576	15
Grand Total		**55988**	**52109**	**3879**

स्रोतः–खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उत्तराखण्ड

अध्याय–9
वन तथा पर्यावरण
Forest and Environment

उत्तराखण्ड एक वन प्रधान राज्य है। हमारे वन प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की गई एक अमूल्य निधि हैं और ये हमारी सभ्यता, संस्कृति, समृद्धि एवं प्रगति के प्रतीक हैं। यह प्राकृतिक सौन्दर्य में वृद्वि करने के साथ–साथ हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकते हैं, जलवायु को संयत रखते है, भूमि तथा जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वन्यजीवों को संरक्षण प्रदान करते हैं तथा हमारे जीवन को आनन्दमय बनाते हैं। इनके विवेकपूर्ण संरक्षण और पृथ्वी पर इनकी एक निर्धारित मात्रा में उपस्थिति पर समस्त मानव एवं प्राणि जाति का अस्तित्व निर्भर करता है। उत्तराखण्ड में स्थित हिमालय पर्वत माला भारत का जल स्तम्भ है जिस पर देश की लगभग 50 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या की आर्थिकी एवं आजीविका निर्भर है। गंगा, यमुना एवं शारदा आदि नदियों का उद्गम स्थल यहॉ के हिमखण्डों एवं सघन वनों में स्थित है। उत्तराखण्ड में भौगोलिक क्षेत्रफल का दो तिहाई से अधिक भू–भाग वनों से आच्छादित है। देश ही नहीं बल्कि विश्व समुदाय के हित में यहां के वनों एवं जैव–विविधता को संरक्षित रखना नितान्त आवश्यक है। उत्तराखण्ड राज्य का देश के बडे भू–भाग के पारिस्थिकीय सन्तुलन को बनाये रखने में महत्वपूर्ण योगदान है।

वनों की वर्तमान स्थितिः– वर्तमान में विधिक एवं प्रबन्धन की दृष्टि से वनों की श्रेणियां **आरक्षित वन** (मुख्यतः वन विभाग के अधीन), **सिविल सोयम वन** (मुख्यतः राजस्व विभाग के अधीन), **पंचायती वन** (वन पंचायतों के अधीन), **कैन्टोनमैन्ट वन** (सेना के अधीन), **नगरपालिका वन** (नगरपालिकाओं के अधीन) तथा **निजी वन** (निजी भूमि मालिकों के अधीन) है।

उत्तराखण्ड राज्य में वन क्षेत्र निम्नतालिकानुसार इकाईयों में विभाजित है–

विभाग में वृत्त/प्रभाग/राजि/बीटों की संख्याः–

इकाई	कुल	क्षेत्रीय	कार्यकारी
वृत्त	11	10	1
प्रभाग	43	30	13
राजि	283	183	100
बीट	2393	2033	360

उत्तराखण्ड राज्य गठन से वर्तमान तक वन विभाग के अन्तर्गत की गई नयी पहल (Initatives)–

- **जंगली सुअर जनित समस्या** के निराकरण के सम्बन्ध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड के आदेश संख्या 1429/25–10, दिनांक 06 नवम्बर 2020 द्वारा गैर वनभूमि में जंगली सुअरों/ नीलगाय की समस्या के त्वरित निराकरण हेतु उन्हें पीड़क घोषित करने हेतु वन संरक्षक से वन दरोगा स्तर तक अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया है।
- **निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों की स्थापना व संचालन** – निराश्रित गोवंश के वन क्षेत्रों के निकटवर्ती आबादी वाले क्षेत्रों में विचरण से वन्यजीव आकर्षित हो सकते हैं, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थिति बनने की आशंका

रहती है। इसके लिये उत्तराखण्ड शासन द्वारा जून, 2023 में निराश्रित गोवंश हेतु गौसदनों की स्थापना व संचालन के सम्बन्ध में प्रावधान निर्धारित किये गये हैं।

- **चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर से देहरादून जू में 02 गुलदारों का हस्तांतरण**– चिडियापुर रेस्क्यू सेंटर से जून 2023 में देहरादून जू में लाये गये 02 गुलदारों को केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण (CZA) से प्राप्त अनुमति के क्रम में जून 2024 से जनसामान्य के प्रदर्शन हेतु रखा गया है।

- **बायोफैंसिंग तकनीक**–मानव–वन्यजीव संघर्ष को न्यूनतम करने के उद्देश्य से उत्तराखंड में बायोफेंसिंग तकनीक का उपयोग प्रभावी रूप से किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में 07 वन प्रभागों को इस कार्य के लिए ₹ 77.70 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है, जिसके अंतर्गत 29 किलोमीटर क्षेत्र में बायोफेंसिंग का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है।

- **नगर वन योजना**–शहर के अंतर्गत हरित सौन्दर्यपरक पर्यावरण, पौधों और जैव विविधताओं के प्रति जागरुकता, प्रदूषण उपशमन आदि की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा संचालित नगर वन योजना राज्य में प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में कुल **05 नगर वन देहरादून, हरिद्वार, रामनगर, रुद्रपुर, कोटद्वार** में स्थापित किये गये है, जो एक रमणीय व प्रकृति के प्रति जागरुक स्थल के रुप में देश–विदेश पर्यटकों को आकर्षित कर रहें है।

x **Digitization of Forest Boundaries**– वनों के संरक्षण, संवर्धन तथा बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से वन संबंधी अभिलेखों, नक्शों आदि तथा वन सीमाओं के digitization की पहल उत्तराखण्ड कैम्पा के अंतर्गत निम्न प्रकार से की गई है–

  - **Digitization of Records:** वन सीमाओं संबंधी अभिलेखों के digitization हेतु कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना 2025–26 में प्रावधान किया गया है, जिसमें वन रेंज व प्रभागों के स्तर पर उपलब्ध विभिन्न अभिलेखों, नक्शों आदि को डिजिटल रुप में परिवर्तित कर संधारित किया जायेगा।

  - **DGPS Survey:** वन सीमाओं के वृहद् सर्वे व digitization के उद्देश्य से Differential Global Positioning system (DGPS) तकनीक का उपयोग कर विस्तृत सर्वे हेतु भी कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना में प्रावधान किया गया है। यह तकनीक जी0पी0एस0 की Accuracy सुनिश्चित करती है, जिससे वन सीमाओं का विस्तृत आंकलन संभव होगा।

x **उच्च तकनीकी जीरो कॉस्ट पौधशाला**– विभाग द्वारा कराये जा रहे विभिन्न वृक्षारोपण कार्यों हेतु गुणवत्ता युक्त पौध की आपूर्ति की निरंतरता के लिए 08 केन्द्रीय स्थानों पर स्थापित पौधशालाओं को उच्चीकृत करते हुए हाई–टेक जीरो पौधशालाओं की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत प्रभागों को पौधशाला की उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा पौध उत्पादन हेतु नवीन तकनीकों की स्थापना हेतु देहरादून, गढ़वाल, रूद्रप्रयाग, लैंसडाउन, केदारनाथ, पिथौरागढ तथा तराई केन्द्रीय वन प्रभागों को वित्तीय सहायता दी गई है। इसमें उत्पादित अतिरिक्त पौध अन्य प्रभागों व संस्थाओं, व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं में रोपण हेतु उपलब्ध कराई जा रही है।

x **रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट (आर0डी0एफ0)**– अवनत वनों के घनत्व में वृद्धि हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में कैम्पा योजना के अन्तर्गत रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट (आर0डी0एफ0) गतिविधि प्रारम्भ की गयी है। इसके अंतर्गत RDF के 08 वर्षीय प्लान का (प्रोजेक्ट मोड में) क्रियान्वयन किया जा

रहा है, जिसमें 17 वन प्रभागों में 23,562 हे0 क्षेत्र का सुधारात्मक गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु चयन किया गया है। अवनत वनों के सुधार हेतु यह एक समेकित प्रयास है, जिसमें वृक्षारोपण/ए0एन0आर0, सूक्ष्म जल संरक्षण कार्य, बीज/प्रिक्स बुआन, लैंटाना व अन्य इन्वेसिव प्रजातियों का उन्मूलन आदि कार्य सम्मिलित है।

- **राज्य में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू**—वन उपज के अन्तर्राज्यीय अभिवहन हेतु ''एक राष्ट्र एक पास'' सिस्टम को अपनाये जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा तैयार नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम पोर्टल के माध्यम से नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम (NTPS) को राज्य के सभी वन प्रभागों में लागू किया गया है। वर्तमान तक कुल प्राप्त आवेदन 15725 के सापेक्ष 14182 ट्रांजिट पास एवं 571 एन0ओ0सी0 निर्गत की जा चुकी है।

- **वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976**—निजी क्षेत्रों में स्थित वृक्षों के निस्तारण प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुये 17 वृक्ष प्रजातियों को छोड़कर अन्य समस्त प्रजातियों के वृक्षों के गैर वन भूमि में पातन हेतु किसी अनुज्ञा की आवश्यकता को शिथिल किया गया है। इससे निजी क्षेत्रों एवं गैर वन भूमि में वनीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

- **वन पंचायत प्रबन्धन**—राज्य निर्माण के बाद वन पंचायतों को मजबूत करने के लिए 2001 में उत्तरांचल पंचायती वन नियम लागू किये गये, जिसे वर्ष 2005 में अतिक्रमित कर पंचायती वन नियमावली 2005 लागू की गयी, जिसके तहत स्थानीय समुदायों को वनों के प्रबन्धन का अधिकार दिया गया। उत्तराखण्ड पंचायती वन नियमावली 2024 जारी की गयी है।

- **पंचायती वन निर्देशिका 2023**—वन विभाग ने वर्ष 2021—22 में राजस्व विभाग के साथ व्यापक अभ्यास के आधार पर आंकडे संकलित कर **उत्तराखण्ड पंचायती वन निर्देशिका 2023** तैयार की। यह निर्देशिका वन पंचायतों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है, जो ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

- **वन पंचायत अभिलेखों का डिजिटाइजेशन**—उत्तराखण्ड की 11,217 वन पंचायतों के समस्त अभिलेख अब वन विभाग की वेबसाइट पर डिजिटल रूप में उपलब्ध हैं। यह पहल पारदर्शी शासन और डिजिटल सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- **उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उपज (NTFP) का विकास तथा हर्बल एवं एरोमा टूरिज्म परियोजना**— ''उत्तराखण्ड की वन पंचायतों में गैर प्रकोष्ठ वन उपज का विकास तथा हर्बल एण्ड एरोमा टूरिज्म प्रोजेक्ट'' की 10 वर्षीय परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसकी कुल लागत ₹ 628 करोड़ है। यह परियोजना जड़ी—बूटी रोपण और मूल्य संवर्धन के माध्यम से वन पंचायतों और स्थानीय समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, साथ ही हर्बल और एरोमा टूरिज्म को बढावा देगी।

  - **1.0 है0 तक के वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों की स्वीकृति का अधिकार राज्य सरकार को प्रदत्त किये जाने के संबंध में**—वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम—1980 यथासंशोधित—2023 के नये प्राविधानों अनुसार 1.0 है0 तक के वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में पूर्व व्यवस्था में राज्य सरकार को प्रदत्त स्वीकृति के अधिकार को समाप्त किया गया है। 1.0 है0 तक के प्रकरणों की स्वीकृति पुनः राज्य सरकार को प्रदत्त किये जाने हेतु नोडल कार्यालय द्वारा शासन से भारत सरकार को अनुरोध किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

- **वन भूमि हस्तानान्तरण प्रकरणों का डिजिटाईजेशन कार्य**– वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रभावी होने से वर्तमान तक की अवधि के भौतिक रुप से उपलब्ध अभिलेखों के सुचारु प्रबंधन व रख–रखाव के दृष्टिगत वन भूमि हस्तानान्तरण प्रकरणों का डिजिटाईजेशन कार्य गतिमान है। इस प्रक्रिया से प्रदेश के अंतर्गत वन भूमि हस्तानान्तरण प्रकरणों का वर्षवार विवरण प्लेटफार्म पर सुरक्षित होगा। वर्ष 2023 से भारत सरकार द्वारा परिवेश पोर्टल को सरलीकृत करते हुये **परिवेश पोर्टल 2.0** प्रारम्भ किया गया। वर्ष 2015 के उपरान्त गठित किये जाने वाले समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों को परिवेश पोर्टल 2.0 के माध्यम से सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ऑनलाईन अपलोड किया जा रहा है।

- **राज्य गठन से वर्तमान तक वन भूमि हस्तान्तरण की स्थिति**– राज्य गठन से वर्ष 2024–25 तक कुल 4068 प्रकरणों में 45697.08 है0 वन भूमि विभिन्न विकास कार्यों हेतु विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को हस्तान्तरित की गई हैं।

  - **चारधाम यात्रा से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव** –चारधाम यात्रा को सुगम एवं सरल बनाये जाने के उद्देश्य से जनपद–चमोली, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, रूद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी जिलों में चारधाम सड़क मार्गों के कुल 37 वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में से 34 विधिवत स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों के सापेक्ष 587.096 है0 वन भूमि हस्तान्तरित की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त 3 प्रकरणों में 42.749 है0 वन भूमि हस्तान्तरित की गई है, जिनमें प्रयोक्ता एजेन्सी के स्तर से सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया है।

- **वन भूमि हस्तान्तरण के महत्वपूर्ण प्रकरण :–**

  - **सौंग बांध पेयजल योजना (127.6712 है0)** – प्रस्तावित परियोजना से देहरादून एवं टिहरी जनपद के लगभग 15 ग्रामों को पेयजल की सुचारू आपूर्ति होगी, जिसमें 127.6712 है0 वन भूमि का सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन की भारत सरकार द्वारा दि0 28.10.2024 को विधिवत स्वीकृति जारी की गई है।

  - **सिरक्यारी भ्यूल रूपसिया बगड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (120 मेगावाट) (29.997 है0)** जनपद–पिथौरागढ के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजना के प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा दिनांक 23.06.2025 को यू0जे0वी0एन लि0 के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त परियोजना एक नवीकरणीय परियोजना है, परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली का उपयोग तहसील मुनस्यारी एवं जनपद–पिथौरागढ़ में बिजली की कमी को दूर करने में किया जायेगा।

  - **जनपद–चम्पावत के अन्तर्गत प्रस्तावित इंटीग्रेटेड चैक पोस्ट, बनबसा (34.00 है0)** –भारत एवं नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जनपद–चम्पावत के अन्तर्गत इंटीग्रेटेड चैक पोस्ट की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.10.2025 को लैण्ड पोर्ट अथॉरिटी के पक्ष में विधिवत स्वीकृति निर्गत की गई है।

  - **जनपद–टिहरी गढ़वाल में कोटेश्वर पूलिंग स्टेशन, 400 के0वी0 डी0सी0 पारेषण लाईन**– उक्त परियोजना देहरादून, नरेन्द्रनगर एवं टिहरी वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित है, जिसमें भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन, लि0 के पक्ष में 103.482 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन की

दि0 29.10.2024 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है।

- **जनपद–नैनीताल में दूनीखाल से रतीघाट (कैंचीधाम बाईपास)**–उक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में भारत सरकार द्वारा दि0 24.05.2025 से 11.04 है0 सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। उक्त परियोजना का निर्माण नैनीताल में वाहनों के बढ़ते दबाव को कम करने में कारगर सिद्ध होगा

- **भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत जनपद–पौड़ी में नजीबावाद–कोटद्वार से कोटद्वार–पौड़ी मोटर मार्ग निर्माण (1.10 है0)** – उक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में भारत सरकार द्वारा दि0 05.05. 2025 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

- **जनपद–पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कालेज, पिथौरागढ़ का निर्माण (1.063 है0)**– उक्त परियोजना के प्रकरण में भारत सरकार द्वारा दिनांक 04.03.2025 को विधिवत स्वीकृति निर्गत की गई है।

- **ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्राडगेज रेल लाईन के निर्माण हेतु प्रस्तावित प्रकरण**–ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाईन उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में बिछाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण रेल परियोजना है, उक्त परियोजना के कुल 16 वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में से 6 प्रकरणों में विधिवत स्वीकृति निर्गत हो चुकी है। शेष 10 प्रकरणों में से 2 प्रकरणों में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत हो चुकी है एवं 8 प्रकरण विभिन्न स्तरों पर लम्बित हैं। अर्थात उक्त परियोजना हेतु कुल 592.951 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है।

वन अनुसंधान–

- **वन जैव विविधता संरक्षण में उत्तराखंड की पहल**–वन विभाग उत्तराखंड के अनुसंधान विंग द्वारा समस्त पादप समूहों के संरक्षण हेतु निम्न प्रयास किए गए हैं–

- **लाइकेन पार्क, मुनस्यारी (पिथौरागढ)**– वर्ष 2019–20 में विश्व का पहला लाइकेन पार्क, 1 हेक्टेयर क्षेत्र में, मुनस्यारी में स्थापित किया गया है, जिसमें लाइकेन की 85 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। यह पार्क हिमालयी पारिस्थितिकी में लाईकेन प्रजातियों की महत्वता को प्रदर्शित करता है।

- **क्रिप्टोगैमिक गार्डन, देववन (देहरादून)**– वर्ष 2019–20 में देश का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन अनुसंधान रेंज, देहरादून के देववन में, 1 है0 क्षेत्र में, स्थापित किया गया है, जिसमें क्रिप्टोगैम्स (लाइकेन, मॉस, फर्न) की 130 प्रजातियों का संरक्षण किया गया है जो पर्यावरण शिक्षा को प्रोत्साहित करता है।

- **पॉलीनेटर पार्क, हल्द्वानी (नैनीताल)**– वर्ष 2019–20 में देश का पहला पॉलीनेटर पार्क, 1. 4 है0 क्षेत्र में, हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। इस उद्यान को परागणकर्ताओं एवं उनके होस्ट पौधों के बीच सम्बन्धों पर शोध करने तथा उनके जीवन चक्र का अध्ययन करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार यहां लगभग 100 से अधिक परागणक प्रजातियां (मधुमक्खी, तितलियाँ) दर्ज की गई हैं।

- **हीलिंग सेंटर रानीखेत (अल्मोडा)**– वर्ष 2021–22 में देश का पहला हीलिंग सेंटर, 4.8 है0 क्षेत्र में, रानीखेत में चीड़ के जंगल में स्थापित किया गया है। जापान और पश्चिमी देशों में किये गये विभिन्न शोधों से यह पाया गया है कि चीड़ से उत्सर्जित फाइटोनसाइड्स तनाव के स्तर को कम करती है।

- **घास संरक्षण केंद्र, रानीखेत**–इस क्षेत्र में उत्तराखण्ड हिमालय की 100 से अधिक देशज घास प्रजातियां संरक्षित की गई हैं तथा उन्हें उनके औषधीय गुणों, चारे, मृदा अपरदन तथा सुगन्धित उपयोगों के अनुसार विभिन्न वर्ग में विभाजित किया गया है।

- **हर्बल गार्डन** –वर्ष 2018–19 में देश का सबसे ऊँचाई (11000 फुट) वाला हर्बल गार्डन माणा क्षेत्र (बद्रीनाथ धाम) में स्थापित किया गया है। इस उद्यान में उच्च हिमालयी क्षेत्रों की 48 संकटग्रस्त एवं दुर्लभ औषधीय पौधों का संरक्षण किया गया है।

- **फाइकस संरक्षण केंद्र**– वर्ष 2013 में देश का सबसे बड़ा फाइकस उद्यान लालकुआँ में स्थापित किया गया है। इस उद्यान में देश के विभिन्न राज्यों एवं विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों से संग्रहित फाइकस की 104 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है।

- **अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र** –वर्ष 2021–22 में वन विभाग उत्तराखंड के अनुसंधान विंग द्वारा अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र हर्षिल में स्थापित किया गया है। यह भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थापित पहला ऐसा केन्द्र है, जो अष्टवर्ग प्रजातियों (च्यवनप्राश के मूल घटक) के संरक्षण एवं अध्ययन के लिए समर्पित किया गया है।

- **दशमूल गार्डन**–वर्ष 2010 में दशमूल गार्डन लालकुआँ में 1 है0 क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इस उद्यान में प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधीय संयोजन दशमूल के निर्माण में प्रयुक्त सभी 10 प्रजातियां (5 वृक्ष, 5 झाड़ी) संरक्षित की गई है।

- **आर्किड संरक्षण केंद्र, मण्डल**–वर्ष 2019–20 में उत्तर भारत का सबसे बडा आर्किड केंद्र मंडल में स्थापित किया गया है, जो दुर्लभ आर्किड प्रजातियों का संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। इस केन्द्र में पश्चिमी हिमालय की लगभग 80 विभिन्न आर्किड प्रजातियां संरक्षित की गई हैं।

- **भारतीय धर्म ग्रंथों पर आधारित एथनो–बॉटेनिकल गार्डन**–देश के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ रामायण, महाभारत, बौद्ध ग्रंथ, सिख धर्म ग्रंथ तथा जैन ग्रंथो, जिनमें व्याघ्र संरक्षण, पौधा रोपण का महत्व, पौधों के जीवन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी श्लोकों के माध्यम से संधारित है और इनमें विभिन्न वृक्ष प्रजातियों का महापुरुषों से संबंध दर्शाया गया है। उक्त ग्रंथों पर आधारित विशिष्ट वाटिकाएँ हल्द्वानी, हरिद्वार एवं देहरादून जिलों में स्थापित की गई हैं। ये वाटिकाएँ भारतीय धर्मग्रंथों के शोध पर आधारित देश के अद्वितीय एथनो–बॉटेनिकल गार्डन हैं, जो आस्था, पर्यावरण और वन संरक्षण का सुंदर उदाहरण हैं।

- **वन अनुसंधान तकनीक प्रयोग**–वर्ष 2018 में देश में सबसे पहले उत्तराखण्ड राज्य में मियांवाकी तकनीक का सफलता पूर्वक प्रयोग करते हुये हल्द्वानी के मैदानी क्षेत्रों तथा रानीखेत के पहाड़ी क्षेत्रों में देशज प्रजातियों के सघन वन प्रयोगात्मक रुप से तैयार किये गये है, जिनकी सफलता के आधार पर राज्य के अन्य भौगोलिक क्षेत्रों–देहरादून, चमोली व पिथौरागढ़ में विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार के वन स्थापित किये गये है।

- **प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना**–वर्ष 2023 में अनुसंधान रेंज, हल्द्वानी के अन्तर्गत लाल कुआं अनुसंधान केन्द्र में प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना की गयी है, जिसका मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड में पाये जाने वाली महत्वपूर्ण सगंध एवं औषधीय पादपों के उत्पादों से स्थानीय निवासियों के आजीविका संवर्द्धन को बढ़ावा देना है।

- **बायोडायवर्सिटी गैलरी की स्थापना**–वर्ष 2020–21 में अनुसंधान रेंज, हल्द्वानी में बायोडायवर्सिटी गैलरी स्थापित की गयी है। बायोडायवर्सिटी गैलरी की मुख्य विशेषता है

उत्तराखण्ड की जैव विविधता के 101 आइकन का भव्य चित्रण जो Flora-fauna की विभिन्न प्रजातियों का प्राकृतिक आवास व पारिस्थितिक भूमिका की जानकारी देता है।

- **राईजोम बैंक की स्थापना**– वर्ष 2020–21 में उच्च स्थलीय राई जोम बैंक स्थापित कराना अनुसंधान राजि गोपेश्वर में जायका परियोजना के अन्तर्गत औली के 1.00 है0 क्षेत्र में उच्च स्थलीय पादप बीज/राईजोम बैंक की स्थापना की गयी है, जिसमें 2024 को कुटकी, कूथ, साल मपंज, नागछत्री, बालछड़ी, जटामांसी एवं अतीस आदि समेत लगभग 30 प्रजातिया उगायी व संरक्षित की जा रही है।

- **जी0आई0एस0 लैब की स्थापना**– वर्ष 2023 में अनुसंधान भवन परिसर, हल्द्वानी में जी0आई0एस0 लैब स्थापित की गई है। यह प्रयोगशाला राज्य में पाये जाने वाले विभिन्न वन प्रकारों एवं विभिन्न वन प्रभागों मे वनों के छत्र आवरण एवं वनाग्नि की सटीक जानकारी प्रदान करता है, जो कि वनों के संरक्षण हेतु उपयुक्त प्रबन्धन नीति बनाने में सहायक होगी।

ईको टूरिज्म–

- प्रदेश में ईको–पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने के लिये वर्ष 2012–13 में एक नयी योजना **''पारिस्थितिकीय पर्यटन''** के नाम से प्रारम्भ की गयी।

- वर्ष 2015–16 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत एक नई योजना **''ग्रामीण ईको–पर्यटन योजना''** प्रारम्भ की गयी।

- **उत्तराखण्ड ईको टूरिज्म डवलपमेंट कॉरपोरेशन**– वर्ष 2016 में उत्तराखण्ड ईको टूरिज्म डवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत की गयी है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक पर्यटन गतिविधियों को संचालित करना, पर्वतारोहण, रॉक क्लाईम्बिग, ट्रैकिंग, राफ्टिंग, सफारी, कैम्पिंग, साहसिक गतिविधिया आदि को संचालित करना है।

- **ईको टूरिज्म गतिविधियां**–राज्य में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने एवं इससे स्थानीय नागरिकों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु 27 नेचर पार्क, ईको पार्क, सिटी फॉरेस्ट व गार्डन स्थापित है। इसके अतिरिक्त 12 नेचर कैम्प/ईको कैम्प मसूरी, पौडी, नैनीताल, बद्रीनाथ, रामनगर, चकराता तथा पिथौरागढ़ में बनाये गये है तथा 02 नये सिटी पार्क हल्द्वानी व रामनगर में बनाये गये हैं। वर्तमान में राज्य में 20 बर्ड वाचिंग डेस्टिनेशन चिन्हित किये गये है। राज्य के 06 नये वन्यजीव सफारी जोन में 250 वाहनों का पंजीकरण किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुये है।

- **बुग्यालों का संरक्षण**–रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़ एवं बद्रीनाथ वन प्रभाग के अन्तर्गत बुग्यालों का संरक्षण **जियोजूट की अभिनव विधि** से किया गया है एवं प्रदेश के अन्य वन प्रभागों के अन्तर्गत भी बुग्यालों का संरक्षण एवं संवर्द्धन इस विधि से किया जाना प्रस्तावित है।

- **विश्व धरोहर स्थल**– नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ के अन्तर्गत **फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान** को वर्ष 2005 में **यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल** का दर्जा प्राप्त हुआ है। यह हिमालयी जैव विविधता के संरक्षण का प्रतीक है। विभाग द्वारा स्थानीय समुदायों के सहयोग से इस क्षेत्र की नियमित निगरानी कर फूलों की घाटी को मानव हस्तक्षेप से मुक्त रखा गया, इसके परिणाम स्वरुप दुर्लभ अल्पाईन फूलों और लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण हुआ।

- **झिलमिल झील तथा आसन वेटलैण्ड की स्थापना**– वर्ष 2005–06 में देश के प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व **''झिलमिल झील तथा आसन वेटलैण्ड''** की स्थापना की गयी। चकराता वन प्रभाग में स्थित आसन वेटलैण्ड प्रवासी पक्षियों के लिये तथा हरिद्वार वन प्रभाग में स्थापित झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व बारहसिंगा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है।

- **पवलगढ़ संरक्षित आरक्षिति**– 2012 में शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर नैनीताल जनपद में पवलगढ़ क्षेत्र को **''पवलगढ़ संरक्षित आरक्षिति''** के रूप में घोषित किया गया।

- **पर्यटन संवर्धन हेतु एंगलिंग परमिट**–फरवरी 2023 में उत्तराखण्ड शासन वन द्वारा ईको पर्यटन को बढावा देने के उद्देश्य से राज्य के संरक्षित क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव विहार, और संरक्षण आरक्षिति के बाहर की नदियों व जलाशयों के उपयुक्त स्थानों में **Angling (Catch & Release)** के लिए परमिट जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है। इस पहल से न केवल पर्यटन को प्रोत्साहन मिला है, बल्कि स्थानीय समुदायों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हुए हैं, साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए सतत् पर्यटन को बढावा मिला है।

- **वनाग्नि नियंत्रण व आपदा प्रबंधन**– वित्तीय वर्ष 2006–07 राज्य में जी0आई0एस0 विधि से वनाग्नि समस्या का अध्ययन एवं निवारण, वनाग्नि के प्रसार का दैनिक अनुश्रवण, वनाग्नि विभीषिका का अनुश्रवण/नियंत्रण हेतु जी0आई0एस0 यूनिट का गठन किया गया। वित्तीय वर्ष 2013–14 में वनों को आग की क्षति को कम करने वनों में आग के मामलों को त्वरित सूचना के आदान–प्रदान एवं उन पर नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सेक्टर की एक नई योजना **''वनों की अग्नि से सुरक्षा योजना''** प्रारम्भ की गयी।

  वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य सेक्टर की एक नई योजना **''सिविल/सोयम एवं पंचायती वनों की अग्नि से सुरक्षा योजना''** प्रारम्भ की गयी।

- **चीड़–पिरूल एकत्रीकरण से वनाग्नि नियंत्रण एवं आजीविका सृजन**– राज्य में वनाग्नि नियंत्रण हेतु चीड़ पिरूल एकत्रीकरण कार्य से स्थानीय जनता की आजीविका में वृद्धि किये जाने हेतु शासन द्वारा पूर्व निर्धारित दर ₹ 3/–प्रति कि.ग्रा. को संशोधित कर ₹ 10/–प्रति कि0ग्रा0 किया गया है तथा इस वर्ष 07 नई यूनिटों (03 अल्मोड़ा, 02 चम्पावत, 01 गढ़वाल व 01 नरेन्द्रनगर) स्थापना हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा उद्यमियों को चिन्हित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु उद्यमियों के साथ सहमति बनी है। वर्तमान में अल्मोड़ा जनपद में 03 तथा चम्पावत जनपद में 01 नई यूनिट स्थापना हेतु MoU किया गया है।

- **ग्राम पंचायत स्तर पर वनाग्नि सुरक्षा प्रबन्धन समितियों को प्रोत्साहन धनराशि (Incentive)**– ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायतों के क्लस्टर स्तर पर गठित वनाग्नि सुरक्षा प्रबन्धन समितियों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा मार्च, 2025 में प्रोत्साहन धनराशि (Incentive) ₹ 30,000/– (तीस हजार रूपये) प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- **Web Application – Forest Fire Management System (FFRMS)**– प्रदेश में वनाग्नि से सम्बन्धित सूचनाओं के त्वरित आदान–प्रदान हेतु वन विभाग, उत्तराखण्ड में स्थापित आई0टी0जी0सी0 द्वारा Web Application – Forest Fire Management System (FFRMS) तैयार किया गया है। FFRMS में दो मॉडयूल हैं– प्रथम–प्रभाग स्तर पर वनाग्नि घटनाओं की रिर्पोटिंग तथा द्वितीय– भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान (FSI) से प्राप्त फायर अलर्ट। तद्नुसार वनाग्नि नियंत्रण की प्रभावी कार्यवाही सफलतापूर्वक की जा रही है।

- **Forest Fire Alert System (Version 3.0)**- Forest Survey of India द्वारा विकसित किये गये फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम (संस्करण 3.0) के उपयोग से वनाग्नि घटनाओं (Large Forest Fires) की सूचनाओं के तत्परता से फील्ड में प्रसारित होने से वनाग्नि नियंत्रण में सफलता प्राप्त हो रही है।

- **मॉडल क्रू–स्टेशन की स्थापना**–प्रदेश के समस्त वन प्रभाग के प्रत्येक रेंज में एक–एक मॉडल क्रू–स्टेशन स्थापित किया गया है। वनाग्नि के नियंत्रण, मानव–वन्यजीव संघर्ष के प्रबन्धन एवं प्राकृतिक आपदा के समय यह अत्याधुनिक मॉडल क्रू–स्टेशन एक रिसोर्स एवं रिस्पोन्स सेन्टर के रूप में कार्य कर रहें हैं।

- **Uttarakhand Forest Fire Mobile App**–वन विभाग द्वारा Forest Fire Uttarakhand Application विकसित किया गया है। इस App से वनाग्नि की घटनाओं, अलर्ट की **रियल टाइम मॉनिटरिंग रिस्पांस टाइम** आदि का अनुश्रवण केंद्रीय डैशबोर्ड के माध्यम से किया जा रहा है। उक्त App आम जनता के लिए भी वनाग्नि घटनाओं की सूचना विभाग को देने के परिपेक्ष्य में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है।

- **शीतलाखेत मॉडल**– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ग्राम शीतलाखेत, टिहरी में जड़धार गाँव के अन्तर्गत स्थानीय ग्रामीण महिलाओं द्वारा वन क्षेत्रों का स्वयं संरक्षण करते हुए वनाग्नि से बचाव हेतु कार्यवाही की गयी है। अन्य क्षेत्रों से भी ग्रामीणों/महिला–युवा मंगल दलों/वन पंचायतों के सदस्यों को उक्त क्षेत्रों का Exposure visit कराया गया है। इसी प्रकार सभी वन प्रभागों के अन्तर्गत व्यापक पैमाने पर जन–जागरूकता अभियान आयोजित किये जा रहे हैं।

- **Customized Forest Fire Forecast Stations**–वन विभाग के फील्ड स्तर पर AWS/रेंन गेज के केन्द्र स्थापित करने एवं वन विभाग की प्रभागीय सीमा में मौसम की जानकारी प्रतिदिन प्रेषित करने हेतु भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) के साथ तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु MoU हस्ताक्षर किया गया है। इससे Customized Forest Fire Forecast प्राप्त हो सकेगा।

- **फायर वाचरों का सामूहिक जीवन बीमा**– वनाग्नि से सुरक्षा के दृष्टिगत प्रदेश के अन्तर्गत वनाग्नि सत्र के दौरान योजित फायर वाचरों के सामुहिक दुर्घटना जीवन बीमा की कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है। विगत वर्ष भी लगभग 4338 फायर वाचरों का विभागीय रूप से जीवन बीमा कराया गया तथा वनाग्नि सत्र 2025 हेतु योजित लगभग 4646 फायर वाचरों के सामूहिक

दुर्घटना जीवन बीमा की कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है।

X **वनों के वैज्ञानिक प्रबन्ध हेतु कार्यवाही**—उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न वन प्रभागों के अन्तर्गत विभिन्न वानिकी/वन वर्धनिक कार्यों हेतु प्रत्येक वन प्रभाग के वन वर्धन कार्यों सम्बन्धी एक कार्ययोजना तैयार की जाती है। इस कार्ययोजना में वन प्रभाग में आगामी 10 वर्षों में किये जाने वाले उन समस्त वानिकी कार्यों का वर्षवार विवरण होता है, जो किसी वर्ष विशेष में प्रस्तावित होते है। इस प्रकार की कार्ययोजना बनाने में प्रत्येक वन प्रभाग के वन प्रबन्ध को वैज्ञानिक रूप से प्रबन्धन में मदद मिलती है। गत 03 वर्षों में वन विभाग द्वारा किये गये इन कार्यों का विवरण निम्न हैः—

- **कार्ययोजना में उपग्रह डेटा का प्रथम बार उपयोग**— कार्ययोजना में IRS-P6 उपग्रहों और LISS-IV सेंसर के उपग्रह डेटा का उपयोग प्रथम बार किया गया है जिसका स्थानिक रिजॉल्यूशन 5.8 मी. है। LISS-IV सेंसर (5.8m) में पारम्परिक LISS-III सेंसर (23.5m) की तुलना में चार गुना बेहतर स्थानिक रिजॉल्यूशन होने से वन प्रकार और वनावरण/घनत्व की नक्शों/परतों (maps/layers) के निर्माण के लिए उपग्रहण छवि व्याख्या LISS-III डेटासैट की तुलना में बहुत बेहतर सटीकता (much better accuracy) के साथ की जा सकती है।

- **वृक्षारोपण स्थलों का चयन (GIS एवं रिमोट सेंसिंग आधारित)**—वृक्षारोपण हेतु कार्य योजना में प्रस्तावित किये जाने वाले स्थलों का चयन जी.आई.एस. एवं सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग करते हुये खुले वन क्षेत्र (जहां छत्र घनत्व 0.4 के कम है) जिनका ढाल 30 डिग्री से कम है, न्यूनतम 5 है. क्षेत्र की उपलब्धता एवं समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई 2500 मी. तक जैसे तीन मानदंडों के आधार पर वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त क्षेत्रों का चयन करने के साथ—साथ इनकी के.एम.एल. फाइल भी तैयार करवायी गयी है।

- **मियावाकी तकनीक का प्रयोग**—वन प्रभाग की पुनरीक्षणाधीन कार्ययोजनाओं में प्रत्येक राजि में अधिकतम 01—01 है। क्षेत्रफल में प्रथम बार मियावाकी तकनीक अपनाते हुये प्रायोगिक तौर पर वृक्षारोपण करने संबंधी प्रावधान किये गये हैं।

- **मृदा स्वास्थ्य विश्लेषण (Soil Health Analysis)**—मृदा स्वास्थ्य विश्लेषण आर्क जी.आई.एस. सॉफ्टवेयर (Arc GIS-Interpolation IDW Tool) का उपयोग कर विश्लेषित परिणाम एवं मानचित्रों/परतों को प्रतिनिधि बिन्दुओं (sample points) से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तैयार कर कार्ययोजना में प्रथम बार सम्मिलित किया गया है।

- **डिजिटलीकरण (Digitization) एवं अभिलेख संरक्षण**—उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न वन प्रभागों की कार्ययोजनाओं का एक संग्रह बनाने (creating a archive) एवं इनके सुरक्षित रुप से भण्डारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपलब्ध कार्ययोजना पुस्तकों के डिजिटाईजेशन (उपलब्ध पुस्तकों को स्कैन कर pdf format में) के अन्तर्गत वन विभाग के विगत लगभग 125 वर्षों की अवधि के दौरान उत्तराखण्ड राज्य के वन प्रभागों से संबंधित निरुपित/पुनरीक्षित 300 से अधिक उपलब्ध कार्य योजनाओं का कार्य पूर्णतया आंतरिक रुप से उपलब्ध मानव

संसाधन/उपकरणों के उपयोग से किया गया है। डिजिटाइज्ड किये गये कार्ययोजनाओं में सबसे पुरानी योजना देहरादून वन प्रभाग (United Provinces of Agra and Oudh), जिसकी अवधि वर्ष 1903–27 की है।

वनीकरण एवं संरक्षण– वर्ष 2005 में शासन द्वारा वृक्षारोपणों की गुणवत्ता एवं एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु **वृक्षारोपण नीति, 2005** प्रतिपादित की गयी है, जिसमें मुख्य रूप से रोजगार एवं आयपरक वृक्ष प्रजाति के रोपण, जल एवं मृदा संरक्षण तथा तीनों वितानों (कैनोपी) के रोपण पर बल दिया गया है। पिछले दस वर्षों में वन विभाग की वृक्षारोपण की प्रगति निम्न प्रकार रही :–

वृक्षारोपण (हैक्टेयर में)		
वर्ष	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**
2015–16	16,000.00	17846.26
2016–17	17268.00	18,251.31
2017–18	18785.00	21397.26
2018–19	19570.00	20713.00
2019–20	21080.00	21508.39
2020–21	30769.23	33548.55
2021–22	39650.00	40678.04
2022–23	36650.00	36342.27
2023–24	35299.99	36006.27
2024–25	41170.00	41200.00
2025–26 (माह सितम्बर 2025 तक)	41195.31	26028.07

स्रोत :– वन विभाग, उत्तराखण्ड।

- उत्तराखण्ड वन विभाग में विभिन्न योजनाओं (राज्य सेक्टर, कैम्पा, जायका एवं ग्रीन इण्डिया मिशन) के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में 40507 हैक्टेयर में 3.72 करोड़ पौधों का रोपण किया गया। वित्तीय वर्ष 2025–26 में लगभग 10000 हैक्टेयर में लगभग 1.20 करोड़ पौध रोपित किया जाना प्रस्तावित है।

- वृक्षारोपण में जनसहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2024–25 में मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा **''एक पेड़ मॉ के नाम**'' से अभिनव पहल प्रारम्भ की गयी। ''एक पेड़ मॉ के नाम'' Hashtag का प्रयोग कर वित्तीय वर्ष 2025–26 में वर्तमान तक 99.31 लाख रोपित की सूचना Merilife पोर्टल में अपलोड की गयी।

- **साल वनों में सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन** हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा जुलाई, 2001 में चक्रीय कोष की व्यवस्था की गयी, जिसमें साल वृक्षों के पातन के पश्चात इसकी 30 प्रतिशत धनराशि को चक्रीय कोष में जमा किया जाना है तथा इस धनराशि से साल वनों का प्राकृतिक पुनरोत्पादन (ए0एन0आर0) किया जा रहा है।

X **उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद**–_उत्तराखण्ड में बांस एवं रेशा के हेतु वर्ष 2011–12 में एक नयी योजना ''बांस एवं रेशा विकास परिषद की स्थापना'' प्रारम्भ की गयी। उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद, सोसायटी एक्ट् 1860 में पंजीकृत एक सरकारी सरंचना है, जो बांस एवं प्राकृतिक

रेशा के विकास से सम्बन्धित समस्त क्रिया कलापो हेतु प्रदेश की एक नोडल एजेंसी है। गत 3 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियां निम्न हैः–

- **हिमालयन नेटल, भांग तथा भीमल का रेशा संग्रहणः** उत्तराखण्ड बांस रेशा परिषद द्वारा राज्य के अन्तर्गत विभिन्न क्लस्टरों में 1100 किलो ग्राम हिमालयन बिच्छू घास एवं 722 कि0ग्रा0 भांग रेशा का संग्रहण व इसका प्रसंस्करण किया गया है। जिससे 3 जनपदों के लगभग 250 से अधिक काश्तकार/किसान लाभान्वित हुये है।

- **विपणन एवं बाजार व्यवस्थाः** हस्तशिल्पियों एवं बुनकारों द्वारा बांस, रिंगाल एवं प्राकृतिक रेश से तैयार किये जा रहे वस्तुओं की विपणन एवं बाजार व्यवस्था हेतु परिषद् द्वारा विभिन्न व्यापारिक मेलों, प्रदर्शनियों (यथा आई0 आई0टी0एफ0 दिल्ली, उत्तराखण्ड महोत्सव ऋषिकेश तथा वसंतोत्सव 2023 राजभवन, उत्तराखण्ड देहरादून) में प्रतिभाग किया गया व इन मेले/प्रदर्शनी में राज्यों के कारीगरो/हस्तशिल्पियों द्वारा तैयार किये गये बांस, रिंगाल एवं प्राकृतिक रेशा उत्पादों को प्रदर्शित कर विक्रय किया गया।

- राष्ट्रीय बांस मिशन के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में श्रीमती मीना देवी द्वारा ग्राम–धनपौं, देहरादून में एक छोटी बांस नर्सरी (0.5 है0) तथा सरकारी क्षेत्र में वन वर्धनिक, साल क्षेत्र, हल्द्वानी द्वारा अनुसंधान रेंज श्यामपुर क्षेत्र, देहरादून में एक बड़ी बांस नर्सरी (1.0 है0) की स्थापना की गयी है।

- **निजी क्षेत्र में बांस उद्यमों की स्थापनाः** राष्ट्रीय बांस मिशन के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में श्री दिनेश नेगी द्वारा ग्राम जयचोली, सोमेश्वर, अल्मोड़ा में बांस हस्तशिल्प आधारित कुटीर उद्योग तथा मै0 सारा क्राफ्ट द्वारा कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल में व मै0 वुड एण्ड बैम्बू प्रोडक्ट हाउस द्वारा देहरादून में 1–1 बांस प्रसंस्करण एवं मुल्य सम्वर्द्धन यूनिट की स्थापना की गयी है।

X **उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड**– जैव विविधता अधिनियम, 2002 के सफल क्रियान्वयन के लिये सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में ''उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड'' का गठन किया गया।

  - **जैव विविधता प्रबन्ध समितियों का गठन**– उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा राज्य में जैव विविधता के संरक्षण एवं दस्तावेजीकरण हेतु स्थानीय निकाय (Local Body) स्तर पर कुल 7991 जैव विविधता प्रबन्ध समितियों (Biodiversity Management Committees – BMCs) का गठन किया गया है। इन समितियों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर जैव संसाधनों के संरक्षण, सतत् उपयोग एवं प्रबंधन को सुनिश्चित करना है।

- **सिक्योर हिमालय परियोजना के अन्तर्गत बी०एम०सी० का गठन**–सिक्योर हिमालय परियोजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा दो जिलों उत्तरकाशी (गंगोत्री एवं गोविन्द) और पिथौरागढ (दारमा) के तीन परिदृष्यों में कुल 29 जैव विविधता प्रबन्ध समितियाँ स्थापित की गई हैं। इन समितियों का गठन हिमालयी पारिस्थितिकीय तंत्र के संरक्षण एवं जैव विविधता संवर्धन के उद्देश्य से किया गया है।

- **जैव संसाधनों के लाभ सहभाजन हेतु अनुबंध**–जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत, जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग करने वाले उद्योगों एवं व्यापारियों द्वारा लाभ के सहभाजन (Benefit Sharing) की प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक विभिन्न उद्योगों से कुल 215 अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित किए जा चुके हैं। यह व्यवस्था जैव संसाधनों के सतत् उपयोग के साथ स्थानीय समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण को भी सुनिश्चित करती है।

- **थल केदार जैव विविधता विरासतीय स्थल की अधिसूचना**—जनपद पिथौरागढ में स्थित थल केदार क्षेत्र को जैव विविधता विरासतीय स्थल (Biodiversity Heritage Site-BHS) घोषित करने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में प्रारम्भिक अधिसूचना का ड्राफ्ट शासन को प्रेषित किया जा चुका है। यह स्थल क्षेत्रीय पारिस्थितिकी, सांस्कृतिक एवं जैविक विविधता के संरक्षण के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

X **गंगा वाटिका**— गंगा के तटवर्ती क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण, पर्यटको व स्थानीय निवासियों के मनोरंजन व गंगा से संबंधित जागरुकता के उद्देश्य से परियोजना के अन्तर्गत कुल 8 गंगा वाटिका यथा—देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल, चमोली एवं उत्तरकाशी जनपद में स्थापित की गयी है।

X **पथ वृक्षारोपण**— राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग, जो कि गंगा नदी के समीप है, के सौन्दर्यीकरण हेतु देहरादून, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, चमोली, गढ़वाल एवं उत्तरकाशी जनपद में पथ वृक्षारोपण कार्य किये गये है।

X **रिवर फ्रन्ट डेवलपमेन्ट**— इस मद के अन्तर्गत गंगा नदी के तटों के कटाव को रोकने व मृदा—क्षरण कम करने एवं क्षेत्रों के सौन्दर्यकरण से संबंधित कार्य किये गये, जिसमें मुख्य रुप से वृक्षारोपण/पाथवे का निर्माण/वाल्किंग ट्रैल्स का निर्माण आदि है।

X **इन्स्टीटयूशनल एंड इण्डस्ट्रियल स्टेट प्लान्टेशन**—योजना के प्रचार—प्रसार हेतु राजकीय एवं निजी शैक्षिक संस्थानों के साथ—साथ औद्योगिक संस्थानों के परिसरों आदि में वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न कराये गये, जिसमें मुख्यतः जनपद देहरादून, चमोली एवं गढ़वाल में कार्य किये गये।

X **127—ईको टास्क फोर्स की सहयता से वृक्षारोपण**— नमामि गंगे परियोजना में वर्ष 2022—23 से 2024—25 तक कठिन एवं दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में 127—ईको टास्क फोर्स की सहयता से जनपद गढ़वाल के अन्तर्गत 1200 है0 क्षेत्रफल में वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न कराया गया है।

X **लीसा ग्रामीण आय एवं आजीविका का स्त्रोत**—_लीसा वन विभाग का प्रमुख राजस्व अर्जित करने का स्रोत है। प्रतिवर्ष औसतन 1.60 लाख कुन्तल से अधिक लीसे का उत्पादन भी चीड़ (पाइन) के पेड़ों से विभाग द्वारा किया जाता है। इस मद पर लगभग ₹ 35 करोड़ प्रतिवर्ष व्यय होता है और इस लीसे की बिक्री से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष औसतन ₹ 60 से 70 करोड़ की राजस्व की प्राप्ति होती है। राजस्व का एक स्रोत होने के साथ—साथ प्रत्यक्ष रूप से विभाग के अन्तर्गत लगभग 25 लाख मानव दिवस प्रति वर्ष रोजगार सृजन भी करता है तथा अप्रत्यक्ष रूप से अनेक वनों पर आधारित उद्योग में भी हजारों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते है।

X **उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन परियोजना (जायका पोषित)**— उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना (UFRMP) जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) द्वारा वित्तपोषित एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य राज्य में वन क्षरण (Forest Degradation) की समस्या का समाधान करना है। इस योजना की कुल लागत ₹ 807 करोड़ है, जो वर्ष 2014 से प्रारम्भ होकर अगस्त 2026 में समाप्त होगी।

तालिका– 9.1

वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक प्रावधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय का योजनावार सारांश

दिनांक 31.12.2025 की स्थिति (धनराशि– हजार में)

वित्तीय वर्ष	योजना	स्वीकृत आय–व्ययक प्रावधान	शासन से अवमुक्त धनराशि	03 जनवरी 2025 तक का व्यय
1	2	3	4	5
2025–26	क्षतिपूरक वनीकरण योजना	6000.01	6000.01	5818.16
	जल संग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान	5500.01	3500.00	3500.00
	समेकित वन्यजीव प्रबन्धन योजना	1000.01	1000.00	694.70
	वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य	25000.00	25000.00	19061.11
	कैम्पा योजना से अर्जित ब्याज	2000.00	600.00	600.00
	अन्य कार्य	2000.00	2000.00	1089.22
	योग	41500.03	38100.01	30763.19

स्रोत :– वन विभाग, उत्तराखण्ड।

तालिका–9.2

उत्तराखण्ड में वनावरण (forest Cover)

श्रेणी (Class)	क्षेत्रफल वर्ग कि0मी0 (Area)	भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनावरण क्षेत्र का प्रतिशत
अत्यन्त घने वन	5266.58	9.85
मध्यम घने वन	12517.63	23.40
खुले वन	6519.62	12.19
कुल	24303.83	45.44
स्क्रबलैंड	412.88	0.77
भौगोलिक क्षेत्रफल	53483.36	100.00

स्रोत :– India State of Forest Report, 2023

चार्ट– 9.1

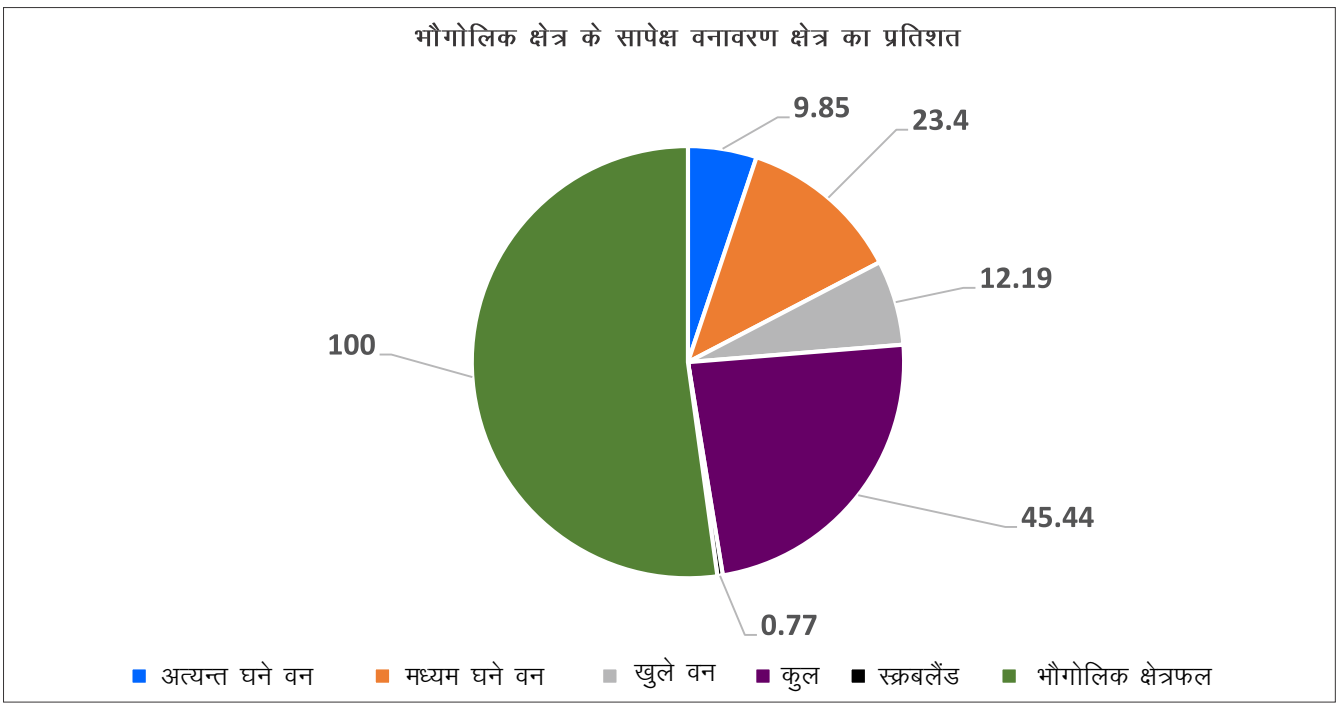

Source: India State of Forest Report, 2023

तालिका–9.3
अग्नि संवेदनशील वन भूभाग

संवेदनशीलता	क्षेत्रफल (वर्ग कि0मी0)	कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत
अति संवेदनशील	24.39	0.10
उच्च संवेदनशील	3193.95	12.92
अधिक संवेदनशील	6832.16	27.64
मध्यम संवेदनशील	4946.88	20.01
कम संवेदनशील	9719.33	39.33

स्रोत :– India State of Forest Report, 2023

तालिका– 9.4 से स्पष्ट है कि एफ0एस0आई 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 40.56 प्रतिशत वन भाग अग्नि के प्रकोप के लिहाज से उच्च/अधिक संवेदनशील है। जिसका क्षेत्रफल 10026.11 वर्ग कि0मी0 है तथा 24.39 वर्ग कि0मी0 का क्षेत्रफल अति संवेदनशील बताया गया है।

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Uttarakhand Pollution Control Board):–

पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन–वर्ष 2002 में सरकार द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा (4) के अन्तर्गत **उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** का गठन किया गया। सितम्बर 2008 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रदेश में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण उत्तराखण्ड एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति उत्तराखण्ड का गठन किया गया। वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य सरकार द्वारा ''पर्यावरण निदेशालय'' की स्थापना की गयी है।

ध्वनि प्रदूषण:–

राज्य के चार जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल तथा ऊधमसिंह नगर में ध्वनि प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापित है। जहॉ पर नियमित रूप से ध्वनि को न्यूनतम मानक, अधिकतम मानक व औसत मानक डेसिबल इकाई में मापा जाता है। राज्य के इन केन्द्रों में वर्ष 2025 के माह अक्टूबर तथा नवम्बर में ध्वनि गुणवत्ता का विवरण निम्न तालिका– 9.4 में प्रदर्शित है:–

तालिका–9.4

NOISE DATA -2025						
NOISE LEVEL DB(A) L AVERAGE						
	OCTOBER			NOVEMBER		
	L Min	L Max	L AV	L Min	L Max	L AV
Survey Chowk, Dehradun	78.2	87.9	83.52	78.4	86.7	84.25
Doon Hospital, Dehradun	68.6	80.2	75.46	72.6	84.2	77.31
Clock Tower,Dehradun	74.2	88.7	82.05	78.7	90.1	84.42
Gandhi Park,Dehradun	71.8	83.7	78.39	70.2	84.1	79.44
Race Course,Dehradun	64.5	81.2	71.71	63.7	80.2	72.16
CMI Hospital Chowk,Dehradun	68.9	77.6	73.62	69.4	80.9	74.21
Nehru Colony,Dehradun	50.2	65.1	58.35	53.4	65.2	59.03
Pentagon Mall Chowk, SIDCUL, Haridwar	65.68	84.34	75	62.99	83.37	71.92
Mallital Near NPP Office Nainital	54.3	71.5	62.4	51.7	69.5	60.4
Awas Vikas Colony, Haldwani	43.7	56.2	50.5	42.4	57.8	51.6

Beersheba School Nainital Road, Haldwani	51.5	68.8	61.7	50.6	68.4	69.5
Tikonia Chauraha Nainital Road, Haldwani	54.9	73.6	64.1	53.2	71.6	63.3
Govt. Hospital, Kashipur	45	67	55.78	45.83	67.5	61.16
M.P. Chowk Kashipur	66.67	98.67	91.46	66.67	98.83	92.1
Residential Area Awas Vikas kashipur	46.33	80.67	74.01	46.83	83	76.07
Govt. Hospital, Rudrapur	46	71.17	63.94	46.17	70.17	63.37
DD. Chowk Rudrapur	72.33	98.33	92.69	71.67	98.17	93.72
Residential Area Awas Vikas Rudrapur	47.83	87	78.05	48.17	87.17	78.51

स्रोत :– वन विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा क्षेत्र

अध्याय–10
परिवहन एवं संचार
Transport and Communication

राज्य में परिवहन हेतु प्रमुख साधन सड़क माध्यम है, जिसमें मुख्य रूप से उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों का संचालन होता है। वर्तमान में निगम की अपनी 888 बसें तथा अनुबन्ध की 497 बसें अर्थात 1385 बसों का बेड़ा है तथा वर्तमान में 20 वातानुकूलित बसे (टैम्पो ट्रेवल) है। राज्य गठन के समय विभाग की **राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 56.02 करोड़** थी, जिसमें वृद्धि का प्रयास करते हुए, वित्तीय वर्ष **2024–25 में ₹ 1406.61 करोड़** राजस्व वसूली की गयी। राज्य में विगत 25 वर्षो में विशेष रूप से वर्ष 2014 के उपरांत रेलवे विकास की दिशा में बहुत बड़ी प्रगति हुई है, जिनमें ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना **''पहाड़ों में रेलवे का क्रांतिकारी कदम''** से उत्तराखंड के लिए रेलवे इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक लगभग 125 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन पहाड़ी क्षेत्र के कठिन इलाकों से होकर गुजर रही है। इससे उत्तराखंड के ग्रामीण और दुर्गम इलाकों का संपर्क सशक्त होगा, जिससे पर्यटन और स्थानीय व्यापार में वृद्धि होगी।

10.1 परिवहन विभागः–

उत्तराखण्ड राज्य जहाँ एक ओर पर्यटन की दृष्टि से पर्यटकों के लिए सदैव आकर्षण का केन्द्र रहा है वहीं दूसरी ओर तीर्थाटन की दृष्टि से भी देश/विदेश के अन्तर्गत राज्य की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। इसके अतिरिक्त विश्व प्रसिद्ध चारधाम (श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री) सहित पावन तीर्थ स्थल हरिद्वार, ऋषिकेश, कैची धाम, ऊखीमठ, पाण्डुकेश्वर, जागेश्वर, बागेश्वर, माँ पूर्णागिरी, पाताल भुवनेश्वर आदि तथा पहाड़ों की रानी नाम से विख्यात 'मसूरी' के साथ ही नैनीताल, औली, रानीखेत, पिथौरागढ़, कौसानी आदि मनोरम/दर्शनीय पर्यटक स्थल भी उत्तराखण्ड राज्य में स्थित होने से देश/विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फलतः राज्य में स्थानीय यातायात व्यवस्था के अतिरिक्त देश–विदेश से भी तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों का आवागमन अनवरत रूप से वर्षभर बना रहता है। प्रदेश में आने वाले तीर्थ यात्रियों/पर्यटकों को सुलभ, आरामदायक एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत् विभाग द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम के साथ–साथ निजी एवं ठेका यात्री वाहनों को उदारनीति से परमिट जारी किये जाते हैं। इस प्रकार परिवहन विभाग राज्य के अन्तर्गत यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु सतत् प्रयत्नशील है।

परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 के क्रियान्वयन हेतु मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यो का संचालन किया जाता हैः–

- वाहनों का पंजीयन करना।
- वाहनों का तकनीकी निरीक्षण कर स्वस्थता प्रमाणपत्र जारी करना।
- चालकों एवं परिचालकों को चालक/परिचालक लाईसेन्स जारी करना।
- व्यावसायिक वाहनों को स्टेज कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, मालयान परमिट जारी करना।
- निर्धारित राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व अर्जन की कार्यवाही करना।
- करापवंचना एवं नियम विरूद्ध संचालित वाहनों की रोकथाम हेतु प्रवर्तन दलों के माध्यम से प्रवर्तन की कार्यवाही करना।
- सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक प्रयोग से वाहन स्वामियों/वाहन चालकों को त्वरित सेवा प्रदान करना।

- वाहन निर्माताओं द्वारा तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के मॉडल के वाहनों का तकनीकी परीक्षण कर उपयुक्तता के आधार पर उन्हें राज्य में संचालन हेतु उपयुक्तता प्रमाण–पत्र जारी करना।
- चालकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना एवं निजी क्षेत्र के चालक प्रशिक्षण स्कूलों को मान्यता प्रदान करना।
- वाहनों के प्रदूषण के सम्बन्ध में जाँच हेतु निजी क्षेत्र में प्रदूषण जाँच केन्द्रों को मान्यता प्रदान करना।
- सार्वजनिक सेवायानों की दुर्घटना की दशा में मृतक आश्रितों/घायलों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- चारधाम यात्रा मार्गों का सर्वेक्षण/दुर्घटना संभावित स्थलों का चिह्नीकरण कर सम्बन्धित विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना।
- अन्तर्राज्यीय निर्बाध परिवहन के दृष्टिगत् अन्य राज्य सरकारों से परिवहन सम्बन्धी समझौता करना।
- राजकीय वाहनों के क्रय/रखरखाव का नियमन करना।
- राजकीय विभागों की वाहनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य करना।

प्रदेश में मोटर वाहनों की संख्या में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि एवं उनके नियन्त्रण को दृष्टिगत प्रत्येक उपसम्भाग में प्रवर्तन दलों का गठन किया गया है। परिवहन विभाग द्वारा कृत कार्यों एवं उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैः–

तालिका– 10.1

परिवहन विभाग में कुल राजस्व प्राप्तियों का विवरण (वित्तीय वर्ष 2001–02 से वर्तमान तक)

वित्तीय वर्ष	वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियाँ	
	लक्ष्य (रु0 करोड़ में)	**राजस्व प्राप्तियाँ** (रु0 करोड़ में)
2001–02	100.00	56.00
2002–03	106.00	75.65
2003–04	120.00	85.83
2004–05	135.00	96.60
2005–06	115.00	111.19
2006–07	135.00	136.95
2007–08	150.00	152.04
2008–09	175.00	163.39
2009–10	203.00	182.16
2010–11	225.30	223.26
2011–12	249.53	329.51
2012–13	275.00	298.17
2013–14	320.00	362.93
2014–15	360.00	396.53
2015–16	435.80	471.85
2016–17	600.00	591.80
2017–18	660.00	731.72
2018–19	850.00	797.63
2019–20	965.00	880.03
2020–21	980.00	712.50
2021–22	1050.00	861.10

2022–23	1155.00	1158.37
2023–24	1475.00	1296.46
2024–25	1550.00	1406.61
2025–26 (माह दिसम्बर तक)	1690.00	1133.89

स्रोत– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

चार्ट 10.1

परिवहन विभाग में (वित्तीय वर्ष 2020–21 से वर्तमान तक) कुल राजस्व प्राप्तियों का विवरण

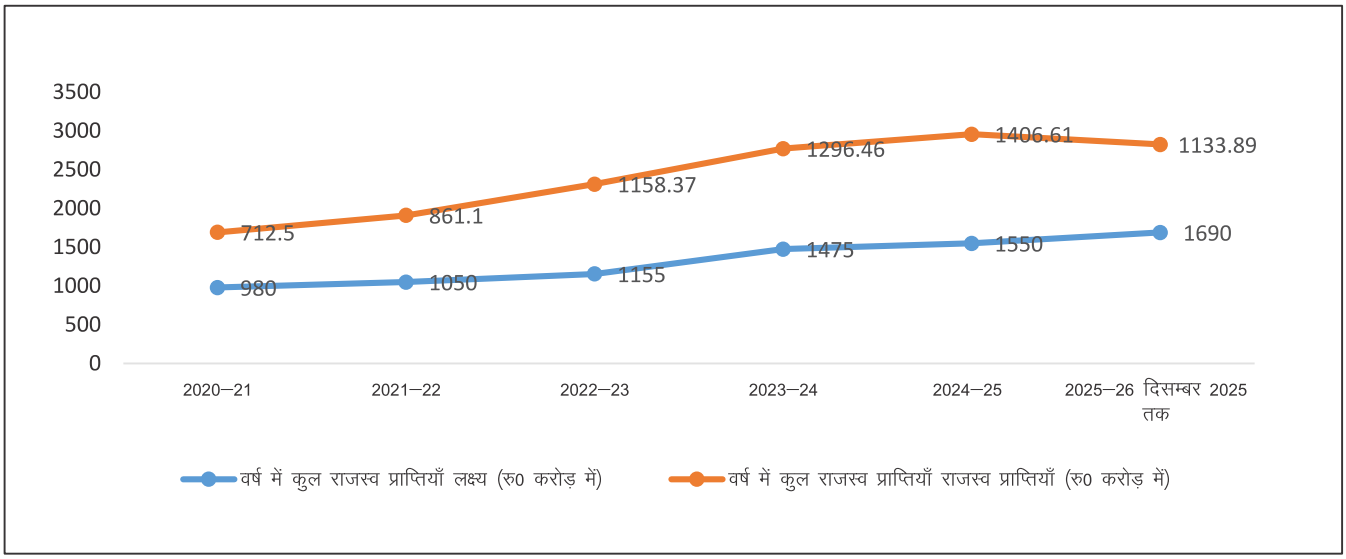

स्रोत– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

चार्ट 10.2

परिवहन विभाग में (वित्तीय वर्ष 2020–21 से वर्तमान तक) कुल पंजीकृत वाहनों का विवरण

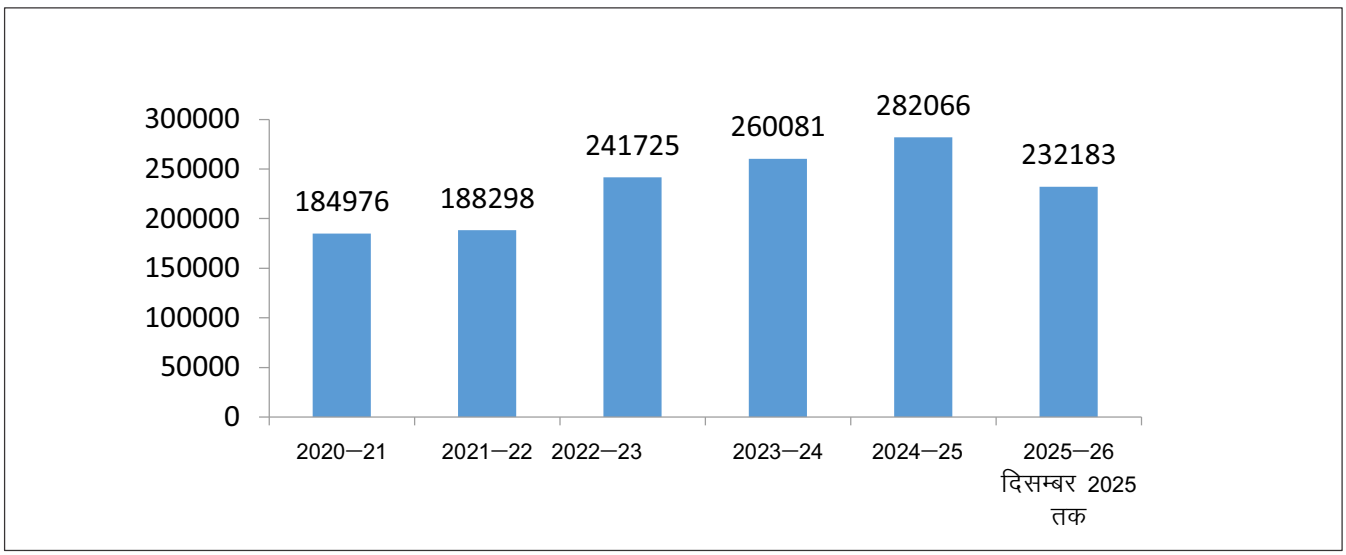

स्रोत– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

चार्ट 10.3
प्रवर्तन सम्बन्धी कार्य

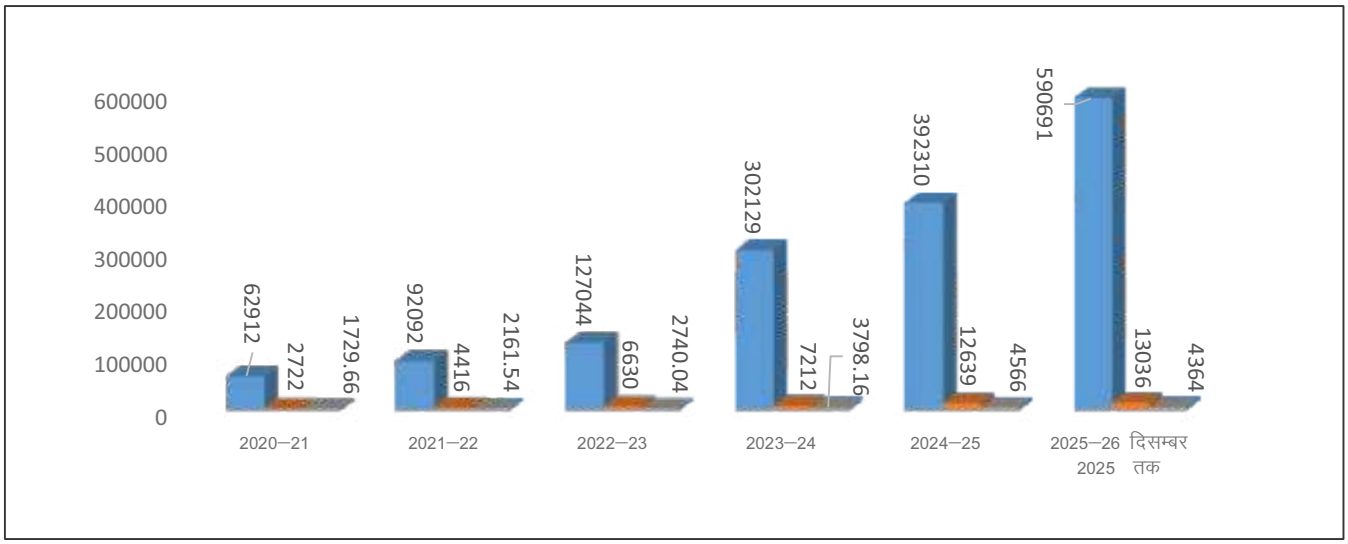

स्रोत– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

चार्ट 10.4
राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का विवरण

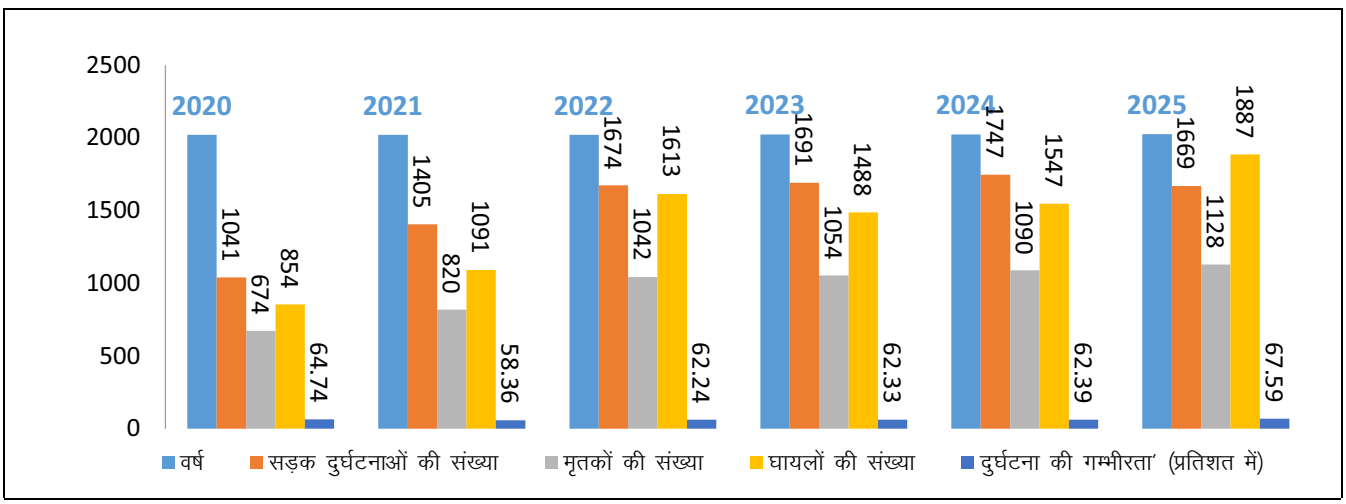

स्रोत– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

10.1.2 रोजगारः–

- **प्रत्यक्ष रोजगारः**–वित्तीय वर्ष 2017–18 से वर्ष 2025–26 के माह दिसम्बर–2025 तक 192 नियमित नियुक्तियाँ एवं 33 आउटसोर्सिंग के माध्यम से कुल 225 नियुक्तियाँ प्रदान की गयी हैं।

- **अप्रत्यक्ष रोजगारः**–वित्तीय वर्ष 2017–18 से वर्ष 2025–26 के माह दिसम्बर–2025 तक कुल 2,19,023 परमिट जारी किए गए हैं, जिनके माध्यम से लगभग 3,29,000 लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025–26 के माह दिसम्बर–2025 तक कुल 366 प्रदूषण जाँच केन्द्र, 20 मान्यता प्राप्त गैराज, 51 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल एवं रेन्ट ए मोटरसाईकिल (स्कीम), 1997 के अंतर्गत जारी लाईसेंसों (665 लाईसेंस) के माध्यम से भी लगभग 1000 लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं इसके अतिरिक्त राज्य में अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन से सम्बन्धित व्यवसायों में लगभग 10 लाख व्यक्ति परिवहन सम्बन्धी रोजगार से जुड़े हुए है।

10.1.3 ई–गवर्नेन्स के माध्यम से जनता को ऑनलाईन सेवाएं–

- समस्त संभागीय/उपसंभागीय परिवहन कार्यालयों में वैब आधारित 'वाहन 4.0' एवं 'सारथी 4.0' रोल आउट कर दिया गया है।
- वाहनों के पंजीयन से सम्बन्धित 19 सेवायें एवं लाईसेन्स सम्बन्धी समस्त सेवायें ऑनलाईन प्रारम्भ की गयी है।
- ऑनलाईन सेवाओं हेतु जन–सुविधा केन्द्रों को अधिकृत किया गया है।
- डिजीलॉकर एवं एम–परिवहन एप पर उपलब्ध अभिलेखों (डी0एल0, आर0सी0, बीमा प्रमाणपत्र, कर भुगतान रसीद) को मूल अभिलेख की भाँति मान्यता प्रदान की गयी है।
- आकर्षक पंजीयन नम्बरों की ऑनलाईन नीलामी/बुकिंग की जाती है।
- व्यावसायिक वाहनों को जारी की जाने वाली फिटनेस सम्बन्धी कार्य में पारदर्शिता हेतु एम–फिटनेस ऐप के माध्यम से वाहनों का निरीक्षण प्रारम्भ किया गया है।उक्त ऐप के माध्यम से वाहन की फिटनेस के समय वाहन के फोटो लिये जाने की व्यवस्था भी की गयी है।
- निजी क्षेत्र में स्थापित प्रदूषण जाँच केन्द्रों को भी ऑनलाईन करते हुए वाहन पोर्टल से जोड़ा गया है।
- परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड में पत्रावलियों का संचरण ऑनलाइन माध्यम से किये जाने हेतु ई–ऑफिस व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है।
- उत्तराखण्ड राज्य में बी0एच0 सीरीज व्यवस्था लागू की गयी है।
- विभागीय निष्प्रोज्य वाहनों, सामग्रियों, उपकरणों इत्यादि को एम0एस0टी0सी0 (MSTC) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नीलामी की व्यवस्था लागू की गयी है।

10.1.4 सेवा का अधिकार के अन्तर्गत 56 सेवाओं को अधिसूचित किया जानाः–

- परिवहन विभाग द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक केवल 04 सेवाएं अधिसूचित थी। उक्त सेवाओं की संख्या में वृद्धि करते हुए वाहनों के पंजीयन एवं लाईसेन्स से सम्बन्धित 56 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है।

10.1.5 उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008ः–

- सार्वजनिक सेवायानों से होने वाली दुर्घटनाओं में यात्री या अन्य व्यक्ति की मृत्यु होने पर या दो अंगो की पूर्ण हानि होने पर या दोनों नेत्रो की दृष्टि की पूर्ण हानि होने पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता को दोगुना करते हुए मृतक आश्रित को ₹ 2,00,000.00 की राहत राशि दिये जाने का प्राविधान किया गया है।
- उक्त निधि से वित्तीय वर्ष 2025–26 के माह दिसम्बर 2025 तक ₹ 2,69,40,373.00 की धनराशि जिलाधिकारियों को आंवटित की गयी है।

10.1.6 विभागांतर्गत गतिमान एवं प्रस्तावित योजनाओं का विवरणः–

(i) ऑटोमेटिड फिटनेस टेस्टिंग लेन की स्थापनाः–

- राज्य के मैदानी जनपदों में 08 निजी क्षेत्र के माध्यम से टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किये जा रहे है जिनमें से 07 स्थलों (देहरादून, रूद्रपुर, हल्द्वानी, विकासनगर, रूड़की, टनकपुर तथा हरिद्वार) में संचालित एवं 01 स्थल (काशीपुर) में

कार्यवाही गतिमान है।

- राज्य के 04 पर्वतीय जनपदों में कार्यालयान्तर्गत (पिथौरागढ़, अल्मोड़ा तथा उत्तरकाशी एंव पौड़ी) में टेस्टिंग स्टेशन की स्थापना का निर्माण कार्य गतिमान है।

(ii)**ऑटोमेटिड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक की स्थापनाः–**

- 08 स्थानों (अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रूड़की, रामनगर, हल्द्वानी, कर्णप्रयाग, एवं पौड़ी) में ट्रैक निर्माण का कार्य गतिमान है।

- 01 स्थान बागेश्वर में डी0पी0आर0 प्रतीक्षित, 06 स्थानों (रानीखेत, टिहरी, रूद्रप्रयाग, विकासनगर, रूद्रपुर एवं टनकपुर) में भूमि चयन/हस्तान्तरण की कार्यवाही गतिमान है।

(iii) **चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क की स्थापनाः–**

- स्कूली बच्चों को बचपन से ही मनोरंजन के साथ–साथ शिक्षा के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु प्रत्येक जनपद में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

- देहरादून एवं हरिद्वार में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क की स्थापना का कार्य गतिमान है।

(iv)**वाहनों की रीयल टाईम मॉनिटरिंग हेतु वाहनों में वी0एल0टी0 डिवाईस एवं आपातकालीन अलर्ट सिस्टम की स्थापना–**

- उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है, जिसके द्वारा एनआईसी के सहयोग से भारत सरकार के मानकों के अनुरूप बैकएण्ड साफटवेयर बनाया गया है।

- दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक 1,07,859 वाहनों में वीएलटी डिवाईस संस्थापित की जा चुकी है।

- उक्त युक्ति से सार्वजनिक सेवायानों के संचालन के समय उनकी यथास्थिति का तत्काल पता लग सकता है।

- वी0एल0टी0 Vehicle location Tracking कन्ट्रोल रूम परिवहन मुख्यालय, देहरादून में स्थापित किया गया है।

- संभाग स्तर पर वाहनों की मॉनिटरिंग को सशक्त किये जाने के लिए संभागीय परिवहन कार्यालय हल्द्वानी, अल्मोड़ा एवं पौड़ी में वी0एल0टी0 कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

(v) **ए0एन0पी0आर0** Automatic Number Plate Recognition **कैमरों की स्थापनाः–**

- राज्य की सीमा पर परिवहन विभाग की चैक पोस्टों को समाप्त करते हुए ए0एन0पी0आर0 कैमरों की स्थापना की जा रही है। उक्त कैमरों के माध्यम से इलैक्ट्रानिक इनफोर्समेन्ट की कार्यवाही गतिमान है।

- प्रथम चरण में 10 स्थानों पर कैमरों की स्थापना की गई है।

- द्वितीय चरण में 07 स्थानों पर उक्त कैमरों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त प्रथम चरण की 04 लोकेशन को भी अपग्रेड किया गया है।

- तृतीय चरण में 20 नए स्थानों पर कैमरों की स्थापना की कार्यवाही गतिमान है।

(vi) **अर्बन मोबिलिटी प्लान–**

- उत्तराखण्ड राज्य में नगरीय यातायात को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रत्येक नगर में अर्बन मोबिलिटी प्लान को लागू किया जाना प्रस्तावित है।

- इस योजना के अंतर्गत देहरादून नगर में संचालित 250 सिटी बसों/विक्रम वाहनों को बी.एस0–06 सीरिज/सी0एन0जी0/इलैक्ट्रिक वाहनों से प्रतिस्थापित किया जाना है। जिस हेतु पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

10.1.9 सड़क सुरक्षा जागरूकता के दृष्टिगत गतिमान कार्यवाही का विवरणः–

(I) **उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा नीति प्रख्यापितः–**

- अधिसूचना दिनांक 02–02–2025 के द्वारा उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा नीति प्रख्यापित की गई है, उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर सभी हितधारक विभागों के साथ समन्वय रखते हुए कार्यवाही की जा रही है।

- भारत सरकार की दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार योजना शुरू कर दी गई है। इस हेतु राज्य सड़क सुरक्षा परिषद को नोडल विभाग बनाया गया है। अतः उक्त योजना का अनुश्रवण भी किया जा रहा है।

(ii) **सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत ''राहगीर'' योजना का प्रारम्भ–**

- सड़क दुर्घटनाओं में गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों/पीड़ितों को गोल्डन ऑवर के भीतर अस्पताल, ट्रामा केयर सेन्टर में पहुॅचाने में सहयोग प्रदान करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत किये जाने हेतु ''राहवीर'' योजना शुरू की गई है।

(iii) **सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत कृत कार्यवाही–**

- सड़क दुर्घटनाओं में गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों/पीड़ितों को गोल्डन ऑवर के भीतर अस्पताल, ट्रामा केयर सेन्टर में पहुॅचाने में सहयोग प्रदान करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत किये जाने हेतु ''राहवीर'' योजना शुरू की गई है।

- शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित कूड़ा उठान वाहनों के माध्यम से सड़क सुरक्षा का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

- प्रवर्तन दलों को अत्याधुनिक उपकरण– इंटरसेप्टर, एल्कोमीटर, स्पीड रडारगन, डेसीबल मीटर, बॉडी वार्न कैमरें उपलब्ध कराये गये है।

- चारधाम यात्रा मार्गों पर 30 दिवस तक अमर उजाला के साथ प्रचार वाहन का संचालन करते हुए सड़क सुरक्षा का प्रचार–प्रसार किया गया।

- ओहो रेडियों पर पर 45 दिवस का जागरूकता संदेश प्रसारित किया गया।

- रेड एफएम पर 30 दिवस का जागरूकता संदेश प्रसारित किया गया।

(iv)**ओवरस्पीडिंग पर नियन्त्रण हेतु वाहनों में गति नियन्त्रक उपकरण की स्थापना–**

- ओवरस्पीडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने हेतु व्यावसायिक वाहनों में गति नियन्त्रक (Speed Limiting Device) उपकरण की अनिवार्यता की गई है।

- दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक 1,41,600 वाहनों में गति नियन्त्रक उपकरण संयोजित किए जा चुके हैं।

- परिवहन उपनिरीक्षक स्तर पर 30 प्रवर्तन दलों (बाईक स्क्वॉड) का गठन।

- 25 बॉडीवार्न कैमरों के माध्यम से प्रवर्तन दलों का सुदृढ़ीकरण।

- 08 इन्टरसेप्टर वाहनों का क्रय।

- 13 स्पीडर डार गन का क्रय।

(v) **आई–रैड/ई–डारपरियोजना का शुभारम्भ–**

- राज्य में आई–रेड/ई–डार पोर्टल पर दुर्घटनाओं के आंकड़ों का संकलन दिनांक 01–01–2025 से अनिवार्य कर दिया गया है। उक्त पोर्टल पर सभी दुर्घटनाओं का डाटा रखा जा रहा है, जिसमें पुलिस विभाग के अतिरिक्त परिवहन, लोक निर्माण विभाग एवं चिकित्सा विभाग द्वारा प्रविष्टि किए जाने की व्यवस्था है।

ANPR	Automatic Number Plate Recognition
IDTR	Institute of Driving Training & Research
HAMS	Harnessing Automobile Safety
VLT	Vehicle Location Tracking
I-RAD	Integrated Road Accident Database
SLD	Speed Limiting Device

10.2 उत्तराखण्ड परिवहन निगमः–

उत्तराखण्ड में सड़क यातायात में उत्तराखण्ड परिवहन निगम की अहम भूमिका है। यह लोगों को राज्य में तथा राज्य के बाहर अन्य समीपवर्ती राज्यों में यातायात की सुविधायें प्रदान करता है। देहरादून, नैनीताल तथा टनकपुर में निगम के तीन क्षेत्रीय कार्यालय तथा 20 डिपो कार्यरत हैं। परिवहन निगम के कुल 574 मार्ग हैं जिनमें से 301 मार्गों पर बसें संचालित हो रही हैं जिन मार्गों पर निगम 1125 सेवायें प्रदान कर रहा है जिनमें से 303 बस सेवाऐं पर्वतीय एवं मिश्रित मार्गों पर एवं 822 बस सेवाऐं मैदानी मार्गों पर संचालित हो रही हैं। वर्ष 2024–25 में निगम की 1355 बसों द्वारा कुल 1626.30 लाख संचालित किमी0 के द्वारा 422.20 लाख यात्रियों द्वारा यात्रायें की गयी। 2003–04 में परिवहन निगम की 1024 साधारण बसों तथा 40 सेमी डीलक्स बसों में 347.85 लाख सवारियों द्वारा यात्रा की गई वहीं चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2025 तक निगम द्वारा संचालित 1389 यात्री बसों में 1228.81 लाख किमी0 की संचालन से 316.74 लाख यात्रियों ने यात्रायें की। माह दिसम्बर 2025 में निगम के बस बेड़े में कुल 1383 बसें है, जिनमें 198 सी0एन0जी0 बसों सहित 1121 साधारण बसें, 6 ए0सी0 जनरथ बसें, 20 टैम्पो ट्रेवलर्स एवं 38 वोल्वो बसें शामिल हैं। बसों में कुल 1667 चालक एवं 2632 परिचालक हैं।

10.2.1:– वित्तीय वर्ष 2025–26 (माह दिसम्बर तक) में परिवहन निगम की बसों की बस उपयोगिता 322, लोड फैक्टर 57% तथा प्रतिबस प्रतिदिन आय ₹ 14003 रही

10.2.2:– वर्ष 2020–21 में परिवहन निगम का कुल व्यय तथा प्राप्तियां क्रमशः 409.70 करोड़ तथा 269.97 करोड़ थी, जो वर्ष 2024–25 में क्रमशः 699.25 करोड़ तथा 653.16 करोड़ हो गयी है।

चार्ट 10.2

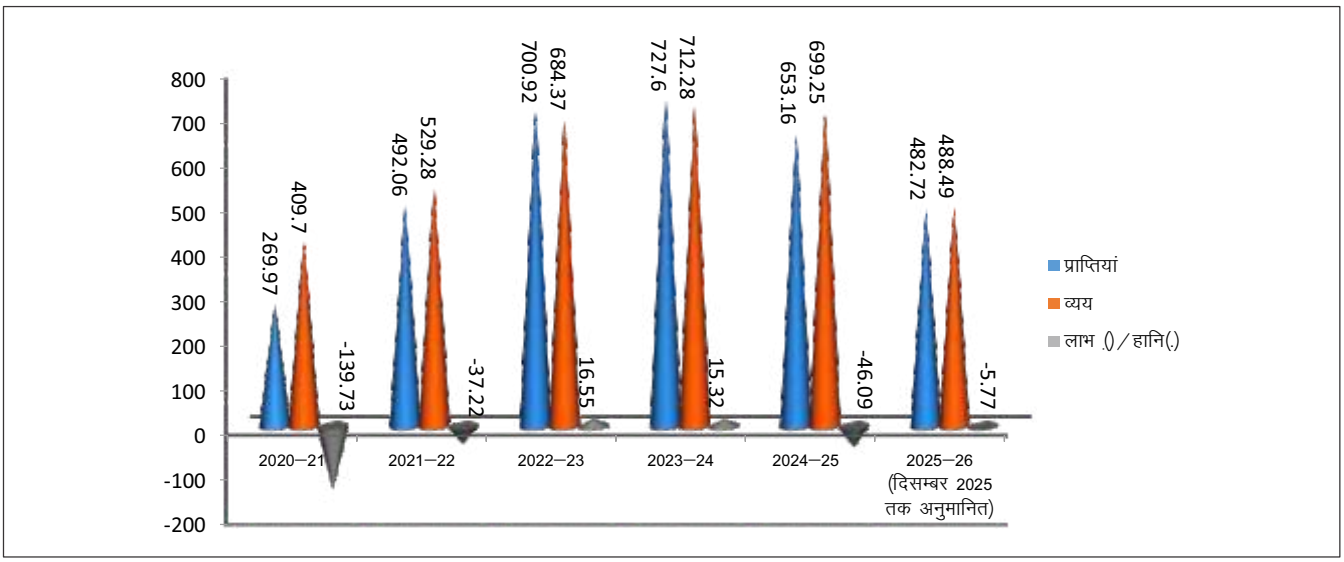

स्रोत– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

10.2.3– राज्य परिवहन निगम द्वारा अर्न्तराज्यीय मार्गों पर बसों के सुगम संचालन हेतु पड़ोसी राज्यों से परिवहन सम्बन्धित करार किये जा रहे है। हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तथा पूर्ववर्ती राज्य उत्तरप्रदेश से पारस्परिक परिवहन करार हो चुका है तथा हरियाणा, चण्डीगढ, जम्मू कश्मीर, तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से परिवहन सम्बन्धित करार गतिशील है। पड़ोसी देश नेपाल के महेन्द्रनगर से देहरादून एवं दिल्ली और नेपालगंज से हरिद्वार तक बस संचालन चल रहा है।

10.2.4 – परिवहन निगम द्वारा संचालित योजनाएं:–परिवहन निगम विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों हेतु निम्न योजनायें संचालित करता है:–

I) **मासिक पास योजना**:– परिवहन निगम की बसों में दैनिक यात्रा करने वाले यात्रियों हेतु माह में 30 ट्रिप यात्राओं मासिक पास योजना वर्ष 2011 से लागू है। जारी किये गये पास की वैधता 30 दिन है। चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2025 तक 17134 पास जारी किये गये है।

ii) **छात्राओं हेतु निःशुल्क यात्रा**:– परिवहन निगम की बसों में छात्राओं को अपने घर से विद्यालय तक आवागमन हेतु निशुःल्क यात्रा की सुविधा 2013 में प्रारम्भ की गई। चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2025 तक 572274 छात्राओं को निःशुल्क सुविधा प्राप्त हुई।

iii) **रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को निःशुल्क यात्रा**:– महिलाओं को रक्षा बन्धन के अवसर पर निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा 2008 में प्रारम्भ की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में अगस्त 2025 में 54400 महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्राप्त हुई।

iv) **दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा**:– निगम द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के व्यक्तियों को निगम की साधारण बसों में प्रदेश के भीतर निःशुल्क यात्रा सुविधा वर्ष 2003 से संचालित है। चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2025 तक 202356 विकलांग यात्रियों को निःशुल्क सुविधा प्राप्त हुई।

v) **वरिष्ठ नागरिकों हेतु निःशुल्क यात्रा सुविधा**:– निगम की साधारण बसों में प्रदेश के भीतर वरिष्ठ नागरिकों को प्रदेश के भीतर निःशुल्क यात्रा की सुविधा वर्ष 2015 में प्रारम्भ की गई। चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2025 तक 2037244 यात्रियों को सुविधा प्राप्त हुई।

vi) **स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा दिवगंत हुये स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की विधवाओं**

एवं उनके प्रथम पीढ़ी के उत्तराधिकरियों को परिवहन निगम की साधारण बसों मे निःशुल्क यात्रा सुविधाः— चालू वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर 2025 तक 17660 यात्रियों को लाभान्वित किया गया।

vii) **उत्तराखण्ड राज्य के आंदोलनकारियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधाः**— चालू वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर 2025 तक 78239 यात्रियों को लाभान्वित किया गया।

viii) **मान्यता प्राप्त पत्रकारों को निःशुल्क यात्राः**— चालू वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर 2025 तक 11921 यात्रियों को लाभान्वित किया गया।

10.2.5— यू0टी0सी0एफ0एम0एस0 (Uttarakhand Transport Coorporation Fleet Management System)

यू0टी0सी0एफ0एम0एस0 द्वारा निगम स्तर पर दैनिक रूप से होने वाले कार्य जिसमें चालक/परिचालक की Duty Attendance/ Duty Slip Generation परिचालक द्वारा ई0बी0टी0एम0 से टिकट निर्गत सम्बन्धित कार्य व कैश जमा एवं कैशियर द्वारा कैश जमा आदि समस्त कार्य उक्त Software के माध्यम से किये जाते है, जोकि निम्नवत 08 Module द्वारा सम्पादित होते है।

I) रूट शैड्यूल मैनेजमैन्टः— इस मॉडयूल के माध्यम से निगम के समस्त मार्गो की रूटमैपिंग मार्ग का निर्धारण, मार्गों के किराये पर निर्धारण एवं मार्ग पर संचालित होने वाले वाहनों/चालक एवं परिचालकों का कार्य आबंटन किया जाता है एवं संचालन से सम्बन्धित समस्त कार्य जैसे ड्यूटी आबंटन करना, ड्यूटी स्लिप निर्गत करना आदि कार्य ऑनलाइन सम्पादित किये जाते हैं तथा परिचालकों को मार्ग पर वाहन के परिचालन हेतु ई0बी0टी0एम0/टिकट मशीन निर्गत करने एवं मार्ग से वापस आकर जमा कराने का कार्य एवं कैशियर द्वारा धन जमा कराने की कार्यवाही इसी मॉडयूल के माध्यम से ऑनलाइन सम्पादित की जाती है जिससे कार्य करने में एकरूपता /सुगमता एवं पारदर्शिता रहती है।

ii) **डीजल मैनेजमैन्टः**— इस मॉडयूल के माध्यम से वाहनों को ऑनलाइन डीजल निर्गत करना डिपो स्थित पम्प पर डीजल प्राप्त करना एवं डीजल खपत के समस्त आंकड़े एवं किये गये अर्जित डीजल औसत के आंकड़े प्राप्त किये जाते हैं। डीजल सम्बन्धित कार्य ऑनलाइन होने से अधिक डीजल खपत पर प्रभावी नियंत्रण / पारदर्शिता रहती है।

iii) **मैटिरियल मैनेजमैन्टः**— इस मॉडयूल के माध्यम से वाहनों के कलपुर्जों का क्रय ,रखरखाव एवं कलपुर्जों के मूल्य का मूल्यांकन खपत एवं ह्रास का निर्धारण आदि का विकल्प उपलब्ध है।

iv) **मैन्टीनेन्स मैनेजमेन्टः**— इस मॉडयूल के द्वारा वाहनों की सामान्य जाँच/जी0सी0 एवं वाहनों का तय मैन्टीनेन्स किये जाने का कार्य किया जाता है। वाहनों के मार्ग से वापस आने पर उक्त जाँच ऑनलाइन किये जाने के उपरान्त ही वाहन आगामी दिवस पर मार्ग पर जाने हेतु उपलब्ध होती है।

v) **टायर मैनेजमैन्टः**— इस मॉडयूल के माध्यम से निगम वाहनों के टायरों से सम्बन्धित समस्त डाटा एवं फिट टायरों की पोजिशन,नये एवं रिट्रिटेड टायरों की देखरेख एवं टायर जीवनकाल एवं खपत का विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होता है।

vi) **एफ0ए0 (Financial Account) मैनेजमैन्टः**— इस मॉडयूल के माध्यम से परिवहन निगम में प्रति किलोमीटर भुगतान आधारित अनुबन्धित वाहनों के भुगतान बिल कार्मिकों के वेतन बिल बनाने का कार्य एवं वित्त अनुभाग के लेखा सम्बन्धी आंकड़ो तथा लेखा पुस्तकों का रख—रखाव /समीक्षा की जाती है।

vii) **परिवारिक पासः**— इस मॉडयूल के माध्यम से परिवहन निगम द्वारा निगम कार्मिकों को अनुमन्य समस्त श्रेणी के पास ऑनलाइन बनाने का कार्य किया जाता है।

viii) **एम0आई0एस0** (Management Infermation System) **ऐन्ट्रीः**— निगम के मार्गो पर संचालित वाहनों के संचालन से सम्बन्धित समस्त आंकड़े/अर्जित प्रतिफलों की दैनिक प्रविष्टी किये जाने का कार्य किया जाता है तथा प्राप्त आंकड़ो/प्रतिफलों की समीक्षा का महत्वपूर्ण कार्य इस मॉडयूल क माध्यम से किया जाता है।

10.2.6 :— Fleet Management वर्जन—4

i) आनलॉईन बुकिंगः—

उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा वर्ष—2014 में यात्रियों की सुविधा हेतु NIC द्वारा आनलॉईन बुकिंग सेवा शुरू की गई है, जिसका उपयोग कर यात्री एडवांस में यात्रा हेतु टिकट बुक कर सकता है। आनलॉईन बुकिंग हेतु यात्री Guest User एवं Register User के माध्यम से Login कर अपना टिकट बुक कर सकता है।

आनलॉईन बुक किये गये टिकट को आवश्यकतानुसार आई0टी0 सैल द्वारा चैक किया जाता है एवं उचित कार्यवाही सम्पादित की जाती है। उदाहरणार्थ अगर किसी यात्री द्वारा टिकट बुक करते समय पैसा कट जाता है एवं उसका टिकट भी बुक नहीं हो पाता है तो एसी स्थिति में आई0टी0 सैल द्वारा उक्त यात्री की Booking History को चैक कर उचित कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

- आनलॉईन समय सारणी Maintain & Update किया जाना।
- समय—समय पर यात्री किराये में अपडेट किया जाना।
- आनलॉईन बुक किये गये वाहनों का ट्रिप चार्ट Maintain & Update किया जाना।
- कार्मिको का Registration, Updation & Verification किया जाना प्रस्तावित है।
- PGMIS (Payment Gatway Management Information System/ Cancellation Scroll एवं Refund/ Cancellation सम्बन्धित कार्यो का सम्पादन किया जाना।
- Notice/Tender/Contract सम्बन्धित कार्यो का सम्पादन किया जाना।

ii) काउन्टर बुकिंग

- उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु देहरादून आई0एस0बी0टी0, मसूरी बस स्टैण्ड, मसूरी, दिल्ली आई0एस0बी0टी, नैनीताल एवं बनबसा में बुकिंग काउन्टर बनाये गये है। उक्त बुकिंग काउन्टर द्वारा यात्री असानी से अपना टिकट बुक करवा सकता है।

iii) एजेण्ट बुकिंग

- उत्तराखण्ड परिहवन निगम द्वारा चण्डीगढ, जयपुर, बनबसा, उत्तरकाशी, रूपेडिया, सहारनपुर एवं लखनऊ में एजेण्टों को अधिकृत किया गया है, जोकि यात्रियों की उपलब्धतानुसार अपने Booking Account को रिर्चाज कर यात्रियों को उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बस सेवाओं के टिकट उपलब्ध कराये जाते है।

iv) विशिष्ट श्रेणी यात्रा पास एवं एम0 एस0टी0

- उत्तराखण्ड शासन द्वारा परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा करने हेतु अधिकृत श्रेणी के यात्रा कार्ड आई0टी0 सैल द्वारा निर्गत किये जाते है। अधिकृत यात्री द्वारा विशिष्ट श्रेणी यात्रा पास/ एम0एस0टी0 आदि हेतु आनलॉईन आवेदन किया जाता, जिसके आई0टी0 सैल द्वारा परिक्षण कर परिक्षण उपरान्त सही पाये गये आवेदनों को प्रिन्ट कर सम्बन्धित यात्री अपना यात्रा पास/ एम0एस0टी0 Download कर Print एवं Mobile में सुरक्षित रख कर यात्रा कर सकते है।

v) ई0बी0टी0एम0 (Electrical Battery Thermal Management) एवं क्यू0आर0 (Quick Response)कोड

- उत्तराखण्ड परिहवन निगम द्वारा नविनतम Android युक्त ई0बी0टी0एम0 का प्रयोग किया जा रहा है। उत्तराखण्ड परिवहन निगम की समस्त सेवाओं में Android युक्त ई–टिकटिंग मशीनों के माध्यम से यू0पी0आई0 (UPI) के द्वारा यात्रा के समय QR कोड को स्कैन कर किराये की धनराशि का भुगतान आॅनलाईन करने की सुविधा प्रारम्भ की गई है, जिसके माध्यम से यात्री आसानी से कैशलेस किराये का भुगतान कर टिकट प्राप्त करके यात्रा कर सकते है।

vi) फास्ट टेग

फास्ट टैग के माध्यम से निगम के विभिन्न मार्गो पर संचालित निगम वाहनों का टोल की मद में भुगतान Paytm एवं IDFC First Bank द्वारा उपलब्ध कराये गये फास्ट टैग से होता है। आई0टी0 सैल द्वारा टोल के मद में हुए भुगतान की रिर्पोट, एम0आई0एस0 सम्बन्धित कार्य सम्पादित किये जाते है। अन्य निम्नवत कार्य भी आई0टी0 सैल द्वारा सम्पादित किये जाते है।

- फास्ट टैग के स्टीकर सम्बन्धित कार्य।
- टोल के मद में हुए गलत/दोहरे भुगतान की Monitoring एवं गलत/दोहरे भुगतान सम्बन्धित रिफण्ड की कार्यवाही मुख्यालय स्तर से अमल में लायी जाती है। साथ ही पेटीएम वॉलेट को मुख्यालय स्तर से Maintain किया जाता है।

10.2.7 आई0टी0 सैल में प्रस्तावित कार्यों का विवरण :–

I) जी0पी0एस0 (Global Positioning System)

उक्त सुविधा के अन्तर्गत निगम के वाहनों में जी0पी0एस0 युक्त उपकरण लगाये जायेगें, जिनके द्वारा निगम के वाहनों की Live Location को Track किया जा साकेगा एवं निगम के वाहनों को अनाधिकृत मार्गो पर संचालित होने से रोका जा सकेगा।

ii) इन्वैन्ट्री मैनेजमेंन्ट

उत्तराखण्ड परिवहन निगम के कार्याशालों मे उपलब्ध भण्डारो को Computerized किये जाने हेतु NIC, देहरादून के सहयोग से Inventory Management System Software Develop किया जा रहा है, जिसके माध्यम से भण्डारो के समस्त कार्य Online Portal से सम्पादित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये मण्डल स्तर पर उक्त Software की Testing हेतु Team का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही उक्त Software Testing उपरान्त निगम को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

अध्याय–11
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन
Tourism and Civil Aviation

राज्य में पर्यटन मुख्य ग्रोथ ड्राइवर है। राज्य की आर्थिकी में पर्यटन का योगदान लगभग 9 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से यह योगदान 15 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है। राज्य गठन के समय पर्याप्त अवस्थापना सुविधायें न होने के कारण पर्यटकों की संख्या अत्यन्त कम थी। परन्तु आज जहां एक ओर सर्व ऋतु सड़क, चारधाम सड़क , पर्वतमाला मिशन, राष्ट्रीय तथा राज्य हाइवे के बढ़ने से लाखों की संख्या में पर्यटकों का आवागमन हो रहा है वहीं दूसरी ओर होम–स्टे जैसी योजना के माध्यम से ग्रामीण व छोटे–छोटे पर्यटक स्थलों में भी स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन को वैश्विक मानचित्र पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत **High end Tourism** को बढ़ावा देने के साथ–साथ **साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहित** किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत पिथौरागढ़, चम्पावत, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी के विभिन्न स्थलों तथा ऋषिकेश आदि में **पैराग्लाईडिंग, रिवर राफ्टिंग, जायरो प्लेन, एयरो स्पोर्टस, माउण्टेनिंग, माउण्टेन बाईकिंग को प्रोत्साहित** किया जा रहा है। राज्य के प्रमुख तीर्थ पयर्टक स्थल हरिद्वार तथा ऋषिकेश में **हरिद्वार–ऋषिकेश गंगा कॉरीडोर** तैयार किया जा रहा है, जबकि **न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन** के रूप में जनपद चम्पावत स्थित **शारदा नदी– पूर्णागिरी–श्यामलाताल–रीठासाहिब** क्षेत्र हेतु **शारदा कॉरीडोर** विकसित किया जा रहा है। उत्तराखण्ड राज्य में वेडिंग डेस्टिनेशन तथा **आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र** बनाने पर बल दिया था। राज्य में विभिन्न स्थलों पर वेडिंग डेस्टिनेशन चिन्हित किये गये हैं तथा उन पर कार्य किया जा रहा है, जबकि **आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र** के अन्तर्गत प्रथम चरण में टिहरी तथा चम्पावत में स्थल चिन्हित किये गये हैं।

पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ–साथ स्थानीय समुदाय को समानुपाती पर्यटन लाभ प्रदान किये जाने व पर्यटन गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी बढानें, आजीविका तथा रोजगार सृजन के लाभ का संतुलित वितरण किये जाने तथा वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने की परिकल्पना की गई है।

प्रदेश की भौगोलिक एवं आर्थिक परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड़ सरकार द्वारा उत्तराखण्ड़ के मूल/स्थायी निवासियों के स्वरोजगार व उद्यमिता को बढ़ावा दिए जाने हेतु छोटे स्तर पर होम स्टे विकास योजना एवं वीर चन्द्रसिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का सफल संचालन किया जा रहा है, जिसमें अधिकतम 33 प्रतिशत अथवा ₹ 33 लाख की वित्तीय अनुदान का प्राविधान किया गया है, जिसमें ₹ 01 करोड़ तक की परियोजनाओं पर वित्तीय अनुदान ही प्राप्त किया जा सकता है।

प्रदेश के स्थायी उद्यमियों हेतु चिन्हित पर्यटन गतिविधियों/क्रियाकलापों में ₹ 01 करोड़ से ₹ 05 करोड़ तक के निवेश को बढावा दिए जाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है। इस क्षेत्र के समावेशी विकास को केन्द्रित तरीके से बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर सृजित करने एवं अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के दृष्टिगत वर्तमान परिदृश्य और अनुमानित भविष्य के अनुरूप, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा **उत्तराखण्ड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना–2024** प्रख्यापित की गयी है।

उद्देश्यः–

- स्थानीय निवासियों हेतु लघु पर्यटन इकाईयों की स्थापना और विकास को प्रोत्साहित करना तथा राज्य की पर्यटन अर्थव्यवस्था में उनके विकास और योगदान को बढ़ावा देना।
- वित्तीय प्रोत्साहन और सहायता प्रदान कर स्थानीय निवेशकों के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना तथा क्षेत्र में समावेशी विकास और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ ही अनुकूल व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा और उद्यमिता को प्रोत्साहित कर पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय निवेश को प्रोत्साहित करना।
- ₹ 01 करोड़ से ₹ 05 करोड़ लागत के अन्तर्गत चिन्हित पर्यटन गतिविधियों/क्रियाकलापों में उच्च गुणवत्ता और स्तरीय बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देना।
- राज्य में छोटे व मंझोलें पर्यटन व्यवसायियों को पर्यटन के क्षेत्र में अनुदान/वित्तीय प्रोत्साहन का अधिकतम लाभ प्रदान कर नये निवेश हेतु प्रेरित कर देश विदेश के निवेशकों के अनुकूल वातावरण प्रदान करना।
- संसाधनों और सहायता के केंद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित कर समावेशी पर्यटन विकास के माध्यम से उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों तक विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे में वृद्धि से लाभ सुनिश्चित करना।
- यह योजना उत्तराखंड पर्यटन नीति–2023 के उद्देश्यों के साथ संरेखित है, जो राज्य के समग्र आर्थिक विकास और कल्याण में योगदान देने वाली पर्यटन संबंधी पहलों को बढ़ावा देने और समर्थन करने का प्रयास करती है।

पात्रता

- योजना उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों/उद्यमियों के लिए है।
- निवेश की सीमा ₹ 1 करोड़ से ₹ 5 करोड़ के बीच होनी चाहिए।
- चिन्हित पर्यटन गतिविधियों या परियोजनाओं में निवेश करने वाले उद्यमी ही पात्र होंगे।
- इकाई की स्थापना के लिए पूर्ण स्वामित्व/पट्टे की भूमि आवश्यक है।

क्षेत्रीय वर्गीकरण/श्रैणीकरण

श्रेणी–ए (A)	श्रेणी–बी (B)	श्रेणी–सी (C)
• हरिद्वार, नैनीताल तथा ऊधमसिंह नगर जिलों का सम्पूर्ण क्षेत्र • देहरादून जिले के ऐसे क्षेत्र जो श्रेणी 'बी' में सम्मिलित नहीं है • अल्मोड़ा जिले की रानीखेत तथा अल्मोड़ा तहसील	• अल्मोड़ा जिले का शेष क्षेत्र (जो श्रेणी 'ए' में सम्मिलित नहीं है) • देहरादून जिले की कालसी, चकराता तथा त्यूनी तहसील • बागेश्वर जिले की गरूड़ तहसील • पौड़ी गढ़वाल जिले की कोटद्वार, लेंसडाउन, यमकेश्वर तथा धूमाकोट तहसील • टिहरी गढ़वाल जिले की धनोल्टी तथा नरेन्द्रनगर तहसील	• उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग तथा पिथौरागढ़ जिलों का सम्पूर्ण क्षेत्र • बागेश्वर, पौडी गढवाल तथा टिहरी गढ़वाल जिलों का शेष क्षेत्र (जो श्रेणी 'बी' में सम्मिलित नहीं है)

- **वित्तीय प्रोत्साहन का विस्तृत विवरण**

☑ **स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति**

☑ नई इकाइयों की स्थापना पर **100%**स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति।

- **पूंजीगत प्रोत्साहन/अनुदान**

☑ ₹ 1 करोड़ के निवेश पर न्यूनतम ₹ 33 लाख अनुदान।

☑ ₹ 1 करोड़ से ऊपर अतिरिक्त निवेश परः–

- **श्रेणी ए में 15%** अतिरिक्त अनुदान (कुल अधिकतम ₹ 80 लाख)
- **श्रेणी बी में 25%** अतिरिक्त अनुदान (कुल अधिकतम ₹ 1.20 करोड़)
- **श्रेणी सी में 30%** अतिरिक्त अनुदान (कुल अधिकतम ₹ 1.50 करोड़)

- **ब्याज सहायता**

☑ 3 वर्षों तक सावधि ऋण पर ब्याज सहायताः–

- **श्रेणी ए–3%(अधिकतम ₹ 4 लाख प्रति वर्ष)**
- **श्रेणी बी–3%(अधिकतम ₹ 5 लाख प्रति वर्ष)**
- **श्रेणी सी–3%(अधिकतम ₹ 6 लाख प्रति वर्ष)**

मानसखण्ड मंदिर माला मिशन

मानसखण्ड का उल्लेख स्कन्दपुराण में वर्तमान **कुमाऊँ क्षेत्र** से है।प्राचीन साहित्य (पुराणों) में भौगोलिक दृष्टि से हिमालय को पाँच खण्डों में विभाजित किया गया है– नेपाल खंड, मानसखण्ड (कूर्मांचल/कुमाऊँ), केदारखण्ड (गढवाल), जालंधर खंड (हिमाचल), एवं कश्मीर खंड। प्राचीन मानसखण्ड साहित्य के अनुसार मानसखण्ड का विस्तार पर्वतीय सीमा ''नंद पर्वत''(नंदा देवी गिरि पिण्ड का पूर्वी शिखर नंदाकोट) से आरंभ होकर काकगिरि (पश्चिमी नेपाल का एक पर्वत) तक है। इस क्षेत्र में अनेक प्राचीन मंदिर एवं गुफाएं अवस्थित है। राज्य सरकार गढवाल मण्डल में होने वाली चारधाम यात्रा की भांति मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के रूप में कुमाऊँ क्षेत्र के पौराणिक मंदिरो का चिन्हिकरण करते हुये इनमें आवश्यकतानुसार अवस्थापना सुविधाएं विकसित करना चाहती है। इससे देशी विदेशी पर्यटको को क्षेत्र की समृद्ध पौराणिक एवं सांस्कृतिक विरासत से परिचित भी कराया जा सकेगा।

कुमाऊँ क्षेत्र के ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व के मंदिरों के लिये **''मानसखण्ड मंदिर माला मिशन योजना''** प्रारम्भ की गई है। इस मिशन के तहत कुल 47 मंदिर चिन्हित किये गये हैं। जिसके सापेक्ष पहले चरण में 16 प्रमुख मंदिरों को शामिल किया गया है, प्रथम चरण में चयनित 16 मंदिरों में से अब तक 11 मंदिरों में अवस्थापना सुविधाऐं विकसित किये जाने हेतु ₹ 147.47 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किस्त ₹ 64.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृत जारी की गयी है। लोक निर्माण विभाग के स्तर पर द्वितीय चरण में 14 मंदिर एवं तृतीय चरण में 17 प्रमुख मंदिरों में अवस्थापना निर्माण कार्य हेतु कन्सलटैन्ट के माध्यम से डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही गतिमान है।

मानसखण्ड मंदिरों का देशभर में प्रचार–प्रसार किये जाने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा IRCTC के साथ मिलकर **''भारत गौरव मानसखण्ड एक्सप्रेस''** ट्रेन का संचालन पुणे, बैंगलोर, मुम्बई, चेन्नई, से करवाया गया जिसमें कुल 1381 यात्रियों/श्रद्धालुओं द्वारा मानसखण्ड मंदिरों सहित ही कुमाऊँ क्षेत्र के अन्य दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करवाया गया। आगे भी इस ट्रेन का संचालन देश के अन्य बडे शहरों से किया जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

चारधाम यात्रा–2025

➢ चारधाम यात्रा के अन्तर्गत बद्रीनाथ में 16.60 लाख, केदारनाथ में 17.68 लाख, गंगोत्री में 7.58 लाख, यमुनोत्री में 6.44 लाख एवं हेमकुण्ड साहिब में 2.74 लाख कुल **51.06 लाख** श्रद्धालुओं/यात्रियों द्वारा वर्ष 2025 में चारधाम तथा श्री हेमकुण्ड साहिब के दर्शन किये गये है।

तालिका 11.1

शीतकालीन चारधाम यात्रा		
वर्ष	**2024**	**2025–2026 (दिनांक 0 5 जनवरी 2026 तक)**
मां यमुना मंदिर, खरसाली	2939	948
मां गंगा मंदिर, मुखबा	10328	2829
नरसिंह मंदिर, जोशीमठ	30764	5327
ओंकारेश्वर मंदिर, उखीमठ	29320	14386
योग–	**73351**	**23490**

स्रोतः पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड

डेस्टीनेशन बेस्ड प्लानिंग

- जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत श्री जागेश्वर धाम का मास्टर प्लान तैयार किया गया, मास्टर प्लान में प्रस्तावित ₹ पचपन करोड सतावन लाख इकावन्बें हजार (₹ 5557.91 लाख़) के कार्यो के सापेक्ष ₹ तीस करोड़ चौदह लाख छियत्तर हजार चार सौ (₹ 3014.764 लाख़) की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है।

- ठूलीगाड से पूर्णागिरी तथा जानकीचट्टी (खरसाली) से यमुनोत्री मंदिर तक रोप–वे परियोजना पी0पी0पी0 मोड में विकसित किया जा रहा है।

- जडुंग तिब्बत सीमा पर स्थित अतिम गाँव है, जो नेलोगं घाटी का एक हिस्सा है। उत्तरकाशी जिले के समग्र स्वरूप के अनुरूप, जडुंग भी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता से परिपूर्ण है। गाँव के समीप आई0टी0बी0पी0 की टुकड़ी तैनात है। ऐतिहासिक रूप से, जादुंग गाँव में भोटिया जनजाति के लोग निवास करते थे, लेकिन 1962 के भारत–चीन युद्ध के बाद सुरक्षा कारणों से इन लोगों को निचले इलाकों जैसे धराली, मुखवा, भटवारी, हर्षिल आदि स्थानों पर पुनर्वासित किया गया। पर्यटन विभाग द्वारा बाईब्रेट विलेज योजना के अन्तर्गत सीमान्त गांव जांदूग का डेस्टिनेशन मास्टर प्लान तैयार किया गया जिसमें गॉव मे जीर्ण–क्षीर्ण भवनों को पुर्ननिर्मित करते हुए होम–स्टे के रूप में विकसित करने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है। जांदुग गांव के 06 भवनों का जीर्णोद्वार कार्य प्रारंम्भ कर दिया गया है। वर्तमान में टूरिज्म डेस्टिनेशन प्लान के अन्तर्गत जादुगं में ₹ 19.59 करोड़ के सापेक्ष ₹ 9.70 करोड़ की धनराशि अवस्थापना विकास के कार्यो कार्य हेतु निर्गत की गयी है। श्री केदारनाथ एवं बद्रीनाथ की तर्ज पर **महासू देवता हनोल** का मास्टर प्लान तैयार करवाया जा रहा है।

- पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनपद उत्तरकाशी के जखाले को Best Adventure Village का पुरस्कार, जनपद बागेश्वर के सूपी को Best Agro Village पुरस्कार, जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम गुंजी एवं जनपद उत्तरकाशी के हर्षिल को Best Vibrant Village पुरस्कार प्रदान किया गया।

- पर्यटन सैक्टर में निजी पूँजी निवेश को आकर्षित करने हेतु नई उत्तराखण्ड पर्यटन

नीति–2023–30 लागू की गई है। पर्यटन नीति 2023 में आवासीय परियोजनाओं हेतु अधिकतम 50% तक तथा पर्यटन उत्पाद एवं सेवाओं में पूंजी निवेश का अधिकतम 100% तक अनुदान की व्यवस्था है, जो कि एस0जी0एस0टी0 के साथ लिंक किया गया है। इस नीति के प्रख्यापन के उपरान्त पर्यटन क्षेत्र की लगभग ₹ 1200 करोड़ की परियोजनाओ पर निजी निवेशकों द्वारा कार्य प्रारम्भ किए गये है।

- पर्यटन के क्षेत्र में ₹ 01 से ₹ 05 करोड़ तक का निवेश करने वाले प्रदेश के स्थायी निवासियों/ उद्यमियों को प्रोत्साहित एवं आर्थिक रूप से सबल तथा रोजगार अवसर पैदा करनेके दृष्टि सेबनाये जाने हतु ''उत्तराखण्ड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024'' प्रारंम्भ की गयी है।

- वर्ष 2024 में माह अप्रैल से अक्टबूर तक कैलाश मानसरोवर, आदि कैलाश एवं ओम पर्वत के दर्शन हेतु हैली दर्शन योजना सचांलित की गयी, जिसमें वर्ष 2024–25 मे अब तक 144 यात्रियो को दर्शन करवाये गये।

- साहसिक पर्यटन गतिविधियों को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित रूप से सचांलित किये जाने के उद्देश्य से उत्तरखण्ड रिवर राफ्टिंग/ क्याकिंग (सशंाधेन) नियमावली 2018 तथा उत्तराखण्ड फुट लॉच एयरोस्पोर्ट (पैराग्लाईडिंग) नियमावली 2018 को प्रख्यापित की गयी है।

- निजी क्षेत्र मे रिवर राफ्टिंग सचांलन के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 से वर्ष 2024–25 तक कुल 12,076 लाभार्थियों को (प्रत्यक्ष एवं परोक्ष) रोजगार प्रदान किया गया।

- पर्यटन विभाग द्वारा टिहरी में होटल मैनेजमेंन्ट सस्ंथान की स्थापना की गयी, जिसका संचालन किया जा रहा है।

- राज्य गठन से अब–तक विभाग एवं विभाग के अधीन सचांलित सस्ंथानो में नियमित नियुक्ति के रूप में 50 तथा आउटसोर्स के माध्यम से 180 अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान किया गया है।

- **अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) योजनाः**– प्रदेश में निरन्तर हो रहे पलायन को रोकने, रोजगार प्रदान करने, स्थानीय सस्ंकृति व उत्पादों से परिचित कराने के उद्देश्य से दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना वर्ष 2018 मे प्रारम्भ की गई है। इस योजना का मूल उद्देश्य विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिये एक साफ और किफायती तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक स्तरीय आवासीय सुविधा प्रदान करना है। इससे विदेशी पर्यटकों को भी एक भारतीय परिवार के साथ रहने उनकी सस्ंकृति का अनुभव व परंपराओं को समझने और भारतीय/ उत्तराखण्डी व्यंजनों के स्वाद के लिये एक उत्कृष्ट अवसर प्राप्त होता है। अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होमस्टे) पंजीकरण योजना के अन्तर्गत 5751 इकाईयां पंजीकृत करते हुये स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये है।

- दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (हामेस्टे) विकास योजना के अन्तर्गत राज्य के 1118 मूल निवासियों को ₹ 47.70 करोड़ की धनराशि अनुदान के रूप में वितरित की गयी है।

- विभाग द्वारा राज्य में पलायन को रोकने तथा स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार अवसर उपलब्ध कराये जाने हतु ट्रैकिंग–ट्रैक्शन सेन्टर अनुदान योजना वर्ष 2020 मे आरम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत अब तक 115 गावं को अधिसूचित किया गया है, जिसमें 586 स्थानीय आवेदकों को योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित किया गया है।

- **राज्य के युवाओं को विभिन्न प्रकार के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमः**– आतिथ्य सत्कार, नैचुरलिस्ट, टूरिस्ट

डेस्टिनेशन गाइड, टूअर मैनेजर, एस्ट्रो टूर गाइड, स्ट्रीट फूड वेण्डर आदि में 8,000 से अधिक युवक/ युवतियों को रोजगार से जोड़ा गया है।

- **रोप–वे निर्माण** :– पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटको के सुगम यात्रा के उद्देश्य से निम्न रोप–वे परियोजनाओं की पी0पी0पी0 मोड मे निजी निवेशक के माध्यम से विकसित किया जा रहा हैः–

- कद्दूखाल से सुरकण्डा देवी रोप–वे परियोजना व्यवसायिक संचालन किया जा रहा है।

- देहरादून (पुरूकल गावं) से मसूरी (लाईब्रेरी चौक) रोप–वे परियोजना का निर्माण कार्य ₹ 285.00 करोड़ की लागत से पी0पी0पी0 मोड़ पर प्रारम्भ तथा जानकीचट्टी (खरसाली) से यमुनोत्री मंदिर तक रोप–वे परियोजना पी0पी0पी0 मोड में ₹ 167 करोड़ की लागत से विकसित किये जाने हेतु निजी निवेशक का चयन करते हुए रोपवे निर्माण कार्य गतिमान है।

- हेमकुण्ड एवं केदारनाथ धाम की यात्रा को सुगम बनाने हतु **गोविन्दघाट से हमेकुण्ड साहिब** तथा **सोनप्रयाग से केदारनाथ** रोपवे का निर्माण किये जाने हतु मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 21.10.2022 को शिलान्यास भी किया गया है। जिस पर कार्यवाही गतिमान है।

- जनपद देहरादून के ग्राम हनोल में महासू देवता मंदिर एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, महासू देवता को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है, और उनकी महिमा के कारण यह स्थल प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिर में चार दरवाजे हैं, जो धार्मिक विविधता को दर्शाते हैं, महासू देवता मंदिर में प्रमुख त्याहोर और मेले जैसे महासू मेला, नाग पंचमी, और दीपावली के अवसर पर विशेष पूजा–अर्चना और अनुष्ठान होते हैं। श्री केदारनाथ एवं श्री बद्रीनाथ धाम के अनुरूप महासू देवता हनोल का टूरिज्म डेस्टिनेशन प्लान के अन्तर्गत वर्तमान मे लगभग ₹ 101.41 करोड़ के आगणन गठित किये गये है। जिसके सापेक्ष प्रथम किस्त ₹ 42.19 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- माणा भारत के उत्तराखण्ड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक गाँव है। यह तिब्बत की सीमा पर स्थित माना दर्रा से पहले भारत का प्रथम ग्राम है। अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी का संगम यहाँ स्थित है। जिसके पर्यटन विकास हतु माणा का टूरिज्म डेस्टिनेशन प्लान के अन्तर्गत ₹ 54.33 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किस्त ₹ 22.54 करोड़ की धनराशि विभिन्न योजनाओ के अवस्थापना निर्माण कार्यो हेतु निर्गत की गयी है।

- उत्तराखंड के चमोली जिले में नीति गाँव के पास एक पवित्र टिम्मरसैंण महादेव गुफा है, जो भारत–तिब्बत सीमा के पास नीति घाटी में स्थित है। यह गुफा प्राकृतिक रूप से बनने वाले बर्फ के शिवलिगं के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण इसे उत्तराखंड का ''छोटा अमरनाथ'' कहा जाता है। टिम्मरसैण टूरिज्म डेस्टिनेशन प्लान के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष वर्तमान में ₹ 26.85 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किस्त ₹ 10.74 करोड़ की धनराशि विभिन्न योजनाओं के अवस्थापना निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत की गयी है।

- पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजनान्तर्गत ग्रामीण पर्यटन कलस्टर के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के गुंजी अवस्थापना विकास कार्य हेतु गठित आगणन ₹ 17.86 करोड के सापेक्ष पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रथम किस्त ₹ 1.79 करोड़ एवं टी गार्डन चम्पावत में अवस्थापना विकास कार्य हेतु गठित आगणन ₹ 19.89 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किस्त ₹ 1.99 करोड़ की धनराशि निर्गत की गयी है।

- राज्य में विभाग द्वारा पहली बार ''एस्ट्रोटूरिज्म'' को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से एस्ट्रो टूरिज्म संस्था के सहयोग से प्रथम एवं द्वितीय नक्षत्र सभा (एस्ट्रोटूरिज्म) का आयोजन क्रमशः जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी, जागेश्वर अल्मोड़ा ताकुला नैनीताल, बेनीताल चमोली में आयोजित किया गया।

- टिहरी झील उत्तराखंड की एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कुछ प्रमुख आकर्षण और गतिविधियाँ हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं जैसे 'टिहरी बांध' टिहरी झील पर स्थित यह बाधं भारत के सबसे बड़े बांधो ं में से एक है। यहॉ' वाटर स्पोर्ट्स' झील में नाव चलाना, वॉटर स्कीइंग, और क्याकिंग जैसी गतिविधियाँ उपलब्ध हैं, प्राकृतिक सौंदर्य झील के आसपास के क्षेत्र में हिमालय की तलहटी और घने जंगल है। वर्तमान में टिहरी झील तथा आस–पास के क्षेत्रों का पर्यटन विकास करते हुए इस क्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र मे ंप्रतिस्थापित किए जाने के दृष्टिगत बाह्य सहायतित परियोजना के अन्तर्गत Asian Development Bank(ADB) द्वारा सहायतित ₹ 1294 करोड़ की परियोजना "Sustainable Inclusive and Climate Resilient Tourism Development at the Tehri Lake Area Project" हेतु ऋण समझौता दिनांक 10 सितम्बर 2025 को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा चुका है। उक्त परियोजना के अन्तर्गत 02 योजनाओ हेतु क्रमशः ₹ 22.78 करोड़ एवं ₹ 318.44 करोड़ की निविदा आमंत्रित कर ठेकेदारों को कार्य आवंटित कर अनुबन्ध गठित किया गया है, एवं परियोजना का कार्य गतिमान है।

ट्रैवल एण्ड ट्रेड

1–मानव संसाधन का विकास, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकासः–

पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में कौशल विकास करने हेतु समस्त जनपदों के विभिन्न स्थलों पर नेचुरलिस्ट, एस्ट्रो टूर गाइड, टूर मैनेजर गाइड तथा स्ट्रीट फूड वेंडर के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जा रहे है। SIDBI के Tourism Cluster Intervention कार्यक्रम के अन्तर्गत होटल में कार्यरत कार्मिको को फूड एवं बेवरेज, हाउसकीपिंग, फ्रंट डेस्क एवं होमस्टे संचालकों को होमस्टे प्रशिक्षण करवाये जा रहे है। इसी क्रम में होटल प्रबंधन संस्थान देहरादून, राजकीय होटल प्रबंधन संस्थान टिहरी एवं अल्मोड़ा द्वारा भी पर्यटन विभाग के सहयोग से होमस्टे प्रशिक्षण करवाये जा रहे है।

2–जागरूकता और प्रशिक्षण प्रदान करनाः–

विभाग द्वारा प्रशिक्षित गाइडों को रोजगार हेतु तैयार करने के लिये उनकी Upskilling करने हेतु नेचुरलिस्ट, एस्ट्रो टूर गाइड, टूर मैनेजर गाइड तथा स्ट्रीट फूड वेंडर का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। गाइडों के कार्यों को रिकॉर्ड करने हेतु Web Portal/Mobile Application विकसित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

3–प्रशिक्षण आवश्यकता की पहचानः–

राज्य के अन्तर्गत पर्यटन गतिविधियों से सम्बन्धित प्रशिक्षण की पहचान कर स्थानीय व्यक्तियों को सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण से जोड़ा जायेगा। वाइब्रेन्ट विलेज कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले गांवों के युवाओं को भी विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

4–पर्यटन / Hospitality क्षेत्र में Skilled मानव संसाधनः–

पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में Skilled मानव संसाधन तैयार किये जाने हेतु विभाग द्वारा

होम–स्टे संचालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में कौशल विकास हेतु 2300 युवाओं को नेचुरलिस्ट, एस्ट्रो टूर गाइड, टूर मैनेजर गाइड तथा स्ट्रीट फूड वेंडर पर्यटन विधाओं मं प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

तालिका 11.2

राज्य में जनपदवार पंजीकृत होमस्टे

क्र0सं0	जनपद का नाम	पंजीकृत होमस्टे की संख्या
01	अल्मोड़ा	101
02	बागेश्वर	29
03	चंपावत	29
04	पिथौरागढ	39
05	उधमसिहंनगर	02
06	नैनीताल	189
07	देहरादून	66
08	पौडी	141
09	चमोली	116
10	उत्तरकाशी	140
11	टिहरी	90
12	रुद्रप्रयाग	37
13	हरिद्वार	38
	योग	**1017**

स्रोतः पयर्टन विभाग उत्तराखण्ड

पर्यटन स्वरोजगार योजनाएं

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का प्रारम्भ 01 जून, 2002 को किया गया। योजना के प्रगति का विवरण तालिका 11.3 में प्रदर्शित है

तालिका 11.3

वीर चन्द्र सिंह गढवाली स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जनपद वार लाभार्थियों का विवरण

क्र0सं0	जनपद का नाम	2024–25 में लाभार्थियों की संख्या	2025–26 में लाभार्थियों की संख्या (दिसम्बर2025 तक)
01	अल्मोड़ा	25	17
02	बागेश्वर	18	08
03	चम्पावत	11	01
04	चमोली	24	17
05	देहरादून	19	19
06	हरिद्वार	11	05
07	नैनीताल	34	31

08	पौड़ी	18	13
09	पिथौरागढ़	16	06
10	रूद्रप्रयाग	15	13
11	टिहरी	29	26
12	ऊधम सिंह नगर	10	07
13	उत्तरकाशी	20	11
	कुल योग	**250**	**174**

स्रोतः पयर्टन विभाग उत्तराखण्ड

दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे योजना)

ग्रामीण पर्यटन विकसित करने तथा पलायन को रोकने के उद्देश्य से **''दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टेविकास योजना''** प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के निवासियों को होमस्टे निर्माण हेतु 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 15.00 लाख का पूंजी अनुदान तथाा प्रथम 05 वर्षो तक अधिकतम 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 1.50 लाख की दर से ब्याज अनुदान दिये जाने का प्राविधान किया गया है। वर्ष 2025–26 में दिसम्बर, 2025 तक 1169 व्यक्तियों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

तालिका 11.4

दीन दयाल उपाध्याय अंतर्गत जनपद वार लाभार्थियों का विवरण

क्र0सं0	जनपद का नाम	2024–25 में लाभार्थियों की संख्या	2025–26 में लाभार्थियों की संख्या (दिसम्बर 2025 तक)
01	अल्मोड़ा	27	10
02	बागेश्वर	6	06
03	चम्पावत	15	11
04	चमोली	31	16
05	देहरादून	7	01
06	हरिद्वार	4	0
07	नैनीताल	30	24
08	पौड़ी	19	4
09	पिथौरागढ़	14	10
10	रूद्रप्रयाग	14	09
11	टिहरी	32	08
12	ऊधम सिंह नगर	1	0
13	उत्तरकाशी	11	13
	कुल योग	**211**	**112**

स्रोतः पयर्टन विभाग उत्तराखण्ड

तालिका 11.5

अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होमस्टे) ''पंजीकरण योजना''

क्र0सं0	जनपद	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिसम्बर 2025 तक)
1	अल्मोड़ा	64	65
2	बागेश्वर	26	17
3	चम्पावत	19	08
4	चमोली	70	15
5	देहरादून	48	185
6	हरिद्वार	6	07
7	नैनीताल	161	116
8	पौड़ी	26	44
9	पिथौरागढ़	20	45
10	रूद्रप्रयाग	12	09
11	टिहरी	123	70
12	ऊधम सिंह नगर	0	01
13	उत्तरकाशी	40	112
	कुल योग	**615**	**694**

स्रोतः पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड

ट्रेकिंग ट्रक्शन सेंटर होम–स्टे अनुदान योजना

वर्ष 2020 में **''ट्रैकिंग ट्रक्शन सेंटर होम–स्टे अनुदान योजना''** प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ट्रैकिंग ट्रक्शन सेंटर मुख्य शहर से दूर ऐसे स्थानों पर विकसित किये जायेंगे जहां से अधिकतम ट्रैकिंग मार्ग गुजरते हो। इन सेंटरों से गुजरने वाले ट्रैकिंग मार्गो पर स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेन्टर से 02 किमी0 की परिधि व ट्रैकिंग मार्ग पर होमस्टे बनाये जाने पर आकर्षक राज्य सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। वर्तमान में 06 जनपदों में ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेन्टर होम–स्टे अनुदान योजना लागू है, जिसमें 24 ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेन्टर एवं 136 गावं अधिसूचित है योजना आरम्भ से लेकर माह दिसम्बर 2025 तक 597 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

साहसिक पर्यटन गतिविधियां

1–उत्तराखण्ड परिक्रमा रन हाई एल्टीट्यूड मैराथन 2025 :– राज्य में प्रथम बार जनपद पिथौरागढ़ के ब्लॉक धारचूला (गुंजी–नाबी–कुटी–जालिंकोंग तथा नाभीढांग मार्ग) में दिनांक 02.11.2025 को उत्तराखण्ड परिक्रमा रन हाई एल्टीट्यूड मैराथन–2025 का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें 20–22 राज्यों के करीब 616 धावकों सहित आई0टी0बी0पी0, आर्मी के सैनिक धावकों द्वारा भी प्रतिभाग किया जा रहा है। उक्त परिक्रमा रन 14700 फीट की ऊंचाई पर आयोजित करायी गयी। उक्त परिक्रमा रन को 05 श्रेणियों यथा–60 कि0मी0, 42 कि0मी0, 21 कि0मी0, 10 कि0मी0 व 05 कि0मी0 में आयोजित कराया गया। उक्त परिक्रमा रन का उद्देश्य वाइब्रेंट विलेज में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाने के साथ ही होम–स्टे को बढ़ावा देकर स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराना है। साथ ही मा0 प्रधानमंत्री के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना है। तद्क्रम में माह मई/जून 2026 में जनपद चमोली (नीति वैली)

में एक्सट्रीम अल्ट्रा मैराथन का आयोजन कराया जाना प्रस्तावित है।

2. **नये प्रशिक्षु रिवर गाइडों की तकनीकी दक्षता का परीक्षणः**— ऋषिकेश शिवपुरी में पर्यटन विभाग में पंजीकृत राफ्टिंग फर्मों में कार्यरत 450 प्रशिक्षु रिवर राफ्टिंग गाइडों का तकनीकी एवं प्रयोगात्मक परीक्षण उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग नियमावली 2014 यथासंशोधित 2015, 2016, 2018, 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत किया गया है, जिसमें कुल 260 प्रशिक्षु रिवर गाइड, रिवर गाईड बनने हेतु उत्तीर्ण पाये गये है, जिनमें 03 महिला रिवर गाइड भी सम्मिलित है। जो कि विभाग में पंजीकृत राफ्टिंग फर्मों में रिवर राफ्टिंग गाइड के रूप में कार्य कर सकेंगे एवं भविष्य में व्यवसायिक राफ्टिंग संचालन हेतु आवेदन कर सकेंगे।

3. **वाइलडरनैस फस्ट एड सीपीआर प्रशिक्षण** :— राज्य में रिवर राफ्टिंग गतिविधियों के दौरान सुरक्षा के दृष्टिगत समस्त पंजीकृत रिवर राफ्टिंग फर्मों में कार्यरत रिवर गाइडों की तकनीकी क्षमता को बढ़ाये जाने हेतु पायलट प्रोजेक्ट के तहत् M/s Hanifl Centre, Woodstock Mussoorie के माध्यम से 03 दिवसीय **Wilderness First Aid** प्रशिक्षण दिनांक 02.09.2025 से 04.09.2025 तक कराया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में 30 युवाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिस पर पर्यटन विभाग द्वारा ₹ **3.60 (₹ तीन लाख साठ हजार मात्र)** की धनराशि का व्यय किया गया है। भविष्य में लगभग 970 रिवर राफ्टिंग गाइडों को **Wilderness First Aid** प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है।

11.3 उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण

उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण, राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों हेतु विमानन बुनियादी ढॉचे के विस्तार, आधुनिकीकरण और प्रभावी ढंग से विनियमन के लिए प्रतिबद्व है। यह दृष्टिकोण उत्तराखण्ड के अद्वितीय भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक सन्दर्भ को दर्शाता है। उत्तराखण्ड राज्य एक ऐसा पर्वतीय राज्य है, जहॉ अभी भी कई क्षेत्र काफी दुर्गम क्षेत्रों में स्थित है, जहॉ सड़क मार्ग से पहुॅचना कठिन है।

यूकाडा द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हवाई अड्डों, हवाई पट्टियों, हैलीपैडों एवं हवाई यातायात से सम्बन्धित सेवाओं का एक मजबूत और लचीला बुनियादी ढॉचा बनाकर, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना और समग्र सम्पर्क को बढ़ाना है। विमानन क्षेत्र का तात्पर्य केवल बुनियादी ढॉचे के विकास से ही नही है, बल्कि परिचालन और वित्तीय रूप से व्यवहार्य पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण से भी है, जो दीर्घकालिक रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देगा, कुशल प्रबन्धन सुनिश्चित करेगा और हवाई सेवाओं को निरन्तर बनाये रखने और विस्तार करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करना भी शामिल है।

देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार और आधुनिकीकरण से उत्तराखंड के हवाई संपर्क में एक महत्वपूर्ण अध्याय जुडा है। राज्य गठन के प्रारम्भिक वर्षो में राज्य में मात्र एक ही Flight दिल्ली हेतु चलती थी आज लगभग 30 Flight प्रतिदिन लगभग 12 प्रमुख स्थलों हेतु संचालित हैं राज्य में 7 हेलीपोर्ट बनने के कारण 38 RCS Flight तथा 9 UACS Flight भी संचालित कर दी गयी है। पंतनगर हवाई अड्डे का विकास करने से कुमाऊं क्षेत्र से कई घरेलू उड़ानों के साथ–साथ कार्गो सेवा भी उपलब्ध कराई गई है, जो कृषि उत्पादों और औद्योगिक वस्तुओं के परिवहन में सहायक है।

UDAN योजना के तहत हेली सेवाएं के लिए केंद्र सरकार की UDAN योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कई दुर्गम और पर्वतीय इलाकों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा गया है। केदारनाथ, गौचर, हर्षिल, मुनस्यारी आदि स्थानों तक हेलिकॉप्टर सेवाएं तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए सुविधा दी गई हैं। यह सेवा आपातकालीन स्थिति में राहत कार्यों में भी उपयोगी साबित हुई है। पिथौरागढ़ में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की योजना में सीमावर्ती पिथौरागढ़ क्षेत्र में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण करने की योजना बनाई है, जो सामरिक और पर्यटन दोनों दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस एयरपोर्ट के निर्माण से न केवल सीमावर्ती इलाकों की हवाई पहुंच बेहतर होगी, बल्कि स्थानीय विकास, रोजगार सृजन और पर्यटन उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की उपलब्धियॉ।

क्षेत्रीय सम्पर्क योजना के अर्न्तगत उत्तराखण्ड में हवाई सम्पर्क बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस योजना के अर्न्तगत आरम्भ में स्वीकृत 13 हेलीपाोर्ट में से 07 हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, शेष के निर्माण की कार्यवाही प्रचलित है। इस योजना के अर्न्तगत हवाई सम्पर्क को और मजबूत बनाने के लिए 05 नये हेलीपोर्टो को प्रस्तावित किया गया है, जिसके लिए सम्बन्धित जनपदों में भूमि/स्थान चयन किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड राज्य विभिन्न 17 स्थानों पर नये हेलीपैड बनाये जाने के लिए स्थानों की पहचान की गई इन स्थानों पर हेलीपैड निर्माण के लिए सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में विभिन्न मार्गो पर संचालित हेलीकाप्टर सेवाओं का विवरण निम्नवत् हैः—

आर0सी0एस0 उड़ान योजना के अंतर्गत राज्य हेतु वर्तमान में निम्नलिखित रूटों पर (हेलीकाप्टर) सेवा संचालित हो रही हैः—

1-Dehradun-Almora
2-Almora-Dehradun
3-Pantnagar-Naukuchiatal (Mon, Fri, Sat)
4- Naukuchiatal-Pant Nagar (Mon, Fri, Sat)
5- Pant Nagar-Almora
6- Almora-Dehradun
7-Haldwani-Munsyari
8-Munsyari-Haldwani
9-Haldwani-Champawat
10-Champawat-Haldwani
11-Haldwani-Pithoragarh
12-Pithoragarh-Almora
13-Almora- Pithoragarh
14-Pithoragarh-Haldwani
15-Dehradun-Nainital
16-Nainital-Dehradun
17-Dehradun-Bageshwar
18-Bageshwar-Haldwani
19-Haldwni-Bageshwar
20-Bageshwar-Dehradun
21-Pithoragarh-Munsyari
22-Munsyari-Pithoragarh
23-Haldwni-Almora
24-Almora-Haldwni
25-Dehradun-New Tehri
26-New Tehri-Srinagar
27-Srinagar-Gauchar
28-Gauchar-Srinagar
29-Srinagar-New Tehri
30-New Tehri-Dehradun

अध्याय–12
बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त
Banking and Institutional Finance

किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग व्यवस्था का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। बैंक मुद्रा बाजार (Money Market) के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग के रूप में देश के आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। पूंजी निर्माण, व्यापार, उद्योग एवं कृषि के अर्थ–प्रबंधन तथा देश की आर्थिक, सामाजिक नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उनकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। साख (Credit) आधुनिक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। अधिकांश व्यावसायिक क्रियायें साख के माध्यम से ही होती है। बैंक साख का सृजन करता हैं। बैंक, ब्याज तथा सुरक्षा एवं अन्य सेवाओं का आकर्षण प्रदान कर जमाओं (Deposit) के रूप में प्राप्त कर पूंजी निर्माण में सहयोग प्रदान करते हैं। बैंक अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण कर उत्पादकता एवं रोजगार में वृद्धि करते हैं। यही नहीं बैंक साख नियंत्रण के द्वारा मूल्य स्तर को नियंत्रित करते हैं। व्यापार एवं वाणिज्य को क्रय एवं अग्रिम की सुविधायें प्रदान कर व्यवसाय के लिए आवश्यक 'जीवन रक्त' (Life Blood) प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं।

30 सितम्बर 2025 तक राज्य में कुल 2,622 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है जिनमें से 46 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों, 24 प्रतिशत अर्द्धशहरी क्षेत्रों तथा 30 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में कार्य कर रही है। वर्तमान में 1206 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 626 शाखाएं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में तथा 793 शहरी क्षेत्र में स्थित हैं। राज्य में 30.09.2025 तक क्षेत्रवार शाखाओं की संख्या एवं प्रतिशत निम्न ग्राफ–12.1 में दर्शायी गयी है–

GRAPH - 12.1

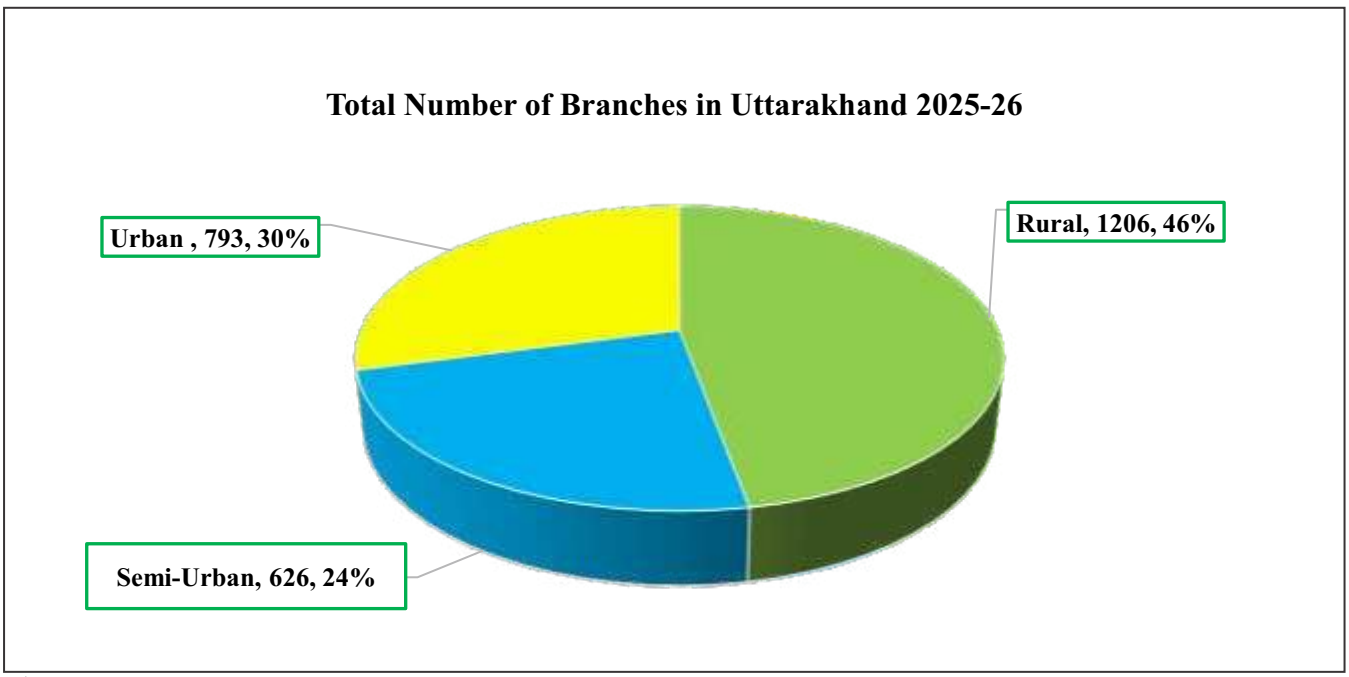

स्रोतः SLBC

12.2 जनपदवार बैंक शाखाओं के प्रसार के संदर्भ में देहरादून जिले में सबसे अधिक 651 बैंक शाखाएं तथा रुद्रप्रयाग में सबसे कम 56 बैंक शाखाएं हैं। राज्य में 30.09.2025 तक बैंकवार एवं जनपदवार शाखाओं की संख्या निम्न तालिका–12.1 एवं GRAPH - 12. 2 में दर्शाया गया है–

तालिका–12.1

UTTARAKHAND

DISTRICT WISE BRANCH NETWORK AS ON 30.09.2025

Sr.No	Name of District	Rural	Semi-Urban	Urban	Total
1	ALMORA	104	51	1	156
2	BAGESHWAR	56	2	0	58
3	CHAMOLI	65	42	0	107
4	CHAMPAWAT	51	18	2	71
5	DEHRADUN	156	98	397	651
6	HARIDWAR	88	65	167	320
7	NAINITAL	132	57	101	290
8	PAURI GARHWAL	139	68	4	211
9	PITHORAGARH	81	33	3	117
10	RUDRA PRAYAG	53	3	0	56
11	TEHRI GARHWAL	111	34	12	157
12	UDAM SINGH NAGAR	125	126	106	357
13	UTTAR KASHI	45	29	0	74
UTTARAKHAND		**1206**	**626**	**793**	**2625**

स्रोतः SLBC

GRAPH-12.2

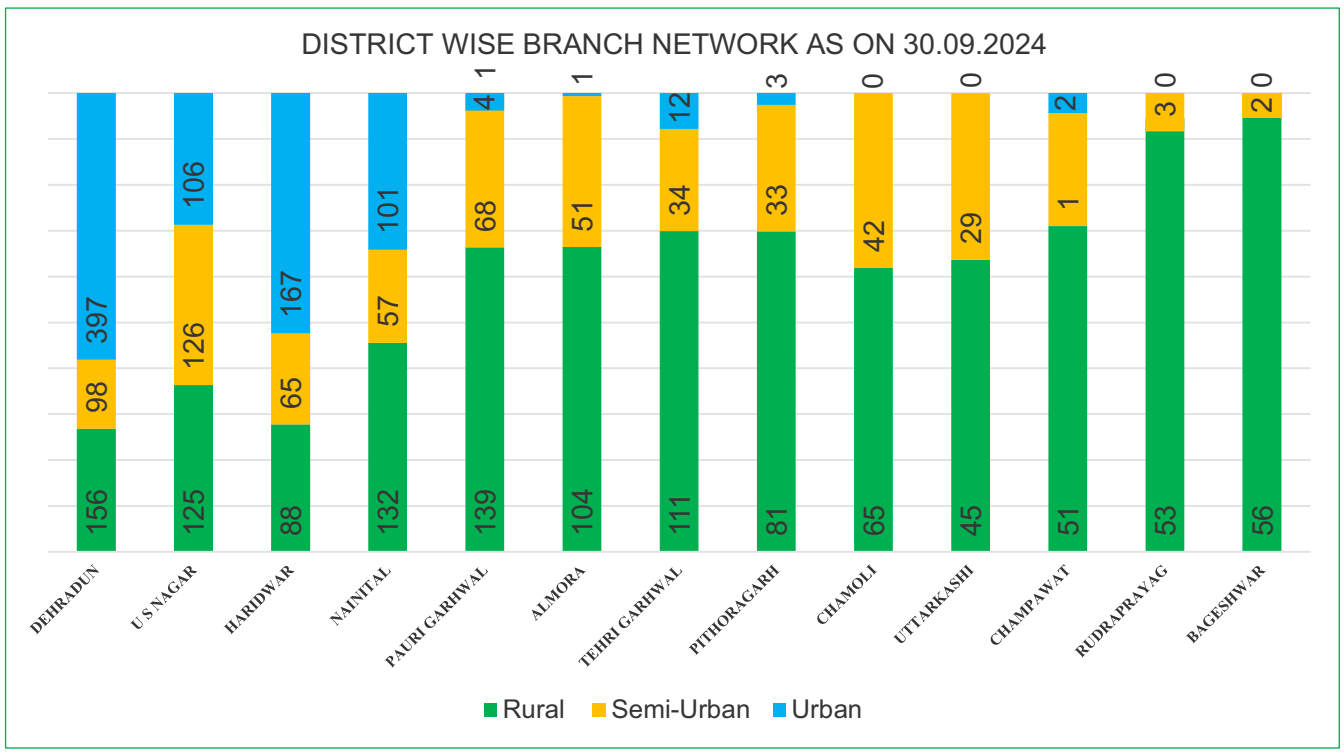

स्रोतः SLBC

तालिका–12.2

BANK WISE BRANCH NETWORK OF UTTARAKHAND AS ON - 30.09.2025

SR.	Name of Bank	Rural	Semi -Urban	Urban	Total
1	STATE BANK OF INDIA	278	65	101	444
2	PUNJAB NATIONAL BANK	154	61	81	296
3	BANK OF BARODA	55	29	54	138
Total Lead Banks (A)		**487**	**155**	**236**	**878**
4	UNION BANK OF INDIA	35	33	37	105
5	CANARA BANK	53	29	51	133
6	CENTRAL BANK OF INDIA	8	13	20	41
7	PUNJAB AND SIND BANK	16	12	16	44
8	UCO BANK	19	24	15	58
9	INDIAN OVERSEAS BANK	21	11	17	49
10	BANK OF INDIA	13	20	11	44
11	INDIAN BANK	10	18	22	50
12	BANK OF MAHARASHTRA	3	13	17	33
Total Non -Lead Banks (B)		**178**	**173**	**206**	**557**
C = Total N. Banks (A + B)		**665**	**328**	**442**	**1435**
13	UTTARAKHAND G.B	223	41	30	294
14	PRATHAMA U.P GRAMIN BANK	1	0	0	1
D = Total R.R.B.		**224**	**41**	**30**	**295**
15	CO-OPERATIVE BANK	183	97	60	340
E = Total Cooperative		**183**	**97**	**60**	**340**
Total (C+D+E)		**1072**	**466**	**532**	**2070**
16	THE NAINITAL BANK LTD	54	25	22	101
17	AXIS BANK	14	22	41	77
18	ICICI BANK	6	16	28	50
19	IDBI BANK	10	13	8	31
20	HDFC BANK	30	31	57	118
21	J & K BANK	0	0	3	3
22	FEDERAL BANK	0	0	4	4
23	INDUSIND BANK	4	7	15	26
24	SOUTH INDIAN BANK	0	0	4	4
25	KARNATAKA BANK	0	0	1	1
26	YES BANK	3	3	10	16
27	KOTAK MAHINDRA BANK	8	26	15	49
28	BANDHAN BANK	0	3	14	17
29	IDFC FIRST BANK	0	0	12	12
30	RBL BANK	0	0	2	2
Total Private Bank		**129**	**146**	**236**	**511**
31	UJJIVAN SMALL FIN. BANK	0	1	5	6
32	UTKARSH SMALL FIN. BANK	5	11	14	30
33	JANA SMALL FIN. BANK	0	2	3	5
34	SHIVALIK SMALL FINANCE BANK	0	0	3	3
35	EQUITAS SMALL FIN. BANK	0	0	0	0
SMALL FINANCE BANK		**5**	**14**	**25**	**44**
Total All Bank		**1206**	**626**	**793**	**2625**

12.3 **30** सितम्बर 2025 तक राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल 1435 शाखाओं का नेटवर्क है। एस.बी.आई की सबसे ज्यादा 444, पी.एन.बी. की 296 और बैंक ऑफ बड़ोदा की 138 शाखाएं हैं। निजी क्षेत्रों के बैंकों का 511 शाखाओं का नेटवर्क हैं। शेष शाखायें अन्य बैंकों से सम्बन्धित है। राज्य में 30.09.2025 तक बैंकवार शाखाओं की संख्या तालिका–12.2 में दी गयी है–

12.4 वर्ष 2025–26 मे 30 सितम्बर 2025 तक राज्य में कुल 2524 ए०टी०एम० का नेटवर्क स्थापित किया जा चुका है। 45 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों, 29 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों तथा 45 प्रतिशत अर्द्धशहरी क्षेत्रों के साथ राज्य में ए०टी०एम० की सुविधा का निरन्तर विस्तार किया जा रहा है। राज्य में 30.09.2025 तक ए०टी०एम० सुविधा का क्षेत्रवार विवरण निम्न तालिका–12.3 में दर्शाया गया है–

तालिका–12.3

UTTARAKHAND

BANK WISE ATM NETWORK AS ON 30.09.2025

SR.	Name of Bank	Rural	Semi -Urban	Urban	Total
1	STATE BANK OF INDIA	291	201	301	793
2	PUNJAB NATIONAL BANK	155	104	170	429
3	BANK OF BARODA	55	43	88	186
	Total Lead Banks (A)	**501**	**348**	**559**	**1408**
4	UNION BANK OF INDIA	32	28	48	108
5	CANARA BANK	31	17	22	70
6	CENTRAL BANK OF INDIA	4	8	14	26
7	PUNJAB AND SIND BANK	10	11	11	32
8	UCO BANK	14	23	16	53
9	INDIAN OVERSEAS BANK	10	6	18	34
10	BANK OF INDIA	4	10	10	24
11	INDIAN BANK	5	10	16	31
12	BANK OF MAHARASHTRA	3	13	18	34
	Total Non -Lead Banks (B)	**113**	**126**	**173**	**412**
	C = Total N. Banks (A + B)	**614**	**474**	**732**	**1820**
13	UTTARAKHAND G.B	6	4	0	10
14	PRATHAMA U.P GRAMIN BANK	0	0	0	0
	Total R.R.B. (D)	**6**	**4**	**0**	**10**
15	CO -OPERATIVE BANK	33	34	46	113
	Total Cooperative (E)	**33**	**34**	**46**	**113**
	Total (C+D+E)	**653**	**512**	**778**	**1943**
16	THE NAINITAL BANK LTD	0	0	0	0
17	AXIS BANK	17	38	68	123
18	ICICI BANK	9	15	61	85
19	IDBI BANK	11	16	20	47
20	HDFC BANK	27	54	145	226
21	J & K BANK	0	0	3	3
22	FEDERAL BANK	0	0	3	3
23	INDUSIND BANK	3	6	19	28
24	SOUTH INDIAN BANK	0	0	0	0
25	KARNATAKA BANK	0	0	1	1

26	YES BANK	0	4	12	16
27	KOTAK MAHINDRA BANK	0	1	4	5
28	BANDHAN BANK	0	1	14	15
29	IDFC FIRST BANK	0	0	7	7
30	RBL BANK	0	0	1	1
	Total Private Bank	**67**	**135**	**358**	**560**
31	UJJIVAN SMALL FIN. BANK	1	1	4	6
32	UTKARSH SMALL FIN. BANK	1	7	6	14
33	JANA SMALL FIN. BANK	0	0	1	1
34	SHIVALIK SMALL FINANCE BANK	0	0	0	0
35	EQUITAS SMALL FIN. BANK	0	0	0	0
	SMALL FINANCE BANK	**2**	**8**	**11**	**21**
	Total All Bank	**722**	**655**	**1147**	**2524**

स्रोतः SLBC

12.5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.) अर्थात् उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक को एस.बी.आई. बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया है, जिसमें 30 सितम्बर 2025 तक कुल 295 शाखाओं का नेटवर्क है। सहकारी बैंक का 337 शाखाओं का नेटवर्क हैं। जनपद स्तरीय सहकारी बैंकों का रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत को छोड़कर, शेष 10 जनपदों में मुख्यालय है तथा राज्य स्तरीय बैक पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत, रूद्रप्रयाग को छोड़कर, शेष 09 जनपदों में मुख्यालय कार्यरत है। उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक की समस्त शाखाएं पूर्णतः सी.बी.एस. प्रणाली पर कार्यरत हैं। उत्तराखण्ड सहकारी बैंक सहकारी क्षेत्र में नेशनल फाईनेंशियल स्विच से जुड़ने वाला देश का पहला बैंक है, जिसके द्वारा बैंक के खाता धारक देश के किसी भी स्थान पर विद्यमान सभी प्रमुख बैंकों के ए.टी.एम. का प्रयोग कर सकते हैं। बैंक के खाता धारक ए0टी0एम0, एन0ई0एफ0टी0, आर0टी0जी0एस0, रूपे कार्ड, आदि के माध्यम से कहीं भी धनराशि का हस्तांतरण कर सकते हैं।

12.6 तालिका–12.4 से स्पष्ट है कि शाखा के आधार पर जनपद देहरादून, उधमसिंह नगर एवं हरिद्वार में सबसे अधिक बैंकिग आच्छादित हुआ है तथा जनपद बागेश्वर, रूद्रप्रयाग एवं चम्पावत में सबसे कम बैंकिग आच्छादित हुआ है। जबकि ऋण–जमा अनुपात सबसे अधिक जनपद ऊधमसिंह नगर, चम्पावत तथा हरिद्वार में है। सबसे कम ऋण–जमा अनुपात बागेश्वर, पौड़ी एवं अल्मोड़ा में हैं।

तालिका–12.4

उत्तराखण्ड में जनपदवार बैंकों का ऋणः जमा अनुपात

30-Sep-25 **No. in Actual and Amount in Crore**

SR.	Name of District	Deposits	Adavances	CD Ratio
1	ALMORA	9430.07	2543.00	26.97
2	BAGESHWAR	2828.51	697.49	24.66
3	CHAMOLI	6002.77	2442.96	40.70
4	CHAMPAWAT	3510.82	2727.34	77.68
5	DEHRADUN	107699.46	46099.96	42.80
6	HARIDWAR	33160.87	23766.04	71.67
7	NAINITAL	29587.06	15458.84	52.25
8	PAURI GARHWAL	13582.49	3731.69	27.47

9	PITHORAGARH	6676.1	2269.68	34.00
10	RUDRA PRAYAG	3335.7	941.64	28.23
11	TEHRI GARHWAL	8536.36	2913.35	34.13
12	UDAM SINGH NAGAR	24344.87	29072.83	119.42
13	UTTAR KASHI	3363.64	1793.23	53.31
TOTAL ALL DISTT		**252058.72**	**134458.05**	**53.34**
RIDF			**3334.64**	
TOTAL (ALL DISTT + RIDF)		**252058.72**	**137792.69**	**54.67**

स्रोतः SLBC

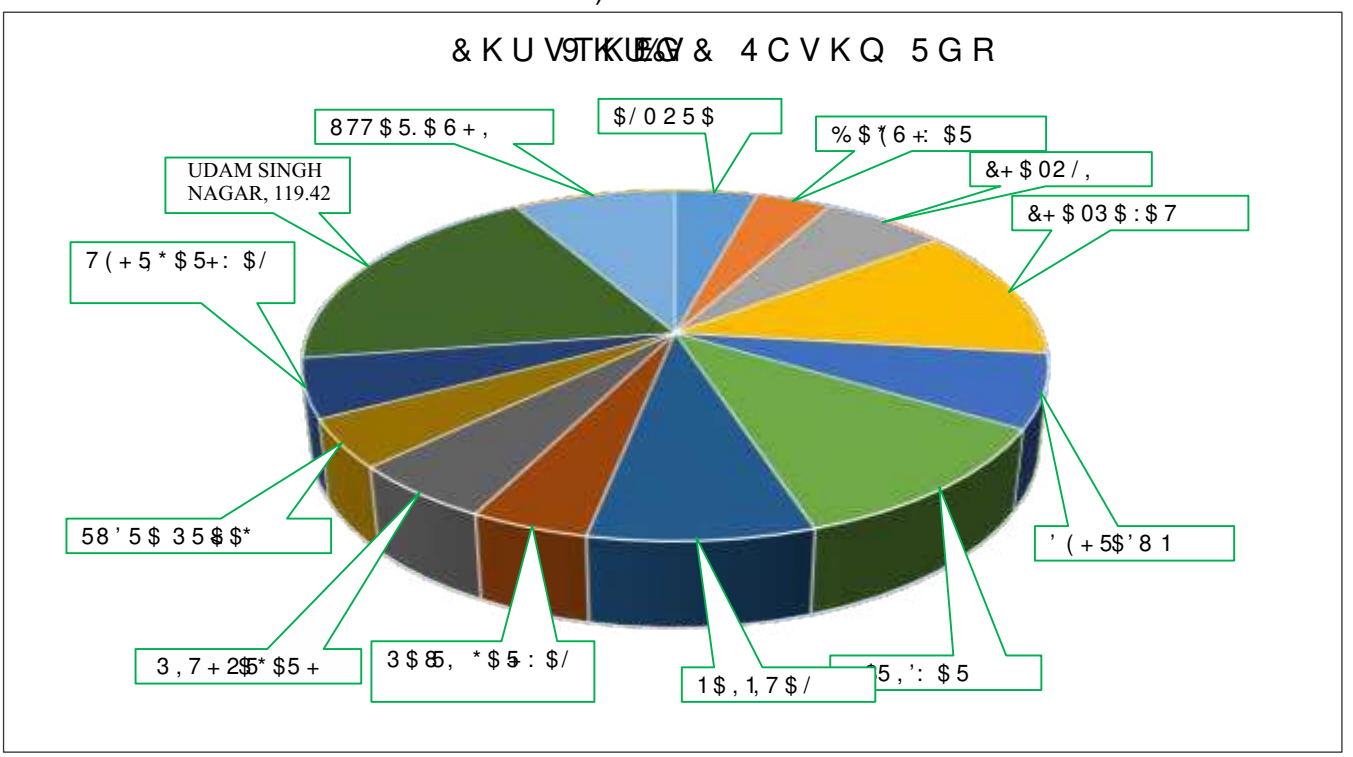

स्रोतः SLBC

12.7 30 सितम्बर 2025 तक राज्य के बैंकों ने आर.बी. आई. द्वारा निर्धारित 6 राष्ट्रीय मानकों की तुलना में 3 राष्ट्रीय मानकों, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम, कमजोर वर्ग ऋण तथा महिला ऋण को अर्जित किया है। वर्तमान में बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र जैसे कृषि, एम.एस.एम.ई., शिक्षा ऋण, आवास ऋण, लघु ऋण आदि गतिविधियों को करने के लिए कुल ₹ 64230 करोड़ राशि का वितरण किया गया, जो कि कुल ऋण का 48 प्रतिशत है। यह प्रतिशत प्राथमिक ऋण के 40 प्रतिशत लक्ष्य स्तर से अधिक है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 30 सितम्बर 2025 तक प्राथमिक क्षेत्र में गत वर्ष की तुलना में ₹10038 करोड़ अधिक है, जो कि 18.52 प्रतिशत है।

12.8 बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र के कुल ऋण में से 12.90 प्रतिशत कृषि अग्रिम राशि का भाग है। 28. 60 प्रतिशत ऋण सूक्ष्म लघु उद्यम में तथा 10.57 प्रतिशत अन्य क्षेत्र में ऋण दिया गया है। बैंको द्वारा कुल ऋण में से कमजोर वर्गो तथा महिलाओं को क्रमशः 10.08 प्रतिशत तथा 16.11 प्रतिशत अग्रिम वितरण किया गया है जो कि राष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत है। 30 सितम्बर 2025 तक ऋण–जमा अनुपात 54.67 प्रतिशत रहा। ऋण वितरण की स्थिति नीचे तालिका–12.5 में दर्शायी गई है:–

तालिका–12.5 राष्ट्रीय मानकों की स्थिति

क्र.सं.	क्षेत्र	अग्रिम प्रतिशत 30.09.2024	अग्रिम प्रतिशत 30.09.2025	राष्ट्रीय मानक प्रतिशत
1	प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम	46.00	48.00	40
1.1	कृषि ऋण	13.55	12.90	18
1.2	**सूक्ष्म लघु उद्यम ऋण**	26.28	28.60	-
1.3	**अन्य क्षेत्र**	19.51	10.57	-
2	गैर प्राथमिक क्षेत्र	54.00	47.99	-
3	कुलअग्रिम	-	-	-
4	कमजोर वर्ग ऋण	12.73	10.08	10
5	महिला ऋण	13.79	16.11	5
6	डी0आई0आर0 ऋण	0.01	0.01	1
7	जमा एवं अग्रिम अनुपात	52.35	54.67	60
8	अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति ऋण (पी.एस.सी.)	-	-	-
9	अल्पसंख्यक ऋण (पी.एस.सी.)	-	-	-

स्रोतः SLBC

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)

12.9 राज्य के सामाजार्थिक विकास हेतु वित्तीय समावेश का होना अत्यन्त आवश्यक है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय समावेशीय योजनाएं संचालित की जा रही है जिनकी FI Plan portal के अनुसार वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है–

(क) प्रधानमंत्री जन–धन योजना (PMJDY) :

बैंको द्वारा इस योजना के आरम्भ 28.08.2014 से लेकर 30 सितम्बर 2025 तक 39.53 लाख खाते खोले गये है, जिसमें से 3.27 लाख शून्य शेष खाते हैं, 25.78 लाख खाता धारकों को रुपे (Rupay) डेबिट कार्ड जारी किये गये है तथा 32.44 लाख खातों को आधार संख्या से जोड़ा गया है। बैंकवार एवं जिलावार स्थिति तालिका संख्या 12.6 A एवं 12.6 B में दर्शायी गयी है:

तालिका – 12.6A

UTTARAKHAND

District Wise Progress under PMJDY AS ON 30.09.2025

No. in Actual and Amount in Crore

SR.	Name of District	Rural	Urban	Male	Female	Total	Zero Balance A/c	Deposits held in the A/c	Rupay Card Issued	Rupay Card Activated	Aadhaar Seeded
1	ALMORA	126431	14172	60034	85217	145274	11401	162.92	88403	21840	116923
2	BAGESHWAR	83516	1746	36340	48897	85262	8438	79.89	31498	8185	71867
3	CHAMOLI	69998	12656	39910	45382	85316	7021	89.39	58157	13768	64486
4	CHAMPAWAT	61672	9164	31845	41510	73372	6537	71.91	39600	11326	61049
5	DEHRADUN	252327	283126	267650	284659	552470	67223	455.72	397443	136918	423935
6	HARIDWAR	422185	590584	553483	512906	1066459	125990	666.17	783948	264936	887290
7	NAINITAL	190684	127475	145478	185272	330843	26647	361.55	186425	42355	274468
8	PAURI GARHWAL	130595	17579	70275	86059	156350	15895	144.54	84514	24115	126775
9	PITHORAGARH	93070	11893	50611	58386	109000	12127	88.66	47739	11276	90842
10	RUDRA PRAYAG	57613	501	24846	33257	58114	4962	64.46	32183	8215	44014
11	TEHRI GARHWAL	138622	8738	65202	83578	148796	11494	158.48	86654	20072	120067
12	UDAM SINGH NAGAR	435004	486287	519420	518539	1038113	97258	626.73	666401	172905	890113
13	UTTAR KASHI	91283	11138	46840	57004	103855	8044	92.23	76000	17402	73142
Total		**2153000**	**1575059**	**1911934**	**2040666**	**3953224**	**403037**	**3062.64**	**2578965**	**753313**	**3244971**

स्रोतः SLBC

तालिका – 12.6 B

UTTARAKHAND

BANK WISE TOTAL Progress under PMJDY AS ON 30.09.2025

No. in Actual and Amount in Crore

SR.	Name of Bank	Rural	Urban	Male	Female	Total	Zero Balance A/c	Deposits held in the A/c	Rupay Card Issued	Rupay Card Activated	Aadhaar Seeded
1	STATE BANK OF INDIA	394356	369384	364903	398491	763740	31263	492.65	640602	27140	525245
2	PUNJAB NATIONAL BANK	331798	370603	338183	364191	702401	111841	465.76	759987	364878	598049
3	BANK OF BARODA	211845	277040	337571	350823	688524	25356	674.36	455369	36088	617577
	Total Lead Banks (A)	**937999**	**1017027**	**1040657**	**1113505**	**2154665**	**168460**	**1632.76**	**1855958**	**428106**	**1740871**
4	UNION BANK OF INDIA	178199	81082	135756	123525	259281	54443	137.59	137635	77299	217999
5	CANARA BANK	135226	75740	106725	104241	210966	31986	188.52	76786	18779	179572
6	CENTRAL BANK OF INDIA	24826	37114	30146	31794	61940	4031	47.08	22065	22065	43443
7	PUNJAB AND SIND BANK	36307	19132	26895	28524	55439	7816	15.63	998	970	29959
8	UCO BANK	73403	23516	47340	49538	96919	10404	51.96	55790	29078	83590
9	INDIAN OVERSEAS BANK	61328	37662	52196	46778	98990	10198	241.01	98990	34492	79135
10	BANK OF INDIA	21342	25662	32254	30095	62369	2605	35.21	55858	29080	56985
11	INDIAN BANK	46526	76652	62229	60925	123178	12070	65.41	50324	34114	79070
12	BANK OF MAHARASHTRA	9027	20454	16271	13210	29481	6641	11.88	23191	23191	27799
	Total Non-Lead Banks (B)	**586184**	**397014**	**509812**	**488630**	**998563**	**140194**	**794.28**	**521637**	**269068**	**797552**
	Total N. Banks (A + B) (C)	**1524183**	**1414041**	**1550469**	**1602135**	**3153228**	**308654**	**2427.04**	**2377595**	**697174**	**2538423**
13	UTTARAKHAND G.B	542586	59083	260275	341394	601669	52449	559.92	115007	25836	562792
14	PRATHAMA U.P GRAMIN BANK	1870	0	1040	830	1870	95	0	0	0	1870
	Total R.R.B. (C)	**544456**	**59083**	**261315**	**342224**	**603539**	**52544**	**559.92**	**115007**	**25836**	**564662**
15	CO-OPERATIVE BANK **(E)**	58310	27384	34244	51808	86052	13966	45.61	16314	10103	73233
	Total Cooperative	**58310**	**27384**	**34244**	**51808**	**86052**	**13966**	**45.61**	**16314**	**10103**	**73233**
	Total (C+D+E)	**2126949**	**1500508**	**1846028**	**1996167**	**3842819**	**375164**	**3032.58**	**2508916**	**733113**	**3176318**
16	THE NAINITAL BANK LTD	10571	7490	11431	16433	27864	3641	0	6484	4331	17925
17	AXIS BANK	2110	8753	7697	3166	10863	2784	6.59	7601	3907	7423
18	ICICI BANK	4270	1517	3179	2608	5787	2192	1.17	5605	1316	1852
19	IDBI BANK	4926	12332	9364	7894	17258	4813	6.34	6929	0	11272
20	HDFC BANK	1675	32644	23825	10494	34319	10248	12.5	34319	7423	17933
21	J & K BANK	0	760	422	338	760	21	0.27	535	210	579
22	FEDERAL BANK	0	111	85	26	111	19	0.02	16	10	59
23	INDUSIND BANK	372	1067	1139	300	1439	119	0.57	962	529	968
24	SOUTH INDIAN BANK	0	3800	2660	1140	3800	0	1.1	1814	82	2715
25	KARNATAKA BANK	0	138	91	47	138	77	0.01	61	60	135
26	YES BANK	1810	80	1261	629	1890	685	0.34	1890	996	1769
27	KOTAK MAHINDRA BANK	317	1327	1176	468	1644	1281	0.08	1264	1264	1643
28	BANDHAN BANK	0	2973	2366	607	2973	1582	0.35	1065	19	2827
29	IDFC FIRST BANK	0	1559	1210	349	1559	411	0.72	1504	53	1553
30	RBL BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Private Bank	**26051**	**74551**	**65906**	**44499**	**110405**	**27873**	**30.07**	**70049**	**20200**	**68653**
31	UJJIVAN SMALL FIN. BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	UTKARSH SMALL FIN. BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	JANA SMALL FIN. BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	SHIVALIK SMALL FINANCE BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	EQUITAS SMALL FIN. BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SMALL FINANCE BANK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Total All Bank	**2153000**	**1575059**	**1911934**	**2040666**	**3953224**	**403037**	**3062.64**	**2578965**	**753313**	**3244971**

स्रोतः SLBC

(ख) प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अन्तर्गत सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पहलः प्रधानमंत्री जन–धन योजना के कार्यान्वयन के द्वितीय चरण के अन्तर्गत भारत सरकार ने गरीबों तथा साधारण व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पहल के रूप में तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शुरू किया है जिनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैः–

i) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना(PMSBY): प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत 01.04.2025 से 30.09.2025 तक 49.71 लाख ग्राहकों को अच्छादित किया गया है।

ii) प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY):प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत 01.04.2025 से 30.09.2025 तक 18.14 लाख ग्राहकों को अच्छादित किया गया है।

iii) अटल पेंशन योजना (APY) : अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा 9.30 लाख ग्राहकों को नामांकित किया है। इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता और जागरूकता अभियान के माध्यम से Financial Literacy Centres आयोजित करके लक्षित समूहों के अच्छादन को गति प्रदान करने के लिए ध्यान केंद्रित किया गया है।

बैंकों की व्यापारिक मात्रा :

12.10 राज्य के सभी बैंको द्वारा 30.09.2024 से 30.09.2025 तक जमा मे ₹ 227375 करोड़ से ₹ 252058 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का योगदान **68.41** प्रतिशत, आर.आर.बी. का **3.49** प्रतिशत, सहकारी बैंकों का **6.48** प्रतिशत, तथा निजी क्षेत्र के बैंकों का **21.60** प्रतिशत योगदान रहा है। बैंकों द्वारा जमा राशि में वर्ष दर वर्ष **10.86** प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल अग्रिमों में 30.09.2024 से 30.09.2025 तक ₹ 121092 करोड़ से ₹ 123320 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है। इस प्रकार 30.09.2025 तक बैंकों द्वारा ऋण राशि में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 1.84 प्रतिशत रही।

12.11 30.09.2025 तक राज्य में बैंकों का कुल कारोबार ₹ **375378** करोड़ पार कर गया तथा वर्ष दर वर्ष वृद्धि 7.72 प्रतिशत रही। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने अपनी हिस्सेदारी से **63.66** प्रतिशत की भागीदारी से बाजार व्यापार पर अधिकार किया। तुलनात्मक आंकड़े नीचे तालिका 12.7 में दर्शाए गए है–

तालिका–12.7
उत्तराखण्ड में बैंकों के तुलनात्मक आंकड़े

(₹ करोड में)

क्र. सं.	मद	30.09.2024	30.09.2025	सितम्बर 2024 से सितम्बर 2025 में परिवर्तन (वर्ष दर वर्ष)	
				सम्पूर्ण	प्रतिभात
1-	**जमा राशि (पी.पी.डी.)**				
1.1	ग्रामीण	56581	62301	5470	10.11
1.2	शहरी/अर्ध शहरी	170794	189757	18963	11.10
1.3	**कुल (1.1+1.2)**	**227375**	**252058**	**24683**	10.86
2-	अग्रिम (ओ/एस)				
2.1	ग्रामीण	21639	24264	2625	12.13
2.2	शहरी/अर्ध शहरी	99453	99056	-397	-0.4
2.3	**कुल (21+2.2)**	**121092**	**123320**	**2228**	1.84
3-	**कुल बैंकिंग व्यापार (जमा+अग्रिम) (1.3+2.3)**	**348467**	**375378**	**26911**	7.72
4-	बैंकों द्वारा राज्य सरकार के बांड़/प्रतिभूतियों में निवेश	3276	3335	59	1.80
5-	जमा उधार अनुपात थरोट कमेटी के आधार पर	54%	54%		
6-	**प्राथमिक क्षेत्रोंमें अग्रिम (ओ/एस) जिनमें से:**	**54191**	**64230**	**10039**	**18.53**
	(i) कृषि	14882	15910	**1028**	**6.91**
	(ii) एम.एस.ई.	28857	35274	**6417**	**22.24**
	(iii) ओ.पी.एस.	10452	13044	**2592**	**24.80**
7-	गरीबों को अग्रिम	13970	12433	**-1537**	**-11.00**
8-	डी.आर.आई.अग्रिम	2.73	2.55	**-0.18**	**-6.59**
9-	अप्राथमिक क्षेत्रोंमें अग्रिम	55620	59090	**3470**	**6.24**
10-	शाखाओं की संख्या	2572	2622	**50**	**1.94**

11-	महिलाओं के लिए अग्रिम	16602	19879	**3277**	**19.74**
12-	अल्प–संख्यकोंको ऋण	5683	6473	**790**	**13.90**
13-	अनुसूचित जातियों / अनुसूचितजन जातियों को अग्रिम	6689	7305	**616**	**9.21**

स्रोतः SLBC

12.12 सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयनः

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister Employment Generation Programme) : इस योजना के अन्तर्गत राज्य में के. वी.आई.सी. (Khadi & Village Industries Commission) / के.वी.आई.बी. (Khadi & Village Industries Board) तथा डी.आई.सी. (District Industries Centre) द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के मार्जिन राशि के दिनांक 30.09.2024 के अर्द्ध वार्षिक लक्ष्य ₹ 26.82 करोड़ के सापेक्ष ₹ **31.79** करोड़ (118 प्रतिशत) की प्रगति दर्ज की गयी है, जबकि दिनांक 30.09.2025 के अर्द्ध वार्षिक लक्ष्य ₹ **9.78** करोड़ के सापेक्ष ₹ **3.90** करोड़ की प्रगति दर्ज की गयी है।

ख) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livlihood Mission) : चालू वर्ष में 30.09.2025 तक 8078 स्वंय सहायता समूहों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अर्न्तगत सहायता स्वीकृत की गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 30.09.2025 तक 3067 समूहों को लाभान्वित किया गया है।

ग) किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): 30.09.2025 तक बैंकों द्वारा योजना की शुरूआत से जरूरतमंद किसानों को कुल 577073 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं, जिसमें से गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में 174005 नये किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये है।

घ) ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (Rural Self Employment Training Institutes) : राज्य के 13 जिलों में अग्रणी बैंक जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, पी0एन0बी0, बैंक ऑफ बड़ोदा ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आर.एस.ई. टी.आई.) का गठन किया है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 दिनांक 30.09.2024 तक में बैंकों द्वारा ग्रामीण युवाओं को ऋण संबद्धता के साथ–साथ स्वयं निरन्तर विकास के लिए लाभकारी उपक्रमों को अपनाने हेतु प्रशिक्षत किया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में दिनांक 30. 09.2025 तक 4113 ग्रामीण युवाओं को ऋण संबद्धता के साथ–साथ स्वयं निरन्तर विकास के लिए लाभकारी उपक्रमों को अपनाने हेतु प्रशिक्षत किया है। उक्त कार्यक्रमों में से चयनित कौशल विकास कार्यक्रमों को नाबार्ड द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

12.13 डिजिटल लेनदेन के अंतर्गत प्रगति :

राज्य में बैंकों द्वारा दिनांक 30.09.2025 तक विभिन्न डिजीटल माध्यम से किये गये लेनदेन का विवरण जिलावार एवं बैंकवार स्थिति तालिका संख्या 12.6.A एवं 12.6.B में दर्शायी गयी हैः–

TABLE -12.A

UTTARAKHAND

DISTRICT WISE DIGITAL TRANSACTION AS ON 30.09.2025

No. in Actual and Amount in Crore

SR.	NAME OF BANK	BHIM/UPI		BHIM Aadhaar		Bharat QR Code		IMPS		Cards (Debit & Credit)		USSD	
		No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.
1	ALMORA	33225688	3904.65	644	0.14	2652	2.07	137097	1120.16	452574	181.83	204613	42.50
2	BAGESHWAR	12186017	1459.48	557	0.06	412	0.23	70734	392.11	162625	67.40	89355	19.72
3	CHAMOLI	24693043	2739.16	422	0.03	1463	4.46	73678	313.58	183266	84.30	185814	41.56
4	CHAMPAWAT	14839360	1893.84	293	0.02	1311	0.60	81969	1351.31	211795	85.18	86037	18.80
5	DEHRADUN	234474927	128842.95	5276	1.62	294570	90.47	2637715	73961.45	5619424	2404.51	1495835	364.85
6	HARIDWAR	151640233	100665.65	9600	11.69	41218	23.10	2400312	43967.63	3263759	1273.44	346130	67.16
7	NAINITAL	87246254	28901.64	1553	0.38	239349	20.28	899519	12320.03	2005106	785.96	432040	98.29
8	PAURI GARHWAL	41307517	5565.68	567	0.08	20867	4.40	217175	3240.16	618798	301.43	366724	78.98
9	PITHORAGARH	29281070	3466.63	629	0.05	4445	1.60	97956	644.58	176064	80.13	354383	72.68
10	RUDRA PRAYAG	14906563	1908.41	244	0.04	971	1.93	129607	495.89	105607	42.52	86216	19.73
11	TEHRI GARHWAL	29881473	4187.78	783	0.12	569	0.41	147885	789.41	298053	135.44	125865	30.13
12	UDAM SINGH NAGAR	145492195	75758.89	22589	5.09	238971	51.56	1986324	53397.86	3460474	1481.17	375281	71.61
13	UTTAR KASHI	19472102	2435.60	347	0.05	2577	1.17	110399	728.98	257614	119.13	65203	15.20
	Total	**838646442**	**361730.37**	**43504**	**19.35**	**849375**	**202.28**	**8990370**	**192723.15**	**16815159**	**7042.44**	**4213496**	**941.21**

TABLE -12.B

UTTARAKHAND

BANK WISE TOTAL INVESTMENT CREDIT UNDER DIGITAL TRANSACTION AS ON 30.09.2025

No. in Actual and Amount in Crore

SR.	NAME OF BANK	BHIM/UPI		BHIM Aadhaar		Bharat QR Code		IMPS		Cards (Debit & Credit)		USSD	
		No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.
1	STATE BANK OF INDIA	340168721	39762.31	7	0.00	0	0.00	9825	0.76	2386	0.31	4038459	921.88
2	PUNJAB NATIONAL BANK	134940494	19336.26	3054	0.65	0	0.00	2029295	2485.17	4145630	1921.67	0	0.00
3	BANK OF BARODA	92428990	9912.58	15461	3.44	0	0.00	380988	1065.70	2438513	881.96	398	0.04
	Total Lead Banks (A)	**567538205**	**69011.15**	**18522**	**4.09**	**0**	**0.00**	**2420108**	**3551.62**	**6586529**	**2803.94**	**4038857**	**921.92**
4	UNION BANK OF INDIA	35120806	4397.29	14316	2.39	0	0.00	585453	677.93	66888	1.23	0	0.00
5	CANARA BANK	39842815	6487.38	0	0.00	0	0.00	18	0.14	1234658	545.46	148	0.02
6	CENTRAL BANK OF INDIA	79218	1037.91	282	0.17	0	0.00	21666	149.76	26741	80.01	0	0.00
7	PUNJAB AND SIND BANK	1889595	190.86	0	0.00	34668	15.82	12158	24.66	41201	17.36	0	0.00
8	UCO BANK	0	0.00	0	0.00	1	0.00	351598	386.56	357163	169.80	0	0.00
9	INDIAN OVERSEAS BANK	0	0.00	0	0.00	0	0.00	384	4.96	228130	92.07	0	0.00

10	BANK OF INDIA	73678	872.63	682	0.30	0	0.00	2043	55.04	53271	16.58	0	0.00
11	INDIAN BANK	18378955	1658.29	0	0.00	0	0.00	256608	294.83	556765	200.01	0	0.00
12	BANK OF MAHARASHTRA	1305523	154.80	0	0.00	476002	29.04	76292	73.13	0	0.00	0	0.00
	Total Non-Lead Banks (B)	**96690590**	**14799.17**	**15280**	**2.86**	**510671**	**44.86**	**1306220**	**1666.99**	**2564817**	**1122.52**	**148**	**0.02**
	C = Total N. Banks (A + B)	**664228795**	**83810.32**	**33802**	**6.95**	**510671**	**44.86**	**3726328**	**5218.62**	**9151346**	**3926.46**	**4039005**	**921.94**
13	UTTARAKHAND G.B	267590	2081.81	0	0	0	0	10768	195.27	14118	32.07	0	0
14	PRATHAMA U.P GRAMIN BANK	2770	8.54	2750	9.77	158	2.08	1570	5.03	2770	9.53	0	0
	Total R.R.B. (D)	**270360**	**2090.35**	**2750**	**9.77**	**158**	**2.08**	**12338**	**200.3**	**16888**	**41.59**	**0**	**0**
15	CO-OPERATIVE BANK	0	0	0	0	2109	4.61	135254	90.89	530739	324.06	0	0
	Total Cooperative (E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**2109**	**4.61**	**135254**	**90.89**	**530739**	**324.06**	**0**	**0**
	Total (C+D+E)	**664499155**	**85900.66**	**36552**	**16.72**	**512938**	**51.55**	**3873920**	**5509.81**	**9698973**	**4292.11**	**4039005**	**921.94**
16	THE NAINITAL BANK LTD	59643	391.74	0	0	0	0	0	0	8775	10.97	0	0
17	AXIS BANK	199708	6534.44	0	0	85446	67.25	41387	175416.69	51866	252.96	0	0
18	ICICI BANK	140758	3863.05	1	0	47917	24.81	66936	1941.4	28038	213.04	0	0
19	IDBI BANK	6535534	913.85	5360	1.9	0	0	31985	102.2	43283	9.53	7	0
20	HDFC BANK	105827531	20966.37	0	0	1639	1.17	2256698	5649.83	6336711	2025.44	0	0
21	J & K BANK	2423	64.14	2	0	0	0	1203	32.08	1757	8.62	0	0
22	FEDERAL BANK	24377	4.77	0	0	0	0	12803	24.21	8509	3.1	0	0
23	INDUSIND BANK	19959277	4000.66	0	0	0	0	1953535	1987.03	5044	0.58	0	0
24	SOUTH INDIAN BANK	1223492	128.79	0	0	0	0	111573	92.79	45593	17.17	0	0
25	KARNATAKA BANK	33040	11.51	0	0	0	0	2803	9.78	3999	1.95	0	0
26	YES BANK	5971732	1354.56	1589	0.73	200944	44.07	328538	1027.93	314870	81.37	0	0
27	KOTAK MAHINDRA BANK	7956165	1490.24	0	0	491	13.42	60656	177.66	15986	4.46	0	0
28	BANDHAN BANK	22775125	235593.87	0	0	0	0	205868	609.55	120995	53.03	174484	19.27
29	IDFC FIRST BANK	0	0	0	0	0	0	3217	20.11	458	0.2	0	0
30	RBL BANK	285514	57.7	0	0	0	0	8360	30.11	6572	5.07	0	0
	Total Private Bank	**170994319**	**275375.7**	**6952**	**2.63**	**336437**	**150.72**	**5085562**	**187121.38**	**6992456**	**2687.49**	**174491**	**19.27**
31	UJJIVAN SMALL FIN. BANK	1224973	122.53	0	0	0	0	7601	19.52	96041	49.05	0	0
32	UTKARSH SMALL FIN. BANK	1575993	273.05	0	0	0	0	9801	37.04	19214	9.59	0	0
33	JANA SMALL FIN. BANK	184319	30.62	0	0	0	0	6884	14.36	4784	2.3	0	0
34	SHIVALIK SMALL FINANCE BANK	167107	25.53	0	0	0	0	6294	16.26	3515	1.75	0	0
35	EQUITAS SMALL FIN. BANK	576	2.28	0	0	0	0	308	4.79	176	0.16	0	0
	SMALL FINANCE BANK	**3152968**	**454.01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30888**	**91.97**	**123730**	**62.84**	**0**	**0**
	Total All Bank	**838646442**	**361730.37**	**43504**	**19.35**	**849375**	**202.28**	**8990370**	**192723.15**	**16815159**	**7042.44**	**4213496**	**941.21**

1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture & Rural Development):

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) भारत में ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए एक प्रमुख वित्तीय संस्था है। 12 जुलाई 1982 को स्थापित, नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को बढ़ावा देना, सहकारी बैंकों व समितियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सशक्त बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास करना, सामाजिक–आर्थिक बदलाव को प्रोत्साहित करना और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग देना है। नाबार्ड के सक्रिय सहयोग से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सामाजिक व आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। नाबार्ड अपनी योजनाओं के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण युक्त अनुदान योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर रहा है।

2. ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना विकास निधि (Rural Infrastructure Development Fund&RIDF)

भारत सरकार द्वारा नाबार्ड में वर्ष 1995–96 में ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) की स्थापना की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों की चल रही आधारभूत संरचना संबन्धित योजनाओं को पूर्ण करने तथा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए रियायती ऋण दिए जाते हैं। किसी स्थान से सम्बन्धित विशेष संरचना ढांचे के विकास, जिसका सीधा असर समाज व ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था पर हो, को भी इसमें वित्तीय सहायता दी जाती है।

2.1. शुरुआत से ही, आरआईडीएफ राज्य सरकारों के लिए विकास कार्यों के लिए भरोसेमंद स्रोत रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार हर वर्ष आरआईडीएफ के लिए वार्षिक आबंटन करती है। प्रारम्भ में आरआईडीएफ का उपयोग राज्य सरकार की सिंचाई क्षेत्र की अधूरी पड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया गया था। परन्तु समय के साथ–साथ इस निधि के तहत वित्तीय सहायता का क्षेत्र विस्तृत करके 39 कार्यकलापों जिनमें कृषि तथा संबंधित क्षेत्र (सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा, पशुपालन क्षेत्र आदि), सामाजिक क्षेत्र (प्राथमिक/तकनीकी शिक्षा, पेयजल, आदि) तथा ग्रामीण सम्पर्क (सड़कें एवं पुल) सम्बन्धित आधारभूत कार्यकलापों को सम्मिलित किया गया है। इस निधि के अन्तर्गत वर्ष 1995–96 में आरआईडीएफ–I में ₹ 2,000 करोड़ का बजट प्रावधान था जो अब बढ़कर आरआईडीएफ–XXXI में (वर्ष 2025–26) में ₹ 35,000 करोड़ हो गया है।

2.2. आरआईडीएफ के अर्न्तगत उत्तराखण्ड राज्य को 31 दिसंबर 2025 तक 5601 परियोजनाओं के लिए ₹ 12,980.76 करोड़ की स्वीकृति दी जा चुकी है जिनमें से मुख्यतः ग्रामीण सड़कें, पुल, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा, पेयजल, शिक्षा, पशुपालन, आदि की परियोजनाएं शामिल हैं। 31 दिसंबर 2025 तक आरआईडीएफ के अन्तर्गत कुल ₹ 11135.17 करोड़ की ऋण राशि जारी की जा चुकी है।

2.3. 31 दिसंबर 2025 तक स्वीकृत की गई इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद 23 लाख से अधिक लोगों को पीने का पानी, 15,984 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कें, 27,759 मीटर स्पैन पुलों के निर्माण तथा 2.45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी/ हो रही है।

3. नाबार्ड अवसंरचना विकास सहायता –नीडा (NABARD Infrastructure Development Assistance – NIDA)

NIDA की शुरुआत वर्ष 2010–11 में राज्य सरकारों/केंद्र एवं राज्य–स्वामित्व वाली

संस्थाओं / कॉरपोरेशनंस / फेडरेशनंस / स्थानीय निकायों / निजी कंपनियों / विशेष प्रयोजन वाहन (SPVs) और अन्य पात्र संस्थाओं को ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण हेतु दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु की गई थी। NIDA के अंतर्गत कृषि, परिवहन, ऊर्जा, पेयजल एवं स्वच्छता तथा सामाजिक एवं वाणिज्यिक अवसंरचना से संबंधित परियोजनाएँ, जो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ पहुँचाती हैं, वित्तपोषण के लिए पात्र हैं। NIDA के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधा को परियोजना की प्रकृति और उधारकर्ता की आवश्यकता के अनुसार पुनर्भुगतान अवधि, मोरेटोरियम, सुरक्षा आदि के संदर्भ में अनुकूलित किया जा सकता है।

नाबार्ड द्वारा उत्तराखंड में पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (PTCUL) को 220 केवी सबस्टेशन, पिरानकलीयर (इमलीखेड़ा) पर 01 संख्या 220 केवी लाइन बे और बस विस्तार के निर्माण हेतु ₹ 6.02 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है, यह परियोजना 220 केवी पिरानकलीयर (इमलीखेड़ा) – पुहाना डबल सर्किट लाइन के अंतर्गत NIDA के माध्यम से स्वीकृत की गई है।

4. खाद्य प्रसंस्करण निधि (FPF): भारत सरकार ने वर्ष 2014 में ₹ 2,000 करोड़ की निधि से नाबार्ड में खाद्य प्रसंस्करण निधि स्थापित की थी जिसके तहत क्लस्टर आधार पर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से नामित फूड पार्क की स्थापना और नामित फूड पार्को में खाद्य / कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। खाद्य प्रसंस्करण निधि का प्रमुख उद्देश्य, देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज की बर्बादी को कम करना और रोजगार के अधिक अवसर सृजित करना है। उत्तराखण्ड राज्य में पतंजलि मेगा फूड पार्क में 02 प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने हेतु ₹ 36.80 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है ।

5. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत माइक्रो इरीगेशन फंड (MIF):

पीएमकेएसवाई 01 जुलाई, 2015 को लागू की गई थी जिसका उद्देश्य सिंचाई का दायरा बढ़ाने, 'हर खेत को पानी तथा पानी के प्रयोग की दक्षता बढ़ाना' Per Drop More Crop था। माइक्रो इरिगेशन फंड, जो नाबार्ड के पास है, का कॉर्पस वर्ष 2022–23 के दौरान बढ़ाकर ₹ 10,000 करोड़ कर दिया गया है। राज्य सरकारें इस फंड के अंतर्गत नाबार्ड से ऋण ले सकती है। 31.03.2025 तक नाबार्ड द्वारा एम.आई.एफ के तहत 4719.10 करोड़ रुपये के ऋण प्रस्तावों को स्वीकृत एवं 3639.50 करोड़ रुपये वितरित किये गये हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान नाबार्ड, उत्तराखंड ने इस फ़ंड के अंतर्गत ₹ 5.06 करोड़ के ऋण प्रस्ताव को स्वीकृत किया है व 30 दिसंबर 2025 तक ₹ 57.97 लाख इस फ़ंड के अंतर्गत वितरित किए जा चुके हैं।

6. मत्स्य पालन और जलचरपालन आधारभूत संरचना विकास निधि (Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund & FIDF)

भारत सरकार ने वर्ष 2018–19 में कुल ₹ 7,522.48 करोड़ के कोष के साथ मत्स्यपालन और जलचरपालन आधारभूत संरचना विकास निधि (FIDF) की स्थापना की थी। इस निधि का उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समुद्री तथा अंतर्देशीय मत्स्य क्षेत्रों में मत्स्य अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण करना है। इस निधि का कार्यान्वयन पांच वर्षों (2018–19 से 2022–23) की अवधि के दौरान किया जाना था। हालांकि, FIDF द्वारा किए गए योगदान और उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए, तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से निवेश को और बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार द्वारा इस कोष को पूर्व–स्वीकृत कोष सीमा के भीतर 01.04.2023 से 31.03.2026 तक बढ़ा दिया गया है। नाबार्ड इस निधि के अंतर्गत नोडल लेंडिंग संस्थाओं में से एक है।

उत्तराखंड को वर्ष 2024 में विश्व मत्स्य दिवस के

अवसर पर राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) द्वारा हिमालयी एवं उत्तर–पूर्वी राज्यों की श्रेणी में "सर्वश्रेष्ठ राज्य" पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो इस क्षेत्र में राज्य की उत्कृष्ट उपलब्धियों और नवाचारपूर्ण पहलों को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2025–26 में, नाबार्ड द्वारा उत्तराखंड सरकार (GoUK) को राज्य के सभी पर्वतीय जिलों में ट्राउट मत्स्य विकास के लिए ₹ 133.00 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य राज्य में उपलब्ध संभावित संसाधनों का उपयोग करके ट्राउट मछली उत्पादकों को बढ़ावा देना, बढ़ती मांग के लिए स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना, पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार अवसर उत्पन्न करना, बीज उत्पादन इकाइयों तथा प्रसंस्करण/भंडारण सुविधाओं को एकीकृत कर क्षेत्र का समग्र विकास करना हैं।

7. पुनर्वित्त सहायता (Re&Finance Support):
ग्रामीण आवास, लघु सड़क परिवहन चालकों, भूमि विकास, लघु सिंचाई, डेयरी विकास, स्वयं सहायता समूह, कृषि यंत्रीकरण, मुर्गी पालन, वृक्षारोपण, बागवानी, भेड़/ बकरी/ सुअर पालन, पैकिंग, अन्य क्षेत्रों में ग्रेडिंग, इत्यादि विभिन्न कार्यों के लिए पुर्नवित सहायता स्वरूप नाबार्ड द्वारा वर्ष 2024–25 में बैंकों को ₹ 3459.44 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई है। जिसमें सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संसाधनों को सप्लीमेंट करने के लिए दीर्घावधि ऋण के अधीन, वर्ष 2024–25 में ₹ 420.90 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है। नाबार्ड ने वर्ष 2024–25 के लिए सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा फसल ऋण वितरण में अधिक योगदान करने के लिए ₹ 1,202 करोड़ की ऋण सीमा एस.टी. (एस. ए.ओ.) (Short Term Seasonal Agriculture Operation) के अन्तर्गत स्वीकृत की है तथा बैंकों द्वारा 31 मार्च 2025 तक ₹ 1118 करोड़ का पुर्नवित्त नाबार्ड से लिया गया है। नाबार्ड ने वर्ष 2024–25 के लिए अल्पावधि मौसमी कृषि कार्यों के अलावा अन्य गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए भी सहकारी बैंकों एवं उत्तराखंड ग्रामीण बैंक को ₹ 300.00 करोड़ की अल्पावधि (अन्य) पुनर्वित्त की मंजूरी दी है जिसके अंतर्गत बैंकों ने 31 मार्च 2025 तक ₹ 259 करोड़ का पुनर्वित्त नाबार्ड से लिया है।

8. सूक्ष्म ऋण (Micro Finance):
स्वयं सहायता समूह– बैंक ऋण सहबद्धता कार्यक्रम (एसएचजी बीएलपी) अब पूरे प्रदेश में एक सशक्त आधार के साथ फैल गया है। इस कार्यक्रम को उच्च स्तर पर पहुँचाने में मानव संसाधनों और वित्तीय उत्पादों का विशेष योगदान रहा है। उत्तराखंड राज्य में 31 दिसंबर 2025 तक 55444 स्वयं सहायता समूहों और 1238.55 करोड़ संयुक्त देयता समूहों को क्रेडिट लिंक किया गया है।

9. जलागम विकास निधि (Watershed Development Fund):
जलागम विकास निधि के अर्न्तगत चल रही 15 परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई राशि ₹ 366.71 लाख में से ₹ 313.69 लाख वितरित किए गए हैं। सभी परियोजनाओं में लगभग 11,164 हैक्टेयर भूमि को सम्मिलित किया गया है। इन परियोजनाओं से न केवल पानी की उपलब्धता बढ़ेगी बल्कि इनसे प्राकृतिक संरक्षण, खेती की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ–साथ चरागाहों के घटते आकार को रोकने और इसे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे राज्य में पशुधन से सम्बन्धित कार्यकलापों को भी लाभ पहुंचेगा

10. जनजातीय विकास निधि (Tribal Development Fund)
नाबार्ड ने जनजातीय विकास निधि के अर्न्तगत 14 परियोजनाओं के लिए स्वीकृत ₹ 2255.66 लाख में से ₹ 1,512.03 लाख की अनुदान राशि दिसम्बर, 2025 तक छोटे उद्यानों, पशुपालन, इत्यादि इकाइयों की स्थापना के लिए वितरित कर दी है। इन परियोजनाओं से 5,045 जन–जातीय परिवार

लाभान्वित हुए हैं। इन परियोजनाओं में आड़ू, खुमानी, नींबू, सेब, नाशपाती, कीवी के बगीचे भी लगाए गए, साथ ही जिन जनजातीय परिवारों के पास खेती हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है उनको आजीविका अर्जन हेतु अन्य गतिविधियां जैसे गाय पालन, बकरी पालन, अंगोरा खरगोश तथा मौन पालन जैसी अन्य गतिविधियों के लिए सहायता की गयी है, जिनसे जनजातीय लोगों ने अपनी आय बढ़ाकर अपने जीवन स्तर में सुधार किया है।

11. किसान उत्पादक संगठनों (Farmers Producers Organization) को प्रोत्साहन:

किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को अब व्यापक रूप से एकत्रीकरण, बड़े पैमाने की किफ़ायतों, संसाधनों के पूलिंग के लाभों को हासिल करने और किसानों के बीच बिखरी हुई जोत और अव्यवस्था की चुनौतियों को कम करने के उपाय के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। एफपीओ की सामूहिक अवधारणा, विशेष रूप से, छोटी जोत वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए, महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है क्योंकि एफपीओ सदस्य सामूहिक रूप से नवीनतम तकनीक, गुणवत्ता वाले इनपुट जैसे बीज, उर्वरक आदि को अपनाने के लिए अपनी पहुंच बना सकते हैं। एफपीओ सदस्य अपनी योग्य अधिशेष (Marketing Surplus) को व्यक्तिगत रूप से बेचने के बजाय थोक में बेचने से अच्छा मूल्य प्राप्त करते हैं। राज्य में, नाबार्ड ने 140 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बनाने में सहायता प्रदान की है। 2018–19 से 2025–26 (31 दिसम्बर 2025) तक पीओडीएफ–आईडी फंड के तहत 60 एफपीओ को ₹ 1034 लाख की अनुदान सहायता प्रदान की गई है। 2021–22 से 2025–26 (31 दिसम्बर 2025) तक एफपीओ की केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत ₹ 822.13 लाख की अनुदान सहायता प्रदान की गयी है। वर्तमान में, राज्य में नाबार्ड द्वारा सहायता प्राप्त 105 सक्रिय एफपीओ हैं।

भारत सरकार ने वर्ष 2019–20 के बजट में 10,000 एफपीओ को बनाने एवं पोषण हेतु केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम की घोषणा की थी, जो अगले 05 वर्ष के दौरान क्रियान्वित की जाएगी। स्कीम के उचित क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त ऋण सहायता प्रदान करने हेतु दो अलग–क्रेडिट गारंटी फंड (₹ 1,000 करोड़ का फंड नाबार्ड के पास एवं ₹ 500 करोड़ एनसीडीसी के पास) बनाए गए हैं। उत्तराखंड राज्य के लिए एफपीओ पर केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) के तहत 165 क्लस्टर (नाबार्ड: 30, एनसीडीसी: 36, नाफेड:31, एनडीडीबी:4, ट्राईफेड:2 और एसएफएसी: 47, एफडीआरवीसी:15) एफपीओ बनाये गये हैं।

नाबार्ड की सब्सिडियरी नैबकिसान फाइनेंस लि. द्वारा भी 05 एफपीओ को क्रेडिट सुविधा प्रदान की गई है।

12. ग्रामीण गैर–कृषि क्षेत्र (Rural Non & Agriculture sector):

नाबार्ड ने ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है। ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में उत्पादों के विपणन और उत्पादन के लिए पुनर्वित्त उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त नाबार्ड युवाओं के लिए कौशल एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। नाबार्ड आरसेटी (RSETI) / रूडसेटी (RUDSETI), NSDC अनुमोदित साझेदार, गैर सरकारी संगठन , कॉर्पोरेट संस्थानो के CSR जैसी संस्थाएं जो कि ग्रामीण युवकों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देती हैं ताकि उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार मिल सके और वे आय–सृजक गतिविधियां शुरू कर सकें जिसके लिए नाबार्ड आर्थिक सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2023–24 से वर्ष 2025–26 के दौरान राज्य के ग्रामीण युवकों के कौशल विकास हेतु नाबार्ड ने 12 कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु ₹ 41.65 लाख के अनुदान को स्वीकृति प्रदान की गयी है

13. निवेश ऋण (Investment Credit)– सब्सिडी स्कीम

नाबार्ड 01 अप्रैल 2014 से एकीकृत कृषि आधारभूत

संरचना योजना (ISAM) की उपयोजना कृषि विपणन आधारभूत सुविधा (AMI) के अंतर्गत सब्सिडी का प्रबंधन करता रहा है. भारत सरकार की विपणन योग्य कृषि संबंधी अधिशेष के प्रभावी प्रबंधन के लिए विपणन संबंधी बुनियादी ढाँचे के विकास एवं फसल कटाई में प्रयुक्त होने वाली नवप्रवर्तनशील तकनीकों को बढ़ावा देने वाली एक नई उप योजना भी, 22 अक्तूबर 2018 से 10 जून 2025 तक क्रियाशील थी। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न वर्गों के लाभार्थियों हेतु 50 MT से 10000 MT की क्षमता के कृषि गोदामों एवं अन्य कृषि मूलभूत संरचना के निर्माण हेतु 33.33/25 प्रतिशत की सब्सिडी लागत का प्रावधान है। इस योजना में अन्य गतिविधियों जैसे ग्रेडिंग, पैकिजिंग, गुणवत्ता परीक्षण, प्रणालीकरण, मूल्य संवर्धन सुविधाएं, इत्यादि हेतु भी सब्सिडी देने का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार की एक अन्य योजना – कृषि क्लीनिक और कृषि व्यापार केन्द्र (ACABC) योजना भी राज्य में संचालित की जा रही है जिसके लिए नाबार्ड के माध्यम से अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। उत्तराखण्ड राज्य में 31.12.2025 तक, कृषि क्लीनिक और कृषि व्यापार केन्द्र योजना के अन्तर्गत 64 लाभार्थियों को ₹ 344.56 लाख का अनुदान दिया गया है।

14. संस्थागत विकास (Institutional Development):

देश में ग्रामीण वित्तीय प्रणाली को एक मजबूत और कुशल ऋण वितरण प्रणाली की आवश्यकता है, जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए विस्तारित और विविध ऋण आवश्यकताओं की देखभाल करने में सक्षम हो। ग्रामीण सहकारी बैंक (आरसीबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) ग्रामीण ऋण वितरण में शामिल दो महत्वपूर्ण संस्थान हैं। संस्थागत विकास विभाग (आईडीडी) नाबार्ड की स्थापना के बाद से ग्रामीण वित्तीय संस्थानों (आरएफआई) के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। नाबार्ड, संस्थागत विकास प्रयासों के तहत प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (PACS) को नीति, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। नाबार्ड अपने कॉपेरेटिव डिवेलपमेंट फ़ंड (सीडीएफ) के माध्यम से सहकारी बैंकों/पैक्स को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जबकि तकनीकी, क्षमता निर्माण और ज्ञान–साझाकरण सहायता सहकारी समितियों के प्रशिक्षण संस्थानों और सहकारी समितियों में व्यावसायिक उत्कृष्टता केंद्र (सी–पीईसी), लखनऊ से आती है। नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान सहकारी बैंकों/ समितियों के 639 स्टाफ़ सदस्यों को 35 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु सहायता उपलब्ध कराई है। उत्तराखंड में PACS का कंप्यूटरीकरण राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 में प्रारंभ किया गया था। NABARD ने उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक को अपने हिस्से के रूप में सहकारी विकास कोष (CDF) के अंतर्गत ₹ 5.00 करोड़ की अनुदान सहायता प्रदान की। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने उत्तराखंड पैक्स के मौजूदा सॉफ्टवेयर को राष्ट्रीय स्तर के सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत करने और मौजूदा डेटा को राष्ट्रीय स्तर के डेटा रिपॉजिटरी पर स्थानांतरित करने के लिए पैक्स कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत उत्तराखंड राज्य को शामिल करने की मंजूरी दी है। सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत उत्तराखंड को 13.48 करोड़ रुपये मंजूर किए है। 29 दिसंबर 2025 तक उत्तराखंड में 670 में से 275 PACS, e-PACS बन चुके हैं।

उत्तराखंड में कुल 602 नए MPACS पंजीकृत किए गए हैं। 31.12.2025 तक, नए MPACS के 318 बचत बैंक खाते खोले गए और राज्य में 10 नए MPACS के संबंध में ₹ 850 लाख की ऋण सीमा स्वीकृत की गई तथा ₹ 327.77 लाख वितरित किए गए। राज्य ने NABARD द्वारा दिए गए मानकों के आधार पर नए MPACS खोलने की संभावनाओं का आकलन करने हेतु पैरामीट्रिक विश्लेषण किया है।

15. वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion):

वित्तीय समावेशन भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड का एक महत्वपूर्ण एजेंडा है, जिसका उद्देश्य देश में अब तक किफायती लागत पर वित्तीय सेवाएँ प्राप्त न कर पाने वाली बड़ी आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना है। नाबार्ड द्वारा पिछले 03 वर्षों के दौरान राज्य में 10,000 वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता कैंप, 31 डेमो वैन, 1,125 PoS / MPoS, 1,000 माइक्रो एटीएम, आदि स्वीकृत की हैं। वर्ष 2022–23, वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं वर्ष 2025–26 के दौरान क्रमश: ₹ 948 लाख, ₹ 379 लाख, ₹ 661 व ₹ 565 लाख (31 दिसंबर 2025 तक) की अनुदान सहायता Financial Inclusion Fund* के तहत वित्तीय संस्थाओं को स्वीकृत की गई है।

16. नैबकॉन्स (NABARD Consultancy Services & NABCONS)

नैबकॉन्स नाबार्ड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है और यह कृषि, ग्रामीण विकास और इससे सम्बन्धित क्षेत्रों में उच्च स्तरीय परामर्श प्रदान करती है। नैबकॉन्स जिन मुख्य क्षेत्रों में परामर्श कार्य प्रदान करती है वह हैं– व्यवहारता अध्ययन, परियोजना तैयार करना, मूल्यांकन, वित्त–पोषण व्यवस्था, परियोजना प्रबंधन और निगरानी, कृषि व्यापार इकाइयों का पुनर्गठन, प्रदर्शन यात्राएं और क्षमता निर्माण, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण, गैर कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना आदि। नैबकॉन्स को वर्ष 2024–25 में "उत्तराखंड सरकार की PM-JAY, AAUY तथा SGHS के क्रियान्वयन के मूल्यांकन हेतु परिणाम–आधारित अध्ययन" नामक असाइनमेंट प्रदान किया गया है। इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- परिणाम–आधारित मूल्यांकन करना
- बजट के युक्तिकरण हेतु तंत्र सुझाना
- क्रियान्वयन तंत्र का विश्लेषण एवं समाधान प्रस्तुत करना

- उत्तराखण्ड को–आपरेटिव फेडेरेशन लिमिटेड द्वारा सोयबीन व खाद्य तेल प्रसंस्करण केन्द्र; हल्दूचौड, हल्द्वानी में प्रकल्पित खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का निर्माण।
- उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि. के अधिकार में आने वाली 102 पैक्सों के बहुउद्देशीय सेवा केंद्रों में उन्नयन हेतु बेस लाइन सर्वे और डीपीआर का निर्माण।
- राज्य में स्थित 1,028 कृषि उपज भण्डारण गोदामों के जीओ टेगिंग का कार्य।
- एसजेवीएन द्वारा स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत बनाए गए शौचालयों के स्वतंत्र मूल्यांकन का कार्य।
- उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित होने वाले खाद्यान्नों के लिए श्वेत पत्र का निर्माण।
- उत्तराखण्ड कृषि विभाग के लिए कृषि उत्पादक संगठनों के संवर्धन के लिए राज्य स्तरीय नीति तैयार करना।
- सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाये जा रही विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत सहसपुर सहकारी ऋण समिति के लिए अनाज भंडारण की स्थापना, इत्यादि।

17. उत्तराखण्ड में जलवायु परिवर्तन के लिए नाबार्ड की पहल:

I. नाबार्ड को यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लाइमेट चेंज के अन्तर्गत स्थापित अनुकूलन निधि (Adaptation Fund) एवं भारत सरकार द्वारा स्थापित जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि (National Adaptation Fund For Climate Change) के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई (National Implementing Agency) तथा ग्रीन क्लाइमेंट फन्ड (GCF) के लिए डायरेक्ट एक्सेस इकाई (Direct Access Entity) नामित किया गया है।

ii. अनुकूलन निधि के तहत, उत्तराखण्ड में ₹ 5.36

करोड की लागत वाली एक जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजना चम्पावत जिले में नाबार्ड द्वारा बी.ए.आई.एफ (कार्यकारी इकाई) की सहायता से निष्पादित किया जा चुका है। इस परियोजना से लगभग 800 परिवार लाभान्वित हुए हैं। इस परियोजना के तहत लगभग ₹ 4.69 करोड की वित्तीय सहायता वितरित की गई है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में क्षेत्रीय कार्यालय ने एक एग्रोफॉरेस्ट्री परियोजना को स्वीकृति दी, जो शहतूत (Mulberry) के पौधारोपण पर केंद्रित है। इस परियोजना से 25 स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें रेशम उत्पादन (Sericulture) और संबद्ध गतिविधियों के माध्यम से आय के अवसर प्राप्त होंगे। ये पहलें सामूहिक रूप से अपरिवर्तनीय संसाधनों पर निर्भरता कम करने, सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने, और जलवायु–संवेदनशील आजीविका सृजित करने का लक्ष्य रखती हैं।

नाबार्ड ने NABARD ग्रीन लेंडिंग सुविधा शुरू की है, जिसके अंतर्गत ग्रीन फाइनेंस के दायरे में आने वाली सभी गतिविधियों के लिए अत्यंत प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण उपलब्ध है। इस उत्पाद के लिए पात्र संस्थाओं में राज्य सरकार, राज्य सरकार की निगमित संस्थाएं, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) भी शामिल हैं।

18. नाबार्ड की अन्य महत्वपूर्ण स्कीम / पहलें

I. पैक्स एक बहुउद्देशीय सेवा केंद्र (PACS as MSC) पैक्स को आत्म निर्भर बनाने हेतु कुछ उचित विकल्प हैं जैसे कि व्यवसाय का विविधिकरण, उपक्रमों के लिए रास्ते तलाशने एवं संसाधनों का उचित व्यवस्था कराना, आदि हैं। इसी उद्देश्य के लिए नाबार्ड ने पैक्स को एमएससी के रूप में परिवर्तित करने हेतु विशेष पुनर्वित्त स्कीम वर्ष 2020–21 में लागू की है। इस योजना के तहत नाबार्ड राज्य सहकारी बैंकों को प्रधान मंत्री अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत लगाई गयी परियोजनाओं के लिए 3% प्रतिवर्ष की दर से (समय–समय पर परिवर्तित), इस शर्त के साथ कि पैक्स से नाबार्ड द्वारा वसूले गए ब्याज से 1% से ज्यादा ब्याज नहीं वसूला जाएगा, सहायता प्रदान कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत किए गए प्रोजेक्ट एग्री इंनफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के अधीन ब्याज में छूट (Interest Subvention) प्राप्त करने के लिए भी पात्र होंगे।

ii. एग्री इंनफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF)

भारत सरकार की आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत इस महत्वाकांक्षी योजना को 09 अगस्त, 2020 को लागू किया था। इस योजना के अंतर्गत पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ढाँचे एवं सामुदायिक कृषि हेतु 3% प्रतिवर्ष की दर पर 7 वर्ष के अधिकतम समय के लिए मध्यम एवं दीर्घ अवधि का ऋण उपलब्ध है। इस योजना के अधीन पूरे देश हेतु ₹ 1.00 लाख करोड़ के ऋण (उत्तराखण्ड राज्य के लिए छः वर्षों (2020–21 से 2025–26 हेतु ₹ 785.00 करोड़ के ऋण की स्वीकृति का लक्ष्य) रखा गया है।

iii. माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इन्टरप्राईजेज को बढ़ावा देने हेतु विशेष पुनर्वित स्कीमः

यह स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में सतत आर्थिक गतिविधियों और रोजगार सृजन अवसर उपलब्ध कराने हेतु जिसमें विशेष फोकस महिला उद्यमियों एवं एसपीरेशनल जिलों पर होगा। यह स्कीम एग्री वैल्यू को बढ़ाने एवं सुदृढ़ करने के लिए बनाए गए हैं। इस योजना के लाभार्थियों को बैंक से रियायती दरों पर ऋण तथा बैंकों को ऋण के सापेक्ष पुनर्वित्त सहायता का प्रावधान है।

iv. सोलर रूफ टॉप (एसआरटी) के साथ ग्रामीण आवास ऋण हेतु विशेष पुनर्वित स्कीमः

संशोधित एनडीसी के अनुसार, भारत ने 2030 तक गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली की

स्थापित क्षमता का हिस्सा 50% तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। इसके समर्थन में, नाबार्ड ग्रिड से जुड़ी एसआरटी प्रणाली की स्थापना के साथ आवासीय घरों के निर्माण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को कम ब्याज दर पर पुनर्वित्त प्रदान कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत 31.12.2025 तक नाबार्ड द्वारा रियायती ब्याज दर पर उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक को ₹ 9.00 करोड़ का दीर्घकालिक पुनर्वित्त प्रदान किया जा चुका है।

v. आकांक्षी जिलों और कम प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) वाले जिलों के लिए विशेष पुनर्वित योजनाः

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के प्रवाह में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए नाबार्ड कम PSL वाले जिलों व आकांक्षी जिलों में काम करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को कृषि एवं ग्रामीण विकास में ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु रियायती ब्याज दर पर पुनर्वित्त प्रदान कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत 31.03.2025 तक नाबार्ड द्वारा रियायती ब्याज दर पर उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक को ₹ 53.80 करोड़ का दीर्घकालिक पुनर्वित्त प्रदान किया जा चुका है।

vi. कृषि अवसंरचना निधि (AIF) के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए विशेष पुनर्वित्त योजनाः

एआईएफ परियोजनाओं में ग्रामीण वित्तीय संस्थानों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक) द्वारा ऋण के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 6% प्रति वर्ष की रियायती दर पर पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जा रहा है।

vii. स्वयं सहायता समूहों को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु पुनर्वित्त योजनाः

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को एनआरएलएम (NRLM) के साथ पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों को वित्तपोषित करने के लिए 3% प्रति वर्ष की रियायती दर पर पुनर्वित्त प्रदान किया जा रहा है। जिससे उन स्वयं सहायता समूहो को 3 लाख रुपये तक का ऋण 7% प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दर और 3 से 5 लाख रुपये के ऋण के लिए 10% प्रति वर्ष या 1 वर्षीय MCLR या बैंक की बेंचमार्क दर, जो भी कम हो, की ब्याज दर पर उपलब्ध हो सके। योजना के अंतर्गत ₹ 21.20 करोड़ की वित्तीय सहायता सहकारी बैंकों को उपलब्ध कारवाई गई है।

19. महासंघों को ऋण सुविधा (Credit Facility to Federations):

सहकारी समितियाँ और महासंघ कृषि व्यवसाय और मूल्य श्रृंखला प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन संस्थाओं द्वारा की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में कृषि उपज की खरीद, एकत्रीकरण, भंडारण, मूल्य संवर्धन तथा विपणन शामिल हैं। इन महासंघों और सहकारी समितियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए मौसमी एवं समयबद्ध अल्पकालिक ऋण सुविधा की आवश्यकता होती है, ताकि उनके संचालन को सुचारु रूप से समर्थन मिल सके। इन संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नाबार्ड CFF के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में खरीफ विपणन के दौरान धान एवं मँडुआ के उपार्जन हेतु ₹ 180 करोड़ की अल्पकालिक ऋण सुविधा उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ (UCF) को स्वीकृत की गई है। जिससे राज्य के किसानों को अपने उत्पाद के दाम उचित रूप तथा समय पर मिल सकेंगें।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास

अध्याय–13
विद्युत
Electricity

13.1 विद्युत समस्त आर्थिक गतिविधियों का आधारस्तम्भ है तथा पर्याप्त विद्युत आपूर्ति से ही तीव्र एवं समावेशी विकास सम्भव है। विगत वर्षों में विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण क्षमता सम्बन्धी योजनाओं का क्रियान्वयन द्रुतगति से चलने के उपरान्त भी विद्युत उपलब्धता के सापेक्ष विद्युत मांग में निरन्तर वृद्धि हो रही है। राज्य में विद्युत उत्पादन हेतु गैरपारम्परिक स्त्रोतों को, अपार सम्भावनाओं के दृष्टिगत्, सम्मिलित किया जा रहा है।

तालिका 13.1
उत्तराखण्ड में वर्षवार विद्युत क्षमता, उत्पादन तथा मांग

वर्ष **Year**	सीापित क्षमता (मे0वा0) **Installed Capacity (MW)**	कुल विद्युत उत्पादन (मि0यू0) **Total Electricity Production (MU)**	कुल विद्युत मांग(मि0यू0) **Total Electricity Demand (MU)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
2011-12	1306.25	5261.82	10571.10
2012-13	1306.25	4812.11	11424.06
2013-14	1288.85	4411.83	11969.21
2014-15	1284.85	4348.95	12440.95
2015-16	1284.85	4942.33	12908.07
2016-17	1284.85	4379.47	13080.91
2017-18	1289.35	4725.66	13455.00
2018-19	1318.56	4663.08	13842.00
2019-20	1318.56	5088.88	13852.00
2020-21	1322.56	5539.00	13135.00
2021-22	1322.60	5157.27	14254.00
2022-23	1447.16	5433.20	15436.00
2023-24	1453.41	4984.53	15690.00
2024-25	1440.60	5175.42	16811.00
Dec- 25 तक	1440.60	4474.79	12665.10

Source: Uttarakhand Jal Vidhyut Nigam Ltd. & Uttarakhand Power Corporation Ltd.

चार्ट 13.1

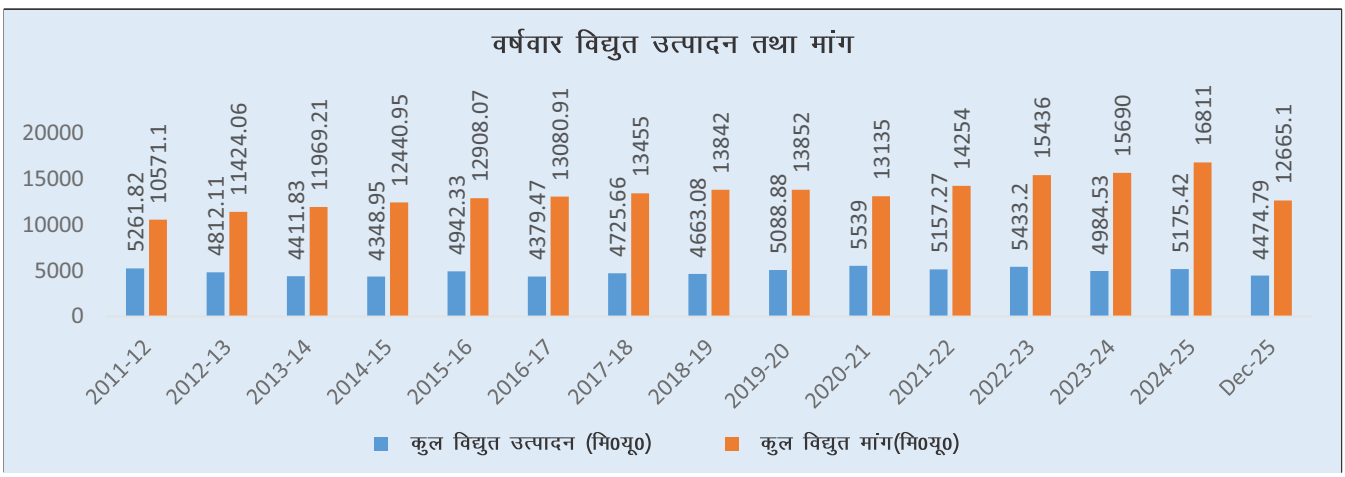

स्रोतः विद्युत विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका 13.2

गत वर्षों में ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों (Aggregate Technical & Commercial Losses)का विवरण

वित्तीय वर्ष	ए0टी0एण्डसी0 हानियॉ
2014-15	18.64%
2015-16	17.19%
2016-17	15.85%
2017-18	16.10%
2018-19	16.52%
2019-20	* 20.44%
2020-21	15. 25%
2021-22	17. 20%
2022-23	15.25%
2023-24	14.64%
2024-25	14.57%
2025-26	13.49% (लक्ष्यान्वित)

स्रोतः विद्युत विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट 13.2

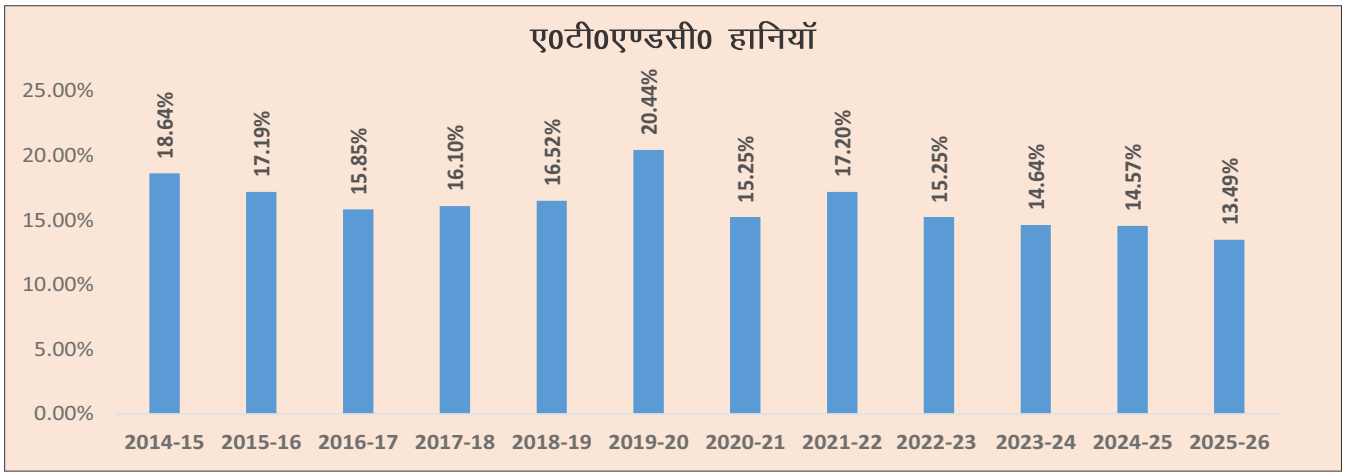

वर्ष 2014–15 में कुल ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस (वाणिज्यिक एवं तकनीकी हानियां) लगभग 18.64 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2025–26 में ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस को कम कर 13.49 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है।

13.2 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा बिलों के ऑनलाईन भुगतान विभिन्न माध्यमों से किये जा रहे है:–

- x वैबसाईट https://www.upcl.org/wss एवं उपभोक्ता मोबाईल एप (Android एवं iOS)
- x विभिन्न थर्ड पार्टी एप जैसे

- x RTGS/ NEFT के माध्यम से ऑनलाईन बैंक ट्रांसफर
- x देव भूमि जन सेवा केन्द्र (CSC Outlet)
- x ऑनलाईन भुगतान को प्रोत्साहित करने हेतु वर्तमान में ऑनलाईन भुगतान पर 1.5% छूट
- x वर्तमान में लगभग 75% विद्युत बिलों का भुगतान ऑनलाईन एवं लगभग 80% विद्युत राजस्व डिजिटल माध्यमों से प्राप्त हो रहा है।

Financial year-wise Digital Payments vs Digital Collection upto Dec-2025

चार्ट 13.3

स्रोतः विद्युत विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट 13.4

स्रोतः विद्युत विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड राज्य 25 वर्षों में ऊर्जा के क्षेत्र में अद्भुत यात्रा का साक्षी बना है। वर्ष 2001 में राज्य में कुल 25 जलविद्युत परियोजनाओं जिसकी स्थापित क्षमता 1112 मेगावाट थी जिनसे 3800 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया जा रहा था, वहीं आज 4269 मेगावाट क्षमता की कुल 45 जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा औसतन 5200 मिलियन यूनिट प्रतिवर्ष विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। राज्य में विद्युत की खपत भी गत 25 वर्षो में लगभग 6 गुना बढकर 17192 मिलियन यूनिट हो गयी है। ऊर्जा नीति और निवेश सुधार हेतु वर्ष 2022 में नई राज्य ऊर्जा नीति लाई गई जिसने निजी निवेश, PPP मॉडल और पर्यावरणीय संतुलन पर विशेष बल दिया। औद्योगिक और पर्यटन क्षेत्रों को स्थिर बिजली आपूर्ति के लिए सिडकुल और पर्यटन स्थलों के लिए समर्पित ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया ताकि कल कारखाने व सेवाएँ निरन्तर चल सकें। सरकार ने विभिन्न नीतिगत सुधार एवं प्रोत्साहनों के माध्यम से ऊर्जा के क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने एवं अग्रणी उत्पादक प्रदेश बनने की दिशा में कई प्रभावशाली कदम उठाये हैं। राज्य ने **जल विद्युत नीति**, **पम्प स्टोरेज परियोजना नीति, भूतापीय ऊर्जा नीति और सौर ऊर्जा नीति** के प्रख्यापन के साथ ऊर्जा की नवोन्मेशी प्रणालियों, बैटरी ऊर्जा भण्डारण प्रणाली, ग्रीन हाईड्रोजन, हाइड्रों काइनेटिक टरबाईन तथा भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में संभावनायें तलाशी जा रही है।

राज्य गठन के समय जहां 1600 गांव अविद्युतीकृत थे, वहीं आज शत–प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। परिचालन दक्षता में सुधार करते हुए आज राज्य ने **पारेषण हानियों को 44.82 प्रतिशत** से कम करते हुए **14.57 प्रतिशत तक** के स्तर पर हैं। राजस्व संग्रह दक्षता में सुधार करते हुए 99 प्रतिशत से अधिक के स्तर पर आ चुके हैं। उपभोक्ताओं के शिकायतों का त्वरित निवारण 24X7 हेल्पलाईन 1912 के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्य गठन के समय पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (पिटकुल) के 17 विद्युत उपकेंद्रों जिनकी कुल क्षमता 1782 एम0वी0ए0 थी, जो आज 51 विद्युत उपेकेन्द्रों के साथ कुल क्षमता 9402.5 एम0वी0ए0 हो गई है। **पिटकुल की केडिट रेटिंग A^+ हो गई है।**

उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) के माध्यम से वर्तमान तक **861 मेगावाट सौलर क्षमता** की स्थापना की जा चुकी है। सौर ऊर्जा नीति 2023 के अन्तर्गत वर्ष 2027 तक **2500 मेगावाट** तक की सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत वर्तमान तक कुल 13,109 लाभार्थियों के माध्यम से 49.69 मेगावाट क्षमता स्थापना की जा चुकी है। समस्त शासकीय भवनों में रूफटॉप सौलर पॉवर प्लांट से आच्छादित करने की तैयारी है जिसमें से आधे से अधिक कार्यालयों में सोलर प्लान्ट स्थापित कर दिये गये है। सौर ऊर्जा को रोजगार परक बनाने हेतु वर्ष 2022 में **मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना** लागू की गयी, जिसमें लगभग 250 मेगावाट क्षमता से अधिक परियोजनाओं को आवंटित कर लगभग 1300 लोगों को लाभान्वित किया गया है। इस योजना की सफलता को देखते हुए इसका विस्तारीकरण किया जा रहा है।

राज्य में उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड, पिटकुल तथा उरेडा के माध्यम से निम्नानुसार कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैः–

13.2 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (Uttarakhand Power Corporation Limited):–

13.2.1 विद्युत उपस्थानों का निर्माणः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में 31 दिसम्बर, 2025 तक 25 एम0वी0ए0 क्षमता का 01 नग, नये 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान एवं 29 कि.मी. नयी 33 के0वी0 लाइन का निर्माण किया जा चुका है।

13.2.2 पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS):– केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक 05 वर्षों की अवधि में विद्युत वितरण क्षेत्र के लिये एक सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी पुनर्रोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Distribution Sector Scheme) (RDSS) तैयार की है।

योजना का उद्देश्य विद्युत वितरण क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना है। विद्युत वितरण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिये DISCOM को सशक्त वित्तीय सहायता हेतु प्राविधान की परिकल्पना की गई है। यह वित्तीय सहायता पूर्व अर्हता मापदण्डों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बैंचमार्क की उपलब्धि पर आधारित होगी। अखिल भारतीय स्तर पर योजना का परिव्यय ₹ 3,03,758 करोड़ है जिसमें केन्द्र सरकार की ओर से अनुमानित ₹ 97,631 करोड़ का Gross Budgetary Support (GBS) निर्धारित किया गया है।

13.2.3. Asian Development Bank (ADB) पोषित योजना:– Asian Development Bank (ADB) द्वारा वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य प्रस्तावित हैं:–

देहरादून शहर की विद्युत लाईनों को भूमिगत करने का कार्य चल रहा है सर्वे के उपरान्त माह मार्च 2025 में Project Implementation Support Consultant (PISC) नियुक्त कर मानव शक्ति कार्योजित कर कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से कराये जा रहे कार्यों के निगरानी प्रारम्भ कर दी गयी है।

वर्ष 2025–26 के बजट में ₹ 400.00 करोड़ के प्रावधान के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा ₹ 200.00 करोड़ उ0पा0का0लि0 को अवमुक्त कर दिये गये हैं। माह दिसम्बर, 2025 तक ₹ 113.66 करोड़ तथा योजना में कुल ₹ 385.21 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। योजना के कार्य वर्ष 2026–27 तक पूर्ण किये जाने लक्ष्यान्वित है।

1.	**वर्ष 2025–26 में विभाग द्वारा प्रमुख नवोन्मेशी (Inovative) योजना का विवरण :** x पी0एम0 सूर्य घर–मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत सम्मानित उपभोक्ता अपने घर की छत पर सोलर पावर प्लांट स्थापित कर 300 यूनिट तक बिजली का लाभ प्राप्त कर सकते है। उपभोक्ताओं को केन्द्र सरकार द्वारा 1 कि0वा, 2 कि0वा0 एवं 3 कि0वा0 तक के सोलर प्लांट स्थापित करने पर ₹ 33,000/–, ₹ 66,000/– एवं ₹ 85,800/– तक की सब्सिडी दिया जाना प्रावधानित है।
	माह जनवरी 2026 तक पी0एम0 सूर्य घर–मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत विद्युत उपभोक्ताओं से कुल 93901 आवेदन पत्र प्राप्त हुये जिसके सापेक्ष 93789 आवेदन पत्र अनुमोदित किये जा चुके हैं। योजना के अन्तर्गत कुल 59844 (217.44 मे0वा0 क्षमता) सोलर प्लांट स्थापित किये जा चुके हैं। कुल 48214 उपभोक्ताओं को ₹ 413.50 करोड़ की सब्सिडी जारी की जा चुकी है। x वित्तीय वर्ष 2025–26 में निर्माण हेतु कुल 136 एम0वी0ए0 क्षमता के 08 नग (1 . श्री केदारनाथजी घाम{2x5 MVA }, 2 . सांकरी{2x3MVA} उत्तरकाशी, 3 . अकरी–बारजूला{2x5MVA} टिहरी, 4 . लोधीवाला{2x12.5MVA} रूड़की हरिद्वार, 5 . जयपुर पाडली {2x12.5MVA} हल्द्वानी, 6 . राजकीय आई0टी0आई0, डहरिया {2x12.5MVA} हल्द्वानी, 7 . काठगोदाम {2x12.5MVA} हल्द्वानी) एवं 8 . बद्रीनाथजी धाम{2x5MVA} चमोली में 33/11 के0वी0 सबस्टेशनों का निर्माण प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष लोधीवाला सबस्टेशन का निर्माण कर लिया गया है।

	x उपभोक्ताओं को विद्युत से सम्बन्धित बेहतर सुविधायें प्रदान किये जाने के उद्देश्य से UPCL Consumer self Service Mobile Application का निर्माण किया गया है जो कि Google Play Store /Apple Store पर उपलब्ध है। x केन्द्र पोषित योजना Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) के अंतर्गत लगभग 4 लाख स्मार्ट मीटर स्थापित किये गये हैं, जिनका डेटा उपभोक्ताओं द्वारा Mobile Application के माध्यम से देखा जा सकता है।
2.	वर्ष 2025–26 में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं एवं आन्तरिक स्रोत के माध्यम से किये गये कार्य में सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया गया।
3.	**विगत 05 वर्षों (2020 से 2025) के अन्तर्गत विभागीय (मुख्य क्रियाकलाप) प्रगति का संक्षिप्त विवरण :** x भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एकीकृत विद्युत विकास योजना (आई0पी0डी0एस0) के अन्तर्गत राज्य के 36 चयनित शहरों में वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु क्षमतावृद्वि, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण इत्यादि से सम्बन्धित (33 के0वी0, 11 के0वी0, एल0टी0 लाइनों एवं उपसंस्थानों के निर्माण एवं सुदृढीकरण के कार्य पूर्ण किये गये। x आईपीडीएस योजना के अन्तर्गत 10 नगरों (देहरादून, मुनि–की–रेती, रूड़की, हरिद्वार, कोटद्वार, रूद्रपुर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, किच्छा तथा सितारगंज) में 10 नग GIS (Gas Insulated Switchgear) अधारित सबस्टेशनों के निमार्ण कार्य पूर्ण किये गये। x देहरादून शहर (32 नग) एवं हरिद्वार शहर (7 नग) के विभिन्न सरकारी भवनों की छतों पर सोलर रूफ टॉप कुल क्षमता 2587 के0डब्लू0पी0 की स्थापना का कार्य पूर्ण किया गया। x RT-DAS (Real Time Data Acquisition System) के द्वारा यू0पी0सी0एल0 के 321 नग उपकेन्द्रों को जोड़कर इनके 1912 11–के0वी0 पोषकों की SAIFI/SAIDI की गणना तथा नियोजित एवं अनियोजित विद्युत आपूर्ति व्यवधानों के स्वचालित पृथक्कीकरण कर देश में उत्तराखण्ड परियोजना पूर्ण करने वाला प्रथम राज्य बन गया है।

13.3 उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (Uttarkhand Jal Vidhut Nigam Limited):–

जल विद्युत क्षेत्र प्रदेश में आर्थिक विस्तार के साथ–साथ पर्यावरण एवं सामाजिक पक्ष पर भी बल देता है। जल विद्युत के 25514 मे0वा0 क्षमता का पूर्ण रूप से दोहन व अनुकूल नीतियों का निर्धारण कर सरकारी एवं निजी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी से विकास की दिशा में गति प्रदान हो रही है।

राज्य में जल विद्युत परियेाजनाओं की कुल दोहन क्षमता 24864 मे0वा0 है, जिसमें परिचालन के अंतर्गत 4763 मे0वा0 निर्माणाधीन के अंतर्गत 1869 मे0वा0, डी0पी0आर0 अनुमोदित/स्वीकृति प्राप्त/प्रक्रियाधीन के अंतर्गत 1439 मे0वा0 तथा सर्वे एवं इनवेस्टीगेशन के अंतर्गत 12167 मे0वा0 की परियोजना तथा 4626 मे0वा0 की रूकी हुई परियोजनाये हैं।

13.3.1 व्यासी परियोजना (120 मे0वा0):– व्यासी परियोजना (120 मे0वा0) पर निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा माह दिसम्बर, 2021 को परियोजना का लोकार्पण कर दिया गया है, जिससे लगभग 353 मि0यू0 का विद्युत उत्पादन प्राप्त हो रहा है।

13.3.2 लखवाड परियोजना (300 मे0वा0):– लखवाड राष्ट्रीय परियोजना (300 मे0वा0) का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसमें भारत सरकार

द्वारा जल घटक का 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा।

13.3.3 किशाऊ परियोजना (660 मे0वा0):– किशाऊ राष्ट्रीय परियोजना (660 मे0वा0), जिसकी संशोधित लागत 11500 करोड है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजना की लागत, जल घटक एवं विद्युत घटक का निर्धारण कर दिया गया है, जिसमें परियोजना के जल घटक का 90 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना है। यह परियोजना उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जिसके निर्माण हेतु 50–50 प्रतिशत की सहभागिता के आधार पर एम0ओ0यू0 उत्तराखण्ड सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य हो चुका है एवं ''किशाउ कारपोरेशन लिमिटेड'' नामक कम्पनी की निदेशक मण्डल की बैठकों के माध्यम से कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

13.3.4 बावला नंदप्रयाग (300 मे0वा0):– बावला नंदप्रयाग (300 मे0वा0) की डी0पी0आर0 के सभी अध्यायों का सी0ई0ए0 / सी0डब्ल्यू0सी0 से अनुमोदन के उपरांत तकनीकि आर्थिक स्वीकृति मात्र ही शेष थी परंतु सी0डब्ल्यू0सी0 द्वारा मई 2022 में पूर्व में दी गयी सभी स्वीकृतियों को लम्बित किया गया है। साथ ही वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के स्तर पर पर्यावरणीय अध्ययन प्रारम्भ करने हेतु Term of Reference (ToR) निर्गत किया जाना वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय में लंबित है।

13.3.5 जल विद्युत परियोजनाऐं:– उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं के विकास को गति प्रदान करने हेतु यूजेवीएन लिमिटेड एवं टी0एच0डी0सी0 का संयुक्त उपक्रम ''मै0 टी0एच0डी0सी0आई0एल0 यूजेवीएन लिमिटेड एनर्जी कम्पनी लिमिटेड का गठन कर 04 परियोजनाएं जिसमें 02 जल विद्युत परियोजनाएं कुल क्षमता 426 मे0वा0 एवं 02 पम्प स्टोरेज परियोजनाएं कुल क्षमता 1230 मे0वा0 की आवंटित की गयी हैं। साथ ही यूजेवीएन लिमिटेड को 05 पम्प स्टोरेज परियोजनायें (2850 मि0यू0) एवं 96 मे0वा0 की मोरी–त्यूनी परियोजनाएं आवंटित की गयी हैं।

13.3.6 नाबार्ड एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा पोषित परियोजना:– गत 5 वर्षों में निगम के द्वारा 4.0 मे0वा0 की कालीगंगा–I, 4.5 मे0वा0 की कालीगंगा–।।, 05 मे0वा0 की सुरिनगाड़–।।, 15 मे0वा0 की मध्यमहेश्वर लघु जल विद्युत परियोजनाओं तथा व्यासी परियोजना (120 मे0वा0) का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

13.3.7 वाह्य सहायतित योजनाओं में DRIP-2&3 (Dam Rehabilitation Improvement Program) के द्वारा पुराने बैराज एवं बांधों का सुरक्षा की दृष्टि से पुर्नोद्धार का कार्य किया जा रहा है, जिसमें मनेरी डैम, इछाडी डैम, वीरभद्र बैराज, डाकपत्थर बैराज, जोशियाड़ा बैराज एवं आसन बैराज शामिल है।

13.3.8 लघु जल विद्युत परियोजनाओं:– निगम की ऐसी परियोजनायें जो कि अपनी आयु पूर्ण कर चुकी हैं, को नवजीवन प्रदान करने हेतु आर0एम0यू0 के कार्य तेजी से पूर्ण किये जा रहे हैं, जिससे उन परियोजनाओं में लगभग 20 प्रतिशत की उत्पादन वृद्धि प्राप्त हुई है। 33.75 मे0वा0 के ढ़करानी एवं 144 मे0वा0 के चीला विद्युत गृहों के आर0एम0यू0 कार्य जारी हैं।

13.3.9 यूजेवीएन लि0 द्वारा अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) के क्षेत्र में 45.175 मे0वा0 की सोलर परियोजनाओं जो निगम मुख्यालय डाकपत्थर, ढ़करानी तथा पथरी में अवस्थित है, का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, एवं प्रति वर्ष लगभग 34.0 मि0यू0 से 40.00 मि0यू0 का नियमित विद्युत उत्पादन हो रहा है। इसके अतिरिक्त 27.75 मेगावाट की सोलर परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रक्रिया गतिमान है।

तालिकाः 13.3

यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा जल विद्युत के उत्पादन का विवरण

वर्ष	वार्षिक लक्ष्य (मि0यू0)	उत्पादन (मि0यू0)
2017–18	5001	4730
2018–19	4700	4663
2019–20	4822	5058
2020–21	5050	4754
2021–22	4837	5157
2022–23	5390	5433
2023–24	5345	4950
2024–25	5306	5175
2025–26 (दिसम्बर तक)	5306	4474.79

स्रोतः विद्युत विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट 13.5

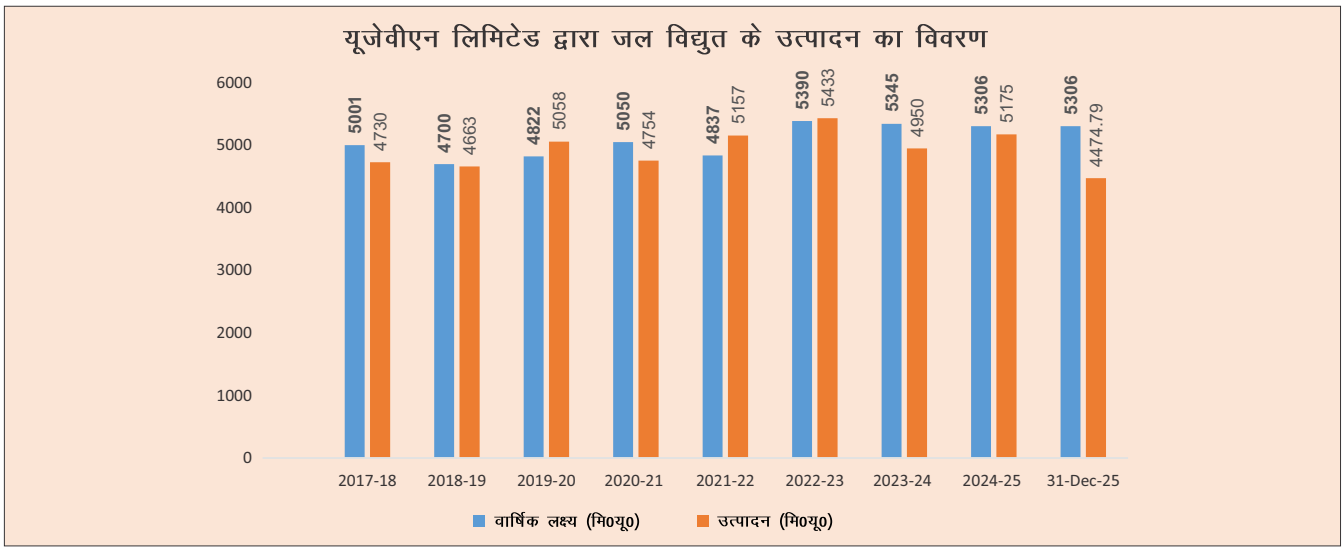

स्रोतः विद्युत विभाग, उत्तराखण्ड

- कुमायूँ क्षेत्र में 12 मे0वा0 की तांकुल परियोजना की पुनरीक्षित डीपीआर का अनुमोदन प्राप्त हो गया है एवं परियोजना का डिजाईन संबंधी सलाहकारीय कार्य प्रगति पर है। 15 मे0वा0 की पेनागाड़, 12 मे0वा0 की जिम्मागाड़, की डीपीआर अनुमोदित हो चुकी है एवं भूमि संबंधी अनुमति प्रक्रियाधीन है।
- 120 मे0वा0 की सिरकारीभ्योल, रूपसियाबगड के जनपदीय कार्यों की निविदा आवंटित की जा चुकी है एवं 114 मे0वा0 की सेलाउर्थिंग जल विद्युत परियोजना अनुसंधान एवं नियोजन के कार्य एवं डी0पी0आर0 बनाने के कार्य गतिमान हैं।
- गढ़वाल क्षेत्र में भिलंगना द्वितीय–A (24 मे0वा0) क्षमता की पीआईबी की अनुमति प्राप्त हो गयी है परन्तु भारत सरकार की अनुमति उपरान्त ही आगे की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
- 72 मे0वा0 की त्यूनी–प्लासू का अनुसंधान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, पी0आई0बी0 की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। वन भूमि एवं पर्यावरणीय स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गयी है एवं परियोजना निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित किये जा चुके हैं।
- आराकोट–त्यूनी (81 मे0वा0) तथा मोरी–त्यूनी (96 मे0वा0) जल विद्युत परियोजनाओं का डी0पी0आर0 संबंधी कार्य गतिमान है।

13.3.10 योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों से प्रत्यक्ष सृजित रोजगार सृजन का विवरणः

जल विद्युत परियाजनाओं के निर्माण से जहाँ परियोजना के आस पास के क्षेत्र का विकास होता है, वहीं रोजगार, चिकित्सा इत्यादि की सुविधा भी क्षेत्र के लोगों को प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप 120 मे0वा0 की व्यासी परियोजना के निर्माण से स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन हुआ है वहीं पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति जोकि 28 जून 2013 को निर्गत की गयी है, से स्थानीय लोगों जिनकी जमीनें परियोजना में निहित की गयी हैं, को पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति के अंतर्गत रोजगार प्राप्त हुआ है। इस नीति के अंतर्गत 57 लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है एवं अपरोक्ष रूप से स्थानीय बेराजगारों को छोटे–छोटे निविदा के माध्यम से, स्थानीय समितियों के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ है। अन्य लघु जल विद्युत परियोजनाओं में स्थानीय ठेकेदारों को कार्य प्राप्त हुआ है वहीं ठेकेदारी के माध्यम से स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। नये रोजगारों की दिशा में अनुमति प्राप्त होने के पश्चात वर्ष 2023–24 में 11 एवं 2024–25 से अब तक 57 कार्मिकों एवं 2025–26 में 24 कार्मिकों की विभिन्न पदों पर भर्ती की गयी।

13.3.11 रोजगार, आय तथा उत्पादन के संवर्द्धन हेतु नये निवेशों, तकनीकी तथा नवाचारों (Investment, Technology and Innovations) हेतु किये गये प्रयासों का विवरणः–

विश्व बैंक सहायतित ड्रिप के अन्तर्गत विभिन्न बॉध एवं बैराज के मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य गतिमान हैं, जिससे 40 वर्ष पूर्व स्थापित डैम एवं बैराज को सुरक्षा एवं जीवन वृद्धि प्राप्त होगी। निगम की पुरानी परियोजनाओं को नवजीवन प्रदान करने हेतु आर0एम0यू0 के कार्य तेजी से किये जा रहे हैं। साथ ही ऐसी परियोजनाओं से लगभग 20 प्रतिशत उत्पादन की वृद्धि प्राप्त हो रही है। इसी क्रम में 90 मे0वा0 के तिलोथ एवं 51 मे0वा0 की ढालीपुर के आरएमयू के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। 33.75 मे0वा0 की ढ़करानी एवं 144 मे0वा0 की चीला विद्युत गृह के आर0एम0यू0 के कार्य जारी हैं। निगम द्वारा एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (IMS) (गुणवत्ता हेतु ISO–9001:2015, स्वास्थ्य, सुरक्षा प्रबंधन हेतु ISO–45001 एवं पर्यावरण हेतु ISO–14001) प्राप्त कर ली गयी है। ई–ऑफिस का भी उपयोग दैनिक पत्रों/फाईल मूवमेंट हेतु किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा सूचना सुरक्षा प्रबन्धन प्रणाली (ISMS) ISO 27001:2022 निगम मुख्यालय हेतु प्राप्त कर ली गयी है एवं शेष प्रक्रियाधीन है।

13.4 उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (Uttarakhand Renewable Energy Development Authority):- सौर ऊर्जा नीति 2023 के अन्तर्गत वर्ष 2027 तक 2500 मेगावॉट सौर ऊर्जा स्थापना का लक्ष्य निर्धारित है। वर्तमान तक 936 मेगावॉट सोलर क्षमता की स्थापना करायी जा चुकी है।

13.4.1 पी0एम0सूर्यघरः मुफ्त बिजली योजनाः– एम0एन0आर0ई0 भारत सरकार द्वारा ग्रिड कनेक्टेड रूफटाप सोलर पावर प्लान्ट योजना के अन्तर्गत 01 कि0वा0 से 02 कि0वा0 तक रू0 33,000.00 प्रति कि0वा कुल 66000.00 तथा 03 कि0वा0 पर 19800.00 अधिकतम, कुल ₹ 85,800.00 का अनुदान प्रदान किये जा रहे है। योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को राज्यांश के रूप में 01 कि0वा0 से 03 कि0वा0 तक संयत्रों हेतु ₹ 17000.00 प्रति कि0वा0 की दर से राज्य अनुदान वित्तीय अनुमन्य किया गया है। योजनान्तर्गत दिसम्बर 25 तक कुल 13109 संख्या लाभार्थियों को सम्मिलित क्षमता 49.69 मेगावाट के सापेक्ष कुल धनराशि ₹ 6674.81 लाख राज्य अनुदान उपलब्ध कराया गया है।

पी0एम0 सूर्य घर के अन्य component के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2026 तक समस्त शासकीय भवनों में रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य है जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 39.50 मे0वा0 क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट 847 भवनों पर उरेडा द्वारा स्थापित करवाये जा चुके हैं। राज्य योजनान्तर्गत ₹ 32.61 करोड़ से स्थापित सोलर पावर प्लान्ट का लोकार्पण एवं ₹ 129.37 करोड़ से

शासकीय भवनों पर स्थापित कराये जाने वाले सोलर पावर प्लान्ट का शिलान्यास किया गया है। पी0एम0 सूर्य घर के अन्य Component Model Solar Village के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में एक Model Solar Village को धनराशि ₹ 1.00 करोड़ का CFA भी अनुमन्य होगा तथा प्रत्येक जनपद में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा का एक मॉडल ग्राम विकसित किया जा रहा है।

13.4.2 मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजनाः– योजना में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं हेतु 20/25/50/ 100/200/ कि0वा0 की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा सकती है। स्वीकृति पर यू0पी0सी0एल0 से 25 वर्षीय विद्युत क्रय करार किया जायेगा तथा उत्पादित विद्युत का मूल्य यू0पी0सी0एल0 द्वारा विकासकर्ता को दिया जायेगा। उद्योग विभाग द्वारा जारी एम0एस0एम0ई0 नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन लाभ भी अनुमन्य है। आवेदन ऑनलाईन पोर्टल msy.uk.gov.in के माध्यम से प्राप्त किये गये हैं। वर्तमान तक 1292 (कुल 238.21 मेगावाट क्षमता) परियोजनाओं का आवंटन किया जा चुका है, जिसके सापेक्ष 645 (कुल 119 मेगावॉट क्षमता) परियोजनाओं की स्थापना की जा चुकी है।

13.4.3 सोलर वाटर हीटर कार्यक्रम :– सोलर वाटर हीटर स्थापना के सापेक्ष घरेलू उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत एवं गैर घरेलू उपभोक्ताओं जैसे आवासीय होटल, संस्थान, अन्य आवासीय/ व्यवसायिक संस्थानों को 30 प्रतिशत राज्य अनुदान प्रदान किया जा रहा है। दिसम्बर 25 तक 1482 लाभार्थियों को कुल सम्मिलित क्षमता 524900 ली0 प्रतिदिन सोलर वाटर हीटर संयत्रों की स्थापना पर धनराशि ₹ 393.518 लाख अनुदान उपलब्ध कराया गया है।

13.4.4 सोलर स्ट्रीट लाईट एवं हाईमास्ट योजनाः– उरेडा द्वारा 24062 सोलर स्ट्रीट लाइट एव 1014 सोलर हाई मास्ट संयंत्रों की स्थापना का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

13.4.5लघु जल विद्युत कार्यक्रमः– उरेडा द्वारा वर्तमान में कुल 15 लघु जल विद्युत परियोजनाऐं संचालित है जिनकी कुल संचयी क्षमता 5.420 मे0वा0 है, जिनसे प्रतिवर्ष 21.36 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन कर ग्रिड में प्रवाहित की जाती है। उत्तराखण्ड राज्य सौर नीति–2023 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को लगभग 62.062 मेगावॉट के 21 कैप्टिव सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किए गए हैं।

13.4.6 ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सुपर ई0सी0बी0सी0 भवन का निर्माण कार्य :– ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर उरेडा द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। प्रदेश की प्रथम Net Zero आधारित Super ECBC भवन का निर्माण ऊर्जा पार्क परिसर में किया जा रहा है।

आगामी वर्षो हेतु प्रस्तावित कार्य योजना

Energy Security के दृष्टिगत 4500 मे0वा0 सोलर स्थापना की कार्य योजना बनायी जा रही है, जिसके अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैः–

- शासकीय भवनों का सोलर पावर से शत् प्रतिशत सन्तृप्तिकरण किया जाना ।
- नोडल एजेन्सी उ0प0का0लि0 के माध्यम से पी0एम0 सूर्यघर योजना के अन्तर्गत प्रदेश के तकनीकि रूप से सम्भव समस्त घरेलू विद्युत संयोजनों को रूफटॉप सोलर से संतृप्त किया जाना है। *शासन द्वारा 31 मार्च 2025 के उपरान्त इस योजना में राज्य अनुदान समाप्त कर दिया गया है।*
- Open Access/Captive, Ground Mounted Projects में सोलर परियोजनाओं के अन्तर्गत निवेश आकर्षित किया जाना।
- Industrial & Commercial उपभोक्ताओं को भी अपनी ऊर्जा की आवश्कताओं की पूर्ति हेतु सोलर स्थापना के लिए प्रेरित किया जाना।

13.5 पावॅर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड़ लिमिटेड़ (PTCUL):–

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) उत्तराखंड सरकार का उद्यम और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के तहत परिभाषित एक सरकारी कंपनी है। पिटकुल, विद्युत अधिनियम 2003 में परिभाषित एसटीयू है, जिसका मूल उद्देश्य अतिरिक्त उच्च वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज, निम्न वोल्टेज लाईनों और सब–स्टेशनों का अधिग्रहण, स्थापना, निर्माण और संचालन करना है।

- X वर्तमान मे पिटकुल के उपकेन्द्रों को 51 है जिसकी कुल क्षमता 9402.5 एम0वी0ए0 एवं पारेषण लाईनों की कुल लम्बाई 3456 सर्किट कि0मी0 से बढ़कर 3561.4 सर्किट कि0मी0 हो गई है।

- X पिटकुल को REC द्वारा माह जनवरी, 2025 को विद्युत पारेषण के क्षेत्र में उत्कष्ट कार्यों के लिए गुजरात, हरियाणा, छतीसगढ़ और नॉर्थ–ईस्ट पारेषण कम्पनीयों के साथ संयुक्त रूप से पिटकुल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। पिटकुल की क्रेडिट रेटिंग A+ से A++ कर दी गयी है जिसके फलस्वरूप पिटकुल को ऋण में 0.75% (पूर्व में 0.25%) की छूट मिलेगी। इसका सीधा लाभ प्रदेश के सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत टैरिफ में मिलेगा।

- X पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 121. 15 करोड़ (Profit before tax) का लाभ अर्जित किया गया एवं ₹ 12.43 करोड लाभांश के रूप में उत्तराखण्ड सरकार को दिया गया।

- X 132 के0वी0 उपकेन्द्र बाजपुर में 80 एम0वी0ए0 परिवर्तक माह सितम्बर, 2025 को ऊर्जीकृत किया गया, जिससे उपकेन्द्र की एम0वी0ए0 क्षमता 120 (80+40 एम0वी0ए0) से बढ़कर 160 (80+80 एम0वी0ए0) हुई। जिससे आस–पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ हुई।

- X 132 के0वी0 बिंदाल–पुरकुल लाईन, 10.949 सर्किट कि0मी0 माह जुलाई, 2025 को ऊर्जीकृत की गई। जिससे देहरादून के अति महत्वपूर्ण आवासीय क्षेत्र, कैन्ट, बिन्दाल क्षेत्र, पुरकुल एवं पर्यटक स्थलों में गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति में सुनिश्चित हुई।

- X 132/33 उपकेन्द्र मंगलौर में 40 एम0वी0ए0 के स्थान पर 80 एम0वी0ए0 नया परिवर्तक माह जुलाई, 2025 को ऊर्जीकृत किया गया, जिससे जनपद हरिद्वार एवं आस–पास के आवासीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ हुई।

- X 132/33 उपकेन्द्र पुरकुल में 20 एम0वी0ए0 परिवर्तक माह जुलाई, 2025 को लोड पर लिया गया, जिससे जनपद देहरादून एवं आस–पास के आवासीय क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ हुई।

- X पारेषण क्षेत्र में घरेलू वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं की बढ़ती विद्युत माँग तथा प्रदेश में उत्पादन क्षेत्र में कार्यरत सरकारी कम्पनी यूजेवीएन लि0. केन्द्र सरकार के उपक्रमों (क्रमशः NTPC, THDC एवं SJVN आदि) सहित निजी विकास कर्ताओं की परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा की निकासी हेतु वर्ष 2031–32 तक पारेषण सुविधाओं के विकास हेतु माह जुलाई, 2024 को Uttarakhand Power Evacuation Master Plan तथा माह सितम्बर, 2024 को Uttarakhand Power Transmission Network Planning का शासनदेश जारी किया गया जिस पर राज्य की जनता के व्यापक हित में चरणबद्व श्रृखला में विस्तार कार्य गतिमान है।

- X वर्ष 2024–25 में पिटकुल की विद्युत पारेषण उपलब्धता (Transmission System Availability) 99.72 प्रतिशत एवं पारेषण हानियाँ (Line Losses) 1.02 प्रतिशत हैं जिसके फलस्वरूप पिटकुल देश के अन्य श्रेष्ठतम् पारेषण निगमों में से एक हैं।

- 220 के0वी0 बरम–जौलजीवी विद्युत पारेषण लाईन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लाईन (25. 18 कि0मी0) व 220 के0वी0 उपसंस्थान बरम (क्षमता 2X25, 50 एम.वी.ए.) माह मार्च, 2025 को ऊर्जीकृत किये गये, जिससे जिला चम्पावत एवं आस–पास के आवासीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ हुई एवं भविष्य में आने वाले विद्युत गृह की निकासी सुनिश्चित होगी।
- 220 के0वी0 उपसंस्थान ऋषिकेश में अतिरिक्त 40 एम0वी0ए0 ट्रांसफॉर्मर को माह मार्च, 2025 को ऊर्जीकृत किया गया जिससे ऋषिकेश के सम्पूर्ण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र तथा चारधाम यात्रा मार्ग हेतु निर्बाद्ध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हुई है।
- 220 के0वी0 उपसंस्थान रूड़की में तृतीय 40 एम.वी.ए. 132/33 के0वी0 परिवर्तक का नवीनीकरण के उपरान्त माह जनवरी, 2025 को ऊर्जीकृत किया गया जिससे रूड़की के आवासीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में सुदृढीकरण हुआ।
- 132 के0वी0 उपकेन्द्र भूपतवाला पर 40 एम.वी. ए. ट्रांसफॉर्मर ऊर्जीकृत किया गया है जिससे हरिद्वार क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में ओवर लोडिंग की समस्या से निजात मिलेगी।

उत्तराखण्ड के कुमाऊं क्षेत्र में पारषण तन्त्र की क्षमता बढ़ाने हेतु पिटकुल द्वारा 400 के0वी0 उपसंस्थान, काशीपुर में 500 एम0वी0ए0 परिवर्तक की आपूर्ति एवं स्थापना के कार्यदेश बी0एच0ई0एल0 को माह मई, 2025 को जारी किया गया।

अध्याय–14
जल संसाधन एवं प्रबन्धन
Water Resources & Management

देश के आर्थिक–सामाजिक विकास के संदर्भ में जल संसाधनों का अत्यन्त महत्व है। पीने के लिए जल की आवश्यकता के अतिरिक्त कृषि, उद्योग, परिवहन के क्षेत्र में भी जल संसाधन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भारत में आज भी कृषि के लिये जल प्राप्ति का एक प्रमुख स्रोत वर्षा है। किन्तु मानसून द्वारा जल वर्षा के बारे में अनिश्चितता होती है। जल का एक महत्वपूर्ण उपयोग 'शक्ति'का उत्पादन भी है। जल शक्ति उत्पादन अन्य शक्ति उत्पादन स्रोतों की तुलना में अत्यन्त सस्ता भी है।

निःसंदेह स्वच्छ जल, मानवीय जीवन के लिये अमृत समान है। पानी केवल जीवन की जरूरत नहीं बल्कि हर व्यक्ति के स्वास्थ्य, गरिमा और विकास के आधार से जुड़ा है। आज भी दुनिया में अरबों लोग ऐसे हैं जो सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता से वंचित है। जो सामाजिक व आर्थिक प्रगति की राह में सबसे बड़ी बाधा है।

14.1 ग्रामीण पेयजल :

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित जेजेएम–आईएमआईएस पोर्टल के अनुसार अप्रैल 2025 के अनुरूप राज्यान्तर्गत कुल 38,647 बस्तियों के सापेक्ष कुल 14,48,425 ग्रामीण परिवार परिदर्शित है। ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नानुसार परियोजना क्रियान्वित कराई जा रही हैः–

14.1.1.जल जीवन मिशन : भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना **''जल जीवन मिशन''** में **''हर घर नल से जल''** के अन्तर्गत वर्ष 2026–27 तक समस्त ग्रामीण परिवारों को **क्रियाशील घरेलू जल संयोजन** (FHTCs) उपलब्ध कराना लक्षित है। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित आधार पर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराया जाना है।

उत्तराखण्ड राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के 14,48,425 परिवारों को वर्ष 2026–27 तक घरेलू क्रियाशील नल संयोजन (Functional Household Tap Connections-FHTCs) के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति की दर एवं BIS–10500 द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पेयजल आपूर्ति की जानी है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए निर्धारित लक्ष्य 13,623–एफ.एच.टी.सी. के सापेक्ष दिनांक 31.12.2025 तक 4,527 ग्रामीण परिवारों को FHTCs सुविधा से आच्छादित किया जा चुका है। दिसम्बर 2025 तक कुल 14,17,379 (97.86%) ग्रामीण परिवार नल संयोजन सुविधा से आच्छादित किये जा चुके हैं तथा अवशेष समस्त ग्रामीण परिवारों को वर्ष 2026–27 तक नल संयोजन सुविधा से आच्छादित किया जाना लक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु परियोजना पर राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर 2025 तक ₹ 200.00 करोड की धनराशि अवमुक्त की गयी है, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु कुल उपलब्ध धनराशि सापेक्ष दिसम्बर 2025 तक ₹ 191.89 करोड की धनराशि परियोजना पर व्यय की जा चुकी है।

तालिका–14.1

जनपदवार द्वारा उपलब्ध कराये गये क्रियाशील घरेलू नल संयोजनों की संख्या (वर्ष 2025–2026)

जनपद	01.04.2025 को कुल ग्रामीण परिवारों की संख्या	01.04.2025 तक दिए गए घरेलू जल संयोजनों की संख्या	वर्ष 2025–26 में दिए गए जल संयोजनों की संख्या			दिनांक 31.12.2025 तक कुल दिए गये घरेलू जल संयोजनों की संख्या
			घरेलू	प्राईवेट / स्वंय के संसाधनों से	योग	
01	03	03	04	05	6 (4+5)	7 (3+6)
देहरादून	129491	129449	0	0	0	129449
हरिद्वार	249333	238953	1468	0	1468	240421
पौड़ी गढ़वाल	111552	110723	0	0	0	110723
टिहरी गढ़वाल	129045	128638	48	0	48	128686
उत्तरकाशी	65013	65002	0	0	0	65002
चमोली	76725	76532	106	0	106	76638
रूद्रप्रयाग	54880	54825	22	0	22	54847
अल्मोड़ा	126067	115877	598	0	598	116475
बागेश्वर	54659	54659	0	0	0	54659
चम्पावत	45086	44922	78	0	78	45000
नैनीताल	114171	106080	965	0	965	107045
पिथौरागढ़	94474	94137	0	0	0	94137
ऊधम सिंह नगर	197929	193055	1242	0	1242	194297
कुल	**1448425**	**1412852**	**4527**	**0**	**4527**	**1417379**

स्रोतः– पेयजल निगम उत्तराखण्ड

14.1.1.2 मिशन शुभारम्भ के बाद पोर्टल के अनुरूप 1,30,325 (9%) घरों में नल संयोजन उपलब्ध थे। तत्पश्चात् जल जीवन मिशन में दिनांक 31.03.2020 तक 86,795 वर्ष 2020–21 में 4,32,301 वर्ष 2021–22 में 2,74,958 वर्ष 2022–23 में 2,14,873, वर्ष 2023–24 में 2,25,368, वर्ष 2024–25 में 48,232 एवं वर्ष 2025–26 में 4,527 नल संयोजन (FHTCs) को सम्मिलित करते हुए 12,87,054 (97.64%) परिवारों को नल संयोजन प्रदान किए गये हैं। **इस प्रकार वर्तमान तक कुल 14,17,379 (97.86%) परिवार नल संयोजन सुविधा से आच्छादित किये जा चुके हैं।**

(तालिका–14.2)

जल जीवन मिशन शुभारम्भ पश्चात् नल संयोजन की प्रगति

Sl	District	Total Rural household as on (01/04/25)	Households with tap water connections as on 15 Aug 2019	Remaining households as on 15 Aug 2019	Cumulative Household Connections with PWS as on						
					01.04. 2020	01.04.2 021	01.04. 2022	01.04. 2023	01.04. 2024	01.04. 2025	by 31.12.25
1	Dehradun	129491	12841	116650	37927	109011	120613	125575	129404	129449	129449
2	Haridwar	249725	15321	234404	24580	39076	103823	192630	228753	237630	240421
3	Pauri	111552	3954	107598	6997	50567	72070	89842	110721	110723	110723
4	Tehri	129099	10270	118829	17039	68282	88336	112607	128395	128509	128686
5	Uttarkashi	65013	1937	63076	9496	47039	56320	62597	64957	64987	65002
6	Chamoli	76725	23556	53169	28429	63030	71634	72505	76442	76478	76638
7	Rudraprayag	55119	10725	44394	12742	31704	40040	45674	54265	54683	54847
8	Almora	126280	10920	115360	17059	40319	66848	81642	105487	115123	116475

9	Bageshwar	54659	3135	51524	5344	46751	49319	50045	54274	54643	54659
10	Champawat	45141	7069	38072	9071	25329	33724	39368	44603	44775	45000
11	Nainital	114714	24910	89804	32963	51433	65446	72582	95505	104267	107045
12	Pithoragarh	94577	5612	88965	12354	52043	66434	76703	91567	94003	94137
13	US Nagar	198524	75	198449	3119	24837	89786	117551	180247	192555	194297
Total		**1450619**	**130325**	**1320294**	**217120**	**649421**	**924393**	**1139321**	**1364620**	**1407825**	**1417379**

स्रोतः– पेयजल निगम उत्तराखण्ड

14.1.1.3 भारत सरकार द्वारा संचालित पोर्टल पर राज्यान्तर्गत जनपदवार कुल 19,123 विद्यालय तथा 16,439 आंगनवाडी केन्द्रों के सापेक्ष शत–प्रतिशत विद्यालय/आंगनवाडी केन्द्रों में वर्तमान तक नल संयोजन सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

(तालिका–14.3)

Har Gahr Jal Status

(Har Ghar Jal implies 100% FHTC coverage in that area)

Sl.	District	Total as on 01.04.2025		No. of Har Ghar Jal Panchayat		No. of Har Ghar Jal Village	
		Panchayats	Villages	Reported	Certified	Reported	Certified
1	Dehradun	401	635	397	354	628	580
2	Haridwar	310	473	198	152	333	267
3	Pauri Garhwal	1170	2961	862	602	2502	1960
4	Tehri Garhwal	1031	1743	834	685	1490	1238
5	Uttarkashi	508	666	421	343	569	480
6	Chamoli	611	1113	493	360	951	727
7	Rudraprayag	336	637	237	141	509	315
8	Almora	1158	2134	511	380	1130	841
9	Bageshwar	402	823	378	319	787	690
10	Champawat	313	644	206	121	491	337
11	Nainital	479	1008	207	185	537	467
12	Pithoragarh	686	1537	640	504	1474	1221
13	U S Nagar	375	605	188	174	355	329
	Total	**7780**	**14979**	**5572**	**4320**	**11756**	**9452**

स्रोतः– पेयजल निगम उत्तराखण्ड

(तालिका–14.4)

Sl	District	Schools		AWCs	
		Total	Schools with tap water supply (%)	Total	AWCs with tap water supply (%)
1	Dehradun	**1393**	100	**1154**	100
2	Haridwar	**1779**	100	**2450**	100
3	Pauri Garhwal	**2125**	100	**1643**	100
4	Tehri Garhwal	**2163**	100	**1923**	100
5	Uttarkashi	**1265**	100	**962**	100
6	Chamoli	**1385**	100	**953**	100
7	Rudrapra yag	**907**	100	**655**	100

8	Almora	**1969**	100	**1854**	100
9	Bageshwar	**848**	100	**789**	100
10	Champawat	**752**	100	**643**	100
11	Nainital	**1289**	100	**979**	100
12	Pithoragarh	**1778**	100	**1050**	100
13	U S Nagar	**1470**	100	**1384**	100
	Total	**19123**	**100**	**16439**	**100**

स्रोतः– पेयजल निगम उत्तराखण्ड

14.1.2 नाबार्ड कार्यक्रमः वित्तीय वर्ष 2025–26 में उत्तराखण्ड पेयजल निगम अन्तर्गत ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम हेतु 17 योजनायें धनराशि ₹ 8.36 करोड़ एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान के अन्तर्गत 04 पेयजल योजनायें धनराशि ₹ 19.99 करोड़ कुल ₹ 28.35 करोड़ पर नाबार्ड से स्वीकृति हेतु प्रक्रिया गतिमान है।

14.1.3 नगरीय पेयजलः– स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक शहरी क्षेत्र में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (litre Per Capita Daily-LPCD) है। उत्तराखण्ड में कुल 107 स्थानीय निकाय है, इनमें से 89 नगरों में जलापूर्ति 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (litre Per Capita Daily-LPCD) से कम है, जिस हेतु नियोजित रूप से नगरों को पेयजल सुविधा से संतृप्त किये जाने की कार्ययोजना है।

अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 07 नगरों देहरादून, हरिद्वार, रूड़की, हल्द्वानी, काशीपुर, रूद्रपुर एवं नैनीताल नगरों के अंतर्गत ₹ 567.54 करोड़ लागत के 35 पेयजल, 38 सीवरेज एवं 11 ड्रेनेज योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से पेयजल के अंतर्गत 34, सीवरेज के अंतर्गत 37 एवं ड्रेनेज के अंतर्गत 11 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी है। अमृत 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल से संतृप्त करने हेतु 23 नगरों तथा देहरादून नगर के तीन आंशिक क्षेत्रों क्रमशः कौलागढ़, सहस्त्रधारा रोड़ तथा 24X7 जलापूर्ति हेतु शास्त्रीनगर को चयनित किया गया है, जिसमें से ट्रैन्च–1 में 18 नगर (नरेन्द्र नगर, मुनिकीरेती, गजा, देवप्रयाग, दुगड्डा, सतपुली, स्वर्गाश्रम, पौड़ी, पोखरी, कर्णप्रयाग, गौचर, शक्तिगढ़, नानकमत्ता, लालकुंआ, डीडीहाट, धारचुला, कपकोट तथा बनबसा) एवं शास्त्रीनगर 24X7 जलापूर्ति पेयजल योजना सम्मिलित है तथा ट्रैन्च–2 में 05 नगर (तपोवन, थलीसैंण, हरर्बटपुर, चौखुटिया तथा लोहाघाट) तथा देहरादून नगर के दो आंशिक क्षेत्र क्रमशः कौलागढ़ तथा सहस्त्रधारा रोड़ प्रस्तावित हैं। ट्रैन्च–1 की योजनाओं के प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय HPC (High Power Committee) से अनुमोदन उपरान्त भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त है, जिसके सापेक्ष ट्रैन्च–1 में सम्मिलित उपरोक्त 18 नगरों तथा 24X7 शास्त्रीनगर, देहरादून के ₹ 323.66 करोड़ लागत के प्राक्कलन स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा इन 19 योजनाओं के सापेक्ष ₹ 115.50 करोड़ अवमुक्त कर ₹ 108.55 करोड़ व्यय किया जा चुका है एवं इनमें से 18 योजनाओं पर कार्य गतिमान है।

इसके अतिरिक्त पेयजल निगम द्वारा बाह्य सहायतित कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 18 नगरों में जायका से वित्त पोषण हेतु Project for "The Improvement of Urban Water Supply in Uttarakhand" परियोजना प्रस्तावित है।

वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा ₹ 1600.00 करोड़ की विश्व बैंक से पोषित नवीन वाह्य सहायत्ति परियोजना Uttarakhand efficient water supply programme स्वीकृत है। उक्त परियोजना हेतु चयनित घटकों के अन्तर्गत Improved water supply services in selected areas with new schemes घटक के लिये ₹ 1250.00 करोड़ की नवीन पेयजल योजनाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु वर्तमान में लाभान्वित किये जाने वाले शहरों के चयन की कार्यवाही गतिमान है तथा प्रथम चरण हेतु चयनित योजनाओं (न्यूनतम 30

प्रतिशत लागत) की निविदा प्रकिया का कार्य माह मार्च 2026 तक किया जाना लक्षित है।

14.1.4 नगरीय जलोत्सारणः— वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में कुल 420.83 एम.एल.डी. क्षमता के 67 सीवर शोधन सयंत्र स्थापित हैं। जिनका उपयोग कर लगभग 294.89 एम.एल.डी. सीवेज का परिशोधन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में 253.92 एम.एल.डी. क्षमता के 47 सीवर शोधन सयंत्र निर्माणाधीन/प्रस्तावित है।

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति

पिछले 25 वर्षों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के क्षेत्र में राज्य द्वारा उल्लेखनीय प्रगति की गयी है। राज्य गठन के समय ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सीमित थी तथा जल स्रोतों की प्रकृति वर्षा आधारित एवं मौसमी होने के कारण ग्रामीण जनजीवन जल–संकट से जूझता था। विभाग द्वारा योजनाबद्ध एवं चरणबद्ध रणनीति के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर टिकाऊ पेयजल आपूर्ति प्रणाली विकसित की गई जिसके परिणामस्वरूप आज राज्य के अधिकांश ग्रामीण परिवार सुरक्षित पेयजल से आच्छादित हैं।

ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में सुधार का प्रमुख आधार सामुदायिक सहभागिताए विकेंद्रीकृत प्रबंधन और सतत जल स्रोत विकास रहा है। वर्ष 2006 में विश्व बैंक समर्थित स्वैप कार्यक्रम (SWAP Programme) के माध्यम से 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (LPCD) की न्यूनतम आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु योजनाएँ संचालित की गई। इसके साथ ही एकल ग्राम पेयजल योजनाओं के निर्माण एवं रखरखाव हेतु भी ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्य कराये गये एवं ग्रामीणों को रोजगार तथा साथ ही पेयजल योजनाओं के स्वामित्व की भावना जन सामान्य के अन्दर पैदा किये जाने का प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 3800 एकल ग्राम योजनाएँ एवं 37 बहुल ग्राम योजनाएँ विकसित की गई।।

केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020 में जल जीवन मिशन लागू किए आने के बाद उत्तराखण्ड सरकार ने मिशन मोड में कार्य करते हुए सभी 15 लाख ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया। इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए अब तक 14,14,891 ग्रामीण परिवारों को नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके है।

राज्य में भौगोलिक विषमताएँ, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र, निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति में विलंब तथा गुरूत्व स्रोतों में कमी जैसे अनेक चुनौतियों के बावजूद यह लक्ष्य तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। गुरूत्व आधारित जल योजनाओं में कमी आने से पंपिंग योजनाओं पर बढती निर्भरता के कारण अनुरक्षण लागत में वृद्धि हुई, जो वित्तीय दृष्टि से एक बड़ी चुनौती रही। इसके बावजूद राज्य ने दृढ़ इच्छाशक्ति और प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से मिशन की प्रगति को निरंतर जारी रखा। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी जन जीवन मिशन का सफल क्रियान्वयन राज्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कुल 14,48,834 ग्रामीण परिवारों में से 14,14,891 (97.65%) परिवारों को एफएफसीटीसी के माध्यम से सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। यह उपलब्धि राज्य की कठिन भौगोलिक स्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

शहरी जलापूर्ति

राज्य में शहरीकरण की गति निरंतर बढ़ रही है। राज्य गठन (वर्ष 2000) के समय जहाँ कुल 63 नगर निकाय थे, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 107 नगर निकायों तक पहुँच चुकी है। तेजी से बढ़ती हुई शहरी आबादी और संसाधनों पर बढ़ते दबाव के बावजूद पेयजल विभाग ने चरणबद्ध रणनीति के माध्यम से शहरी जल आपूर्ति व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। वर्तमान में 15 नगर निकाय क्षेत्रों में भारत सरकार के मानकानुसार 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (LPCD) की दर से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। शेष नगर निकायों में भी

पेयजल आपूर्ति को मानक के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाएँ प्रस्तावित की गई हैं।

विभाग द्वारा विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB), JICA, और अमृत जैसी योजनाओं के वित्तीय सहयोग से बड़े पैमाने पर अवसंरचनात्मक विकास कार्य गतिमान है। अमृत 2.0 कार्यक्रम अंतर्गत 24 नगर पेयजल योजनाएं निर्माण हेतु चयनित की गयी है, जिसमे से देहरादून (आंशिक), नरेंद्र नगर, मुनिकीरेती, शक्तिनगर, लालकुआ. दुगडडा, पौडी, पोखरी, स्वर्गाश्रम, गजा. नानकमता, डीडीहाट, कपकोट कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, धारचूला, बनबसा, सतपुली एवं गौचर नगर में ₹ 284.11 करोड़ की 19 पेयजल योजनाएं निर्माणाधीन हैं, जबकि चौखुटिया, थलीसैंण, हरबर्टपुर, तपोवन, लोहाघाट एवं देहरादून (आंशिक) नगर में ₹ 336.09 करोड़ की 7 पेयजल योजनाएं प्रस्तावित है। वहीं, बाह्ययसहायातित कार्यक्रम अंतर्गत जायका से ₹ 1366.80 करोड़ की परियोजना का वित्त पोषण करते हुए 18 नगरौं (अल्मोडा, द्वाराहाट, रानीखेत, भिक्यिासैण, बेरीनाग, गंगोलीहाट, झबरेडा, भगवानपुर, लक्सर, लंढौरा, पिरान कलियर, शिवालिक नगर, चम्बा, चमीला, घनसाली, कीर्तिनगर, लम्बगाव, न्यू टिहरी) में नगरीय मानक अनुसार जलापूर्ति किए जाने की कार्यवाही गतिमान है।

14.1.6 नमामि गंगे (सीवरेज सिस्टम)– नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान तक कुल 29 योजनायें स्वीकृत है जिनके अन्तर्गत 54 एस0टी0पी0 (कुल क्षमता 219.792 एम0एल0डी0) प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष वर्तमान तक कुल 24 योजनायें पूर्ण कर ली गयी है जिनमें 34 एस0टी0पी0 (कुल क्षमता 140.37 एम0एल0डी0) के कार्य पूर्ण कराये गये है। अवशेष योजनाओं के अन्तर्गत 20 एस0टी0पी0 (कुल क्षमता 79.422 एम0एल0डी0) के कार्य गतिमान है।

14.1.6.1 गंगा नदी की मुख्य धारा

वर्तमान में गंगा नदी की मुख्य धारा हेतु 02 योजनायें क्रमशः आई0 एण्ड डी0 एवं एस0टी0पी0 गौरीकुण्ड एवं तिलवाडा (05 एस.टी.पी.–कुल शोधन क्षमता 0. 322 एम.एल.डी.) तथा आई.एण्ड डी. एवं एस0टी0पी0 मुनि की रेती, स्वर्गाश्रम एवं नीलकण्ठ (04 एस.टी.पी. – कुल शोधन क्षमता 12.80 एम.एल.डी.) के कार्य गतिमान है जिनकी वर्तमान में प्रगति क्रमशः 45 प्रतिशत एवं 80 प्रतिशत है।

14.1.6.2 गंगा नदी की सहायक नदियां

- रामनगर में कोसी नदी में प्रदूषण की रोकथाम हेतु 06 नालों की टेंपिंग की गई। 02 एस0टी0पी (कुल क्षमता 8.50 एम0एल0डी0) के निर्माण कार्य पूर्ण किये गये है।
- देहरादून में रिस्पना तथा बिन्दाल नदी में प्रदूषण की रोकथाम हेतु 177 नालों की टेंपिग के कार्य एवं 22.00 कि.मी. सीवर नेटवर्क के कार्य पूर्ण किये जा चुके है।
- उधमसिहं नगर में "06 पोल्यूटेड रिवर स्ट्रचेज" के कार्य लगभग पूर्णता की स्थिति में है तथा योजना में निर्मित 09 सीवेज शोधन संयंत्र (कुल क्षमता 30.30 एम0एल0डी0) के ट्रायल टेस्टिंग के कार्य गतिमान है।
- देहरादून में सपेरा बस्ती, देहरादून योजना के अन्तर्गत 15 एम0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 के निर्माण कार्य गतिमान है, जिसकी वर्तमान में प्रगति 90 प्रतिशत है।
- कोटद्वार में आई0 एण्ड डी0 एवं 21 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 के निर्माण कार्य गतिमान है, जिसकी वर्तमान में प्रगति 20 प्रतिशत है।

14.1.6.3 के0एफ0डब्ल्यू0 विकास बैंक वित्त पोषित कार्यक्रम

हरिद्वार एवं ऋषिकेश में शत–प्रतिशत जलोत्सारण आच्छादन हेतु के0एफ0डब्ल्यू0, जर्मनी द्वारा वित्त पोशित ₹ 1500.00 करोड़ लागत की परियोजना स्वीकृत है जिसमें सीवर लाईन से सम्बन्धित कार्य 8 पैकेज में तथा एस0टी0पी0 से सम्बन्धित कार्य 1

पैकेज में कराये जाने प्रस्तावित है। वर्तमान तक सीवरेज कार्य के 5 पैकेज की निविदायें स्वीकृति उपरान्त कार्य गतिमान है तथा 1 पैकेज हेतु निविदा आमन्त्रित है। कार्य की कुल प्रगति लगभग 25 प्रतिशत है। अवशेष पैकेजों की निविदा हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही गतिमान है।

14.1.7 गेम चेन्जर योजनायें:

(अ) जल–सखी– उत्तराखण्ड पेयजल निगम एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा ग्रामीण महिला सशक्तिकरण एवं रोजगार के सृजन हेतु जल सखी योजना का प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किया गया है, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के बिल वितरण एवं राजस्व वसूली के कार्य महिला स्वंय सहायता समूह की सहभागिता से कराया जायेगा। इस योजना में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग ₹ 15 लाख जल संयोजन स्थापित होगें। जिससे वार्षिक अनुमानित राजस्व ₹ 22500 लाख प्राप्त होगा, जिसके सापेक्ष औसत प्रोत्साहन राशि/पारितोषिक/मानदेय @ 7.5% के अनुसार लगभग ₹ 16.87 लाख की आय महिला सहायता समूह द्वारा अर्जित की जा सकती है।

(ब) देहरादून शहर में अवस्थित एस0टी0पी0 द्वारा उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग की कार्ययोजना–

इस प्रस्ताव पर पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में कार्ययोजना प्रारम्भ किये जाने का कार्य उत्तराखण्ड जल संस्थान के माध्यम से किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य जनपद देहरादून शहर के अन्तर्गत अवस्थित एसटीपी द्वारा उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग सरकारी/गैर सरकारी बागवानी, कार वॉशिग सेन्टरों, सड़क किनारे व मध्य में रोपित वृक्षों/पौधों की सिंचाई, घरेलू एवं अघरेलू निर्माण इत्यादि कार्यो के लिए करना है। वर्तमान में उपरोक्त सभी कार्यो में होने वाले पेयलज की मॉग की पूर्ति हेतु भू–गर्भीय जल का दोहन किया जाता है । अतः उपरोक्त कार्यो में यदि एसटीपी द्वारा उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग किया जाय तो भू–गर्भीय जल के होने वाले दोहन को कम किया जा सकता है। यह परियोजना जल संसाधनों विशेषकर भूजल संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देगी। वर्तमान में लोग बागवानी और अन्य गैर–पेय प्रयोजनों के लिए पीने के पानी का उपयोग करते हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों पर बोझ बढ़ता है और पीने के पानी की कमी होती है। इस परियोजना के शुरू होने के बाद, ऐसे उपयोगों के लिए पीने के पानी पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। प्रथम चरण में कारगी जोन के अन्तर्गत सरकारी कार्यालयों, प्रतिष्ठानों की बागवानी, सड़क किनारे व मध्य में रोपित वृक्षों/पौधों की सिंचाई हेतु उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, जिस पर अनुमानित धनराशि ₹ 2.03 करोड, व्यय होना सम्भावित है।

14.1.7.1 ग्रामीण स्वच्छता:

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)–द्वितीय चरण

भारत सरकार के ध्वजवाहक कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0)–प्रथम चरण के सफलतापूर्वक समापन के उपरान्त भारत सरकार द्वारा जन समुदाय की क्षमताओं को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रो में ओ0डी0एफ0 स्थायित्व का स्तर बनाये रखने तथा गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन तन्त्र स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक के लिए जन आन्दोलन के रुप में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0)– द्वितीय चरण प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में राज्य के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण के निम्न कार्य संचालित किये जा रहे है, जिसके अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक गाँव को वर्ष 2025 तक ओ0डी0एफ0 प्लस किया जाना है।**

(अ) ओ0डी0एफ0 प्लस

- ✓ ओ0डी0एफ0 स्थायित्व के अन्तर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण एवं स्थायित्व तथा सामुदायिक स्वच्छता काम्पलैक्सों का निर्माण।
- ✓ दृश्य स्वच्छता

- ✓ ठोस अपशिष्ट तथा तरल अपशिष्ट प्रबन्धन
- ✓ आई0ई0सी0 / बी0सी0सी0– जनजागरूकता कार्य

(ब) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन

- ✓ जैविक अपशिष्ट प्रबन्धन
- ✓ अजैविक अपशिष्ट प्रबन्धन
- ✓ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन

(स) फीकल स्लज प्रबन्धन

- ✓ एकल / ट्विन पिट की मरम्मत (शौचालयों की रैट्रोफिटिंग कार्य (Community Retrofitting)
- ✓ एस0टी0पी0 मैपिंग
- ✓ फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट की सीपना

फीकल स्लज प्रबन्धन के अन्तर्गत नगरीय एस0टी0पी0 के निकट के समस्त ग्राम पंचायतों को फीकल स्लज के उपचार हेतु एस0टी0पी0 से मैप किये जाने की योजना है। 15वां वित्त आयोग / मनरेगा फंड से समस्त एकल गड्ढे शौचालयों को दो गड्ढे वाले शौचालयों में परिवर्तित किये जाने की योजना है। आवश्यकतानुसार एवं व्यवहारिकता के आधार पर तराई / मैदानी जनपदों में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किये जाने की योजना है। वर्तमान तक कुल 1925 (1254 शत–प्रतिशत ट्विन पिट एवं 651 नजदीकी शहरी एस0टी0पी0 से लिंक) गांवों को एफ0एस0एम0 अनुपालक गांव घोषित किया गया है। अवशेष शौचालयों की रेट्रोफिटिंग हेतु कार्य योजना तैयार की जा रही है जिसमें 15वें वित्त आयोग / मनरेगा से अभिसरण किये जाने की योजना है।

(द) भूरा जल प्रबन्धन

- ✓ जल निकास
- ✓ सोख्ता / लीच गड्ढे
- ✓ भूरा जल उपचार इकाई

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु गतिविधि

1. ग्राम पंचायत के उत्तरदायित्व

- व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्तर पर जैविक अपशिष्ट प्रबन्धन
- घरेलू स्तर पर अपशिष्ट का पृथक्कीकरण
- प्लास्टिक / अजैविक अपशिष्ट का संग्रहण
- ग्राम पंचायत से वाहन मार्ग तक प्लास्टिक अपशिष्ट का ढुलान

2. ब्लॉक पंचायत के उत्तरदायित्व

- ग्राम पंचायत वाहन मार्ग से ब्लॉक स्तरीय अपशिष्ट प्रबन्धन इकाई तक अपशिष्ट का ढुलान।
- ग्राम पंचायत वाहन मार्ग से प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण हेतु रणनीति तैयार करना।
- कलस्टर स्तरीय वाहनों का संचालन एवं रखरखाव।

3. जिला पंचायत के उत्तरदायित्व

- ब्लाक स्तरीय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र में लगे काम्पैक्टरों का संचालन एवं रखरखाव।
- काम्पैक्ट बेल्स को पुर्नचक्रण केन्द्र तक पहुँचाना।
- धार्मिक स्थलों, स्थानीय बाजारं, हाट बाजार आदि में स्वच्छता की स्थिति बनाये रखना।

14.1.7.2 वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि

1. व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत वार्षिक क्रियान्वयन योजना के अनुसार कुल 21660 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष 3625 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) के अन्तर्गत आई0एम0आई0एस0 वेबसाईट के अनुसार आतिथि तक कुल 548363 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

2. सामुदायिक स्वच्छता काम्प्लैक्सों के निर्माणः

वार्षिक कार्य योजना में कुल 776 ग्रामों में सामुदायिक स्वच्छता काम्प्लेक्सों के निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष 14 के निर्माण कार्य पूर्ण एवं 155 में कार्य गतिमान है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) के अन्तर्गत आई0एम0आई0एस0 वेबसाईट के अनुसार आतिथि तक कुल 3035 सामुदायिक स्वच्छता काम्प्लेक्सों के निर्माण किया जा चुका है।

3. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धनः

स्वच्छ भारत मिशन–ग्रा0 के वार्षिक कार्य योजना में कुल 2652 ग्रामों के लक्ष्य के सापेक्ष 215 ग्रामों में ठोस एंव तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के निर्माण कार्य पूर्ण किए गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विगत वर्षों सहित क्रमिक 12576 ग्रामों में कार्य पूर्ण, 2302 ग्रामों में निर्माणाधीन एवं शेष ग्रामों में कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाना है।

उक्त कार्य मनरेगा, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, उरेडा एवं कृषि विभाग इत्यादि के साथ केन्द्राभिसरण (Convergence) के माध्यम से भी करवाया जा रहा है।

4. प्लास्टिक कचरा प्रबन्धन इकाई– ब्लाक स्तर पर पंचायती राज विभाग के समन्वय से समस्त 95 विकासखण्डों में प्लास्टिक कचरा प्रबन्धन इकाई स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 11 विकासखण्डों के लक्ष्य के सापेक्ष स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के 04 इकाईयों में शेड निर्माण पूर्ण कराया गया है (क्रमिक 89 पूर्ण एवं 2 विकासखंडों को अन्य विकासखंडों से लिंक सहित कुल 91)। उक्त में पंचायती राज विभाग के माध्यम से क्रमिक 81 कॉम्पैक्टर लगाये गये तथा 83 इकाईयों में विद्युत संयोजन दिया गया है एवं भलीं–भांति संचालित किया जा रहा है। 04 विकासखण्डों में इकाई का निर्माण कार्य गतिमान है। **उपरोक्त परिसम्पत्तियों के संचालन एंव रखरखाव हेतु 15वां वित्त आयोग के अनुदान तथा अपने स्वयं के संसाधनों (उपयोगकर्ता शुल्क आदि) का उपयोग करके ओ0डी0एफ0 तथा ओ0डी0एफ0 प्लस स्थिति की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए शत–प्रतिशत रखरखाव एवं संचालन सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जायेगा। समस्त 95 विकासखण्डों में स्वच्छ भारत मिशन–ग्रा0 मद से कूड़ा एकत्रीकरण/परिवहन हेतु एक–एक हाइड्रोलिक टिप्पर वाहन उपलब्ध कराये गये हैं जो कि सम्बन्धित खंड विकास कार्यालय द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।**

5.ओ0डी0एफ0 प्लस की वर्तमान स्थिति (आई0एम0आई0एस0 के अनुसार)

राज्य के कुल 15049 ग्रामों में से आतिथि तक क्रमिक कुल 14935 ग्राम ओ0डी0एफ0 मॉडल (आकांक्षीः 41, उदीयमानः 02 तथा मॉडलः 14892) बनाए गये।

6. सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों का संचालनः

राज्य में ओ.डी.एफ. स्थायित्व को बनाये रखने हेतु समय–समय पर विभिन्न जन–जागरूकता कायक्रम (स्वच्छता गोष्ठी, नुक्कड नाटक, रैलियों, स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम, स्वच्छता रथ, विकासखण्ड/ जनपद/राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन इत्यादि किए गये हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 45 बैठकों (906 प्रतिभागी) का आयोजन किया गया तथा 01 बैनर लगाये गये। आई0ई0सी0 गतिविधियों के अन्तर्गत 259 गतिविधियाँ संचालित की गयीं।

7. वॉश पी0एम0यू0 की स्थापना

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में जल एवं स्वच्छता कार्यों को एकीकृत रूप से संचालित किये जाने के लिये राज्य तथा जनपद स्तर पर वॉश पी0एम0यू0 (Water, Sanitation and Hygiene-WASH) का गठन किया गया है जिसके मुख्य उद्देश्य पेयजल एवं स्वच्छता गतिविधियों के एकीकृत रूप से क्रियान्वयन हेतु समन्वय, आई0ई0सी0/ बी0सी0सी0 तथा क्षमता विकास कार्यक्रमों का संचालन, रेखीय विभागों के अन्तर्गत पेयजल एवं स्वच्छता गतिविधियों के अभिसरण व्यवस्थाओं का नियोजन,क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु सहयोग तथा पेयजल एवं स्वच्छता

गतिविधियों के विभिन्न कमियों को पूर्ण किये जाने हेतु सहयोग करना है।

14.1.7.3 वित्तीय वर्ष 2025–26 की वित्तीय प्रगति

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)' हेतु ₹ 9525.57 लाख का बजट (₹ 99.32 लाख़ राजस्व तथा ₹ 9426.25 लाख पूंजीगत) प्राविधानित किया गया है जिसमें ग्रामीण स्वच्छता के स्तर को बनाये रखे जाने हेतु ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन गतिविधियों के माध्यम से आधार–भूत ढॉचों को निर्मित कराये जाने, आई0ई0सी0 एवं प्रशासनिक व्ययों हेतु अनुमन्य धनराशि तथा शौचालय निर्माण एवं ओ0डी0एफ0 सस्टैनेबिलिटी से सम्बन्धित गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत गत वर्ष 2024–25 की अवशेष धनराशि ₹ 496.72 लाख तथा अवमुक्त ₹ 1666.67 लाख (केन्द्रांश ₹ 1500.00 लाख तथा राज्यांश ₹ 166.67 लाख सहित) के सापेक्ष माह दिसम्बर 2025 तक (अनन्तिम) कुल ₹ 960.61 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

14.1.7.4 स्वजल 2.0 के अन्तर्गत अभिलाषी जनपदों (Aspirational Districts) में चयन

उत्तराखंड के दो जनपद हरिद्वार और उधम सिंह नगर चिन्हित अभिलाषी जनपद हैं। इन दो जनपदों की कुल 12 सौर ऊर्जा चलित मिनी पम्पिंग पेयजल योजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिनमें योजनाएँ पूर्ण होने वाली हैं। घरेलू संयोजन जे0जे0एम0 के अन्तर्गत उ0पे0नि0/ उ0ज0सं0 द्वारा दिए जायेंगे।

राजकीय सिंचाई

भारतीय कृषि में सिचांई का महत्वपूर्ण स्थान है। वैश्विक स्तर पर आंकडों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है। उसके बाद इसकी सबसे ज्यादा उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में तथा तत्पश्चात घरेलू उपयोग की आवश्कताओं के लिये किया जाता है।

भारत की स्वतंत्रता के बाद कृषि क्षेत्र में विकास का ध्यान में रखते हुये सिंचाई के महत्व को देखते हुये 02 जुलाई, 2015 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को प्रारम्भ किया गया। इस योजना का उददेश्य सिंचाई सुविधाओं की प्रभावशाली बनाते हुये खेत तक किसी न किसी माध्यम से सिंचाई सुविधाओं को पहुंचाया है।

राज्य गठन के समय विभाग में 2104 नहरें, 84 लघुडाल नहरें, व 667 नलकूप निर्मित थे, जिनका सी0सी0ए0 2.609 लाख हैक्टेयर, सिचन क्षमता 2. 850 लाख हैक्टेयर तथा वास्तविक सींच 2.278 लाख हैक्टेयर थी।

राज्य गठन के बाद अब 1028 नहरों, 287 लघुडाल नहरों एवं 1097 नलकूपों का निर्माण कर 2.143 लाख हैक्टेयर और सिंचन क्षमता सृजित की गई है, जिससे 0.917 लाख हैक्टेयर सींच में वृद्वि हुई है, जो एक सराहनीय कदम है। राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विकास एवं विस्तार के लिये विभाग सतत् प्रयत्नशील है। नई नहरों, लघुडाल नहरों एवं नलकूपों के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, जिससे आगामी भविष्य में सिंचाई सुविधाओं का और विस्तार होगा, जिसका राज्य के कृषकों को लाभ मिलेगा।

उत्तराखण्ड राज्य जल नीति, 2019

1. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा राष्ट्रीय जल नीति, 2012 में प्रतिपादित मूलभूत सिद्धान्तों के आधार पर तैयार उत्तराखण्ड राज्य जल नीति, 2019 दिनांक 20.12.2019 को प्रख्यापित की गयी जिसका उद्देश्य जल संसाधनों की वर्तमान स्थिति का संज्ञान लेते हुये इनके नियोजन, विकास एवं प्रबन्धन हेतु कुशल ढांचा प्रस्तावित करना है।
2. राज्य जल नीति में विशेष तौर पर जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य में इसके कु–प्रभाव की चुनौतियों का सामना करने हेतु शमन के उपायों को शामिल किया गया है।
3. इसके अतिरिक्त जल संसाधनों के संरक्षण,

संवर्द्धन एवं परिरक्षण हेतु विभिन्न उपायो को भी राज्य जल नीति में सम्मिलित किया गया है।

4. जल लेखा–परीक्षण, आयतन आधारित तार्किक जल प्रभार तंत्र एवं प्रबन्धन सूचना तंत्र विकसित किये जाने सम्बन्धी प्रावधान भी शामिल किये गये हैं।

5. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा राष्ट्रीय जल नीति,2019 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न 13 सिंचाई विभागों के विभागवार दायित्व मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 29.01.2020 से जारी किये जा चुके है।

तालिका 14.5
उत्तराखण्ड में वर्षवार सिंचन क्षमता एवं उपयोग

(हजार हेक्टेयर)

वर्ष Year	क्षमता Potential				उपयोग Uses			
	राजकीय लघु सिंचाई State Minor Irrigation	निजी लघु सिंचाई Minor Irrigation (Private)	वृहद एवं मध्यम सिंचाई Large & Medium Irrigation	योग Total	राजकीय लघु सिंचाई State Minor Irrigation	निजी लघु सिंचाई Minor Irrigation (Private)	वृहद एवं मध्यम सिंचाई Large & Medium Irrigation	योग Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2000-01	285.00			285.00	227.80			227.80
2001-02	285.60			285.60	227.90			227.90
2002-03	289.50			289.50	235.50			235.50
2003-04	293.40			293.40	254.10			254.10
2004-05	311.00			311.00	257.60			257.60
2005-06	311.40		राजकीय लघु सिंचाई में सम्मिलित	311.40	271.80		राजकीय लघु सिंचाई में सम्मिलित	271.80
2006-07	319.10			319.10	268.40			268.40
2007-08	333.30			333.30	273.30			273.30
2008-09	338.70			338.70	275.60			275.60
2009-10	366.10			366.10	285.60			285.60
2010-11	379.10			379.10	286.00			286.00
2011-12	387.00			387.00	290.70			290.70
2012-13	392.70	लघु सिंचाई		392.70	292.50	लघु सिंचाई		292.50
2013-14	320.80		74.80	395.60	223.50		62.60	286.10
2014-15	324.30		74.80	399.10	227.90		62.60	290.50
2015-16	351.80		74.80	426.60	240.80		62.60	303.40
2016-17	370.00		74.80	444.80	251.60		62.60	314.20
2017-18	373.50		74.80	448.30	261.80		62.60	324.40
2018-19	382.60		74.80	457.40	251.80		62.80	314.60
2019-20	398.30		74.80	473.10	259.40		62.80	322.20
2020-21	400.30		74.80	475.10	260.00		62.10	323.10
2021-22	407.30		74.80	482.10	259.20		63.30	322.50
2022-23	408.20		74.80	483.00	260.80		63.50	324.30
2023-24	412.00		74.80	486.80	258.80		63.60	322.40
2024-25	424.40		74.80	499.20	253.90		63.60	317.50
2025-26 (12/2025 तक अनुमानित)	424.50		74.80	499.30	255.90		63.60	319.50

स्रोतः राजकीय सिंचाई/लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

14.2 लघु सिंचाई विभाग

लघु सिंचाई विभाग द्वारा कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न प्रकार की लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। कृषकों की उत्पादन लागत कम करने एवं आय में वृद्वि हेतु नये सोलर पम्पसेटों की स्थापना के साथ–साथ डीजल

पम्पसेट को सोलर पम्पसेट में परिवर्तित करने का कार्य किया जा रहा है। मैदानी क्षेत्रों में गिरते भू–जल स्तर में सुधार हेतु रिचार्ज शॉफ्ट का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही जल सरंक्षण–संवर्धन हेतु छोटे चैकडेम निर्माण, तालाब निर्माण, चाल–खाल, रिचार्ज पिट आदि का कार्य किया जा रहा है।

विभाग द्वारा सम्पादित मुख्य कार्यों का विवरणः–

- सिंचाई हेतु गूल, हौज, पाईपलाईन योजनाओं का निर्माण।
- मैदानी क्षेत्रों में आर्टीजन कूप निर्माण।
- सिंचाई हेतु पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में सोलर पम्पसेट की स्थापना।
- PM-KUSUM योजनान्तर्गत डीजल चलित पम्पसेट को सोलर में परिवर्तित करना।
- जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु चैक डेम एवं तालाब निर्माण।
- भूजल सम्भरण हेतु रिचार्ज शाफ्ट निर्माण।
- सिंचाई दक्षता में वृद्वि हेतु सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर/रेनगन) योजनाओं का निर्माण।

वर्ष 2025–26 में माह दिसम्बर, 2025 तक 42 सोलर लिफ्ट योजना, 35 सोलर बोरिंग पम्पसेट, 26 बोरिंग पम्पसेट, 04 आर्टीजन, 262 कि0मी0 सिंचाई गूल/पाईप लाइन एवं 546 सिंचाई हौज का निर्माण/स्थापना कर 5756 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

तालिका 14.6
उत्तराखण्ड में निजी लघु सिंचाई कार्यों की वर्षवार उपलब्धियाँ

वर्ष Year	सोलर लिफ्ट Solar Lift (No.)	सोलर बोरिंग पम्पसेट Solar Boring Pump sets (No.)	बोरिंग पम्प सेट Boring Pump sets (No.)	गहरे/मध्यम नलकूप Deep/Medium Tubewells (No.)	हाईड्रम Hydram (No.)	हौज Tanks (No.)	सिंचाई गूल Irrigation Gule (Km)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2017–18	0	0	55784	731	1448	38784	30711
2018–19	0	0	55979	731	1448	39471	30951
2019–20	0	0	56217	731	1433	40003	31212
2020–21	0	0	56431	731	1433	40549	31449
2021–22	21	46	56565	731	1433	41085	31609
2022–23	51	186	56625	731	1230	41467	31929
2023–24	147	212	56767	731	1151	41950	32214
2024–25	199	253	56869	731	1146	42799	32668
2025–26 (दिसम्बर 2025 तक)	241	288	56895	731	1146	43325	32931

स्रोत :– लघु सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड

14.3 राज्य सेक्टर के अन्तर्गत संचालित योजनायें

1. सोलर पम्प आधारित लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण : राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में जहॉ पर लघु एवं सीमान्त कृषकों की कृषि भूमि, उपलब्ध जल स्रोतों से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, में सोलर पम्प से पानी को अपलिफ्ट कर, कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त योजना हेतु ₹ 400.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है। वर्ष 2025–26 में 28 सोलर लिफ्ट योजनाओं का निर्माण प्रस्तावित है।

2. भूजल संरक्षण/संवर्धन हेतु पुनर्भरण व संग्रहण योजनाओं का निर्माण : राज्य के मैदानी जनपदो में भूजल स्तर के पुनर्भरण तथा पर्वतीय क्षेत्रों में भू–कटाव को रोकने, जल संरक्षण व

संवर्धन हेतु भूजल संरक्षण/संवर्धन हेतु पुनर्भरण व संग्रहण योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त योजना हेतु 300.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है। वर्ष 2025–26 में उक्त योजनान्तर्गत 10 चैकडेम, 5 तालाब एवं 5 रिचार्ज शॉफ्ट योजनाओं का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

3. नाबार्ड वित्तपोषित योजना :– नाबार्ड वित्तपोषित, लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण मद में विभाग द्वारा सोलर पम्पसेट, चैक डेम, रिचार्ज शाफ्ट, छोटे गेटेड वियर, सिंचाई हौज तथा पाईप लाईन आदि का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में नाबार्ड वित्तपोषित योजना के अन्तर्गत ₹ 6100.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह दिसम्बर 2025 तक नाबार्ड वित्तपोषित योजना RIDF-XVIII, RIDF-XXIX एवं RIDF-XXX के अन्तर्गत 47 सोलर पम्पसेट, 01 गेटेड वियर, 315 चैकडेम, 91.57 कि0मी0 पाईपलाईन तथा 82 सिंचाई हौज का निर्माण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में RIDF-XXXI के अन्तर्गत ₹ 8947.39 लाख लागत की 65 योजनाओं की स्वीकृति की कार्यवाही गतिमान है।

4. ड्रिप /स्प्रिंकलरों का निर्माण:– विभाग द्वारा निर्मित सिंचाई योजनाओं पर जल अपव्यय न्यून किये जाने, सिंचाई दक्षता में वृद्धि एवं जल की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 100.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में 34 योजनाओं पर स्प्रिंकलर की स्थापना का कार्य प्रस्तावित है।

5. आर्टीजन कूपों का निर्माण :–ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में आर्टीजन कूपों का निर्माण कर, सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है। आर्टीजन कूप में जलश्राव हेतु किसी वाह्य उर्जा (डीजल, विद्युत आदि) की आवश्यकता नही पड़ती है। इस प्रकार योजना की स्थापना लागत (Instaliltion Cost) को छोडकर संचालन हेतु किसी अतिरिक्त धनराशि के व्यय की आवश्यकता नहीं होती है। कृषकों को आर्टीजन कूप निर्माण से निःशुल्क सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के कारण कृषकों के सिंचाई पर होने वाले व्यय की बचत होती है।

6. स्पेशल कम्पोनेट सब प्लान (एस.सी.एस.पी.) :– एस0सी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में एस0सी0एस0पी0 मद में ₹ 400.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है। माह दिसम्बर 2025 तक 56 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

7. ट्राईबल सब प्लान (टी.एस.पी) :– टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में टी0एस0पी0 मद में ₹ 120.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है। माह दिसम्बर 2025 तक 21 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

14.4 केन्द्रपोषित/केन्द्रीय सेक्टर योजना के अन्तर्गत संचालित योजनायें

1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (हर खेत को पानी):–

केन्द्र पोषित, प्रधानमंत्री कृषि सिचांई योजना–हर खेत को पानी (सतही लघु सिंचाई) योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ₹ 34939.33 लाख लागत की 422 कलस्टर/योजनायें स्वीकृत की गयी है। उक्त योजनान्तर्गत 19524 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह दिसम्बर, 2025 तक 16792 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

2. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कार्यक्रम(पी0एम0कुसुम) :–

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कार्यक्रम (पी0एम0कुसुम) के कम्पोनेन्ट–बी के अन्तर्गत जैविक ईधन आधारित ऊर्जा पर निर्भरता को कम किये जाने एवं सौर ऊर्जा में अधिकाधिक प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से कृषकों के संचालित डीजल पम्पसेट को 10.00 एच0पी0 क्षमता तक के सोलर पम्पसेट में परिवर्तित किया जा रहा है। वर्तमान में उक्त योजना का क्रियान्वयन जनपद ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, देहरादून एवं हरिद्वार में किया जा रहा है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 3207 सोलर पम्पसेट स्थापना का लक्ष्य स्वीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह दिसम्बर, 2025 तक 1787 सोलर पम्पसेटों की स्थापना की गयी है।

3. संगणना कार्यः

विभाग द्वारा लघु सिंचाई, जल निकाय, वृहत् एवं मध्यम सिंचाई तथा स्प्रिंग संगणना का कार्य कराया जाता है। राज्य में प्रथम बार वृहत् एवं मध्यम सिंचाई तथा स्प्रिंग संगणना का कार्य मोबाईल एप के माध्यम से कराया जा रहा है, जिससे सुस्पष्ट आंकड़े प्राप्त होने से योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभाग द्वारा 7वीं लघु सिंचाई, द्वितीय जल निकाय तथा प्रथम वृहत् व मध्यम तथा प्रथम संगणना का कार्य किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

जलागम प्रबन्धन

जलागम प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत **"इंटीग्रेटेड वॉटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम"** (IWMP) के तहत जल स्रोतों का पुनर्भरण और जल संरक्षण के कार्य किये गये। नैनीताल, टिहरी, नौकुचियाताल जैसी झीलों के संरक्षण और जलस्रोत पुनर्जीवन योजनाएँ चलाई गईं। वर्ष 2023 में **"स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी (SARRA)"** की स्थापना कर एक नया अध्याय जोड़ा, जो देश में इस प्रकार का विशिष्ट प्राधिकरण है, जो जल संरक्षण एवं संवर्द्धन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामुदायिक सहभागिता से जोड़ते हुये, जल संरक्षण को एक जनांदोलन का रूप दे रहा है। इसका उद्देश्य राज्य के प्राकृतिक जल स्रोतों एवं नदियों का चिन्हीकरण, जल उत्सर्जन में वृद्धि, मापन एवं अनुश्रवण करना है। अब तक 5428 स्रोतों का जल संरक्षण तथा संवर्द्धन के माध्यम से पुनर्जीवीकरण कर दिया गया है, जबकि 228 वर्षा कालीन छोटी–बड़ी नदियों का & D W F K P H Q W कर पुनर्जीवित किया गया है। वर्षा जल संरक्षण एवं जल संवर्द्धन हेतु कुल 1,21,491 वर्षा जल संरचनायें तैयार किये गये हैं जिनके द्वारा 2.40 लाख घन लीटर जल संरक्षित किया गया।

14.5 विभागीय योजनाओं के नियोजन एवं कियान्वयन को निम्नलिखित मुख्य Pillars (आधार) पर निरूपित किया जाता है–

- Sustainable Water Resource Management- SWRM (सतत जल संसाधन प्रबन्धन)
- Sustainable Land and Ecosystem Management- SLEM (सतत भूमि प्रबन्धन)
- Climate Change Mitigation- CCM (जलवायु परिवर्तन शमन)
- Biodiversity Conservation- BD (जैव विविधता संरक्षण)
- Climate Resilient Agriculture (जलवायु अनुकूलन कृषि)

14.6 मूल्यांकन एवं अनुश्रवण वाह्य मूल्यांकन एजेंसी, सूत्रा लि0 के अनुसार परियोजना की उपलब्धियां

1. सूक्ष्म जलागमों की जल उत्पादकता एवं जल स्रोतों का पुनर्भरण/जलस्तर में वृद्धि

- चिन्हित जल स्रोतों में से 2034 जल स्रोतों में प्री मानसून डिस्चार्ज 13.3% से बढ़कर 25.0% हो गया है। मानसून के बाद की अवधि में वाटर डिस्चार्ज में प्रतिशत वृद्धि 13.8% से 33.7% तक हुई है।
- 8 प्रतिनिधि सूक्ष्म जलागमों में बंजर भूमि में औसत कमी 1.77% है।
- प्रतिनिधि सूक्ष्म जलागमों में कृषि और वन में औसत वृद्धि क्रमशः 5.1% तथा 0.37% है।
- सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों की औसत जल उपलब्धता में लगभग 21 लाख घन मीटर की वृद्धि।

2. जल संरक्षण, सम्भरण एवं जल स्रोतों का उपचार

- 10,05,589 घन मी0 क्षमता की विविध परकुलेशन संरचनायें, यथा डगआउट पॉण्ड, चाल खाल, रिचार्जपिट, खन्तियॉ आदि निर्मित होने से चिन्हित 2054 प्राकृतिक जल स्रोतों में से 2034 जल स्रोतों के जल उत्सर्जन में सकारात्मक वृद्धि।

3. बारानी कृषि क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा विकास एवं उत्पादकता वृद्धि

- सिंचाई हेतु विविध संग्रहण संरचनायें निर्मित कर 90,651 घन मी0 जल संग्रहण क्षमता अर्जित की गई।
- बारानी कृषि क्षेत्रों में उन्नत बीजों एवं नवीन कृषि तकनीकों के अंगीकरण से कृषि उत्पादकता में 33.1 प्रतिशत वृद्धि हुई।

4. सिंचाई सुविधा हेतु सौर ऊर्जा का प्रयोग

- परियोजना के माध्यम से 24 सौर ऊर्जा पम्प स्थापित किये जा चुके है, जिनके माध्यम से इन ग्रामों में लगभग 241.68 हे0 बारानी कृषि क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई।

5. परती भूमि का पुनरुद्धार

- परियोजना के अंतर्गत लगभग 2530 हेक्टेयर परती भूमि में कृषि तथा उद्यान स्थापना गतिविधियों के माध्यम से कृषिमय भूमि में परिवर्तित गई।

6. कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन

- परियोजना के अन्तर्गत 17,488 कृषकों को 1,488 इच्छुक कृषक समूहों में संगठित किया गया।
- कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहित करने हेतु 1259 समूहों के 13,938 कृषकों को 21 कृषक संघों में संगठित कर, स्वायत्त सहकारिता के रूप में पंजीकृत किया गया।
- उक्त कृषक समूहों/संघों द्वारा लगभग ₹ 106.958 करोड़ के कृषि उत्पादों का व्यवसाय किया गया है तथा ₹ 3.403 करोड़ की बचत अर्जित की गयी।

7. कृषि व्यवसाय ग्रोथ सेंटर की स्थापना

उत्तराखण्ड सरकार की दूरगामी सोच के अनुरूप परियोजना के अंतर्गत दूरस्थ गांवों के सीमांत किसानों, छोटे कारीगरों और लघु उद्यमियों को बाजार की मांग के अनुरूप, कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण आदि की जानकारी, आवश्यक सामग्री एवं सुविधाओं आदि के साथ–साथ क्रेताओं से संपर्क जैसी सभी सुविधाएं, एक ही स्थान पर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से कृषि व्यवसाय ग्रोथ सेंटर की स्थापना की गई है।

ग्राम्या–2 परियोजना के अंतर्गत 10 कृषि व्यवसाय ग्रोथ सेंटर यथा टिहरी प्रभाग में ख्यार्सी, पी.एम.यू. प्रभाग में ककनावा मयचक तलाई, बागेश्वर प्रभाग में शामा, पिथौरागढ़ प्रभाग में नाचनी, देहरादून प्रभाग में पुनाह पोखरी, अल्मोड़ा प्रभाग में फल्याट, पौडी प्रभाग में सिमारखाल, पौडी प्रभाग में अमोठा गूंठ, रुद्रप्रयाग प्रभाग में डोबलिया तथा उत्तरकाशी प्रभाग में धिवरा ग्रोथ सेन्टर स्थापित किये गये हैं।

8. अन्य आयअर्जक गतिविधियां

- निर्बल वर्ग कोष गतिविधि के अन्तर्गत 8615 एकल तथा 1040 समूहों, इस प्रकार कुल 14,148 निर्बल वर्ग परिवारों को गैर कृषि आधारित आजीविका गतिविधियों हेतु आर्थिक सहायता दी गयी तथा प्रति परिवार ₹ 20,000 से 23,000 की वार्षिक औसत आय प्राप्त हुयी।

विभिन्न गतिविधियों से परियोजना क्षेत्रों में 89,82,164 मानव दिवस सृजित गये।

वर्तमान में जलागम विभाग द्वारा दो वाह्य सहायतित परियोजनायें यथा–जैफ वित्त पोषित जैफ–6 ग्रीन एग्रीकल्चर एवं विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना (UCRRFP) तथा एक केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– जलागम विकास घटक 2.0 संचालित की जा रही हैं।

14.7 जलागम प्रबन्धन विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं का विवरण

1. केन्द्र वित्त पोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलागम विकास घटक 2.0

- परियोजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबन्धन के माध्यम से वर्षा आधारित/निम्नकोटि भूमि की उत्पादक क्षमता में सुधार करना है तथा ग्रामीण समुदायों का संस्थागत सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता विकास करते हुए उनकी सहभागिता से प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की दक्षता तथा आजीविका सम्बन्धित गतिविधियों के माध्यम से आय में वृद्वि करना है।

- 05 वर्षीय यह परियोजना वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 (माह जनवरी 2021 से प्रभावी) तक राज्य के तीन जनपदों पौड़ी, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ हेतु 12 परियोजनाए स्वीकृत की गयी हैं, जो 11 विकासखण्डों के 25 सूक्ष्म जलागमों के 70,231 हैक्टर क्षेत्रफल में क्रियान्वित की जायेगी। जिससे 370 ग्राम पचायतों के 918 राजस्व ग्राम लाभान्वित होंगे। परियोजना लागत–धनराशि ₹ 196.65 करोड़ (90% केन्द्रांश धनराशि ₹ 176.98 करोड़ एवं 10% राज्यांश ₹ 19.67 करोड़) है।

- DoLR, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में जनपद चम्पावत (12,798 है0 अतिरिक्त क्षेत्रफल) के दो विकासखण्ड के लिये तीन परियोजनाऐं स्वीकृत की गयी है। जिसके अन्तर्गत जनपद चम्पावत के सात (7) सूक्ष्म जलागमों हेतु स्वीकृत धनराशि ₹ 35.61 करोड़ की कार्य योजना तैयार करने की कार्यवाही गतिमान है।

- वित्तीय वर्ष 2025–2026 हेतु निर्धारित वित्तीय लक्ष्य ₹ 53.80 करोड़ है। माह दिसम्बर, 2025 उपलब्ध कुल धनराशि ₹ 16.35 करोड़ के सापेक्ष ₹ 5.40 करोड़ का व्यय किया गया है।

4. राज्य स्तरीय स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण (SARRA)

- जलागम उपचार अवधारणा से सम्बन्धित योजनाओं के निरूपण, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु स्थापित एवं इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव एवं विशेषज्ञता धारित करने वाले जलागम विभाग के अंतर्गत **"स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण (Spring and River Rejuvenation Authority- SARRA)"** को स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- **स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण का उद्देश्य** ''राज्य के प्राकृतिक जल स्रोतों एवं नदियों का चिन्हीकरण, जल उत्सर्जन में वृद्धि, मापन एवं अनुश्रवण तथा वर्षा आधारित नदियों के चिरस्थायी प्रवाह हेतु स्थानीय जनसमुदाय की सहभागिता एवं वैज्ञानिक पद्वतियों से वर्षा जल संग्रहण तकनीको यथा चैकडैम आदि के माध्यम से उनका उपचार करते हुये सतत् उपयोग सुनिश्चित करना'' है।

- इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जलागम विभाग नोडल विभाग के रूप में समस्त रेखीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करेगा।

कार्य क्षेत्र –राज्यान्तर्गत प्राकृतिक जल स्रोतों एवं नदियों का चिन्हीकरण कर समस्त जनपदों में उपचार/पुनरोद्धार के कार्य किये जायेंगे।

- **राज्य स्तरीय स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण (SARRA)** द्वारा जल संरक्षण अभियान की इस वर्ष 2025 की थीम **''धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा''** के अनुसार इसका क्रियान्वयन/संचालन राज्य में त्रिस्तर–ग्राम, विकासखण्ड एवं जनपद् स्तर पर किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत राज्यवासियों द्वारा अपने क्षेत्र के क्रिटिकल /सूख रहें जल स्रोतों के उपचार हेतु SARRA द्वारा विकसित **''भगीरथ'' मोबाईल एप** के माध्यम से स्वयं चिन्हिकरण किया जायेगा। जिसमें अब तक लगभग 6,000 जल स्रोतों यथा–नौला, धारा, गधेरा, सहायक नदियां इत्यादि चिन्हित की जा चुकी हैं। उक्त चिन्हित जल स्रोतों को रेखीय विभागों/जनपदों द्वारा उपचारित किया जायेगा।